सूची

भाग I : परिचय
अध्याय I - प्रारंभिक
अध्याय II - परिभाषा
अध्याय III - पंजीकरण
भाग II : प्रूडेंशियल मुद्दे
अध्याय IV- प्रूडेंशियल विनियम
अध्याय V - उचित व्यवहार संहिता
अध्याय VI - एनबीएफ़सी- फैक्टर के लिए विशेष निर्देश
अध्याय VII - आईएफसी-एनबीएफसी पर विशेष निर्देश
अध्याय VIII - एनबीएफसी-एमएफआई पर विशेष निर्देश
भाग III: अभिशासन मुद्दे
अध्याय IX - नियंत्रण का अधिग्रहण / स्थानांतरण
भाग IV: विविध मुद्दे
अध्याय X - शाखा / सहायक के उद्घाटन / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय या उपक्रम निवेश विदेश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा
अध्याय XI - विविध निर्देश
अध्याय XII - रिपोर्टिंग आवश्यकताएं
अध्याय XIII - व्याख्याएं
अध्याय XIV - निरसन
अनुबंध
अनुबंध I- सरकारी एनबीएफसी के लिए समयरेखा
अनुबंध II - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बैलेंस शीट की अनुसूची
अनुबंध III - गिरवी प्रतिभूति पर आंकड़ें
अनुबंध IV - निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश परिभाषाएँ
अनुबंध V - एनबीएफसी द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर मानदंड
अनुबंध VI - इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख उद्योगों के लिए दीर्घकालिक परियोजना ऋण की लचीली रिस्ट्रक्चरिंग

अनुबंध VII - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 - नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति
अनुबंध VIII - एपी पोर्टफोलियो पर प्रावधान करने के बाद सीआरएआर की गणना
अनुबंध IX - एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व - नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड
अनुबंध X- कंपनी के शेयरधारकों/ प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों के बारे में सूचना
अनुबंध XI - बीमा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश
अनुबंध XII - सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XIII - एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XIV -क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए - दिशानिर्देश - उपयोगकर्ताओं के रूप में एनबीएफसी
अनुबंध XV - प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XVI - एनसीडी के प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशा-निर्देश
अनुबंध XVII - वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना
अनुबंध XVIII - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के लिए दिशानिर्देश
अनुबंध XIX - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियोंद्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में प्रबंध जोखिम और आचार संहिता पर दिशा-निर्देश

भाग I : परिचय

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और दिशानिर्देश का प्रारंभ।**

(1) दिशानिर्देश को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने के कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 कहा जाएगा।

(2) निर्देश तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आएगा।

2. प्रयोज्यता

(1) दिशानिर्देश के प्रावधान निम्नांकित पर लागू होंगे:

(i) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार/धारण नहीं कर रही है और जो प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण नहीं है दिशानिर्देश के पैरा 3 (xxvii) में यथा-परिभाषित);

(ii) प्रत्येक एनबीएफसी-फैक्टर जो बैंक के पास फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत पंजीकृत है और ₹500 करोड़ के नीचे के परिसंपत्ति आकार की है;

(iii) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है और जिनकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ से कम की है;

(iv) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत है और जिनकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ से कम की है;

(2) इस दिशानिर्देश के प्रयोजन के लिए उपरोक्त i) से (iv) मदों में दी गई एनबीएफ़सी की श्रेणियों को इसके पश्चात को 'लागू एनबीएफसी' कहा जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी यथा एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-आईएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए लागू विशेष निर्देश इस दिशानिर्देश के संबंधित अध्याय में दिए गए हैं।

(3) ये निर्देश कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) की धारा 2 के खंड (45) में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी गैर बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे। तथापि, सरकारी एनबीएफसी पर विवेकपूर्ण मानदंड, जनता से जमाओं की स्वीकृति, कारपोरेट अभिशासन, कारोबार विनियमन संहिता और वैधानिक प्रावधान इत्यादि से संबंधित निर्देश अनुबंध-I में दिए समय-सीमा के अनुसार लागू होंगे। ऐसी

सरकारी एनबीएफसी, जो अपने द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार पहले से ही विवेकपूर्ण विनियमनों का अनुपालन कर रहे हैं, वे इसे जारी रखेंगे।[1]

(4) (i) ये दिशानिर्देश के अध्याय IV, पैरा 68 और अध्याय V के अंतर्गत उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं कर रही हैं और जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।

(ii) लागू एनबीएफसी, जो सार्वजनिक धन को प्राप्त कर रही है लेकिन कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, पैरा 68 और अध्याय V के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त होगी।

(iii) लागू एनबीएफसी, जिसका ग्राहक इंटरफ़ेस है लेकिन सार्वजनिक धन को प्राप्त नहीं कर रही है, को निर्देशों के अध्याय IV की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त होगी।

(5) यह दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियमों को समेकित करता है।हालांकि बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दिशानिर्देश/निदेश लागू एनबीएफ़सी पर लागू होंगे और उनका पालन करना होगा।

[1] सरकारी कंपनियों को 12 दिसंबर 2006 के पत्र संख्या डीएनबीएस.पीडी/सीसी.संख्या.86/03.02.089/2006-07 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमन के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए एक रोड मैप आरबीआई (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करें।

अध्याय II
परिभाषाएँ

3. इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) "अधिनियम" का अर्थ होगा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;

(ii) "बैंक" का मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक

(iii) "विघटित मूल्य(break-up value)" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, में से अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि को घटाकर प्राप्त हुए शेष को निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करना है;

(iv) "वहन लागत (carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;

(v) 'कंपनी' का मतलब कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के समरूप प्रावधान के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है,

(vi) समूह कंपनी अर्थात, किसी निम्नलिखित संबंध के माध्यम से दो अथवा दो से अधिक संस्थाओं का एक दूसरे के साथ संबंध व्यवस्था : सहायक - मूल एएस 21 के नियमानुसार परिभाषित), संयुक्त उपक्रम एएस 27 के नियमानुसार परिभाषित), सहयोगी एएस 23 के नियमानुसार परिभाषित), प्रोमोटर-प्रोमोटी, सूची बद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा उपलब्ध कराया गया शेयरो का अधिग्रहण तथा कब्जा) विनियमन 1997 के अनुसार), संबंधित पार्टी एएस 18 के नियमानुसार परिभाषित), कॉमन ब्रॉन्ड नाम तथा 20% और उससे अधिक इक्विटी शेयर में निवेश

(vii) “कारोबार परिचालन विनियमन” अर्थात उचित व्यवहार संहिता तथा अपने ग्राहक को जानिए पर समय समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश।

(viii) "नियंत्रण" का अर्थ वही होगा जो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम1) के तहत खंड (ई) में दी गई है।

(ix) "वर्तमान निवेश(current investment)" का अर्थ ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;

x) “ग्राहक इंटरफेस” अर्थात एनबीएफसी कारोबार गतिविधि करते समय एनबीएफसी और इसके ग्राहकों के बीच बातचीत।

xi) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करने के बाद करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए

तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत

(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(सी) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

xii) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;

(xiii) "संमिश्र ऋण (hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें इक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

(xiv) "आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) वित्त कंपनी का अर्थ जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करती हो:

ए) अपनी कुल आस्तियों के न्यूनतम 75% को इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों में नियोजन करती हो

बी) ₹300 करोड़ अथवा उससे अधिक निवल स्वाधिकृत निधि

सी) सीआरआईएसआईएल, एफआईटीसीएच, केयर, आईसीआरए, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्रिकबर्क) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से स्वीकृत अन्य किसी समतुल्य क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी से न्यूनतम "ए" अथवा समतुल्य रेटिंग।

डी) 15 प्रतिशत सीआरएआर न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर 1 पूंजी के साथ)

(xv) "इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण" समय-समय पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक ऋण सुविधा जो एक उधारकर्ता को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा, मियादी ऋण, एक परियोजना के परियोजना वित्त पैकेज के एक भाग के रूप में अधिग्रहीत कंपनी में बांड / डिबेंचरों / तरजीही शेयरों / इक्विटी शेयरों के लिए परियोजना ऋण अंशदान के माध्यम से "अग्रिम की प्रकृति में" सदस्यता राशि या निम्न बुनियादी सुविधाओं के उप-क्षेत्रों में निवेश के लिए किसी अन्य रूप में लंबी अवधि वित्तपोषण सुविधा है।[2]

(xvi) "निवेश और ऋण कंपनी- (एनबीएफसी-आईसीसी)" का तात्पर्य है कोई ऐसी कंपनी जिसका प्राथमिक कारोबार आस्ति वित्त हो अर्थात ऋण अथवा अग्रिम अथवा स्वयं के लिए और प्रतिभूति प्रापण हेतु को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि के लिए वित्त प्रदान करती हो और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेशों के अनुसार किसी अन्य प्रकार की एनबीएफसी नही हो;

(xvii) लिवरेज़ अनुपात अर्थात कुल वाह्य देयताएं/स्वाधिकृत निधियां।

[2] 02 मार्च 2017 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.085/03.10.001/2016-17 द्वारा संशोधित।

(xviii) "दीर्घावधि निवेश" मतलब एक मौजूदा / वर्तमान निवेश के अलावा अन्य कोई निवेश है,

(xix) 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड एफ) में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका मुख्य कारोबार इस निदेश के पैरा 40 में दिये गए परिभाषा के अनुसार हो और जिसे फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 3 के उप धारा 1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(xx) एनबीएफसी-एमएफआई से यह अभिप्रेत है कि जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत और स्थापित कंपनी से इतर) जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :

ए) न्युनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹5 करोड देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹2 करोड रखना अपेक्षित है)

बी) इसकी अर्हक स्वरूप की आस्तियां इसकी निवल आस्तियों के 85% से कम नहीं होना चाहिए.

(केवल 1 जनवरी, 2012 को या उसके बाद तैयार हुई संपत्ति को अर्हक आस्तियों के मानदंडों का अनुपालन करना होगा। विशेष छूट के रूप में, 1 जनवरी, 2012 को मौजूदा परिसंपत्तियों को अर्हक आस्तियों के मापदंड और निवल आस्तियों के मानदंड दोनों के लिए गिनी जाएगी। इन आस्तियों को परिपक्वता की समाप्ति के बाद और नवीकृत नहीं की जाएगी)।

ऊपर खंड (बी) के प्रयोजन के लिए,

"निवल आस्तियों" से तात्पर्य है नकद तथा बैंक बैलेंस और मुद्रा बाजार लिखतों के अतिरिक्त कुल आस्तियां और

"अर्हक आस्ति" से तात्पर्य है, वह ऋण जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता है:-

i. ग्रामीण क्षेत्र में ₹100000/- तक के पारिवारिक आय या अर्ध शहरी तथा शहरी में क्षेत्र ₹160000/- तक के पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता को एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा ऋण दिया जाये.
ii. पहले चरण में ऋण राशि ₹60000/- से अधिक नहीं हो तथा क्रमबद्ध अगले चरण में ₹100000/- से अधिक नहीं हो।
iii. उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता ₹100000/- से अधिक नहीं हो; बशर्ते शिक्षा और चिकित्सा व्यय के लिए लिया गया ऋण उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
iv. बिना पूर्वभुगतान दण्ड के साथ ₹30000/- से अधिक की ऋण राशि के लिए ऋण अवधि 24 माह से कम नहीं हो;
v. ऋण बिना कोलेटरल संपार्श्विक जमानत) के दिया जाना चाहिए;
vi. आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई कुल राशि, लघु वित्त संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए;
vii. उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋण को साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्तों में चुकाया सकता है।

(xxi) गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी एनओएफएचसी) अर्थात बैंक द्वारा जारी "निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" में संदर्भित जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से है जो

लागू विनियामक आदेशों के तहत अनुमत सीमा के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित बैंकिंग कंपनी के शेयर अथवा इस समूह की अन्य वित्तीय सेवा सेवाओं वाली कंपनियों के शेयर पर अधिकार होगा।

(xxii) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

(xxiii) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है

(ए) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 13(2) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(बी) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के बकाया किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।

(xxiv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xxv) दिशा-निर्देश के प्रयोजन के लिए "सार्वजनिक जमा" का अर्थ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमा की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2016 में परिभाषित किया गया अर्थ होगा।

xxvi)"सार्वजनिक निधि" सार्वजनिक जमाराशि, वाणिज्यिक पत्र, ऋण पत्र, अंतर कार्पोरेट बॉण्ड तथा बैंक फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुटाई गई निधि शामिल है, किंतु जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की समावधि तक के लिए अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय लिखतों द्वारा जारी निधि इसमें शामिल नहीं है।

(xxvii)"गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगाः

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि		बट्टा दर
(ए)	एक वर्ष तक	100%
(बी)	एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(सी)	दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%

(डी) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक 40%

(ई) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक 20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-I पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xxviii) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;

(xxix) 'संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण नहीं करतीं तथा पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दिखाए गए अनुसार जिसकी कुल परिसंपत्तियां रू 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं।

(xxx) "टियर-I पूंजी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि से है जिसमें से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में, जिनमें किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियां शामिल हैं, स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है;

(xxxi) "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैः

(ए) उनसे इतर अधिमानी (प्रीफीरेंस) शेयर जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(बी) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;

(सी) सामान्य प्रावधान (मानक आस्तियों सहित) एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;

(डी) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत;

(ई) गौण ऋण; और

जिसकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

4 इन दिशानिर्देशों में जिस शब्द या अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में परिभाषित है,का अधिनियम के तहत उन्हें दिया गया अर्थ माना जाएगा। कोई भी शब्द या भाव भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम या बैंक द्वारा जारी किए गए

दिशा-निर्देश में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा। इन दिशानिर्देशों में इस्तेमाल किया गया कोई भी शब्द या भाव यदि इस दिशानिर्देश या अधिनियम या बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), जो भी मामला हो, के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा।

अध्याय III
पंजीकरण

5 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 -आईए, उप-धारा (1) खंड (बी) की शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्त सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, इसके द्वारा निवल स्वाधिकृत निधि एनओएफ़) को रुपए दो सौ लाख निर्दिष्ट करता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को शुरू करने या जारी रखने हेतु आवश्यक होगा बशर्ते एनओएफ की एक विशिष्ट आवश्यकता बैंक द्वारा अन्यथा निर्धारित न की गई हो ।

बशर्ते कि कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के पास बैंक द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र (पंजीकरण प्रमाण) हो और रुपए दो सौ लाख से कम की एनओएफ धारक कंपनी है, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को जारी रख सकती है, अगर ऐसी कंपनी 1 अप्रैल, 2017 से पहले रुपये दो सौ लाख एनओएफ प्राप्त कर लेती है।

इस तरह के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनका एनओएफ वर्तमान में 200 लाख से नीचे है, के लिए यह आवश्यक हो जाएगा, कि ऊपर दिए गए निर्धारित अवधि के अंत में संशोधित स्तर के लिए अनुपालन प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि के भीतर निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में असफल होने पर ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाण अपने पास रखने करने के लिए पात्र नहीं होगी।

भाग -II : प्रूडेंशियल मुद्दे

अध्याय - IV
प्रूडेंशियल विनियम

6. लीवरेज अनुपात

31 मार्च 2015 से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफ़सी-एमएफ़आई और एनबीएफ़सी-आईएफ़सी को छोडकर) पर लागू किसी भी लीवरेज़ अनुपात कभी भी 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इस तरह के ऋण उनकी वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हो) के संबंध में जो प्राथमिक तौर पर सोने के आभुषण के बदले उधार देने में लगे हुए हैं; ऐसी कंपनियों को न्यूनतम टियर I पूंजी का 12 प्रतिशत आरक्षित करना होगा।

7 आय निर्धारण

(1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज/बट्टा (किराया प्रभार/लीज़ रेंटल)-सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो तो उसे उसमें से घटा दिया जाएगा।

8 निवेशों से प्राप्त आय

(1) कंपनी निकायों के शेयरों और म्युचुअल निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कि कंपनी निकाय द्वारा अपने वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाएगी और लागू एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार साबित हो जाए।

(2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डें से होनेवाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया पर न हो।

(3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

9 लेखांकन मानक

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आइसीएआइ" नाम से उल्लिखित) द्वारा जारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

10 निवेशों का लेखांकन

(1)

(i) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल *कंपनी के लिए* अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा*;*

(ii) निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

(iii) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

(iv) अंतर-श्रेणी अंतरण के संबंध में;

(ए) तदर्थ आधार पर कोई अंतरण नहीं होगा;

(बी) आवश्यक होने पर, ऐसे अंतरण, निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अंतर-श्रेणी अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही 01 अप्रैल अथवा 01 अक्तूबर को किया जाएगा;

(सी) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार (स्क्रीप-वार) अंतरित किया जाएगा;

(डी) यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो प्रत्येक शेयर (स्क्रीप) में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा;

(ई) ऐसी अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी एक शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा,

(2) i) मूल्यांकन के उद्देश्य से, उद्धृत वर्तमान निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात

(ए) इक्विटी शेयर,

(बी) अधिमानी शेयर,

(सी) डिबेंचर और बाण्ड,

(डी) खज़ाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(ई) म्युचुअल निधियों की यूनिटें, और

(एफ) अन्य।

ii) प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत वर्तमान निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार माना जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। तथापि, एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

(5) अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) म्युचुअल निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन म्युचुअल निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल आस्ति/परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(8) दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आइसीएआइ द्वारा जारी लेखांकन मानक द्वारा किया जाएगा।

<u>टिप्पणी</u>: आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

<u>11 मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता</u>

(1) मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

(2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों का निर्धारण किया जाएगाः

(i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस करने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण,जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

12. आस्ति वर्गीकरण

निम्नानुसार आस्ति वर्गीकरण मानदंड सभी लागू एनबीएफ़सी पर लागू होंगे (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई को छोडकर):

(1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण की कमियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद आस्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात्

(i) मानक परिसंपत्तियां/आस्तियां,
(ii) अवमानक परिसंपत्तियां/आस्तियां,
(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां/आस्तियां, और
(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां/आस्तियां।

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण इनको अपग्रेड (उन्नयन) नहीं किया जाएगा, जब तक परिसंपत्तियां अनर्जक अपग्रेडेशन (उन्नयन) के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करती हो ।

3) i) मानक परिसंपत्ति का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी चुकौती या मूल रकम या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम हो;

(ii) "अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

बी) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनः सौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्संरचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्संरचना की गई होः

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में आधारिकसंरचना ऋण का वर्गीकरण निदेशों के पैराग्राफ 24 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;

(iii) **"संदिग्ध परिसंपत्ति" का अर्थ है** :

ए. मियादी ऋण, या

बी. पट्टा परिसंपत्ति, या

सी. किराया खरीद परिसंपत्ति, या

डी. कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 18 माह से अधिक समय के लिए अवमानक परिसंपत्ति रहती है;

(iv) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है और जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(बी) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

(v) अनर्जक परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ हैः

(ए) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो;

(बी) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो;

(सी) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से बकाया हो;

(डी) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से बकाया हो;

(ई) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से बकाया हो;

(एफ) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से बकाया हो;

(जी) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से बकाया हो गई हो;

(एच) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए:

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

13 प्रावधानीकरण अपेक्षाएं- सभी लागू एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) पर निम्नानुसार प्रावधानीकरण अपेक्षाएं लागू होंगीः

प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक हो जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं- (1)खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

(i) हानिवाली परिसंपत्तियां	समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी।यदि किसी कारण से परिसंपत्तियोंको बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए;
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	(ए) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध उपाय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है; (बी) उपर्युक्त मद (ए) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगाः

<u>जिस अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया</u>	<u>प्रावधान का प्रतिशत</u>
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	कुल बकाया का 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

2) पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां- किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगाः

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियां

किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (बकाया और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा

(ए) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके; तथा

(बी) विचाराधीन *अंन्डरलाईन* (*अंतर्निहित*) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

व्याख्या *:* इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(1) परिसंपत्ति के *ह्रा*सित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की जाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगाः

(ए) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक बकाया हो	शून्य
(बी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(सी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(डी) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक बकाया हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(ई) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने से अधिक समय से बकाया हो	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत *समाप्ति* तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के ह्रासित बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। तथ्य यह कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) इन निदेशों के पैरा 12(3)(ii)(बी) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत (रिनिगोशिएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह *रिनिगोशियशन* अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व , जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

(5) पैरा 16 के उप पैरा (*2*) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

(6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान *अपेक्षाएं* उन पर भी लागू होंगे।

14 मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को मानक आस्तियों के बकाया का 0.25 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा जिसकी गणना निवल एनपीए के लिए नहीं की जाएगी। मानक आस्तियों के प्रति किया गया प्रावधान को समग्र अग्रिम से नेटेड नहीं किया जाएगा किंतु तुलन पत्र में मानक आस्तियों के प्रति अलग "आकस्मिक प्रावधान" के रूप में दर्शाया जाएगा।

15 एकाधिक एनबीएफसी

एनबीएफसी जो एक कंपनी के समूह का हिस्सा हैं या प्रमोटरों के एक सामान्य सेट द्वारा शुरू किया गया हैं, स्टैंडअलोन आधार पर नहीं देखा जाएगा। एक समूह में एनबीएफसी की कुल संपत्ति, जमा लेने वाली एनबीएफसी सहित, यदि कोई हो, को यह निर्धारित करने के लिए एकत्रित किया जाएगा कि क्या इस तरह का समेकन दो श्रेणियों के एसेट का आकार यानि ₹500 करोड़ से कम और ₹500 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार के अंतर्गत आता है। दो श्रेणियों पर लागू विनियमन समूह के भीतर प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी के लिए लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक को समूह के सभी एनबीएफसी के एसेट का आकार प्रमाणित करना आवश्यक हो जाएगा। हालांकि, समूह के भीतर, एनबीएफसी-डी, यदि कोई हो, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया सार्वजनिक जमा की स्वीकृति रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश 2016, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकारक या जमा स्वीकारक रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश 2016 जमा स्वीकारक पर यथा लागू दिशानिर्देश के तहत संचालित किया जाएगा।

16 तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से इन निदेशों के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगाः

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाएगा।

17. लेखा वर्ष

(1). प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए

(2) इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तुलन पत्र की तारीख से 03 माह के अंदर उसे अंतिम रूप दे देगी।

18. तुलनपत्र की अनुसूची

प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ, अनुबंध II में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

19. सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

प्रत्येक एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए करेगी ।

बशर्ते कि कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए प्रत्यक्ष रूप में नहीं करेगी।

20.गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खुद के शेयरों पर ऋण देना वर्जित

कोई भी लागू एनबीएफसी अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

21 शेयर प्रतिभूति के बदले ऋण

सूची बद्ध शेयर की जमानत पर ऋण कारोबार करने वाली 100 करोड़ और अधिक की परिसंपत्ति वाली लागू एनबीएफसी,

i. शेयरों की संपार्श्विक जमानत के बदले मंजूर ऋण का 50% मूल्य की तुलना में ऋण एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। हमेशा 50% एलटीवी अनुपात बनाये रखना होगा। शेयरों के बदले ऋण मंजूरी के लिए 50% मूल्य की तुलना में ऋण एलटीवी) अनुपात बनाये रखना होगा। शेयर मूल्य में उतार चढाव के कारण यदि किसी भी समय एलटीवी अनुपात का 50% से कम होता है तो 7 कार्यदिवस के अंदर उसे ठीक कर लेना होगा।

ii. ऐसे मामलों में जहां पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऋण लिया गया है उस संबंध में ₹. 5 लाख से अधिक ऋण मूल्य के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में केवल ग्रूप 1 प्रतिभूतियों को स्वीकार किया जाए सेबी द्वारा जारी तथा समय समय पर संशोधित 11 मार्च 2003 का एसएमडी/नीति/परि-9/ 2003 में विनिर्दिष्ट) बशर्ते इसकी समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी।

iii. ऋण प्राप्ति के लिए उधारकर्ताओं द्वारा उनके हित में गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में सूचना प्रत्येक तिमाही को अनुबंध II में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को ऑन लाइन रिपोर्टिंग की जाए।

22 लागू एनबीएफ़सी के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड

1) एनओएफएचसी द्वारा धारित लागू एनबीएफसी को निम्नलिखित नहीं करना है:

(i) संबंद्ध अथवा एनओएफएचसी के किसी प्रोमोटर्स/ प्रोमोटर समूह संस्था अथवा प्रोमोटर्स ग्रूप के साथ अथवा एनओएफएचसी के साथ व्यक्तिगत संबंद्ध एक्सपोजर इक्विटी में निवेश/डेट पूंजी लिखत सहित निवेश तथा क्रेडिट) में भाग लेना नहीं चाहिए।

(ii) एनओएफएचसी के तहत किसी वित्तीय संस्था के इक्विटी/डेट पूंजी लिखत में निवेश नहीं करना है।

(iii) अन्य एनओएफएचसी के इक्विटी लिखतों में निवेश नहीं करना है।

व्याख्या: इस पैराग्राफ में अभिव्यक्त ' प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के लिए प्रयोजनों का अर्थ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुबंध-III में निहित उस अभिप्राय में उन लोगो के लिए निर्दिष्ट अर्थ से है।

23. निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के पता में परिवर्तन संबंधी सूचना की प्रस्तुति

प्रत्येक लागू गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना एक माह के भीतर देगीः

(i) पंजीकृत/कंपनी (कार्पोरेट) कार्यालय के डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. तथा फैक्स नंबर;
(ii) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;
(iii) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम एवं पदनाम;
(iv) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा उनके कार्यालय के पते;
(v) कंपनी की ओर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने।

वह यह सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को देगी ।

24 अग्रिमों की पुनर्संरचना के लिए मानदंड

लागू एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के लिए मानदंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए संशोधित तथा अनुबंध-V में विनिर्दिष्ट मानदंडों के तर्ज पर किया जाएगा।

25 इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर उद्योग के संबंध में लचीली दीर्घ कालीन ऋण परियोजना बनाना

लागू एनबीएफसी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर उद्योग के संबंध में लचीली दीर्घ कालीन ऋण परियोजना बनाना, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा संशोधित तथा अनुबंध V में विनिर्दिष्ट नियम के आधार पर होनी चाहिए।

26. **एकल उत्पाद (स्वर्ण आभूषण) के जमानत पर ऋण प्रदान करना-**

1) (ए.) सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को

(i) स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले स्वीकृत ऋण के लिए एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए "

बशर्ते कि अधिकतम अनुमत ऋण राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से आभूषणों का मूल्य केवल उसमें निहित स्वर्ण के आंतरिक मूल्य पर निर्धारित किया जाए तथा इसमें अन्य लागत घटकों को शामिल नहीं किया निम्नांकित पैराग्राफ 3) में निहित बातों के अनुसार सोने की आंतरिक मूल्य की गणना की जाए।"

(ii) अपने तुलन पत्र के कुल परिसंपत्ति में ऐसे ऋणों के प्रतिशत का उल्लेख करना होगा।

(बी.) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बुलियन/अपरिष्कृत सोना प्राइमरी गोल्ड) तथा सोने के सिक्कों के बदले कोई ऋण मंजूर नहीं करेंगी। अपरिष्कृत सोना प्राइमरी गोल्ड), स्वर्ण बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों ईटीएफ) और सोना म्युचुअल फंड की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा।

(2) **स्वर्ण के स्वामित्व का सत्यापन**

ए) उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के मामले में ,एनबीएफसी को आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन कर उसे अपने अभिलेख में रखना होगा। स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के तहत बनाया जाए।" गिरवी रखे आभूषणों के स्वामित्व का सत्यापन के लिए मूल रसीद की आवश्यकता नहीं है किंतु एक उचित दस्तावेज़ बनाना होगा जिससे स्वामित्व निर्धारित हो सके ,विशेषकर जहां उधारकर्ता द्वारा एक बार अथवा संचयी तौर पर 20 ग्राम से अधिक स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने के किसी और प्रत्येक मामले में।

बी) एनबीएफसी को इस संबंध में अपने बोर्ड से अनुमोदित समग्र ऋण नीति पर स्पष्ट नीति निदेश रखना होगा।

(3) **गिरवी के रूप रखे गए स्वर्ण मूल्य का मानकीकरण - एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए**

ए) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों मूल्य निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाए

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का मूल्य निर्धारण बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत का औसत होगा [4]अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का भी उपयोग कर सकती है।"

(ii) यदि सोने की शुद्धता 22 कैरेट से कम होती है तो एनबीएफसी को इसे 22 कैरेट की कीमत के समान इसका रूपांतरण करना होगा और सोने का सही वजन बताना होगा। अन्य शब्दों में, कम शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों की कीमत अनुपात में तय करना होगा।

(iii) गिरवी के रूप में सोने को स्वीकार करते समय, एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अपने पत्र शीर्ष में सोने की परख, शुद्धता कैरेट के रूप में) तथा वज़न के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।

(iv) एनबीएफसी को मोचन पर विवाद से स्वंय की रक्षा के लिए चेतावनी को शामिल करना होगा, परंतु शुद्धता का प्रमाणपत्र अधिकतम अनुमत ऋण राशि तथा नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य दोनो के निर्धारण के लिए लागू होगा।

(4) नीलामी

(ए.) गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की नीलामी उसी शहर अथवा तालुका में आयोजित की जाए जिस शहर अथवा तालुका में ऋण देने वाली शाखा स्थित है।

(बी.) स्वर्ण की नीलामी करते समय एनबीएफसी के पास गिरवी रखे गए आभूषणों के आरक्षित मूल्य की घोषणा करनी होगी। गिरवी रखे गये स्वर्ण आभूषणों की आरक्षित मूल्य बंबई बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड बीबीए) द्वारा 22 कैरेट सोने के लिए पूर्व के 30 दिनों की क्लोजिंग कीमत अथवा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित स्वर्ण मूल्य डाटा का 85% से कम नहीं होना चाहिए तथा कैरेट के संबंध में कम शुद्धता वाले आभूषणों के मूल्य को अनुपात में कम किया जाए।

(सी.) एनबीएफसी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नीलामी से प्राप्त मूल्य तथा बकाया बकाया का पूर्ण विवरण देना होगा तथा समायोजन करने पर यदि कोई राशि ऋण से अधिक और उपर होती है तो उसका भुगतान उधारकर्ता को करना होगा।

(डी.) एनबीएफसी को अपने वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या, बकाया राशि, मूल्य प्राप्ति तथा नीलामी में क्या उसकी किसी सहायक कंपनी ने भाग लिया था आदि सहित किये गये नीलामी का विवरण के संबंध में घोषणा अनिवार्य रूप से करना होगा।

(5) स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनायी जाने वाली सुरक्षा और सुरक्षा उपाय

ए). स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण देने का कारोबार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी प्रत्येक शाखाओं में जहां स्वर्ण जमानत स्वीकार की जाती है वहां सुरक्षित तिजोरी तथा कार्यशील डिपाजिट वॉल्ट के प्रति पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध है। यह उधारकर्ताओं के लिए सुविधा तथा जमानत के रूप में स्वीकृत स्वर्ण के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा।

बी). स्वर्ण आभूषणों की पर्याप्त सुरक्षा तथा तिजोरी सहित स्टोरेज की उपयुक्त व्यवस्था के बिना कोई नई शाखा/एं नही खोली जाएंगी।

(6) एक हजार से अधिक संख्या में शाखाएं खोलना

ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो स्वर्ण आभुषणों के संपार्श्विक पर उधार देने का कारोबार करती हैं वैसी एनबीएफसी के लिए 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तथापि, पहले से ही 1000 से अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को अतिरिक्त शाखा विस्तार के लिए बैंक से पूर्व अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों के लिए न्यूनतम सुरक्षा सुविधा तथा स्वर्ण आभूषणों के लिए स्टोरेज सुविधा के बिना किसी नई शाखा को खोलने की अनुमति नहीं है।

अध्याय - V
लागू एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता

लागू एनबीएफसी जिनके पास ग्राहक इंटरफ़ेस है को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अपनाना होगा:

27 ऋण आवेदन पत्र और उनको प्रोसेस करना

1 उधारकर्ता के लिए सभी संसूचनायें स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होनी चाहिए।

2 ऋण आवेदन पत्र में वह आवश्यक सूचना होनी चाहिए, जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो ताकि अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों की अर्थपूर्ण तुलना की जा सके और उधारकर्ता पूरी जानकारी से अवगत होकर निर्णय ले सके। ऋण के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का उल्लेख ऋण-आवेदन फार्म में होना चाहिए।

3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एक ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति रसीद (पावती) दी जा सके। उक्त पावती में वरीयत: उस समयावधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऋण आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।

28 ऋण मूल्यांकन और शर्तें

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं को मंजूरी पत्र या मंजूर किए गए ऋण की राशि स्थानीय भाषा में अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित रूप में, अन्य प्रकार से, ऋण की शर्तों के साथ, जिसमें वार्षिक आधार पर ब्याज की दर तथा उसे लागू करने का तरीका भी दिया हो, सूचित करनी चाहिए और उधारकर्ता द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को अपने अभिलेख में रखना चाहिए। जैसा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध सामान्यत: अधिक ब्याज /दण्ड ब्याज लगाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है, अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण करार पत्र में विलम्ब चुकौती के लिए लगाये जाने वाले ब्याज दण्ड का उल्लेख बडे अक्षरों में करें।

कुछ मामलों में यह ज्ञात हुआ है कि ऋण मंजूरी के समय उधारकर्ता को ब्याज दर सहित ऋण की शर्तों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है या तो ऐसा इसलिए होता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इसके ब्योरे न देती हों या उधाकर्ता के पास विस्तृत ऋण करार को पढ़ने का समय न रहा हो। ऋण करार या उसमें उल्लिखित संलग्नकों की प्रतिलिपि उपलब्ध न कराना अनुचित व्यवहार है और इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा उधारकर्ता के बीच ऋण मंजूरी की शर्तों के संबंध में विवाद हो सकता है जिसके लिए ऋण मंजूर किया गया है। अतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण की मंजूरी देते समय/ऋण वितरण के समय, ऋण-करार एवं उसमें उल्लिखित सभी संलग्नकों की प्रतिलिपि सभी उधारकर्ताओं को अनिवार्य रूप से स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उपलब्ध कराएं।

29 <u>नियम और शर्तो में परिवर्तन सहित ऋणों का वितरण</u>

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, वितरण अनुसूची, ब्याज दरों, सेवा प्रभारों, अवधिपूर्व भुगतान प्रभारों आादि सहित शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर उसकी सूचना उधारकर्ता को, स्थानीय भाषा अथवा उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानी भाषा में देनी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दरों और प्रभारों में हुए परिवर्तन केवल बाद की तारीख से लागू होंगी। इस संबंध में ऋण करार में समुचित शर्त शामिल की जाए ।

(2) ऋण वापस लेने/ भुगतान में तेजी लाने या करार के निष्पादन में तेजी लाने का निर्णय ऋण करार की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

(3) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सभी देय राशियों की चुकौती होने पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली हो जाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधारकर्ता के विरूद्ध किसी अन्य दावे के न्यायसंगत अधिकार या ग्रहणाधिकार को छोड़कर, सभी जमानत स्वरूप रखे गए दस्तावेज वापस दे देने चाहिए । ऐसे समायोजन के यदि किसी अधिकार का, इस्तेमाल किया जाना है तो उसके लिए शेष दावों के बारे में पूरे विवरण के साथ उधार लेने वालों को नोटिस देना होगा और उन दशाओं की सूचना देनी होगी जिनके अंतगर्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संगत दावा न सुलझाए जाने/ भुगतान न करने तक उस/उन दस्तावेजों को रोके रहने का अधिकार है ।

30 **<u>सामान्य</u>**

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उन प्रयोजनों को छोड़कर, जिनका ऋण करार की शर्तों में उल्लेख है, (जब तक उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई कोई नई सूचना उधार देने वाली कंपनी की जानकारी में आई हो), उधार लेने के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

(2) उधारकर्ता से उधार-खाते को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर, उसकी सहमति या असहमति जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आपत्ति यदि कोई हो तो, ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उधारकर्ता को सूचित की जानी चाहिए। ऐसा अंतरण कानून के अनुरूप और पारदर्शी संविदागत शर्तों के अनुसार होगा ।

3 ऋण की वसूली के मामले में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान करने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए जैसे-ऋणों की वसूली हेतु उधारकर्ता को निरंतर असमय परेशान करना, मारपीट करने का भय दिखाना, आदि । जैसा कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में भी ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से साथ व्यवहार करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है।

4. ग्राहक संरक्षण के लिए कतिपय उपायों तथा बैंको और एनबीएफसी के उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऋणों का पूर्वभुगतान के संबंध में एकरूपता लाने के लिए, एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व चुकौती अर्थदंड नहीं लगाया जाए तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू है।

31 निदेशक मंडल का दायित्व

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए संगठन/संस्था के अंदर उचित शिकायत निवारण प्रकिया भी बनानी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए उधार देने वाली संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों की कम से कम अगले उच्चस्तर पर सुनवाई हो और निपटारा हो। निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की कार्यप्रणाली की आवधिक रूप से समीक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की, निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्धारित, नियमित अंतरालों पर एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

32 शिकायत निवारण अधिकारी

परिचलनात्मक स्तर पर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहको के लाभ के लिए अपनी शाखा /उन स्थानों पर जहां कारोबार किया जाता है, वहां निम्नलिखित सूचना को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करे:

(1) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और पता टेलिफोन न/मोबाइल नम्बर तथा ई मेल पता) जिसे कंपनी के विरूद्ध शिकायत के समाधन हेतु सार्वजनिक द्वारा संपर्क किया जा सके।

(2) यदि शिकायत/विवाद का निपटान एक माह की समयावधि के अंदर नहीं होता है तब ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी पूर्ण संपर्क पता दिया जाए) के समक्ष अपील कर सकते है जिसके अधिकार क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

32 ए. नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 के अंतर्गत आनेवाली एनबीएफसी अनुबंध VII में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

33 उचित व्यवहार संहिता संप्रेषित करने का माध्यम और भाषा

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यहां ऊपर दिए गए दिशा -निर्देशों के आधार पर उचित व्यवहार संहिता जो कि विशेष रूप से स्थानी भाषा में या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में) तैयार करके बोर्ड के अनुमोदन से कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करने, उक्त दिशा-निर्देशों की व्याप्ति (स्कोप) बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी परंतु वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की निहित मूल भावना का त्याग नहीं करेंगी। उक्त उचित व्यवहार संहिता, विभिन्न दावा धारकों की सूचना के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी वेबसाइट पर, यदि हो तो, उपलब्ध कराई जाए ।

34 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/चार्ज करने के संबंध में नियम

1 प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निदेशक बोर्ड, निधियों की लागत, मार्जिन तथा जोखिम प्रीमियम, आदि जैसे संगत कारकों को शामिल करते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाएगा और ऋणों तथा अग्रिमों पर लगाये जाने वाला ब्याज दरों का निर्धारण करेगा। भिन्न-भिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं पर लगाये जाने वाला ब्याज दरों एवं जोखिमों का श्रेणीकरण के रुख तथा भिन्न ब्याज दरें प्रभारित करने संबंधी युक्तियुक्तता को उधारकर्ताओं या ग्राहकों के आवेदन पत्र में दिखाना होगा व ऋण/अग्रिम के स्वीकृति पत्र में इन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।

2 ब्याज दरों एवं जोखिमों के श्रेणीकरण के रुख को युक्तियुक्तता सहित कंपनी की वेबसाइट पर या संगत समाचार पत्र में प्रकाशित कर उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दर में जब भी बदलाव होगा, वेबसाइट या समाचारपत्र में प्रकाशित ऐसी सामग्री को भी तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।
3 ब्याज की दर वार्षिक दर के रूप में दिखाई जाएगी ताकि उधारकर्ता यह जान सके कि उनसे ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर क्या होगी।

35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने/चार्ज करने के संबंध में शिकायतें

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कतिपय ऋणों व अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज/ प्रभार (चार्ज) लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक को अनेक शिकायतें मिल रही हैं। यद्यपि, ब्याज दरें रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं की जाती हैं तथापि, कतिपय स्तर(लेवल) से ज्यादा ब्याज वसूलना अत्यधिक ब्याज दर के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें सतत रूप से न तो जारी रखा जा सकता है और न ही ऐसा करना सामान्य वित्तीय व्यवहार के अनुरूप है। अत:, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक बोर्डों को सूचित किया जाता है कि वे ब्याज दरों, प्रोसेसिंग तथा अन्य चार्जेज़ के निर्धारण के संबंध में उचित आंतरिक सिद्धांत एवं प्रक्रिया बनाकर लागू करें। इस संबंध में उचित व्यवहार संहिता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए जिसमें ऋण की शर्तों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया है।

36 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 'पुन: कब्जे में लेने की शर्त' उधारकर्ताओं के साथ की जाने वाली संविदा/ किए जाने वाले करार का अंग होना चाहिए जो विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो। इस बारे में पारदर्शिता के लिए संविदा / ऋण करार की शर्तों के संबंध में इन प्रावधान को भी शामिल किया जाए

(i) प्रतिभूति को कब्जे में लेने से पूर्व नोटिस - अवधि,

(ii) परिस्थितियाँ जिनमें नोटिस अवधि से छूट दी जा सकती हो,

(iii) प्रतिभूति को कब्जे में लेने की प्रणाली,

(iv) संपत्ति की बिक्री /नीलामी से पूर्व उधारकर्ता को चुकौती करने का अंतिम मौका देने संबंधी प्रावधान,

(v) उधारकर्ता को पुन: कब्जा देने की प्रणाली और

(vi) संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रणाली

(2) उधारकर्ता को ऐसी शर्तों की एक प्रति अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियाँ ऋण करार की प्रति तथा ऋण करार में उद्धृत सभी अनुलग्नको, जो ऐसी संविदा/ऋण करार का महत्त्वपूर्ण अंग हों, की एक-एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति देते /का वितरण करते समय उपलब्ध कराएं।

37. स्वर्ण आभूषण की संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण:

स्वर्ण आभूषणों के बदले व्यक्तियों को ऋण देते समय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश अपनाएं:-

(i.) स्वर्ण के बदले ऋण हेतु उन्हें बोर्ड से अनुमोदित नीति के साथ साथ निम्नलिखित को कवर करना होगा:

(ए.) भारतीय रिज़र्व बैंक का अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी) दिशानिर्देश का पालन हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाए तथा ग्राहक को कोई ऋण मंजूर करने के संबंध में समुचित सावधानी बरतनी चाहिए,

(बी.) प्राप्त आभूषण के लिए उचित परख प्रक्रिया का पालन किया जाए,

(सी.) स्वर्ण आभूषण के स्वामित्व को आंतरिक प्रणाली से संतुष्टि हो,

(डी.) नीति में आभूषण को सेफ कस्टडी में रखने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था, चालू (ऑन गोइंग)आधार पर समीक्षा प्रणाली, संबंधित स्टॉफ का प्रशिक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक निरीक्षण को शामिल किया जाए ताकि प्रक्रिया का भी गहन अनुपालन किया जा सके। नीति के अनुसार, स्वर्ण का संपार्श्विक जमानत के बदले ऋण का विस्तार शाखाओं द्वारा नहीं किया जाएगा जिसके पास आभूषण को रखने की उचित सुविधा नहीं है,

(ई.) संपार्श्विक के बदले स्वीकर किया गए आभूषण का समुचित बीमा किया गया हो,

(एफ.) गैर चुकौती के मामलों में आभूषण की नीलामी के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए तथा नीलामी की तारीख के पूर्व उधारकर्ता को पर्याप्त सूचना दिया जाना चाहिए। नीलामी में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया जाए। ब्याज के संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए तथा नीलामी प्रक्रिया में यह अवश्य

सुनिश्चित किया जाए कि नीलामी के दौरान ग्रूप कंपनी तथा संबंधित संस्थाओं के साथ सभी लेन देन में युक्ति युक्त रूप से दूरी arm's length relationship)रखी गयी है,

(जी.) सार्वजनिक के लिए नीलामी की घोषणा का विज्ञापन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र, एक स्थानीय भाषा का तथा दूसरा राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र में जारी किया जाए।

(एच.) नीति के अनुसार सम्पन्न नीलामी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को स्वयं भाग नहीं लेना है,

(आई.) गिरवी रखे गए सोने की निमाली केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से किया जाए।

(जे.) नीति में मोबलाईजेशन, निष्पादन तथा अनुमोदन के कार्य को अलग करने के साथ धोखा धडी के मामलों से निपटान की प्रणाली तथा प्रक्रिया को भी शामिल किया जाए।

(ii.) ऋण करार में नीलामी प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए

(iii.) अन्य अनुदेश

(ए.) संपार्श्विक सोने पर एनबीएफसी वित्तपोषण के समग्र उधारकर्ता को सभी ₹5 लाख से ऊपर के लेनदेन के लिए पैन कार्ड की प्रति देने के लिए कहें।

(बी) सभी शाखाओं के प्रलेखीकरण का मानकी करण होना चाहिए।

(सी) एनबीएफसी गलतफहमी पैदा करने वाला विज्ञापन जारी नहीं करेगा जैसे कि 2-3 मिनट में ऋण की उपलब्धता का दावा।

अध्याय -VI
एनबीएफसी-फैक्टर के लिए लागू विशेष निर्देश

38. पंजीकरण

(1) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 के तहत फैक्टरिंग कारोबार करने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी को बैंक से एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र सीओआर) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

(2) मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो इन दिशानिदेश में निहित सभी शर्तों को पूरा करती हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के रूप में वर्गीकरण परिवर्तन के लिए बैंक द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाण सहित इस अधिसूचना की तारीख से छ: माह के अंदर उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकती है जहां वह पंजीकृत है। उनके अनुरोध उनके सांविधिक लेखापरीक्षक से संपत्ति और आय पैटर्न को दर्शाता हुआ प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए;

(3) बैंक से गैर पंजीकृत संस्था फैक्टरिंग कारोबार कर सकती है यदि वह फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 में वर्णित संस्था हो तो; जैसे बैंक या पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल का अधिनियम के तहत गठित कोई कार्पोरेशन अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245) के तहत वर्णित सरकारी कंपनी।

(4) नई कंपनी जिसे बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के छ: माह के अंदर कारोबार प्रारंभ करना होगा।

39 निवल स्वाधिकृत निधि

(1) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के रूप में पंजीकरण करवाने वाली प्रत्येक कंपनी को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रू 5 करोड रखना होगा।

(2) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर के रूप में पंजीकरण करवाने वाली मौजूदा कंपनियां किंतु रू 5 करोड न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रू 5 के मानदण्ड को पूरा नहीं करती है, को इसके अनुपालन हेतु आवश्यक समय सीमा के लिए बैंक से संपर्क कर सकती है।

40 प्रधान मूल कारोबार

एनबीएफसी फैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग फैक्टरिंग कारोबार में नियोजित परिसंपत्ति हो तथा फैक्टरिंग कारोबार से प्राप्त आय सकल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो।

41 कारोबार संचालन

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 तथा समय समय पर अधिनियम के तहत निर्मित नियम और विनियमों के अनुसार फैक्टरिंग कारोबार करेंगे।

42 परिसंपत्ति वर्गीकरण

एनबीएफसी-फैक्टर के द्वारा अधिग्रहण प्राप्य का, इस दिशा-निर्देश के IV अध्याय में निहित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, 6 माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अनर्जक परिसंपत्ति एनपीए)माना जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी- फैक्टर द्वारा अधिग्रहण कब किया गया है तथा फैक्टरिंग का कार्य "दायित्व सहित" या "दायित्व रहित" आधार पर किया गया है। इकाई जिस पर जोखिम बुक किया गया था एनपीए के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उसके अनुसार प्रावधान करना चाहिए।

43 एक्सपोजर मानदंड की गणना निम्नवत रूप में की जाएगी:

(ए) "दायित्व सहित" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में जोखिम की गणना समनुदेशक पर की जाएगी।

(बी) "दायित्व रहित" आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग के मामलों को छोड़कर जिनमें संपूर्ण ऋण जोखिम को आयात फैक्टर द्वारा धारण किया गया है, जोखिम की गणना देनदार पर की जाएगी, चाहे ऋण जोखिम कवर/ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हो अथवा नहीं हो।

44. जोखिम प्रबंधन

इस तरह का कारोबार शुरू करने से पहले उचित और पर्याप्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

ए) किसी भी फैक्टरिंग व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले या निर्यात फैक्टर के साथ ऋण व्यवस्था की स्थापना करने से पहले एनबीएफसी-फैक्टर को उधारकर्ताओं का गहन ऋण मूल्यांकन करना चाहिए।

बी) फैक्टरिंग सेवाएं उन बिलों के लिए प्रदान की जानी चाहिए जो वास्तविक कारोबारी लेनदेन से संबंधित हैं।

सी) चूंकि दायित्व रहित फैक्टरिंग लेनदेनों के अंतर्गत फैक्टर ऋण जोखिम की हामीदारी ऋणी के पक्ष में की जाती है ऐसी सभी हामीदारी प्रतिबद्धताओं के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर की गई स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा होनी चाहिए।

डी) फैक्टरों और बैंकों को उभयनिष्ठ उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। सूचना के आडान-प्रदान के प्रयोजन से समनुदेशक को उधारकर्ता ही माना जाएगा।दोहरे वित्तपोषण से बचने के लिए फैक्टरों द्वारा ऋण लेने के लिए स्वीकृत सीमाओं के बारे में और फैक्टरिंग की गई प्राप्तियों के ब्योरे से संबंधित बैंकों/एनबीएफसी को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

45. आयात /निर्यात फैक्टरिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग एफईडी) द्वारा फेमा,1999 के तहत फैक्टर्स को प्राधिकृत करता है। इसलिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- फैक्टर विदेशी मुद्रा में आयात / निर्यात का कारोबार करने के लिए, फेमा 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण हेतु एफईडी के समक्ष आवेदन करना होगा और विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियम और शर्तों और फेमा के तहत सभी संबंधित प्रावधानों और समय समय पर इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, विनियम, अधिनियम, निदेश अथवा आदेश का अनुपालन करना होगा।

अध्याय - VII

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों के लिए लागू विशेष निर्देश (एनबीएफसी-आईएफसी)

46. पूंजीगत आवश्यकताएं

प्रत्येक एनबीएफसी-आईएफ़सी को न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाये रखना होगा जिसमें टियर -I और टियर II पूंजी उसकी तुलन पत्र के समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों का जोखिम समायोजित मूल्य का पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

2) किसी भी समय टियर । पूंजी का 31 मार्च 2016 तक 8.5% से कम और 31 मार्च 2017 तक 10% से कम नहीं होना चाहिए।

<u>स्पष्टीकरण:</u>

i. **<u>तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में</u>**

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए की गई है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल (aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त (funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया जाएगाः

<u>भारित जोखिम आस्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में</u>

	<u>प्रतिशत भार</u>
(i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष/बचत	0
(ii) निवेश	
(ए) अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (*सी*) के अलावा]	0
(बी) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(सी) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
(डी) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र	100

एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें

ई) पीपीपी सहित वाणिज्यिक परिचालन के बाद की तारीख से वाणिज्यिक परिचालन के एक वर्ष से अधिक अस्तित्व में रहने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को कवर करने वाली सभी आस्तियां।	50
(iii) चालू(current) परिसंपत्तियां	
(ए) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(बी) अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
(सी) धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
(डी) स्टाफ को ऋण	0
(ई) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है (नीचे (vi) के अलावा)	100
(एफ) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(जी) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(ए) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(बी) परिसर	100
(सी) फर्नीचर और फिक्सचर	100
(v) अन्य परिसंपत्तियां	
(ए) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(बी) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
(डी) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) किया जाए)	100

(vi) स्थानीय सरकार

(a) केंद्र सरकार पर निधि आधारित दावा	0
(b) प्रत्यक्ष ऋण/ ऋण/ ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	0
(c) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	0
(d) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऐसे दावे जो चूक रहित हैं/ जो 90 दिनों से अधिक के लिए चूक वाले नहीं रहे हैं	20
(e) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऐसे दावे जो 90 दिनों से अधिक के लिए चूक वाले रहे हैं	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार `शून्य' होगा।

(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी set off के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

4. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा से संबंधित प्रतिभूति में निवेश के लिए मानदंड

(ए) एएए के दर्जे वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

बुनियादी सुविधा से संबंधित 'एएए' रेटेड प्रतिभूतिकृत पेपर निम्न शर्तों को पूरा करने के अधीन निवेश पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए 50 प्रतिशत का जोखिम भार वहन करेगा:

(i) बुनियादी ढांचे की सुविधा आय / नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग / चुकौती सुनिश्चित करता है।

(ii) मंजूरी प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक के द्वारा दिया गया दर्ज़ा वर्तमान और वैध है।

स्पष्टीकरण:

जिन रेटिंग्स को आधार बनाया गया है उसे वर्तमान और वैध माना जाएगा, यदि रेटिंग मामले की शुरुआत की तारीख से एक से अधिक महीने पुरानी है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग औचित्य, इस मामले की शुरुआत की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है और रेटिंग पत्र और रेटिंग औचित्य प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा है।

(iii) द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में, इस मामले की 'एएए' रेटिंग प्रभावी है और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से पुष्टि की गई है।

(iv) प्रतिभूतिकृत कागज एक निष्पादित आस्ति/परिसंपत्ति है।

II. तुलनपत्र से इतर मदें

1. सामान्य

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, कुल जोखिम भारित तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर को बाजार संबंधी जोखिम भारित राशि और गैर - बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतर मदों को जोखिम भारित राशि के योग के रूप में गणना करेगी। तुलनपत्र से इतर मदों की जोखिम भारित राशि, जिससे ऋण एक्सपोजर की शुरूआत होती है उसकी गणना निम्नलिखित दो चरण प्रकिया से की जायेगी।

(i) लेन देन की अनुमानित राशि को ऋण परिवर्तन हेतु विशेष घटक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान जोखिम प्रक्रिया लागू करके, समान ऋण राशि में परिवर्तित किया जाता है; तथा

(ii) समान ऋण राशि को जोखिम भार द्वारा गुणा करने पर परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का निम्न प्रतिशत लागू होगा जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के लिए शून्य, बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

2. गैर बाजार संबंधी तुलन पत्र से इतर मदें

i. गैर बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतरमदों से संबंधित समान ऋण राशि का निर्धारण विशिष्ठ व्यवहार की अनुबंधित राशि को उचित ऋण परिवर्तन घटक सीसीएफ)से गुणा करके निर्धारित की जायेगी.

क्रम.	लिखत	ऋण परिवर्तन घटक
i.	वित्तीय और अन्य गारंटियां	100

ii.	शेयर/डिबेंचर की हामीदारी दायित्व	50
iii.	आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर /डिबेंचर	100
iv.	बिलों का बट्टाकरण /पुनर्भुनाई	100
v.	किये गये पट्टा अनुबंध किंतु निष्पादन हेतु शेष	100
vi.	बिक्री और पुनर्खरीद अनुबंध और वसूली अधिकार सहित परिसंपत्ती की बिक्री जहाँ ऋण जोखिम एनबीएफसी के साथ होती है।	100
vii.	अग्रेषित परिसंपत्ति खरीद, अग्रेषित जमाराशि और आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर और प्रतिभुतियां, जो प्रतिबद्धताओं की विशिष्ठता से घटाकर प्रतिनिधित्व करता हैं	100
viii.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों को उधार में देना या एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतियों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप प्रविष्टी करना, जैसी घटनाओं का रिपो जैसे लेनदेन से उद्गम होता हैं।	100
ix.	अन्य प्रतिबद्धताएँ अर्थात् अतिरिक्त सुविधाएँ और क्रेडिट लाईन) मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	20 50
x.	'समरूप प्रतिबद्धताएं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी शर्त के किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा या जो उधारकर्ता के ऋण पात्रता में गिवारट के कारण स्वत: रद्द होने के लिए प्रभावी होंगी।	0
xi.	अधिग्रहण करने वाली संस्था के बहियों से लिया गया वित्त	
	(i) बिना शर्त लिया गया वित्त	100
	(ii) सशर्त लिया गया वित्त टिप्पणी: जैसा कि प्रति-पक्ष एक्सपोजर, जोखिम भार से निर्धारित की जायेगी, यह सभी उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत होगा या सरकारी गारंटी कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा।	50
xii	मानक परिसंपत्ति लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए चल निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता	100
xiii.	तीसरे पक्ष द्वारा मानक परिसंपत्ति के लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए दूसरी हानी क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराना	100
xiv.	अन्य प्रासंगिक देनदारियां उल्लेख किया जाये)	50

नोट:

1) *परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकदी मार्जिन /जमा राशियां घटायी जायेगी*

2) जहां गैर बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें अनाहरित या आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा है प्रतिबद्ध अनाहरित राशि को तुलन पत्र से इतर गैर बाजार से संबंधित ऋण एक्सपोजर की प्रतिबद्धता की गणना करते समय उसमें समाहित किया जाना चाहिए, गैर बाजार से संबंद्ध तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर का अधिकतम अप्रयुक्त भाग परिपक्वता की

बाकी अवधि के दौरान रेखाकिंत किया जा सकता है. प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र के ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बन सकती है।

'उदाहरणार्थ :

एक बड़ी परियोजना के लिए रू 700 करोड़ की मियादी ऋण स्वीकृत की गई जिसे तीन वर्ष की समयावधि में चरणबद्ध रूप से आहरण किया गया है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरण में आहरण की अनुमति है- प्रथम चरण में रू 150 करोड़, द्वितीय चरण में रू 200 करोड़ तथा तृतीय चरण में रू 350 करोड़, जिसमें उधारकर्ता को निर्धारित औपचारिकतायें पूरा करने के बाद II और III चरण के तहत आहरण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -आईएफ़सी का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यदि उधारकर्ता द्वारा चरण I के तहत रू 50 करोड़ का आहरण किया जा चुका है तब केवल चरण I के अनाहरित भाग के लिए गणना की जाएगी जो कि रू 100 करोड़ है। यदि चरण I को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है तब सीसीएफ 20% होगा तथा यदि यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए है तब सीसीएफ 50 प्रतिशत लागू होगा।

3. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें

i. जोखिम भारित तुलन पत्र से इतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-आईएफ़सी को बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर सभी मदों ओटीसी डेरिवेटीव्हज और प्रतिभूति वित्त पोषण लेनदेन जैसे कि रिपो/रिव्हर्स रिपो/सीबीएसओ आदि) के लिए शामिल किया जाना चाहिए.

ii. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम की लागत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नकदी प्रवाह से अनुबंध द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने की स्थिति प्रतिस्थापित करती है। अनुबंध की परिपक्वता पर और आधारभूत लिखत के प्रकार में दरों की अस्थिरता के अन्य हालात पर यह निर्भर होगा.

iii. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों में समाविष्ट होंगी :

ए. ब्याज दरों का अनुबंध - एकल मुद्रा अदला-बदली ब्याज दर सहित, आधार अदला-बदली, अग्रिम दर अनुबंध तथा भविष्य ब्याज दर;

बी. अनुबंध में स्वर्ण को शामिल करते हुए, विदेशी मुद्रा अनुबंध - में शामिल क्रॉस मुद्रा अदला-बदली क्रॉस मुद्रा में ब्याज की अदला -बदली की दरें भी शामिल है) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध, मुद्रा फ्युचर्स, मुद्रा विकल्प;

सी. ऋण चूक अदला-बदली और

डी. बाजार से संबंधित अन्य कोई अनुबंध विशेषकर भारतीय रिज़र्व बैंक अनुमति प्राप्त जो ऋण ऋण जोखिम को उत्पन्न करती हो।

3) पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित छुट की अनुमति है -

ए. विदेशी मुद्रा स्वर्ण के अतिरिक्त) अनुबंध जिसका मूल परिपक्वता अवधि 14 कॅलेंडर दिन या कम है: और

बी. फ्युचर्स और विकल्प के बाजारों में लेनेदेन होने वाले लिखत जो दैनिक मार्क टू मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन है।

4) केंद्रीय प्रतिपक्षों के एक्सपोजर (सीसीपी),डेरिवेटिव लेनदेन के कारण और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेदेन (जैसे संपार्श्विकीकृत उधार और उधार प्रतिबद्धताएं- सीबीएलओ, रिपो) के विरुद्ध प्रतिपक्ष के जोखिम के लिए शेष शून्य एक्सपोजर मूल्य माना जायेगा. जैसा कि सीसीपी की उनके प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर्स पूरी तरह से दैनिक आधार पर संपार्श्विकीकृत परिकल्पित किया जाता है जिससे सीसीपी की ऋण जोखिम एक्सपोजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
5) सीसीपी के साथ संपार्श्विकीकृत रूप में रखे गए कारपोरेट प्रतिभूतियों पर सीसीएफ का 100 लागू होंगे तथा और उसके फलस्वरूप तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर्स को सीसीपी के स्वरूप में उचित जोखिम भार नियत किया जायेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा.
6) डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए कुल ऋण एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

4 वर्तमान एक्सपोजर पद्धति

बाजार से संबंधित तुलनपत्र से इतर लेनदेनों की ऋण के समकक्ष राशि की गणना में वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग होता है जो i) वर्तमान ऋण एक्सपोजर और ii) संभावित भविष्य के ऋण एक्सपोजर अनुबंध का योग है.

(i).वर्तमान ऋण एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष के संबंध में सभी अनुबंधों के साथ सकल सकरात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। विविध अनुबंधो का उसी प्रतिपक्ष के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य निवल नहीं होना चाहिये)। वर्तमान एक्सपोजर पद्धति बाजर के इन अनुबंधों का मार्किंग द्वारा वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना करना आवश्यक है।

(ii) संभावित भविष्य ऋण एक्सपोजर का निर्धारण सभी अनुबंधों के प्रत्येक काल्पनिक मूलधन राशि को गुणा करके किया जाता है, चाहे वह अनुबंध शून्य हो, नीचे दर्शाये प्रासंगिक एड ऑन घटक द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक बाजार मूल्य को बहीं पर अंकित मूल्य के स्वरूप और लिखत के परिपक्वता के अवशिष्ट के अनुसार हो।

ब्याज दर संबंधित, विनिमय दर संबंधित और सोने से संबंधित डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट रूपांतरण घटक		
	क्रेडिट रूपांतरण घटक (%)	
	ब्याज दर के अनुबंध	**विनिमय दर के अनुबंध और सोना**
एक वर्ष या कम	**0.50**	**2.00**
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	**1.00**	**10.00**
पांच वर्ष से अधिक	**3.00**	**15.00**

ए) मूलधन के बहुविध लेनदेन के साथ अनुबंध के लिए, अनुबंध में भुगतान हेतु शेष संख्या से एड ऑन घटकों को गुणा करना होता है।

बी) बकाया एक्सपोजर के निपटान के लिए संरचित अनुबंध हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भुगतान तारीख तथा ऐसी शर्तें पुन: कायम की जाए जहां अनुबंधों का बाजार मूल्य इन विनिर्दिष्ट तारीखों को शून्य हो जाए तथा अगामी पुन: कायम तारीख तक अवशिष्ट परिपक्वता के समय के बराबर बनाया जाए। तथापि, ब्याज दरों के अनुबंधों के मामलों में जहां

अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि एक वर्ष से अधिक है और उक्त पात्रताओं को पूर्ण करती है वहां सीसीएफ या एड ऑन घटक 1.0 प्रतिशत के स्तर के अधीन होंगे.

सी) संभावित ऋण एक्सपोजर की गणना एकल चल मुद्रा/चल ब्याज दर की अदला-बदली के लिए नहीं की जायेगी; इन अनुबंधों पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टू मार्केट मूल्य के आधार पर होंगी।

डी) संभावित भविष्य एक्सपोजर 'स्पष्ट काल्पनिक राशि' के बदले 'प्रभावशाली 'आधार पर होनी चाहिए. प्रसंगवश विनिर्दिष्ट काल्पनिक राशि, संरचना की लेनदेन से उत्तोलित या बढाई गई है तो प्रभावशाली काल्पनिक राशि का उपयोग संभावित भविष्य एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए. जैसे 1 मिलियन यूएसडी का कथित काल्पनिक राशि दो बार के आंतरिक दर भुगतान के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधार ब्याज दर की प्रभावशाली काल्पनिक राशि 2 मिलियन यूएसडी बन जायेगी.

(5) ऋण चूक अदला-बदली सीडीएस) के लिए ऋण परिवर्तन घटक :

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कंपनी बांडों पर अपनी ऋण जोखिम के बचाव के लिए उनको केवल ऋण सुरक्षा खरीद की अनुमति है। वर्तमान श्रेणी या स्थायी श्रेणी में बांड धारण किया गया हो। इन एक्सपोजरो के लिए पूंजी प्रभार निम्नलिखित होंगे:

(i) वर्तमान श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिए ऋण सुरक्षा का अधिकतम 80% तक एक्सपोजर जोखिम बचाव को मान्यता की अनुमति होगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्पोरेट बांड के लिए लागू पूंजी प्रभार का 20% तक के विस्तार को पूंजी प्रभार के रखरखाव के लिए जारी रखेंगी। एक्सपोजर मूल्य द्वारा बांड मूल्य का 20% बाजार मूल्य पर लेते हुए तथा जारी करने वाली संस्था के जोखिम भार को उससे गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राप्त सीडीएस स्थिति प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आकर्षित करेगी, जिसकी गणना 100 प्रतिशत लागू ऋण परिवर्तन घटक द्वारा किया जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

(ii) स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतर्निहित परिसंपत्ति हेतु पूर्ण सुरक्षा और उसपर किसी पूंजी के रखरखाव की अनावश्यकता की पहचान करेंगी ,जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो .सुरक्षा विक्रेता के एक्सपोजर द्वारा एक्सपोजर पूरा प्रतिस्थापित हो जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत"

अध्याय - VIII

गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए लागू विशेष निर्देश - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)

47. प्रवेश के लिए मानदण्ड

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन कंपनियां जिनके लिए अगली सूचना तक रू 2 करोड एनओएफ रखना आवश्यक है, उसके अतिरिक्त एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण की इच्छुक सभी नई कंपनियों को न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि के रूप में रू 5 करोड रखना आवश्यक है, उन्हें एनबीएफ़सी-एमएफ़आई पर लागू अन्य सभी मानदण्डों का अनुपालन, जैसा अब तक किया है, वैसा प्रारंभ से करना होगा।

48. विवेकपूर्ण मानदंड

(i) पूंजी पर्याप्तता

प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई को न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाये रखना होगा जिसमें टियर -I और टियर-II पूंजी उसकी तुलन पत्र के समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र इतर मदों का जोखिम समायोजित मूल्य का पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी समय एनबीएससी-एमएफआई का कुल टियर ॥ पूंजी, टियर । पूंजी का सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टिप्पणी:

स्पष्टीकरण:

ii. **<u>तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में</u>**

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल (aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त (funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया जाएगाः

भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में

	प्रतिशत भार
(i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(ii) निवेश	
(ए) अनुमोदित प्रतिभूतियां	0
[नीचे (क) के अलावा]	
(बी) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(सी) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
(डी) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें	100
ई) पीपीपी सहित वाणिज्यिक परिचालन के बाद की तारेख से वाणिज्यिक परिचालन के एक वर्ष से अधिक अस्तित्व में रहने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को कवर करने वाली सभी आस्तियां।	50
(iii) चालू(current) परिसंपत्तियां	
(ए) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(बी) अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
(सी) कंपनी के द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
(डी) स्टाफ को ऋण	0
(ई) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है	100
(एफ) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(जी) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(ए) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(बी) परिसर	100
(सी) फर्नीचर और फिक्सचर	100
(v) अन्य परिसंपत्तियां	
(ए) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(बी) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(सी) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
(डी) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100
(vi) घरेलू संप्रभु	
(ए) केंद्र सरकार पर फंड आधारित दावे	0
(बी) प्रत्यक्ष ऋण / क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	0
(सी) केंद्र सरकार के दावों की गारंटी	0
(डी) राज्य सरकार के दावों की गारंटी,	

जो डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं / जो	
90 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से हैं	20
(ई) राज्य सरकार के दावों की गारंटी,	
जो 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट में बने रहे हैं	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार `शून्य' होगा।

(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी (set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

4) निम्न आय वर्ग वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत ऋण के लिए, सीआरजीएफटीएलआईएच) एनबीएफसी-एमएफआई गारंटीकृत भाग के लिए शून्य जोखिम भार निर्धारित करें। गारंटीकृत भाग के अतिरिक्त शेष बकाया ऋण के लिए मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार जोखिम भार प्रभावी होगा।

5) सीआरएआर की गणना के लिए 31 मार्च, 2013 को आंध्र प्रदेश राज्य में ऋण पोर्टफोलियो एपी पोर्टफोलियो) के लिए किया गया प्रावधानीकरण, नोशनल आधार पर एनओएफ के हिस्से के रूप में माना जाएगा और आने वाले 5 साल की अवधि में एपी पोर्टफोलियो के लिए प्रावधानों की ऐसी मान्यता में प्रगतिशील कमी होगी। तदनुसार, 31 मार्च 2013 को आंध्र प्रदेश पोर्टफोलियो के लिए किए प्रावधान के 100 प्रतिशत को आज की तारीख में सीआरएआर उद्देश्यों के लिए एनओएफ में नोशनल आधार पर जोड़ा जाएगा।

इस ऐड-बेक को उत्तरोत्तर मार्च 2017 तक 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष कम किया जाएगा।इसका एक उदाहरण अनुबंध VIII में प्रदान किया गया है। कोई राइट-बेक या चरणबद्ध प्रोविजनिंग की अनुमति नहीं है।

6. गैर-एपी पोर्टफोलियो और नोशनल एपी पोर्टफोलियो पर पूंजी पर्याप्तता तुलन पत्र की तारीख पर बकाया में इस पोर्टफोलियो पर प्रावधान को कम करके और नोशनल आधार पर वापस न जोड़ कर)जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 15 प्रतिशत पर बनाए रखी जानी होगी।

7. इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए नियम

(ए) एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

मूलभूत संरचना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगीः

(i) मूलभूत संरचना सुविधा से आय /नकदी पैदा होती है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/चुकौती सुनिश्चित करती है;

(ii) अनुमोदित ऋण साख एजेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग चालू और वैध है। जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौजूदा और वैध समझी जानी चाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग का औचित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा हों।

(iii) द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में निर्गम में, 'एएए' रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जाती है।

(iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अर्जक परिसंपत्ति है।

II. तुलनपत्र से इतर मदें

(1.) सामान्य

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, कुल जोखिम भारित तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर को बाजार संबंधी जोखिम भारित राशि और गैर - बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतर मदों को जोखिम भारित राशि के योग के रूप में गणना करेगी. तुलनपत्र से इतर मदों की जोखिम भारित राशि, जिससे ऋण एक्सपोजर की शुरूआत होती है उसकी गणना निम्नलिखित दो चरण प्रकिया से की जायेगी।

(i) लेन देन की अनुमानित राशि को ऋण परिवर्तन हेतु विशेष घटक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान जोखिम प्रक्रिया लागू करके, समान ऋण राशि में परिवर्तित किया जाता है; तथा

(ii) समान ऋण राशि को जोखिम भार द्वारा गुणा करने पर परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का निम्न प्रतिशत लागू होगा जैसे केन्द्र/राज्य सरकार के लिए शून्य, बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

(2.) गैर बाजार संबंधी तुलन पत्र से इतरमदें

i. गैर बाजार संबंधी तुलनपत्र से इतरमदों से संबंधित समान ऋण राशि का निर्धारण विशिष्ठ व्यवहार की अनुबंधित राशि को उचित ऋण परिवर्तन घटक सीसीएफ)से गुणा करके निर्धारित की जायेगी.

क्रम.	लिखत	ऋण परिवर्तन घटक
i.	वित्तीय और अन्य गारंटियां	100
ii.	शेयर/डिबेंचर की हामीदारी दायित्व	50
iii.	आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर /डिबेंचर	100
iv.	बिलों का बट्टाकरण /पुनर्भुनाई	100
v.	किये गये पट्टा अनुबंध किंतु निष्पादन हेतु शेष	100
vi.	बिक्री और पुनर्खरीद अनुबंध और वसूली अधिकार सहित परिसंपत्ती की बिक्री जहाँ ऋण जोखिम एनबीएफसी के साथ होती है।	100
vii.	अग्रेषित परिसंपत्ति खरीद, अग्रेषित जमाराशि और आंशिक रूप से भुगतान किये गये शेयर	100

	और प्रतिभुतियां, जो प्रतिबद्धताओं की विशिष्ठता से घटाकर प्रतिनिधित्व करता हैं		
viii.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों को उधार में देना या एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतियों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप प्रविष्टी करना, जैसी घटनाओं का रिपो जैसे के व्यवहारों में उद्गम होता हैं।		100
ix.	अन्य प्रतिबद्धताएँ अर्थात् अतिरिक्त सुविधाएँ और क्रेडिट लाईन) मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक		 20 50
x.	'समरूप प्रतिबद्धताएं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी शर्त के किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा या जो उधारकर्ता के ऋण पात्रता में गिवारट के कारण स्वत: रद्द होने के लिए प्रभावी होंगी।		0
xi..	अधिग्रहण करने वाली संस्था के बहियों से लिया गया वित्त		
	(i)	बिना शर्त लिया गया वित्त	100
	(ii)	सशर्त लिया गया वित्त	50
		टिप्पणी: जैसा कि प्रति-पक्ष एक्सपोजर , जोखिम भार से निर्धारित की जायेगी, यह सभी उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत होगा या सरकारी गारंटी कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा.	
xii.	मानक परिसंपत्ति लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए चल निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता		100
xiii.	तीसरे पक्ष द्वारा मानक परिसंपत्ति के लेन-देन के प्रतिभूतिकरण के लिए दूसरी हानी क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराना		100
xiv.	अन्य प्रासंगिक देयताएं उल्लेख किया जाये)		50

नोट:

1) *परिवर्तन घटक लागू करने के पहले नकदी मार्जिन /जमा राशियां घटायी जायेगी*
2) *जहां गैर बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतरमदें अनाहरित या आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा है प्रतिबद्ध अनाहरित राशि को तुलन पत्र से इतर गैर बाजार से संबंधित ऋण एक्सपोजर की प्रतिबद्धता की गणना करते समय उसमें समाहित किया जाना चाहिए, गैर बाजार से संबंद्ध तुलनपत्र से इतर ऋण एक्सपोजर का अधिकतम अप्रयुक्त भाग परिपक्वता की बाकी अवधि के दौरान रेखांकित किया जा सकता है. प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलनपत्र के ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बन सकती है।*

'उदाहरणार्थ :

एक बड़ी परियोजना के लिए रू 700 करोड़ की मियादी ऋण स्वीकृत की गई जिसे तीन वर्ष की समयावधि में चरणक्रम में आहरण किया जा सकता है। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरण में आहरण की अनुमति है- प्रथम चरण में रू 150 करोड़, द्वितीय चरण में रू 200 करोड़ तथा तृतीय चरण में रू 350 करोड़, जिसमें उधारकर्ता को नियत औपचारिकतायें पूरा करने के बाद II और III चरण के तहत आहरण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यदि उधारकर्ता द्वारा I चरण के तहत रू 50 करोड़ का आहरण किया जा चुका है तब केवल I चरण के अनाहरित भाग के लिए गणना की जाएगी जो कि रू 100

करोड़ है। यदि चरण को एक वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है तब सीसीएफ 20% होगा तथा यदि यह एक वर्ष से अधिक समय के लिए है तब सीसीएफ 50 प्रतिशत लागू होगा।

(3) बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदें

I. जोखिम भारित तुलन पत्र से इतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर सभी मदों ओटीसी डेरिवेटीव्हज और प्रतिभूति वित्त पोषण लेनदेन जैसे कि रिपो/रिव्हर्स रिपो/सीबीएसओ आदि) के लिए शामिल किया जाना चाहिए.

II. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम की लागत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नकदी प्रवाह से अनुबंध द्वारा निर्धारित किये जाने के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने की स्थिति प्रतिस्थापित करती है। अनुबंध की परिपक्वता पर और आधारभूत लिखत के प्रकार में दरों की अस्थिरता के अन्य हालात पर यह निर्भर होगा।

III. बाजार से संबंधित तुलन पत्र से इतर मदों में समाविष्ट होंगी:

ए. ब्याज दरों का अनुबंध - एकल मुद्रा अदला-बदली ब्याज दर सहित, आधार अदला-बदली, अग्रिम दर अनुबंध तथा भविष्य ब्याज दर;

बी. अनुबंध में स्वर्ण को शामिल करते हुए, विदेशी मुद्रा अनुबंधन - में शामिल क्रास मुद्रा अदला-बदली क्रॉस मुद्रा में ब्याज की अदला -बदली की दरें भी शामिल है) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध, मुद्रा फ्युचर्स ,मुद्रा विकल्प ;

सी. ऋण चूक अदला-बदली और

डी. बाजार से संबंधित अन्य कोई अनुबंध विशेषकर भारतीय रिज़र्व बैंक अनुमति प्राप्त जो ऋण ऋण जोखिम को उत्पन्न करती हो।

IV. पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित छुट की अनुमति है -

ए. विदेशी मुद्रा स्वर्ण के अतिरिक्त) अनुबंध जिसमें मूल परिपक्वता अवधि 14 कॅलेंडर दिन या कम है: और

बी. फ्युचर्स और विकल्प के बाजारों में लेनेदेन होने वाले लिखत जो दैनिक मार्क टू मार्केट और मार्जिन भुगतान के अधीन है.

V. केंद्रीय प्रतिपक्षों के एक्सपोजर सीसीपी),डेरिवेटिव लेनदेन के कारण और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेदेन जैसे संपार्श्विकीकृत उधार और उधार प्रतिबद्धताएं- सीबीएलओ, रिपो) के विरुद्ध प्रतिपक्ष के जोखिम के लिए शेष शून्य एक्सपोजर मूल्य माना जायेगा. जैसा कि सीसीपी की उनके प्रतिपक्षों के लिए एक्सपोजर्स पूरी तरह से दैनिक आधार पर संपार्श्विकीकृत परिकल्पित किया जाता है जिससे सीसीपी की ऋण जोखिम एक्सपोजर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

VI. सीसीपी के साथ संपार्श्विकीकृत रूप में रखे गए कारपोरेट प्रतिभूतियों पर सीसीएफ का 100 लागू होंगे तथा और उसके फलस्वरूप तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर्स को सीसीपी के स्वरूप में उचित जोखिम भार नियत किया जायेगा। भारतीय समासोधन निगम लिमिटेड सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा.

VII. डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में प्रतिपक्ष के लिए कुल ऋण एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

(4) वर्तमान एक्सपोजर पद्धति

बाजार से संबंधित तुलनपत्र से इतर लेनदेनों की ऋण समानार्थी राशि की गणना में वर्तमान एक्सपोजर पद्धति का उपयोग होता है जो i) वर्तमान ऋण एक्सपोजर और ii) संभावित भविष्य के ऋण एक्सपोजर अनुबंध का योग है.

i). वर्तमान ऋण एक्सपोजर को एकल प्रतिपक्ष के संबंध में सभी अनुबंधों के साथ सकल सकरात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है. विविध अनुबंधो का उसी प्रतिपक्ष के साथ सकारात्मक और नकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य निवल नहीं होना चाहिये). वर्तमान एक्सपोजर पद्धति बाजर के इन अनुबंधों का मार्किंग द्वारा वर्तमान ऋण एक्सपोजर की आवधिक गणना करना आवश्यक है.

ii) संभावित भविष्य ऋण एक्सपोजर का निर्धारण सभी अनुबंधों के प्रत्येक काल्पनिक मूलधन राशि को गुणा करके किया जाता है, चाहे वह अनुबंध शून्य हो, नीचे दर्शाये प्रासंगिक एड ऑन घटक द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक बाजार मूल्य को बहीं पर अंकित मूल्य के स्वरूप और लिखत के परिपक्कवता के अवशिष्ट के अनुसार हो.

ब्याज दर संबंधित, विनिमय दर संबंधित और सोने से संबंधित डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट रूपांतरण घटक		
	क्रेडिट रूपांतरण घटक (%)	
	ब्याज दर के अनुबंध	**विनिमय दर के अनुबंध और सोना**
एक वर्ष या कम	**0.50**	**2.00**
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	**1.00**	**10.00**
पांच वर्ष से अधिक	**3.00**	**15.00**

ए) मूलधन के बहुविध लेनदेन के साथ अनुबंध के लिए, अनुबंध में भुगतान हेतु शेष संख्या से एड ऑन घटकों को गुणा करना होता है.

बी) बकाया एक्सपोजर के निपटान के लिए संरचित अनुबंध हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भुगतान तारीख तथा ऐसी शर्तें पुन: कायम की जाए जहां अनुबंधों का बाजार मूल्य इन विनिर्दिष्ट तारीखों को शून्य हो जाए तथा अगामी पुन: कायम तारीख तक अवशिष्ट परिपक्कता को समय के बराबर बनाया जाए. तथापि ब्याज दरों के अनुबंधों के मामलों में जहां अवशिष्ट परिपक्कवता की अवधि एक वर्ष से अधिक है और उक्त पात्रताओं को पूर्ण करती है वहां सीसीएफ या एड ऑन घटक 1.0 प्रतिशत के स्तर के अधीन होंगे.

सी) संभावित ऋण एक्सपोजर की गणना एकल चल मुद्रा/चल ब्याज दर की अदला-बदली के लिए नहीं की जायेगी; इन अनुबंधों पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क टू मार्केट मूल्य के आधार पर होंगी।

डी) संभावित भविष्य एक्सपोजर 'स्पष्ट काल्पनिक राशि' के बदले 'प्रभावशाली 'आधार पर होनी चाहिए। प्रसंगवश विनिर्दिष्ट काल्पनिक राशि, संरचना की लेनदेन से उत्तोलित या बढाई गई है तो प्रभावशाली काल्पनिक राशि का उपयोग संभावित भविष्य एक्सपोजर के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए; जैसे 1 मिलियन यूएसडी का कथित काल्पनिक राशि दो बार के आंतरिक दर भुगतान के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधार ब्याज दर की प्रभावशाली काल्पनिक राशि 2 मिलियन यूएसडी बन जायेगी।

(5) ऋण चूक अदला-बदली सीडीएस) के लिए ऋण परिवर्तन घटक :

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कंपनी बांडों पर अपनी ऋण जोखिम के बचाव के लिए उनको केवल ऋण सुरक्षा खरीद की अनुमति है। वर्तमान श्रेणी या स्थायी श्रेणी में बांड धारण किया गया हो। इन एक्सपोजरो के लिए पूंजी भार निम्नलिखित होंगे:

(i) वर्तमान श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिए ऋण सुरक्षा का अधिकतम 80% तक एक्सपोजर जोखिम बचाव को मान्यता की अनुमति होगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कार्पोरेट बांड के लिए लागू पूंजी प्रभार का 20% तक के विस्तार को पूंजी प्रभार के रखरखाव के लिए जारी रखेंगी। एक्सपोजर मूल्य द्वारा बांड मूल्य का 20% बाजार मूल्य पर लेते हुए तथा जारी करने वाली संस्था के जोखिम भार को उससे गुणा करके इसे प्राप्त किया जा सकता है. इसके अलावा, प्राप्त सीडीएस स्थिति प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आकर्षित करेगी, जिसकी गणना 100 प्रतिशत लागू ऋण परिवर्तन घटक द्वारा किया जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत।

(ii) स्थायी श्रेणी में धारित और सीडीएस द्वारा बचाव किए गए कार्पोरेट बांडों के लिये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतर्निहित परिसंपत्ति हेतु पूर्ण सुरक्षा और उसपर किसी पूंजी के रखरखाव की अनावश्यकता की पहचान करेंगी, जहां सीडीएस तथा बचाव बांड के बीच कोई असमानता न हो. सुरक्षा विक्रेता के एक्सपोजर द्वारा एक्सपोजर पूरा प्रतिस्थापित हो जाएगा तथा सुरक्षा बिक्रेता पर लागू जोखिम भार के रूप में लागू होंगे जैसे बैंकों के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 100 प्रतिशत”

(ii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड

सभी एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित मानदंडों को अपनाएगी:

(ए) आस्ति वर्गीकरण मानदंड:

i. मानक परिसंपत्ति वह है जिसके संबंध में मूलधन या ब्याज के भुगतान की अदायगी में कोई चूक संभव नहीं है और किसी भी समस्या को प्रकट नहीं करती है और न ही जो व्यापार से जुड़ी सामान्य जोखिम की तुलना में अधिक जोखिम वहन करती है;

ii. अशोध्य संपत्ति वह है, जिसके लिए ब्याज / मूलधन 90 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया हो गया हो।

(बी) प्रावधानीकरण मानदंड:

I. "अर्हक आस्तियों" के मापदंड के प्राप्त करने वाली अनर्जक आस्ति के लिए

ए. एपी पोर्टफोलियो के लिए प्रोविजनिंग मानदंड इस दिशानिर्देश के पैरा 13 में उल्लेख किए अनुसार होंगे।

बी. गैर-एपी पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान मानदंड निम्नानुसार होंगे:

एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा कुल ऋण का प्रावधान समय के किसी भी बिंदु पर निम्नांकित के अधिकतम से कम नहीं होगी

ए) बकाया लोन पोर्टफोलियो का 1% या

बी) कुल ऋण किस्तों का 50% जो 90 से अधिक दिन और 180 से कम दिनों के लिए बकाया हैं और कुल ऋण किस्तों की 100% जो 180 या उससे अधिक दिन के लिए बकाया हैं।

ii. जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट द्वारा रक्षित निम्न आय आवास CRGFTLIH) की गारंटी के लिए अग्रिम ऋण गैर-निष्पादित हो जाता है तो गारंटी हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। गारंटी हिस्से से व्यतिरिक्त बकाया राशि के लिए इस दिशानिर्देश के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित प्रावधान मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

(iii) इन दिशानिर्देश के अध्याय IV में निहित अन्य सभी प्रावधान जो ऊपर पैरा 48 के विरोधाभासी नहीं है, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए लागू होगे।

(iv) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एक एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पात्र नहीं है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को ऋण नहीं देगी, जो सकल रूप में अपनी कुल संपत्ति का 10% से अधिक है।

49 ऋण का किमत निर्धारण

i. एनबीएससी-एमएफआई की निधियों की लागत और उधारकर्ता को जो राशि प्रभारित की गई है; उन दोनों के बीच का मार्जिन कैप, कैप का अंतर बड़ी एमएफआई 100 करोड़ रुपये से अधिक ऋण पोर्टफोलियो वाली कंपनी) के लिए मार्जिन कैप 10 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 12 प्रतिशत से अधिक न हो।

ii. एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधाकर्ताओं पर प्रभारित ब्याज दर निम्नलिखित से निम्न होगा:

ए. उक्त i) में विनिर्दिष्ट निधि की लागत तथा मार्जिन; अथवा

बी. परिसंपत्ति आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर का 2.75 गुणा। प्रत्येक समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों का औसत आधार दर सूचित किया जाएगा, जिससे आगामी तिमाही के लिए ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा।

iii. [3]एनबीएफसी-एमएफआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों पर औसत ब्याज दर वित्तीय वर्ष के दौरान की औसत ऋण लागत और मार्जिन से अधिक नहीं हो।

iv. वैयक्तिक ऋण हेतु ब्याज दर की न्यूनतम और अधिकतम के बीच 4 प्रतिशत से अधिक अंतर की अनुमति नहीं है।

v. ऋणों पर औसत ब्याज भुगतान और एमएफआई द्वारा प्रभारित प्रभार की गणना क्रमश: ऋण की औसत मासिक बकाया शेष और ऋण पोर्टफोलियों पर की जाएगी। आंकडें प्रति वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाए तथा तुलन पत्र में भी प्रकट किए जाए।

vi. प्रोसेसिंग शुल्क सकल ऋण राशि का 1% से अधिक नहीं होना चाहिए. प्रोसेसिंग शुल्क को मार्जिन कैप या ब्याज कैप में शामिल नहीं किया जाए.

viii. एनबीएफसी-एमएफआई केवल ग्रूप या पशुधन, जीवन, उधारकर्ता या उसके पति/पत्नि का स्वास्थ के लिए बीमा का वास्तविक शुल्क की कटौती करेगा। प्राशासनिक शुक्ल आईआरडीए के दिशानिर्देश के अनुसार वसूला किया जायेगा।

50 ब्याज दरों में पारदर्शिता

(i) ऋण के मूल्यनिर्धारण में केवल मात्र तीन घटक यथा ब्याज शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा बीमा प्रिमीयम जिसमें प्रशासनिक शुल्क शामिल होंगे) होंगे.

(ii) विलम्ब भुगतान के लिए कोई दण्ड प्रभार नहीं लगाया जायेगा.

(iii) [4]एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता से किसी सिक्युरिटी जमा/मार्जिन जमा वसूल नहीं करेगा.

(iv) ऋण करार का प्रपत्र मानक होगा.

(v) प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता को निम्नलिखित दर्शाता हुआ ऋण कार्ड प्रदान करेगा.

(ए) ब्याज शुल्क का प्रभावी दर

(बी) ऋण से जुडे हुए अन्य नियम व शर्तें

(सी) उधारकर्ता के पहचान के संबंध में पर्याप्त जानकारी तथा

(डी) एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा किस्त प्राप्ति तथा अंतिम किस्त की प्राप्ति सहित सभी भुगतान के लिए पावती देगा।

---

[3] दिनांक 2 फरवरी 2017 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर.सी.सी.पीडी.सं.084/22.10.038/2016-17 के द्वारा संशोधित।

[4] दिनांक 2 फरवरी 2017 के परिपत्र संख्या डीएनबीआर.सी.सी.पीडी.सं.084/22.10.0

(ई) ऋण कार्ड में सभी प्रविष्टियां प्रादेशिक/स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए।

(vi) एनबीएफसी-एफएफआई द्वारा प्रभारित प्रभावी ब्याज दर प्रमुखता से इसके सभी कार्यालयों तथा इसके द्वारा जारी साहित्य और इसके वेबसाइट पर प्रदर्शित होना चाहिए।

51. बहुविध -ऋण, अति- उधारी तथा छद्म -उधारकर्ता

i. एनबीएफसी- एमएफआई उन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण दे सकता है जो संयुक्त देनदारी समूह जेएलजी)/ स्वंय सहायता समूह एसएचजी) के सदस्य या जेएलजी / एसएचजी के उधारकर्ता सदस्य नहीं हैं।

ii. उधारकर्ता एक से अधिक जेएलजी / एसएचजी का सदस्य नहीं हो।

iii . एक ही उधारकर्ता को दो से अधिक एनबीएफसी- एमएफआई ऋण नहीं देगा।

iv. ऋण स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के पुर्नभुगतान के बीच न्यूनतम ऋणस्थगन अवधि होनी आवश्यक है. ऋण स्थगन पुर्नभुगतान की निरंतरता से कम नहीं होनी चाहिए उदाहरण स्वरूप साप्ताहिक पुर्नभुगतान के मामले में ऋण स्थगन एक सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए.

v. दिए गए ऋण की वसूली में नियमों में दिए गए उल्लंघन को तब तक अस्थगित किया जाना चाहिए जब सभी पूर्व मौजूदा ऋण को पूरी तरह चुकाया न गया गया हो।

52. शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता से इस तरह की अनेक शर्तों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना सुविधाजनक होगा। तदनुसार, यह दोहराया गया है कि प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई को सीआईसी विनियमन अधिनियम, 2005, के तहत स्थापित न्यूनतम एक क्रेडिट सूचना कंपनी सीआईसी) की सदस्यता लेनी ही होगी, ताकि उस सीआईसी को समय पर और सटिक आंकडें उपलब्ध कराया जाए और उसके पास उपलब्ध आंकडों को एसएचजी या जेएलजी की सदस्यता, ऋणग्रस्तता का स्तर और ऋणों के स्रोतों के संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाए। चूंकि सीआईसी के आंकडों का कवरेज़ तथा गुणवत्ता को मजबूत बनने में कुछ समय लगेगा, अत: एनबीएफसी-एमएफआई उधारकर्ता द्वारा स्वत: प्रमाणिकरण और वार्षिक घरेलू आय के साथ साथ इन पहलूओं पर उनके स्वंय के स्थानीय जांच पडताल से भरोसा किया जा सकता है।

53. केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए प्रवाहक एजेंट

(I) केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए प्रवाहक एजेंटों के रूप में कार्य करने वाली एनबीएफसी-एमएफआई के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं:

(ए) केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए प्रवाहक एजेंट के रूप में कार्य करने वाली एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा वितरित / प्रबंधित ऋण को अलग व्यापार क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। ये ऋण न्यूनतम योग्यता संपत्ति मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए अंश (क्वालीफाइंग संपत्ति) या विभाजक (कुल संपत्ति) में शामिल नहीं किया जाएगा;

(बी) उपर्युक्त (ए) के फलस्वरूप ऐसे ऋण पर प्रभारित ब्याज अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दर के बीच विचरण का निर्धारण करने के लिए शामिल नहीं होंगे;

(सी) इस तरह के फंड की लागत को फंड की औसत लागत और ऊपर पैरा (49) के अनुसार ऋण लेने वालों पर लागू ब्याज दरों पर पहुंचने के लिए नहीं गिना जाएगा ।

(ii) एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों की विशेष योजनाओं के तहत ऋण के वितरण के लिए प्रवाहक एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं:

(ए) इस तरह के ऋणों और संबंधित एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य धन के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई की पुस्तकों में लेखा और अभिलेख रखा जाएगा जो अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों से अलग होगा और जिसे वित्तीय विवरण / अंतिम लेखों / बैलेंस शीट में अपेक्षित विवरण और खुलासे रूप में एक अलग खंड के रूप में दिखाया जाएगा;

(बी) उन मामलों को छोड़कर जहां एनबीएफसी-एमएफआई क्रेडिट जोखिम वहन नहीं करती है; ऐसे ऋण परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय मान्यता और प्रावधान मानदंडों के साथ-साथ अन्य विवेकपूर्ण मानदंड, जो एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू हैं, के अधीन होंगे;

(सी) ऐसे सभी ऋणों की सूचना ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को दी जाएगी ताकि बार-बार उधारी रोकी जा सके और एक उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके।

54. अन्य

सभी एनबीएफसी-एमएफआई को चाहिए कि वे वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (FIDD) द्वारा "माइक्रो फाइनेंस संस्था (एमएफआई)- प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा' के लिए बैंक ऋण पर बैंकों को जारी किए गए प्राथमिकता क्षेत्र पर दिशा निर्देशों के संबंध में निर्देशों का संदर्भ लें।

55. भौगोलिक विविधता

एनबीएफसी-एमएफआई किसी भी विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में अवांछनीय एकाग्रता से बचने के लिए आंतरिक जोखिम सीमा निर्धारण हेतु अपने बोर्ड से सलाह लें।

56. एसआरओ का गठन

सभी एनबीएफसी-एमएफआई को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कम से कम एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ), का सदस्य बनें और एसआरओ द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करें। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त एसआरओ को अनुबंध IX में उल्लेख किए गए विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। इसे समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्र की कार्य-क्षमता में सुधार हेतु संशोधित किया जा सकता है।

57. अनुपालन की निगरानी

एनबीएफ़सी - एमएफआई के लिए निर्धारित सभी विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एनबीएफसी-एमएफआई की स्वयं की है। उद्योग संघ / एसआरओ भी विनियामक ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगें। इसके अलावा, एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण देने वाले बैंकों को भी सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएफसी-एमएफआई में प्रणालियां, प्रथाएं और ऋण नीतियां विनियामक ढांचे के अनुरूप हैं।

58. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए उचित व्यवहार संहिता एफ़पीसी)

इन निर्देशों के अध्याय V में एनबीएफसी के संबंध में दिए गए सामान्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त, एनबीएफसी-एमएफआई को निम्नलिखित उचित व्यवहार को अपनाना होगा, जो कि उनके कारोबार से संबंधित है।

i. <u>सामान्य</u>:

ए. एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने कार्यालय तथा शाखा परिसर में उचित व्यवहार संहिता एफपीसी) को स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।

बी. एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण देने के प्रति उचित व्यवहार तथा अपनी पार्दर्शिता के प्रति वचनबद्धता के संबंध में स्थानीय भाषा में एक वक्तव्य बनाकर ऋण कार्ड में शामिल करना होगा तथा अपने परिसर में प्रदर्शित करना होगा।

सी. फील्ड स्टाफ को उधारकर्ताओं के मौजूदा ऋण के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए,

डी. उधारकर्ताओं को यदि कोई प्रशिक्षण दिया जाना है तो वह नि:शुल्क होगा। फील्ड स्टॉफ को ऐसे प्रशिक्षण को प्रस्तावित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं को ऋण /अन्य उत्पाद से संबंधित प्रणाली और प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी देने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए।

ई. एनबीएफसी-एमएफआई को प्रभावी ब्याज दर तथा उसके द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण कर तथा इस संबंध में जारी साहित्य को स्थानीय भाषा में) प्रमुखता से अपने सभी कार्यालयों में तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा,

एफ. स्टॉफ सदस्यों के अनुचित व्यवहार की रोकथाम तथा समय पर शिकायत निवारण के अपने उत्तरदायित्व के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण करार में घोषणा करनी होगी तथा अपने शाखा/कार्यालय में प्रदर्शित उचित व्यवहार संहिता में भी उसे शामिल करना होगा,

जी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' केवाईसी)दिशानिर्देश का पालन करना होगा। उधारकर्ता की चुकौती क्षमता सुनिश्चित करने के संबंध में समुचित सावधानी बरतनी होगी,

एच. सभी ऋणों की मंजूरी तथा वितरण केवल एक केन्द्रीय स्थान से किया जाना चाहिए तथा इस कार्य के लिए एक से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वितरण कार्य में गहन पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए,

आई. ऋण आवेदन की प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाने हेतु पर्याप्त कदम उठाये जाए तथा ऋण का संवितरण पूर्व निर्धारित समय सीमा में किया जाए।

ii. <u>ऋण करार /ऋण कार्ड में प्रकटीकरण</u>

ए. सभी एनबीएफसी-एमएफआई के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक ऋण करार प्रपत्र होना चाहिए। ऋण करार प्राथमिक रूप से स्थानीय भाषा में होना चाहिए।

बी. ऋण करार में निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जाए:

i. ऋण के सभी नियम और शर्तें,

ii. यह कि ऋण कीमत निर्धारण में केवल तीन घटक अर्थात, ब्याज प्रभार, प्रक्रियां प्रभार तथा बीमा प्रिमियम जिसमें उस संबंध में प्रशासनिक प्रभार शामिल हैं) शामिल होंगे,

iii. यह कि विलम्ब से भुगतान के लिए कोई दण्ड नहीं लगाया जाएगा,

iv. यह कि उधारकर्ता से कोई सुरक्षा जमा/ मार्जिन राशि नहीं ली जाएगी,

v. यह कि उधारकर्ता एक से अधिक किसी एसएचजी/जेएलजी का सदस्य नहीं होगा,

vi. ऋण स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के पुर्नभुगतान के बीच ऋणस्थगन अवधि का उल्लेख. जैसा कि एनबीएफसी-एमएफआई रिज़र्व बैक) निदेश 2011 में विनिर्दिष्ट है) ,

vii. यह आश्वासन दिया जाए कि उधारकर्ता के डाटा की गोपनीयता को सम्मान दिया जाएगा।

सी. ऋण कार्ड में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किये जाने चाहिए:

(i) प्रभारित किया जाने वाला प्रभावी ब्याज दर

(ii) ऋण से संबंधित अन्य सभी नियम व शर्तें

(iii) उधारकर्ता की उचित रूप से पहचान के संबंध में जानकारी तथा एनबीएफसी एमएफआई द्वारा जारी किस्त और सभी प्रकार के पुनर्भुगतान की पावतियां तथा अंतिम भुगतान की प्राप्ति।

(iv) ऋण कार्ड में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रणाली का प्रमुखता से उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा नोडल अधिकारी का नाम तथा फोन नंबर भी होना चाहिए।

(v) उधारकर्ता की पूर्ण सहमति से गैर ऋण उत्पाद जारी किये जाए तथा ऋण कार्ड में ही शुल्क का स्वरूप दिया जाए।

(vi) ऋण कार्ड में सभी प्रविष्टियां प्रादेशिक भाषा में होनी चाहिए।

iii. <u>वसूली के सभ्यतापूर्ण उपाय</u>

ए) सामान्य रूप से वसूली केवल एक निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर से ही की जाए। फील्ड स्टाफ को उधारकर्ता के घर से या कार्य स्थल से वसूली की अनुमति केवल तब ही दी जाए जब उधारकर्ता दो या अधिक बार लगातार निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर पहुंचने में विफल होता है।

बी) एनबीएफसी -एमएफआई यह सुनिश्चित करें कि फील्ड स्टाफ की आचार संहिता तथा उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रणाली के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई गई है। संहिता में फील्ड स्टाफ हेतु न्यूनतम अहर्ता की आवश्यकता का उल्लेख हो। तथा उनके लिए ग्राहकों से कारोबार करने के लिए पहचान किये गए आवश्यक प्रशिक्षण उपायों का विवरण हो। फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार करने और में ऋण संग्रहण/ वसूली प्रथाओं में कोई अपमानजनक या आक्रामक पद्धति न अपनाने की बातों को शामिल किया जाए।

सी) सेवा और उधारकर्ता संतुष्टि के मामले में केवल जुटाए गए ऋणों की संख्या और वसूली दर से अधिक स्टाफ को दिए जाने वाले मुआवजे की पद्द्धति को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आचार संहिता का अनुपालन न करने के मामलों में फील्ड स्टाफ पर दण्ड भी लगाया जाना चाहिए। संवेदनशील वसूली क्षेत्रों में बाहर से लिए गए वसूली एजेंटों के बजाय आमतौर पर केवल कर्मचारियों को लगाना चाहिए ।

(iv) ग्राहक संरक्षण के उपाय

ए) एनबीएफसी-एमएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह / जेएलजी के गठन में पेशेवर कार्यों के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को लगाया जाए और समूहों के गठन के बाद क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के लिए उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास गतिविधियों का आयोजन किया जाए ।

बी) सभी एनबीएफसी-एमएफआई अपनी उधार गतिविधि समझदारी और जिम्मेदारी से करें। इसके अलावा वे अपने उधारकर्ताओं को दिखावे वाले बेकार के खर्च के जोखिमों के संबंध में शिक्षित करें।

<u>खंड III: सुशासन के मुद्दे</u>

अध्याय - IX

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का अधिग्रहण / अंतरण

59. एक लागू एनबीएफसी को निम्नलिखित बातों के लिए रिज़र्व बैंक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी:

ए) लागू एनबीएफसी का नियंत्रण लेना या अधिग्रहण अधिग्रहण करना, जिससे प्रबंधन में परिवर्तन हो या न हो;

बी) लागू एनबीएफसी की शेयर धारिता में परिवर्तन जिसमें समयानुसार हुई वृद्धि भी शामिल है, जिसका नतीजा लागू एनबीएफ़सी की चुकता इक्विटी पूंजी की हिस्सेदारी के 26 प्रतिशत या अधिक का अधिग्रहण / अंतरण के रूप में होता हो।

किंतु शेयर की पुनर्खरीद/ किसी सक्षम न्यायालय के अनुमोदन से पूंजी में कमी के कारण शेयरहोल्डिंग 26% से कम हो रहा है तो ऐसे मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसे एक महीने में रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए;

सी) एनबीएफ़सी के प्रबंधन में कोई भी बदलाव, जिसमे स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 से अधिक प्रतिशत निदेशकों में परिवर्तन हो,

किंतु निदेशकों की सेवानिवृत्ति पर रोटेशन से फिर से निर्वाचित होने के मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

60. पैरा 59 के होते हुए भी एनबीएफ़सी उनके निदेशकों / प्रबंधन में कोई बदलाव होने पर परिवर्तन रिज़र्व बैंक को सूचित करना जारी रखेगी।

61 पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

(i) एनबीएफ़सी को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के लेटर हेड में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा:

ए) प्रस्तावित निदेशकों /शेयरधारकों के बारे में जानकारी अनुबंध X के अनुसार;

बी) एनबीएफ़सी के शेयरों के अधिग्रहण करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों के धन के स्रोत;

सी) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे जमा-राशियां स्वीकार करने वाले किसी भी अनिगमित निकाय के साथ संबद्ध नहीं हैं;

डी) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे ऐसी किसी भी कंपनी के साथ संबद्ध नहीं हैं जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

ई) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला जिसमे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध भी शामिल है, नहीं है; तथा

एफ़) प्रस्तावित निदेशकों / शेयरधारकों पर बैंकर्स की रिपोर्ट।

(ii) इस संबंध में आवेदन रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफ़सी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

62 नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता

(i) शेयरों की बिक्री, या शेयरों की बिक्री द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, या नियंत्रण का हस्तांतरण , चाहे वह शेयरों की बिक्री के बिना या सहित हो, के लिए कम से कम 30 दिनों की एक सार्वजनिक नोटिस पहले दी जाएगी। इस तरह की सार्वजनिक नोटिस रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद द्वारा और अन्य पार्टी द्वारा या संबंधित पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी।

(ii) सार्वजनिक नोटिस में बेचने के या स्वामित्व / नियंत्रण हस्तांतरण के इरादे, अंतरिती के ब्यौरे और इस तरह की बिक्री या स्वामित्व / नियंत्रण के हस्तांतरण के कारणों का उल्लेख होगा। इस नोटिस को कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और एक अग्रणी स्थानीय भाषा के अखबार(पंजीकृत कार्यालय की जगह को कवर करने वाला) में प्रकाशित किया जाएगा।

भाग IV: विविध मुद्दे

अध्याय - X

एनबीएफसी द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

इस अध्याय में दिये गए ये निदेश विदेश में निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अतिरिक्त होंगे।

63. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा /सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या किसी विदेशी संस्था में निवेश नहीं कर सकता। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आवेदन पर इन निदेशों में निर्धारित सामान्य और विशिष्ट शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा।

64 सामान्य शर्तें

(i) गैर वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में निवेश की अनुमति नहीं है।

(ii) फेमा एफईएमए) के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों या सेक्टोरल निधियों में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।

iii) केवल उन संस्थाओं में निवेश की अनुमति है जिसके कोर गतिविधियों का विनियमन स्थानीय होस्ट) अधिकार क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा किया जाता हो।

iv) समग्र विदेशी निवेश निवल स्वाधिक निधियों के 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी एक विदेशी संस्था में, उसकी निचली सहायक कंपनियों सहित, इक्विटी या निधि आधारित प्रतिबद्धता निवेश के माध्यम से निवेश , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व निधि का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

v) विदेशी निवेश में बहु स्तरीय, क्रास क्षेत्राधिकार संरचना शामिल नहीं होना चाहिए तथा अधिक से अधिक मात्र एक मध्यवर्ती धारक संस्था को अनुमति दी जाएगी;

vi) विदेश में सहायक कंपनी में निवेश करने के बाद, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर लीवरेज निर्धारित विनियामक स्तर से कम नहीं होना चाहिए ।

vii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए में निर्धारित स्पष्टिकरण के अनुरूप लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रस्तावित विदेशी सहायक कंपनी/ विदेश में निवेश करने के बाद आवश्यक निवल स्वाधिक निधियों का स्तर बरकरार रखना होगा ।

(viii) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर निवल अग्रिम के 5%से अधिक नहीं होना चाहिए।

ix) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पिछले तीन वर्षो में लाभ अर्जित किया होना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

x)लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को समय समय पर जारी फेमा 1999 विनियम का अनुपालन करना होगा।

(xi) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विनियामकीय अनुपालन तथा सार्वजनिक जमाराशि संबंधी सेवा, यदि जमाराशि रखी हो, संतोषजनक होना चाहिए।

xii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी) नियम का पालन करना होगा ।

xiii) विदेश में विशेष प्रयोजन संस्था एसपीवी) की स्थापना या विदेश में अधिग्रहण को विदेशी संस्था में निवेश के प्रतिशत के आधार पर विदेश में सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में निवेश / विदेश में निवेश माना जाएगा;

xiv) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि उसने विदेश में निवेश के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन इसके द्वारा किया गया है, रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जहां वह पंजीकृत है।

(xv) यदि रिज़र्व बैंक के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बात आती है तो स्वीकृत अनुमति को वापस ले लिया जाएगा। विदेश में निवेश हेतु सभी स्वीकृतियां इस शर्त के अधीन हैं।

65 विशेष शर्तें

1) शाखा खोलना

सामान्य नीति के अनुसार, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विदेश में शाखा खोलने की अनुमति नहीं है। तथापि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिन्होंने वित्तीय कारोबार गतिविधियों के लिए पहले से ही विदेश में शाखा शाखाएं) खोल रखी हैं, को संशोधित दिशानिर्देश के अनुपालन के आधार पर, यथा लागू, परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

2) लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में उक्त निर्धारित सभी शर्तें लागू होंगीं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया अनापत्ति प्रमाण पत्र विदेशी नियामकों की अनुमोदन प्रक्रिया से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्धारित शर्तें हैं जो कि सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू है:

ए. विदेश में सहायक कंपनी खोलने के मामले में, मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसी सहायक कंपनियों को या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित गारेंटी देने की अनुमति नहीं है।

बी. विदेशी सहायक कंपनी को भारत के किसी भी संस्थान से चुकौती आश्वासन पत्र के लिए अनुरोध की अनुमति नहीं है।

सी. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की देनदारी उसके इक्विटी या सहायक कंपनी के निधि आधारित प्रतिबद्धता तक सीमित है।

डी. विदेश में स्थापित की जाने वाली सहायक कंपनी मुखौटा Shell) कंपनी नहीं होगी अर्थात " कंपनी का गठन किया गया है किंतु उसकी कोई विशिष्ट परिसंपत्ति या परिचालन नहीं है" तथापि वित्तीय सलाहकार तथा परामर्श सेवा का कारोबार करने वाली ऎसी कंपनी जिसमें महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति नहीं है, उन्हें मुखौटा Shell) कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा।

ई. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा विदेश में स्थापित की वाली सहायक कंपनी का प्रयोग भारत में भारतीय परिचालन के लिए परिसंपत्ति बनाने के लिए संसाधन बनाने वाले संस्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए।

एफ. इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में स्थापित सहायक कंपनी से उनके द्वारा किये जाने वाले कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना होगा तथा उसे रिज़र्व बैंक तथा बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध करना होगा;

जी. यदि सहायक कंपनी द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जा रहा है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तब विदेश में सहायक कंपनी की स्थापना के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी / उसे वापस लिया जा सकता है।

एच. किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेश में सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि सहायक कंपनी अपने तुलन पत्र में यह प्रकट करें कि प्रस्तावित विदेशी संस्था में मूल संस्था की देनदारी उसके इक्विटी या या सहायक संस्था के प्रति या निधि आधारित प्रतिबद्धता तक होगी;

आई. विदेशी सहायक कंपनी का सभी परिचालन मेजबान देश के विनियामक क्षेत्र के अधीन होगा।

(3) विदेशों में संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनी के अतिरिक्त विदेश में निवेश पर भी वही दिशा निर्देश लागू होंगे जो सहायक कंपनी के लिए लागू हैं।

4) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

i. संपर्क कार्य, बाजार अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य हेतु प्रतिनिधि कार्यालय विदेश में खोला जा सकता है किंतु मेजबान देश के विनियमन के अधीन आने वाले कार्यों को छोड़कर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा जिसमें निधि परिव्यय शामिल हो। चूँकि ऐसे कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य में शामिल नहीं होंगे अत: उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

ii. मूल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय से उसके कारोबार संबंधी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा कोई कारोबार नहीं किया जाता है या रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होती है उनको कार्य के लिए प्रदान की गई अनुमति की समीक्षा की जाएगी/उसे निरस्त किया जा सकता है।

अध्याय - XI
विविध अनुदेश

66 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गतिविधियों का स्वचालित मार्ग से विस्तार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से स्थापित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केवल उन्हीं गतिविधियों को करने की अनुमति होगी जो स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हैं। उनसे भिन्न किसी अन्य गतिविधि को करने से पहले उसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश की अनुमति मिली है (जैसे साफ्टवेयर) और बाद में वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में काम करना चाहती है तो उसे लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों और अन्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

67 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग

सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनकी परिसंपत्ति ₹100 करोड़ रुपए या अधिक है, अपने वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/ उच्चीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

68 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश , 2016 की प्रयोज्यता

सभी एनबीएफ़सी को, जिनका ग्राहकों से संबंध आता हो, बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016 का पालन करना होगा।

69 बैंक के पास रखी मियादी जमा राशियों की वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना करना

मियादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा तथा बैंकों के पास रखे गए मियादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त आय नहीं माना जाएगा क्योंकि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45आई सी) में "वित्तीय संस्थान" की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जमाराशियां सुलभ मुद्रा के रूप में होती हैं जिनका उपयोग केवल निष्क्रिय निधि के अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है और/या उन मामलों में किया जा सकता है जहाँ निधियों को एनबीएफआई कारोबार की शुरूआत होने तक एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए, अर्थात 200 लाख रूपए की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) रखने के लिए प्रारंभ में मीयादी जमा के रूप में किया जा सकता है।

70. हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूति लेन-देनों के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालन अनुदेश

सभी एनबीएफ़सी को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 तथा 11 मई 2005 का आईडीएमडी. पीडीआरएस.4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

71. कार्पोरेट बांड लेनदेनों के लिए निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज़) संघ(FIMMDA) का रिपोर्टिंग प्लेटफार्म

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ओवर दि काउंटर मार्केट में सेकंडरी बाजार में किए गए कारपोरेट बांड लेनदेनों को फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें।

72. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "काल न करें" राष्ट्रीय रजिस्ट्री नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

1 लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि-

i) वे ऐसे टेलीमार्केटर्स डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो; लागू एनबीएफसी केवल ऐसे टेलीमार्केटर्स की सेवाएं लें जो ट्राय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत हों।

ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जा रही हैं, वे दूर संचार विभाग DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमाकेटर्स के रूप में करवा लें।

73. वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश - एनबीएफसी का एनओएफ गणना

एनओएफ आंकडों का निर्धारण करते समय, एनबीएफसी द्वारा अपने समूह की संस्थाओं में किए गए निवेश को निवेश माना जाएगा भले ही निवेश सीधा अथवा एआईएफ/वीसीएफ के माध्यम से किया गया हो तथा जब वीसीएफ में निधि एनबीएफसी से आयी हो जो 50% अथवा उससे अधिक हो; या जहां ट्रस्ट के मामले में लाभार्थी एनबीएफसी हो और वहां ट्रस्ट की 50% निधि संबंधित एनबीएफसी से आयी हो। इस उद्देश्य के लिए "हितों का अधिकारी स्वामित्व" का अर्थ होगा ट्रस्ट में निर्णय लेने एंव प्रभावित करने की शक्ति एंव क्षमता रखने वाला तथा ट्रस्ट की गतिविधियों के बाहर से उत्पन्न होने वाले लाभ का लाभार्थी होना। एनओएफ की गणना करते समय प्रारूप के बजाए सिद्धांत को ध्यान में रखें।

74 आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों (डीटीए) एवं आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) से संबंधित कार्य

(1) चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक कार्रवाई इस प्रकार है:

(i) आस्थगित कर देयता खाते का शेष, चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।

(ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

(2) इस संबंध में

(i) वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व आरक्षित निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष को नामे करके सृजित आस्थगित कर देयताओं DTL) को" अन्य देयताएं तथा प्रावधान" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

(ii) वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व निधियों या लाभ-हानि खाते के प्रारंभिक-शेष में जमा करके सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों DTA) को "अन्य परिसंपत्ति" के अंतर्गत "अन्य" मद में शामिल किया जाएगा।

(iii) वर्तमान अवधि की एवं पिछली अवधि से अग्रनीत अमूर्त परिसंपत्तियों तथा हानियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।

(3) निम्नवत आकलित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा:

(i) संचित हानियों से संबंधित आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ DTA); तथा

(ii) आस्थगित कर देयताओं को घटाकर निकाली गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां संचित हानियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर)। जहाँ आस्थगति कर देयताएं आस्थगित कर परिसंपत्तियों संचित हानियों से संबंधित आस्थगति परिसंपत्तियों को छोड़कर) से अधिक हों, वहाँ ऐसी अधिक राशि को न तो मद सं. i) के बदले समायोजित किया जाएगा और न ही टियर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

75. ब्याज दर संबंधी भावी सौदों इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)का प्रारंभ

भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी द्वारा इस बारे में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं नामित आईआरएफ एक्सचेंजों में ग्राहक के रूप में भाग ले सकती हैं।ब्याज दर संबंधी भावी सौदों के लिए एक्सचेंजों में भाग लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ऐसे आंकड़े छमाही आधार पर, संबंधित छमाही की समाप्ति के बाद एक माह में रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता हो।

76. आवास परियोजनाओं के लिए वित्त-शर्तों में यह उपबंध शामिल करना कि पैम्फ्लेटों/ब्रोशरों/विज्ञापनों में यह प्रकट किया जाएगा कि संबंधित संपत्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास बंधक है

आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शर्तों में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करें कि:

(i) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोशरों/विज्ञापनों, आदि में यह प्रकट करेंगे कि संबंधित संपत्ति किस संस्था /कंपनी के पास बंधक है।

(ii) बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी पैम्फ्लेटों/ब्रोशरों में यह उल्लेख करेंगे कि फ्लैटों।संपत्ति की बिक्री के लिए यदि अपेक्षित होगा तो वे उस संस्था/कंपनी, जिसके पास संपत्ति बंधक है, से अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति उपलब्ध करा कर देंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उल्लिखित विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निधियाँ तब तक जारी न की जाएं जब तक कि बिल्डर/डेवलपर/मालिक/कंपनी उल्लिखित अपेक्षाएं पूरी न कर दें।

77. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग /दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की साब्ही

शाखाएं विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने सभी कर्मचारियों के लिए चलाये जाने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में, एक उचित माड्यूल शामिल करें जिसमें शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कानूनी तथा अंतराष्ट्रीय कन्वेंश, द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का अधिकार गारेंटी शामिल हो। इसके अतिरिक्त, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्थापित शिकायत निवारण पद्धति के तहत शारीरिक रूप से विकंलांग व्यक्तियों के शिकायत का निवारण किया जा रहा है।

78. करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता

एनबीएफ़सी को केवल अपनी अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के उद्देश्य के लिए, ग्राहकों के रूप में, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त नामित करेंसी फ्यूचर एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के इस मामले में दिशा-निर्देशों के अधीन में भाग ले सकते हैं। सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुद्रा वायदा बाजार में किए गए लेनदेन का संबंधित बैलेंस शीट में प्रकटीकरण किया जाए ।

79. बीमा कारोबार में प्रवेश

(1) बीमा कारोबार में प्रवेश के लिए एनबीएफ़सी आवश्यक विवरण के साथ उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफ़सी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को करना होगा।

(2) एनबीएफ़सी बीमा एजेंसी कारोबार, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना, कतिपय पात्रता शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बिना कर सकती है।

(3) विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध XI में दिए गए हैं।

80. क्रेडिट कार्ड जारी करना

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैक की पूर्वानुमति के बिना क्रेडिट कार्ड कारोबार करने की अनुमति नहीं है। क्रेडिट कार्ड कारोबार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली कंपनियों सहित कोई भी कंपनी जो यह कारोबार करने की इच्छुक हो उसके लिए यह अपेक्षित है कि उसके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र हो। विशेष रूप से इस कारोबार में प्रवेश की अनुमति के अलावा पूर्व शर्त के तहत न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ 100 करोड़ रुपए हों तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लगायी गयी शर्ते भी पूरी करती हो। लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड, आदि जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को 21 नवंबर 2005 के परिपत्र सं. बैंपविवि.एफएसडी.बीसी. 49/24.01.011/2005-06 में जारी अनुदेशों और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का भी पालन करना होगा।

81. को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनित आधार, पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ, बिना जोखिम की हिस्सेदारी के, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से प्रारंभ में दो वर्षों के लिए एवं तदुपरांत समीक्षा के अधीन जारी करने की अनुमति है। न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करने वाली तथा कतितपय विनिर्धारणों का पालन करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। पात्रता आवश्यकताएं **अनुबंध XII** में निर्धारित की गई हैं।

82. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंडों (एमएफ) का वितरण

भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत एनबीएफ़सी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण की अनुमति है बशर्ते वे सेबी के दिशानिदेशों/विनियम का पालन करें तथा म्यूच्युअल फंड उत्पाद के वितरण के लिए आचार संहिता का पालन करें। विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध **XIII** में दिए गए हैं।

83. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार बनने में मनाही

1) कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान नहीं करेगी अथवा ऎसे फर्म में भागीदार नहीं बनेगी|

2) इस संबंध में;

(ए) उपर्युक्त भागीदारी फर्म में सीमित देयता भागीदारी एलएलपी) भी शामिल है।

(बी) इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रतिबंध व्यक्तियों के एसोसिएशन के लिए भी लागू है; क्योंकि इनका स्वरूप भागीदारी फर्म के समान है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो पहले से पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन में पूंजी का अंशदान कर चुकी हैं अथवा पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन की भागीदार हैं, वे पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/व्यक्तियों के एसोसिएशन से शीघ्र निकासी करें।

84. साख सूचना कंपनियों सीआईसी) को आंकड़ा प्रस्तुत करना- साख संस्थाओं द्वारा आंकडों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

1) सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों बिना किसी ग्राहक अंतरफलक इंटरफेस) गतिविधियों के विशुद्ध रूप से निवेश का कारोबार करने वाली कंपनियों को छोडकर)से अपेक्षित है कि वे सभी क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य बनें और उन्हें डाटा (हिस्टोरिकल डाटा सहित) प्रस्तुत करें ।

2) इस संबंध में साख सूचना कंपनी विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 17 की उपधारा 1) और 2) के अनुसार साख सूचना कंपनी को उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपने सदस्यों से, जैसा वह आवश्यक समझे , साख सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा होगी और प्रत्येक ऐसी साख संस्था को उस साख सूचना कंपनी

को अपेक्षित सूचना देनी होगी। साख सूचना कंपनी विनियम, 2006 के विनियमन 10 क) ii) के अनुसार प्रत्येक साख संस्था:

ए) साख सूचना अपने पास उपलब्ध रखेगी, उसे मासिक आधार पर या उस कम अंतराल पर अद्यतन रखेगी जैसा कि साख तथा साख सूचना कंपनी के बीच परस्पर सहमति से तय हो; तथा

बी) ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तुत की गई साख सूचना अद्यतन है, सही है और पूर्ण है।

85. साख सूचना कंपनियों सीआईसी) को साख सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय कार्रवाई)

सभी लागू एनबीएफ़सी रिज़र्व बैंक के 27 जून 2014 के परिपत्र बैंपविविसं.सीआईडी.बीसी.127/ 20.16.056/2013-14 के द्वारा जारी और समय समय पर संशोधित निर्देशों का निम्नांकित के संबंध में पालन करेगी:

i) क्रेडिट सूचना रिपोर्ट सीआईआर))) के संबंध में जागरूकता लाना;
ii) सभी ऋण निर्णयों में तथा खाता खोलते समय सीआईआर का उपयोग करना;
iii) सभी सीआईसी के डेटा बेस में वाणिज्यिक डेटा अभिलेख को शामिल करना;
iv) डेटा फार्मेट का मानकीकरण;
v) तकनीकि कार्यदल का गठन;
vi) अस्वीकृत डेटा के सुधार की प्रक्रिया;
vii) डेटा गुणवत्ता इंडेक्स का निर्धारण,
viii) क्रेडिट स्कोर का कैलिब्रेशन तथा सीआईआर के फार्मेट का माननीकरण।
ix) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के लिए उत्तम प्रथाएं।

लागू एनबीएफ़सी रिज़र्व बैंक द्वारा डीबीआर.संख्या.सीआईडी.बीसी.59/20.16.056/2014-15 दिनांक 15 जनवरी 2015 के द्वारा सीआईसीआरए धारा 111) के अधीन जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

86. सरकार की 'हरित पहल'(ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन

सभी लागू अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों से अनुरोध है कि अपने दैनिक कारोबारी विनिमय में पोस्ट डेटेड चेक का समापन तथा क्रमबद्ध तरीके से चेक का समापन करते हुए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को बढायें। इससे परिणामस्वरूप विनिमय का समायोजन सटिक, कम लागत वाला, तेज तथा प्रभावी होगा।

87. जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास - कार्य - प्रणाली

धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वाणिज्य बैंकों/व्यक्तियों द्वारा पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया । बैंक गारंटियां पुष्टि सूचना/ स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत की गई थीं। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी और आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारी उन्हें जानते थे।

उपर्युक्त बैंक गारंटियों की छानबीन से प्रकट हुआ कि ये बैंक गारंटियां फर्जी थीं और बैंक गारंटियों पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली थे। कथित रूप से जिन बैंक शाखाओं ने बैंक गारंटियां जारी की थीं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि बैंक गारंटियों के प्रारूप व उनके क्रमांक भी उक्त बैंक में प्रयुक्त प्रारूप व क्रमांक से मेल नहीं खाते थे।

एनबीएफ़सी को सूचित किया जाता है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय उचित सावधानी बरतें।

88. ऋण चूक अदला-बदली- उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल सीडीएस बाजार में उपयोग कर्ता के रूप में भाग लेंगी। उपयोग कर्ता के रूप में, उनको केवल उनके द्वारा धारण किये गये कार्पोरेट बांडो के संबंध में ऋण जोखिम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण सुरक्षा खरीदने की अनुमति दी जायेगी। उनको सुरक्षा की बिक्री करने की अनुमति नहीं होंगी। अतः उनको सीडीएस संविदाओं में खरीद से अधिक बिक्री (शॉर्ट पोजीशन) की अनुमति नहीं होंगी। मूल प्रतिपक्षों के साथ छुटकारा पाते हुए उनके खुलकर [अनवाइंड] या पूर्वाधिकार बांडों के खरीददार के पक्ष में अंतरित करके वे सीडीएस की खरीद की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।

2 उक्त सभी प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ संलग्न दिशानिदेशों सहित सीडीएस के लिए **अनुबंध XIV** में दिये गए परिचालनात्मक आवश्यकाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

89. प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशा-निर्देश

मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर **अनुबंध XV** में दिए दिशानिर्देश का सभी लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पालन किया जाएगा।

90. ऋण वृद्धि का पुनर्निर्धारण

1) ऋण वृद्धि के पुनर्निधारण पर 1 जुलाई 2013 के परिपत्र संदर्भ:बैंपविवि सं.बीपी-बीसी-25/21.04.177/2013-14 द्वारा बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए हैं। इन दिशानिदेशों में ऐसे पुनर्निर्धारण हेतु सभी तथ्यों को विस्तार से शामिल किया गया है बशर्ते कि वह इसमें निहित नियमों का पालन करती हो। ये दिशा-निदेशों एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर भी लागू होंगे।

2) 21 अगस्त 2012 के परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.सं.301/03.10.01/2012-13 के अनुसार जो लेनदेन पहले कर लिए गए हैं, उनका पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के सभी निवेशकों की सहमति से जा सकता है। अगस्त 2012 के दिशानिदेशों के पूर्व किए गए लेनदेनों के संबंध में एमआरआर से संबंधित शर्त का पालन इस पुनर्निर्धारण में उल्लिखित ऋण वृद्धि सीई) के पुनर्निर्धारण की पैरा 1 में दी गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त होगा।

91 एनबीएफ़सी द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धनराशि जुटाना- डिबेंचर आदि

सभी एनबीएफ़सी से अपेक्षित है कि अपरिवर्तनीय -डिबेंचर्स एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट पर अनुबंध XVI में दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन करें। यह नोट किया जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके तहत जारी नियम वहां लागू होंगे जहां विरोधाभास नहीं है।

92 बंधक संबंधी अभिलेखों को केन्द्रीय रजिस्ट्री में दर्ज करना

एनबीएफसी को चाहिए कि वे 31 मार्च 2011 को या उसके बाद अपने हित में बनाये गए सभी साम्यिक बंधक के अभिलेख को केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष फाइल और रजिस्टर करे तथा जब कभी उनके हित में साम्यिक बंधक बनता है तो उसे वे केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष रजिस्टर करे। उक्त के अनुक्रम में सभी एनबीएफसी को इसके अतिरिक्त सूचित किया गया था कि सभी प्रकार के बंधकों को सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत करें।

93. वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुन:सुधार के लिए फ्रेमवर्क

दिशानिदेश के अनुबंध XVII में दिया गया अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का पुन:सुधार करने के लिए फ्रेमवर्क व्यवस्था सभी एनबीएफसी-घटकों पर लागू होगी। रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक अक्तूबर 21, दिसंबर 22, 2014, जून 8, 2015, सितंबर 24, 2015 और फरवरी 25, 2016 द्वारा इस फ्रेमवर्क में संशोधन किए हैं। ये संशोधन लागू एनबीएफ़सी पर यथारूप लागू होंगे ।

94. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

(1) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों /रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों, पर अनुबंध XVIII में दिए गए एएलएम मार्गदर्शी निर्देश लागू होंगे । अब से पिछली लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार ₹100 करोड़ की परिसंपत्तियों के आकार वाली (चाहे वे जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हों/जनता की जमाराशियाँ रखती हों या न स्वीकार करती/रखती हों) या रू 20 करोड़ या उससे अधिक की जनता की जमाराशियों की धारक होने (भले ही उनकी परिसंपत्तियों का आकार कुछ भी हो) के मानदण्ड पूरे करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करनी है।

(2) एएलएम प्रणाली लगाने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एक पूर्व अपेक्षा के रूप में है। डेटा के त्वरित विश्लेषण और समेकन के लिए, एमआईएस को कंप्यूटरीकृत करना और परिपक्वता बेमेल और बेमेल के साथ जुड़े विभिन्न तरह के जोखिम के संबंध में संपत्ति और देनदारियों के प्रबंधन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आवश्यक होगा। यदि यह पहले से ही नहीं किया हो तो, लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जल्द से जल्द ऐसे सिस्टम को स्थापित करें।

(3) अन्य लागू एनबीएफसी, जो पैरा 94 के उप पैरा (1) में वर्णित मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, भी एएलएम की प्रणाली को लागू करेंगी क्योंकि रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि धीरे-धीरे सभी लागू एनबीएफसी

के लिए इसे लागू किया जाए जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और प्रणालीगत जोखिमों का रोक-थाम हो सके।

95. एनबीएफ़सी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करना

एनबीएफ़सी सुनिश्चित करें कि जमाराशि पर ब्याज के भुगतान/अग्रिम पर प्रभारित ब्याज सहित सभी लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाए - जैसे 50पैसे का अंश तथा उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तथापि, यह भी सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेक/ड्राफ्ट जिसमें रूपये का अंश निहित हो उसे उनके द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए।

96. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी की मुद्रा अंतरण सेवा योजना एमटीएसएस)के तहत सब-ऐजेंट उप -अभिकर्ता) के रूप में नियुक्ति

जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति के बगैर एमटीएसएस के तहत सब-ऐजेंट उप-अभिकर्ता) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

97. लागू एनबीएफसी द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान

सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करना एक शुल्क आधारित सेवा है तथा इसकी गणना लागू एनबीएफसी द्वारा किए जाने वाले वित्तीय कारोबार के रूप में नहीं किया जायेगा।ऐसी एनबीएफसी जो सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करती हों अथवा इसे प्रदान करने की इच्छा रखती हों, वे अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट करें कि यह गतिविधि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

98. राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस) के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफ़आरडीए) के अंतर्गत पॉइंट ऑफ प्रेसेंस पीओपी) सेवाएं संबंधी व्यवसाय करना

लागू गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनीयों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवाली राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के लिये पीओपी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

99 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली
<u>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों</u> (NBFC-ND-SI) <u>का दर्जा देने संबंधी मानक</u>

1) एक बार जब किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति ₹500 करोड़ रुपए या अधिक हो जाएंगी वैसे ही वह कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रणालीगत -रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली निदेश रिज़र्व बैंक), 2016 के विनियामक अपेक्षाओं के दायरे में आ जाएगी, भले ही अंतिम तुलनपत्र की तारीख को उसकी ऐसी परिसपत्ति कम ही क्यों न रही हों। अतः जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जैसे ही ₹500 करोड़ रुपए या अधिक परिसंपत्तियों के स्तर को प्राप्त कर लेती हैं वैसे ही, ऐसा स्तर प्राप्त करने की तारीख पर विचार किए बिना, वे संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू विनियामक निदेशों का अनुपालन करेंगी।

2) गतिशील माहौल में अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण, न कि वास्तव में, किसी माह विशेष के दौरान किसी कंपनी की परिसंपत्तियाँ ₹500 करोड़ से कम हो सकता है। ऐसे मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करती रहेगी तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू मौजूदा निदेशों का अनुपालन करती रहेगी जब तक कि उसका आगामी लेखापरीक्षित तुलन रिज़र्व बैंक के प्रस्तुत न हो जाए एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक से विशिष्ट छूट के लिए अनुमति न मिल जाए।

100. लागू एनबीएफसी द्वारा शाखा/कार्यालय बन्द करने के संबंध में सार्वजनिक नोटिस पहले जारी करना

लागू गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किसी शाखा/कार्यालय को बंद करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व कम से कम एक अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा प्रादेशिक भाषा के एक अग्रणी समाचार पत्र (जिसके प्रसार क्षेत्र में शाखा /कार्यालय आता हो) में जमाकर्ताओं, आदि की सेवा के लिए किए गए प्रबंध की सूचना दी जाए।

101. उत्तर दिनांकित चेक पीडीसी)/ समीकृत मासिक किश्त ईएमआई) चेक को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा ईसीएस) डेबिट) के अंतर्गत लाया जाना

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 के अधीन उपलब्ध सुरक्षा को देखा जाए तो आदाता लाभार्थी) को वही अधिकार और उपाय उपलब्ध कराता है जो पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपर्याप्त निधि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की अस्वीकृति के लिए वही अधिकार उपलब्ध हैं जो अपर्याप्त निधि के लिए उपलब्ध हैं। अत: एनबीएफसी को ग्राहकों के ईसीएस डेबिट) आदेश पत्र के अतिरिक्त, यदि कोई हो तो, अतिरिक्त चेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान पर जहाँ ईसीएस/ आरईसीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सीटीएस-2010 मानक को पूरा करने वाला का चेक प्रारूप ही लिया जाए।

102. परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

1) लागू एनबीएफसी अन्य उधारदाताओं के साथ पूर्व-निर्धारित समझौते के बिना किसी मौजूदा बुनियादी संरचना या अन्य परियोजना ऋण को अंतरण वित्तपोषण (टेक-आउट फिनान्सिंग) के जरिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं तथा दीर्घतर चुकौती अवधि निर्धारित करते हैं तो उसे पुनर्रचना नहीं माना जाएगा बशर्ते:

i) ऐसे ऋण मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होने चाहिए तथा अतीत में उनकी पुनर्रचना न हुई हो;

ii) ऐसे ऋण मुख्यतया मूल्य के आधार पर बकाया ऋण के 50% से अधिक) मौजूदा वित्तीय उधारदाताओं से अधिग्रहीत होने चाहिए; और

iii) चुकौती की अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया गया हो।

(2) मौजूदा परियोजनागत ऋण, जिनमें सभी संस्थागत उधारदाताओं का कुल ऋण न्यूनतम □1,000 करोड़ है, ऐसे ऋणों का अन्य उधारदाताओं के साथ कोई पूर्व निर्धारित समझौते के बिना भी एनबीएफसी पूर्ण अथवा आंशिक

पुनर्वित्तयन कर सकती है और उसकी चुकौती अवधि बढा सकती है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में इसे मौजूदा और नए उधारदाताओं के खातों में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा:

i) वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने की तिथि डीसीसीओ) प्राप्त होने के बाद परियोजना द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया हो;

ii) पुनर्भुगतान की अवधि परियोजना के जीवन-चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए तय किया गया हो और मौजूदा तथा नए उधारदाताओं के बोर्ड परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट हों। साथ ही, पुनर्भुगतान की कुल अवधि परियोजना की आरंभिक आर्थिक जीवनावधि/ पीपीपी परियोजनाओं के मामले में रियायत अवधि के 85% से अधिक नहीं होना चाहिए;

iii) ऐसा ऋण पुनर्वित्तीयन के समय मौजूदा उधारदाताओं की बहियों में 'मानक' होना चाहिए;

iv) आंशिक टेक-आउट की स्थिति में ऋण का एक बड़ा हिस्सा मूल्य की दृष्टि से बकाया ऋण के 25% से अधिक की राशि) मौजूदा वित्तपोषण उधारदाताओं से नए उधारदाताओं के एक समूह द्वारा ले लिया जाना चाहिए; और

v) परियोजनागत ऋण के मौजूदा ऋण-इक्विटी अनुपात और कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात डीएससीआर) को एनबीएफसी के लिए स्वीकार्य बनाने हेतु, आवश्यकता पड़ने पर, ऋण को कम करने के लिए संस्थापकों द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लाया जाना चाहिए।

(3) किसी ऋणदाता द्वारा परियोजना के लिए केवल कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण किए जाने की स्थिति में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसे परियोजना मीयादी ऋण के एक हिस्से को लिए जाने के लिए 'नया ऋणदाता' माना जाएगा।

(4) उपर्युक्त सुविधा मौजूदा परियोजना ऋणों के संपूर्ण जीवन काल के दौरान केवल एक बार के लिए उपलब्ध की जा सकेगी।

103. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा राहत कार्य हेतु दिशा-निर्देश - बैंक ने 25 मार्च 2015 के परिपत्र FIDD.No.FSD.BC.52/05.10.001/2014-15, 21 अगस्त 2015 के परिपत्र FIDD.No.FSD.BC.12/05.10.001/2015-16 और 30 जून 2016 के परिपत्र FIDD.No.FSD.BC.27/05.10.001/2015-16 माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा राहत कार्य हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है। ये दिशानिर्देश संस्थागत ढांचों अर्थात जिला परामर्शदात्री समिति/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा उपयुक्त राहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पहचान किये गए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे एनबीएफसी पर आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

104. नकदी के रूप में ऋण राशि के संवितरण के संबंध में एनबीएफसी आय कर अधिनियम, 1961 , समय-समय पर यथासंशोधित, की धारा 269एसएस और 269टी के अनुसार अपेक्षानुसार अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

105. एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए जोखिमों का प्रबंधन और आचार संहिता- एनबीएफसी अपने वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करेंगे और इसे अनुबंध XIX में दिये गए निर्देशों के अनुसार करेंगे।

अध्याय - XII
रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

106 गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सभी लागू एनबीएफ़सी द्वारा पालन किया जाएगा।

अध्याय - XIII
व्याख्याएं

107 इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से, रिज़र्व बैंक, अगर आवश्यक समझता है, तो इसमे शामिल किसी भी बात के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण तथा बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी प्रावधान के संबंध में व्याख्या जारी कर सकता है जो अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा । इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निर्देश के प्रावधानों के अलावा होंगे और उन्हे न्यूनप्रभावी नहीं करेंगे ।

अध्याय - XIV

निरसन प्रावधान

108. इन निर्देशों के जारी होने पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्रों सूची नीचे दी गई है) में निहित दिशानिर्देशों को निरस्त माना जाए। इन परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन / स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत दिए गए माने जाएंगे। ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरस्त कर दिए अनुदेश / दिशा-निर्देशों के अधीन की गई /शुरू की गई किसी भी कार्रवाई कथित अनुदेश / दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।

क्रमांक	परिपत्र सं	तारीख	विषय
1	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 128/सीजीएम (वीएसएनएम)-98	18 दिसंबर, 1998	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
2	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 11 /02.01/99-2000	15 नवंबर, 1999	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
3	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. 135/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	13 जनवरी, 2000	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
4	अधिसूचना डीएनबीएस. 142/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	30 जून, 2000	एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
5	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 15 / 02.01 / 2000-2001	जून 27, 2001	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तंत्र - दिशानिर्देश
6	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 16 / 02.01 / 2000-01	जून 27, 2001	एनबीएफसी विनियमों में संशोधन
7	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 35 / 10.24 / 2003-04	फरवरी 10, 2004	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रवेश
8	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 38 /02.02/2003-04	11 जून, 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
9	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या.41 / 10.27 / 2004-05	7 जुलाई, 2004	क्रेडिट कार्ड जारी करना
10	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 49 /02.02/2004-05	9 जून, 2005	तैयार वायदा संविदा में छूट / संशोधन, सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन का निपटान और प्राथमिक इश्यू में आवंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनात्मक निर्देश
11	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 63 / 02.02 / 2005-06	24 जनवरी, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना

12	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या.80 / 03.10.042 / 2005-06	28 सितंबर, 2006	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
13	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 82 / 03.02.02 / 2006-07	अक्टूबर 27, 2006	नियंत्रण / प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना
14	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 83 / 03.10.27 / 2006-07	दिसंबर 04, 2006	को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना
15	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 84 / 03.10.27 / 2006-07	दिसंबर 4, 2006	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
16	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 86 / 03.02.089 / 2006-07	दिसंबर 12, 2006	प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन और रिज़र्व बैंक के साथ संबंध - एनबीएफसी के लिए
17	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 89 / 03.05.002 / 2006-07	22 फरवरी, 2007	विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देश - जमा लेने वाली और जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
18	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 95 / 03.05.002 / 2006-07	24 मई, 2007	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने की शिकायतें
19	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 104 / 03.10.042 / 2007-08	11 जुलाई, 2007	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश
20	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 96 / 03.10.001 / 2007-08	31 जुलाई, 2007	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - कॉर्पोरेट बॉन्ड लेनदेन के लिए फिमडा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म
21	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 107 / 03.10.042 / 2007-08	अक्टूबर 10, 2007	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
22	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 109 / 03.10.001 / 2007-08	नवंबर 26, 2007	अवांछित वाणिज्यिक संचार - राष्ट्रीय डीएनडी रजिस्ट्री
23	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 124 / 03.05.002 / 2008-09	31 जुलाई, 2008	आय पर कर की गणना - आय लेखा मानक 22 -आस्थगित कर संपत्ति(डीटीए) और आस्थगित कर देनदारियों (डीटीएल) का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
24	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 125 / 03.05.002 / 2008-2009	1 अगस्त, 2008	पूंजी पर्याप्तता, तरलता और प्रकटीकरण मानदंडों के संबंध में एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए दिशानिर्देश
25	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 128	15 सितंबर,	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनर्वर्गीकरण

	/ 03.02.059 / 2008-09	2008	
26	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 133 / 03.10.001 / 2008-09	2 जनवरी, 2009	एनबीएफसी द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाने संबंधी विनियम
27	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 134 / 03.10.001 / 2008-2009	फरवरी 04, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग
28	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 139 / 03.10.001 / 2008-09	24 अप्रैल, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्त पोषण किए वाहनों की जब्ती के बारे में स्पष्टीकरण
29	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 141 / 03.10.001 / 2008-09	4 जून, 2009	एनबीएफसी-एनडी-एसआई नियमों का लागू होना
30	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 142 / 03.05.002 / 2008-09	9 जून, 2009	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्थगित कर संपत्ति/ कर देनदारियों का पूंजी की गणना के लिए लेखांकन
31	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 161 / 3.10.01 / 2009-10	18 सितंबर, 2009	ब्याज दर फ्यूचर्स - एनबीएफसी
32	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 165 / 03.05.002 / 2009-10	दिसंबर 1, 2009	पूंजी पर्याप्तता - संपार्श्विकृत उधार और ऋण दायित्व के माध्यम से उधार पर जोखिम भार (सीबीएलओ)
33	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.168 / 03.02.089 / 2009-10	12 फरवरी, 2010	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां
34	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 173 / 03.10.01 / 2009-10	03 मई, 2010	एनबीएफ़सी द्वारा विदेशी निवेश गै-बैंपवि, भारिबैं से अनापत्ति (एनओसी)
35	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 174 /03.10.001/2009-10	मई 6, 2010	आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - नियम और शर्तों में एनबीएफसी के लिए संपत्ति के बंधक के बारे में पर्चे / ब्रोशर / विज्ञापनों, में जानकारी खुलासा करने के लिए खंड को शामिल करना
36	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 191 / 03.10.01 / 2010-11	27 जुलाई, 2010	शारीरिक रूप से अक्षम / नेत्रहीन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण सुविधा
37	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 195 / 03.10.001 / 2010-11	9 अगस्त, 2010	करेंसी फ्यूचर्स में भागीदारी
38	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 200 /03.10.001/2010-11	सितंबर 17, 2010	ऋण सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना - ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ें का प्रारूप

39	अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. (पीडी).219/सीजीएम (यूएस)-2011	05 जनवरी 2011	गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007
40	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 208 / 03.10.01 / 2010-11	जनवरी 27, 2011	विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं - कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
41	डीएनबीएस. (पीडी).सीसी. संख्या 213 / 03.10.001 / 2010-2011	16 मार्च, 2011	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की परिभाषा में संशोधन
42	डीएनबीएस. (पीडी).सीसी. संख्या. 214 / 03.02.002 / 2010-11	30 मार्च, 2011	एनबीएफसी के साझेदारी फर्म में भागीदार बनने पर प्रतिबंध
43	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.221 / 03.02.002 / 2010-11	27 मई, 2011	बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा
44	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 222 / 03.10.001 / 2010-11	14 जून, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखा / सहायक / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या उपक्रम में निवेश करना
45	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 245 /03.10.42 / 2011-12	सितंबर 27, 2011	फर्जी बैंक गारंटी का उपयोग कर छलना करने का प्रयास- कार्य पद्धति
46	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 248 / 03.10.01 / 2011-12	अक्टूबर 28, 2011	सरकार के हरित पहल का कार्यान्वयन
47	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 250 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 02, 2011	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नई श्रेणी का प्रारम्भ - 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश
48	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 255 / 03.10.01 / 2011-12	दिसंबर 30, 2011	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना (एनसीडी)
49	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 259 /03.02.59/2011-12	15 मार्च, 2012	बैंकों में वित्तीय आस्तियों के रूप में गैर गणना जमा
50	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 263 / 03.10.038 / 2011-12	20 मार्च, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - प्रावधान मानदंड - समय विस्तार
51	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या.265 / 03.10.01 / 2011-12	मार्च 21, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया - एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण

52	डीएनबीएस. सीसी.पीडी. संख्या 266 / 03.10.01 / 2011-12	26 मार्च, 2012	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश
53	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 273 / 03.10.01 / 2011-12	11 मई, 2012	विवेकपूर्ण मानदंड निदेश, 2007 - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां - ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
54	डीएनबीएस. पीडी.सीसी. संख्या 276 / 03.02.089 / 2011-12	30 मई, 2012	पीपीपी और पोस्ट सीओडी परियोजनाओं को कवर करने वाली संपत्ति के लिए जोखिम भार में एकरूपता
55	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 297 / फैक्टर / 22.10.91 / 2012-13	23 जुलाई, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
56	अधिसूचना डीएनबीएस. (पीडी) .249 / सीजीएम (यूएस) -2012	1 अगस्त, 2012	एनबीएफसी के लिए तुलनपत्र से इतर मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता संशोधित फ्रेमवर्क - स्पष्टीकरण
57	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.300 / 03.10.038 / 2012-13	अगस्त 03, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश - संशोधन
58	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 301 / 3.10.01 / 2012-13	अगस्त 21, 2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देश में संशोधन
59	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.303 / फैक्टर / 22.10.91 / 2012-13	14 सितंबर, 2012	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
60	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 308 / 03.10.001 / 2012-13	नवंबर 06, 2012	चैक फार्म का मानकीकरण और सुरक्षा संबंधी विशेषताओं में संवर्धन - सीटीएस 2010 मानकों में माइग्रेशन
61	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 309 / 24.01.022 / 2012-13	नवंबर 08, 2012	प्रमुख सेवा प्रदाताओं की आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में माइग्रेशन की तैयारी
62	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 312 / 03.10.01 / 2012-13	दिसंबर 07, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी फैक्टरिंग संस्थाओं और कोर निवेश कंपनियों के लिए चेकलिस्ट
63	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या. 317 / 03.10.001 / 2012-13	दिसंबर 28, 2012	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा - संगतता
64	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 320 / 03.10.01 / 2012-13	18 फरवरी, 2013	एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - शिकायत निवारण तंत्र -

			नोडल अधिकारी
65	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.326 / 03.10.01 / 2012-13	27 मई, 2013	सोने की खरीद के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वित्तपोषण
66	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 327 / 03.10.038 / 2012-13	31 मई, 2013	'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो-फाइनेंस संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश - क्रेडिट के मूल्य निर्धारण में संशोधन - मार्जिन कैप
67	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 328 / 03.02.002 / 2012-13	11 जून, 2013	एनबीएफसी साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं होगी - स्पष्टीकरण
68	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 353 / 03.10.042 / 2013-14	26 जुलाई, 2013	अवांछित व्यावसायिक संचार - राष्ट्रीय डीएनडी रजिस्ट्री
69	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 354 / 03.10.001 / 2013-14	2 अगस्त, 2013	बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण - 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
70	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.356 /03.10.01/2013-14	16 सितंबर, 2013	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
71	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 359 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 06, 2013	पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) / मासिक किस्त (ईएमआई) चेक से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट) में माइग्रेशन
72	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 360 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 12, 2013	न्यायसंगत बंधक के अभिलेखों की केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ फाइलिंग
73	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 361 / 03.02.002 / 2013-14	नवंबर 28, 2013	बीमा क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सयभागिता
74	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 362 / 03.10.001 / 2013-14	नवंबर 29, 2013	बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण - 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा
75	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 363 / 03.10.38 / 2013-14	1 जनवरी, 2014	ऋण जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट द्वारा निम्न आय आवास (CRGFTLIH) के लिए गारंटी किए गए अग्रिम - जोखिम भार और प्रोविजनिंग
76	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 365 / 03.10.01 / 2013-14	जनवरी 08, 2014	एकल उत्पाद की सुरक्षा के बदले ऋण - स्वर्ण आभूषण
77	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 367 / 03.10.01 / 2013-14	23 जनवरी, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश की समीक्षा

78	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.369 / 03.10.038 / 2012-13	फरवरी 07, 2014	'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश - "ऋण का मूल्य निर्धारण" में संशोधन
79	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 371 / 03.05.02 / 2013-14	मार्च 21, 2014	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए उचित वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क
80	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 372 / 3.10.01 / 2013-14	24 मार्च, 2014	प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर दिशानिर्देशों में संशोधन - क्रेडिट वृद्धि की रीसेट
81	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 373 / 03.10.01 / 2013-14	अप्रैल 07, 2014	वैकल्पिक निवेश फंड के माध्यम से निवेश - एनबीएफसी की एनओएफ की गणना पर स्पष्टीकरण
82	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 374 / 03.10.001 / 2013-14	अप्रैल 07, 2014	गैर-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHCs) का पंजीकरण
83	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.376 / 03.10.001 / 2013-14	26 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण / हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
84	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.377 / 03.10.01 / 2013-14	27 मई, 2014	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लेनदेन निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना
85	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या.399 / 03.10.42 / 2014-15	14 जुलाई, 2014	फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रभार लगाना / प्री-पेमेंट जुर्माना
86	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 405 / 03.10.01 / 2014-15	12 अगस्त, 2014	₹100 करोड़ की संपत्ति के आकार के साथ गैर-जमा स्वीकारक एनबीएफसी की मनी ट्रांसफर सेवा योजनाओं(एमटीएसएस) के अंतर्गत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
87	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 406 / 03.10.01 / 2014-15	12 अगस्त, 2014	ब्याज दर वायदा - एनबीएफसी
88	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 407 / 03.10.42 / 2014-15	20 अगस्त, 2014	ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप और अन्य विनियामक उपाय
89	डीएनबीएस.सीसी.पीडी.संख्या 408 /03.10.001/2014-15	अगस्त 21, 2014	एनबीएफ़सी -शेयरों की जमानत पर ऋण

90	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.002 / 03.10.001 / 2014-15	नवंबर 10, 2014	एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा
91	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 003 / 22.10.91 / 2014-15	नवंबर 10, 2014	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012
92	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 011 / 03.10.01 / 2014-15	16 जनवरी,, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा
93	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 012 / 03.10.001 / 2014-15	19 जनवरी, 2015	इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर उद्योगों के लिए दीर्घकालिक परियोजना ऋण की लचीली स्ट्रक्चरिंग
94	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 015 / 03.10.001 / 2014-15	28 जनवरी, 2015	ऋण सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना - ऋण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों का प्रारूप
95	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.019 / 03.10.001 / 2014-15	फरवरी 06, 2015	ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता
96	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.021 / 03.10.001 / 2014-15	20 फरवरी, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाना
97	अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.008/सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च 2015	प्रणालीगत रूप से गैर-महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2015
98	डीएनबीआर.012 /सीजीएम.(सीडीएस)-2015	27 मार्च, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - फैक्टर (रिज़र्व बैंक) निदेश 2012 (संशोधन)
99	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 027 / 03.10.01 / 2014-15	अप्रैल 08, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश - संशोधन
100	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 028 / 03.10.001 / 2014-15	अप्रैल 10, 2015	एनबीएफ़सी - शेयरों की जमानत पर ऋण - स्पष्टीकरण
101	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 033 / 03.10.001 / 2014-15	30 अप्रैल, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
102	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 036 / 03.10.01 / 2014-15	21 मई, 2015	एकल उत्पाद की जमानत पर ऋण - स्वर्ण आभूषण

103	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.041 / 03.10.01 / 2014-15	25 जून, 2015	₹100 करोड़ की संपत्ति के आकार के साथ गैर-जमा स्वीकारक एनबीएफसी की मनी ट्रांसफर सेवा योजनाओं(एमटीएसएस) के अंतर्गत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
104	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 065 / 03.10.001 / 2015-16	जुलाई 09, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण / हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता
105	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.066 / 03.10.01 / 2015-16	23 जुलाई, 2015	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क- संयुक्त ऋणदाता 'फोरम (जेएलएफ़) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) पर दिशानिर्देश की समीक्षा
106	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 067 / 03.10.01 / 2015-16	30 जुलाई, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अग्रिम के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश की समीक्षा
107	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 069 / 03.10.01 / 2015-16	अक्टूबर 01, 2015	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश - संशोधन
108	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 070 / 03.10.01 / 2015-16	29 अक्टूबर, 2015	वित्तीय संकट की जल्दी पहचान, उधारदाताओं के लिए वसूली और समाधान के लिए शीघ्र कदम: अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क- संयुक्त ऋणदाता 'फोरम (जेएलएफ़) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) पर दिशानिर्देश की समीक्षा
109	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 071 / 03.10.038 / 2015-16	नवंबर 26,, 2015	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - दिशानिर्देश डीएनबीएस पीडी संख्या . 234 / सीजीएम (यूएस) -2011 दिसंबर 2, 2011 और डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 027 / 03.10.01 / 2014-15 दिनांक अप्रैल 08, दिनांक, 2015 - 24 माह से कम अवधि की ऋण राशि का संशोधन
110	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 072 / 03.10.001 / 2015-16	28 जनवरी, 2016	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का प्रावधान

111	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 073 / 03.10.001 / 2015-16	18 फरवरी, 2016	पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदान करना
112	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.074 / 03.10.01 / 2015-16	18 फरवरी, 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -फैक्टर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012- समीक्षा
113	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 076 / 03.10.001 / 2015-16	मार्च 10, 2016	संप्रभु ऋण से जुड़े जोखिम भार की समीक्षा
114	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.078 / 03.10.038 / 2015-16	अप्रैल 13, 2016	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थान (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 - केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करना
115	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या.081 / 03.10.01 / 2015-16	26 मई, 2016	अर्थव्यवस्था में व्यथित संपत्ति पुनर्जीवित करने और सामरिक ऋण पुनर्गठन के लिए फ्रेमवर्क की समीक्षा
116	डीएनबीआर.सीसी.पीडी.संख्या 082 / 03.10.001 / 2015-16	2 जून, 2016	परियोजना ऋण का पुनर्वित्तीयन
117	डीएनबीआर. (पीडी) सीसी..संख्या 083 / 03.10.001 / 2016-17	28 जुलाई, 2016	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एनबीएफसी द्वारा राहत उपाय संबंधी निर्देश

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध-I

सरकारी एनबीएफसी के लिए समयरेखा

<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान</th><th>सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा</th></tr>
<tr><td colspan="3">विवेकपूर्ण विनियमन</td></tr>
<tr><td>आय निर्धारण</td><td>निर्धारित किये अनुसार</td><td>31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के अनुसार</td></tr>
<tr><td>आस्ति वर्गीकरण</td><td>एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी- 90 दिन मानदंड
एनबीएफसी-एनडी- 180 दिन मानदंड</td><td>एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी
120 दिन- 31 मार्च 2019
90 दिन- 31 मार्च 2020
एनबीएफसी-एनडी
180 दिन मानदंड- 31 मार्च 2019</td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रावधानीकरण</td><td>एनपीए के लिए - निदेश में दिये अनुसार
मानक आस्तियों के लिए
एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी - 0.40%
एनबीएफसी-एनडी- 0.25%</td><td>31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार- निर्धारित मानदंड का 100%</td></tr>
<tr><td>एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी के लिए लागू पूँजी पर्याप्तता</td><td>सीआरएआर- 15%
टिएर- 1-10%</td><td><table><tr><td>10% (न्यूनतम टिएर I - 7%);</td><td>31 मार्च 2019</td></tr><tr><td>12% (न्यूनतम टिएर I - 8%);</td><td>31 मार्च 2020</td></tr><tr><td>13% (न्यूनतम टिएर I - 9%);</td><td>31 मार्च 2021</td></tr><tr><td>15% (न्यूनतम टिएर I -10%)</td><td>31 मार्च 2022</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>लीवरेज अनुपात</td><td>एनबीएफसी-एनडी पर लागू</td><td>सरकारी एनबीएफसी-एनडी द्वारा 31 मार्च 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए।</td></tr>
</table>

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा
ऋण/निवेश का संकेन्द्रन	निर्धारित किये अनुसार	किसी विशेष क्षेत्र में सेवा के लिए गठित सरकारी कंपनियां, इस संदर्भ में छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकती हैं, यदि जरूरत हो तो। अन्य सभी के लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र होगा।
अन्य		
कारपोरेट गवर्नेंस इत्यादि	निर्धारित किये अनुसार	31 मार्च 2019 का तुलन पत्र
कारोबार विनियमन आचरण (उचित आचार संहिता)	निर्धारित किये अनुसार	31 मार्च 2019 का तुलन पत्र
जमाराशि स्वीकार करने संबंधी निदेश		
जमा संबंधी निदेश	एनबीएफसी-डी के लिए किये गए निर्धारण के अनुसार	• जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग- 31 मार्च 2019 • निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली कोई सरकारी एनबीएफसी-डी अपने एनओएफ के केवल 1.5 गुणा जमाराशि स्वीकार कर सकती है। तय सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली सरकारी एनबीएफसी नयी जमाराशियां स्वीकार नहीं करेंगी अथवा उपलब्ध तय सीमा के भीतर आने तक वर्तमान में जमाराशियों को नवीनीकृत नहीं करेंगी। वर्तमान में उपलब्ध जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक रख सकते हैं। • अन्य सभी निदेश 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के लागू होंगे।
सांविधिक प्रावधान		

मानदंड	अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान	सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा
धारा 45 आईबी	आस्तियों के प्रतिशत को बनाये रखना- बकाया जमाराशियों का 15%	31 मार्च 2019- बकाया जमाराशियों का 5% 31 मार्च 2020- बकाया जमाराशियों का 10% 31 मार्च 2021- बकाया जमाराशियों का 12% 31 मार्च 2022- बकाया जमाराशियों का 15%
धारा 45 आईसी	आरक्षित निधि	31 मार्च 2019

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बैलेंस शीट की अनुसूची

(लाख रुपए में)

	ब्योरे			
	देयताएं पक्ष		**बकाया राशि**	**बकाया राशि**
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल हैः** (ए) डिबेंचर: जमानती गैर-जमानती (लोक जमा* की परिभाषा से बाहर) (बी) आस्थगित ऋण (सी) मीयादी ऋण (डी) अंतर-कंपनी ऋण और उधार (ई) वाणिज्यिक पत्र (एफ) लोक जमा * (जी) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं) * कृपया नीचे का नोट 1 देखें			
(2)	**उपर्युक्त (1)एफ (उपचयित ब्याज जिसकी चुकौती नहीं हुई हो, सहित बकाया लोक जमा) का अलग-अलग विवरण**			
	(ए)	असुरक्षित डिबेंचर के रूप में		
	(बी)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर अर्थात ऐसे डिबेंचर जिसमें प्रतिभूति के मूल्य में कमी आई हो, के रूप में		
	(सी)	अन्य लोक जमा		
		* कृपया नीचे का नोट 1 देखें		
	परिसंपत्तियां पक्ष		बकाया राशि	
(3)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]-** (ए) जमानती (बी) गैर-जमानती			

(4)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां (ए) वित्तीय पट्टे (बी) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (ए) किराए पर परिसंपत्तियां (बी) पुनःधारित परिसंपत्तियां (iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (ए) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियां पुनः धारित की गईं (बी) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(5)	**निवेशों का विस्तारपूर्वक ब्योरा** **<u>चालू निवेश</u>** 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी	

	(बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर (ए) इक्विटी (बी) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों के यूनिट (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)			
(6)	**उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण** **कृपया नीचे का नोट 2 देखें**			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		जमानती	गैर-जमानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(ए) सहायक कंपनियां			
	(बी) उसी समूह की कंपनियां			
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष			
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			
(7.)	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें			
	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-अलग या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य		बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **			
	(ए) सहायक कंपनियां			
	(बी) उसी समूह की कंपनियां			
	(सी) अन्य संबंधित पक्ष			

	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखांकन मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

8. अन्य जानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(ए) संबंधित पक्ष	
(बी) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii) ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

टिप्पणियाँ :

1.	इस दिशानिर्देश के अध्याय 2 के पैराग्राफ 3 के बिन्दु xix में यथापरिभाषित।
2.	इस दिशानिर्देश में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।
3.	निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की पूर्ति हेतु अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन-सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखांकन मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। तथापि, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (5) में इन्हें दीर्घावधि या चालू रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

अनुबंध III

<u>गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का डाटा</u>

ऋण देने वाली एनबीएफसी का नाम					
पीएएन					
रिपोर्टिंग की तारीख					
शेयर धारण सूचना					
कंपनी का नाम	आईएसआईएन	ऋण के बदले रखे गए शेयरों की संख्या	उधारकर्ता का प्रकार प्रवर्तक/गैर प्रवर्तक)	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का पीएएन

अनुबंध IV

निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश

परिभाषाएं

I. प्रवर्तक

प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपने रिश्तेदारों कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित) सहित, वोटिंग इक्विटी शेयरों में अपने स्वामित्व के आधार पर एनओएफएचसी का प्रभावी नियंत्रण रखता है और इसमें, जहां भी लागू हो, वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं।

II. प्रवर्तक समूह

'प्रवर्तक समूह' में शामिल हैं:

i) प्रवर्तक

ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित प्रवर्तक के रिश्तेदार; और

iii) यदि प्रवर्तक कोई कारपोरेट निकाय हो तो;

ए) ऐसे कारपोरेट निकाय की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी;

बी) कोई भी कारपोरेट निकाय जिसमें प्रवर्तक इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है या जो प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक धारण करता हो;

सी) ऐसा कोई कारपोरेट निकाय जिसमें व्यक्तियों का समूह या कंपनियां या उन दोनों का मिश्रण उस कारपोरेट निकाय में 20 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी धारण करता हो तथा प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का भी 20 प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है;

डी) प्रवर्तक के साथ संयुक्त उद्यम एएस 23 के अनुसार यथापरिभाषित);

ई) प्रवर्तक का सहयोगी एएस 27 के अनुसार यथापरिभाषित);

एफ) प्रवर्तक से संबंधित पक्ष एएस 18 के अनुसार यथापरिभाषित); और

iv) यदि प्रवर्तक कोई व्यक्ति हो तो:

ए) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या अधिक प्रवर्तक द्वारा या प्रवर्तक के किसी रिश्तेदार द्वारा या किसी फर्म द्वारा या हिन्दू अविभक्त परिवार द्वारा जिसमें प्रवर्तक या उसके निकट रिश्तेदारों में से एक या एक से अधिक सदस्य हों, धारण किया जाता है।

बी) कोई कारपोरेट निकाय जिसमें उपर्युक्त क) में निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय इक्विटी शेयर पूंजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है।

सी) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार या फर्म जिसमें प्रवर्तक और उसके निकट संबंधियों की समग्र शेयरधारिता कुल शेयरधारिता के दस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है; और

(v) सभी व्यक्ति जिनकी शेयरधारिता प्रोस्पेक्टस में 'प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट करने के उद्देश्य से समेकित की जाती है।

(vi) जहां प्रवर्तक एक कारपोरेटर निकाय है वहां ए, बी, सी, डी, ई, एफ में और जहां प्रवर्तक कोई व्यक्ति है वहां ए, बी और सी में उल्लिखित हस्तयों के साथ समान ब्रांड नाम वाली संस्थाएं;

बशर्ते किसी वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक या म्युचुअल फंड को केवल इस तथ्य के कारण प्रवर्तक समूह नहीं माना जाएगा कि इस प्रकार की संस्था द्वारा प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक धारण किया गया है।

अनुबंध V

एनबीएफसी द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर मानदंड

1. यह विवेकपूर्ण मानदंड सीडीआर पद्धति के तहत आनेवाली सभी सभी पुनर्रचनाओं पर लागू होगी। सीडीआर पद्धति और एसएमई कर्ज पुनर्रचना के लिए संस्थागत/संगठनात्मक संरचना पद्धति, बैंकों पर लागू 1 जुलाई 2013 का डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.1/21.04.048/2013-14 के अनुबंध 4 के अनुसार लागू होंगी। यह अनुबंध -3 में दिया गया है।

2. प्रमुख अवधारणाएं

इन मानदंडों में प्रयोग की गई प्रमुख अवधारणाएं अनुबंध 2- में वर्णित है।

3. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

3.1 एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित सभी परियोनाओं के लिए, परियोजना की वित्तीय पूर्णता के समय परियोजना की 'समाप्ति की तारीख' तथा 'वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख डीसीसीओ)' को स्पष्ट रूप से अलग उल्लेख होना चाहिए तथा इसे औपचारिक रूप से विलेखित किया जाना चाहिए। इसे ऋण मंजूर करते समय एनबीएफसी द्वारा मूल्यांकन नोट पर भी विलेखित किया जाना चाहिए।

3.2 परियोजना ऋण

विधिक और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो जाता है । इन सभी कारकों, जो प्रोमोटरों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, के चलते परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है जिससे एनबीएससी को ऋण को पुनर्रचित एवं पुनर्व्यवस्थित करना पड़ सकता है। तदनुसार परियोजना ऋण के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले आस्ति वर्गीकरण संबंधी निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है

ए . इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण
बी . गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

इन निदेशों के संबंध में 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है । इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा मौजूदा, एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार है।

3.3. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

(i) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii)

से (v) के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता ।

(ii) किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए दिए गए ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ डीसीसीओ) करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो। तथापि यदि इसे पुनर्रचित किया गया हो और वह नम्नलिखित पैरा iii) से v) के अनुसार 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र हो तो उसे एनपीए नहीं माना जाएगा।

(iii) यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्रचित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के भीतर निर्धारित की जाती है और यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो 2 वर्ष तक पैरा 3.3.ii. में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की समय वृद्धि)

(बी) प्रोमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक पैरा 3.3. ii) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि)

(iv) यह बात दोहराई जाती है कि उपर्युक्त पैरा 3.3. ii) के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब खातों की पुनर्रचना से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया गया हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ है कि पुनर्रचना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को, ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं
यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों	• 0.25 प्रतिशत

के भीतर हो तो	
यदि डीसीसीओ का दो वर्षों से अधिक तथा चार वर्षों तक अथवा तीन वर्षों तक जैसा भी मामला हो, मूल डीसीसीओ से विस्तार होता है, तो ऐसे विलम्ब के लिए कारणों के अनुसार	24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित परियोजना ऋण: • 5.00 प्रतिशत - ऐसे पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों से, जो भी बाद में हो। 23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋण स्टॉक: * 2.75 प्रतिशत -31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से प्रभावी 2014 -15 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी 2015 - 16 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी 2016 -17 की चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक अथवा पुनर्रचना की तारीख के 2 वर्षों तक, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।

(v) यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ के दो वर्षों की अवधि के अंदर होता है तो मात्र इस कारण से इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ के विस्तार समान अथवा अल्प कालावधि संशोधित पुनर्भुगतान समय के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) का अनुवर्ती शिफ्ट हो, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों। चूँकि ऐसे परियोजना ऋणों को ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उन पर मानक आस्ति के लिए लागू 0.25 प्रतिशत का प्रावधान करना जरूरी होगा।

(v) (ए) डीसीसीओ में विभिन्न संशोधनों तथा एकसमान और अल्प अवधि के लिए भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो।

यदि उचित हो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त iii)(ए)से(बी) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

(v) (बी) ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने की स्थिति में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन ऐसी निधि लागत बढाई जा सकती है।

ऐसे मामले में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय लागत के लिए व्यवस्था नहीं है, वहां एनबीएफसी को निधि लागत बढाने की अनुमति है जिसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'पुनर्रचना ऋण' के रूप में ऋण माने बिना उक्त iii)(ए)से(बी) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के तहत बढाया गया हो:

i) परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति में एनबीएफसी अतिरिक्त निर्माण के दौरान ब्याज के लिए अतिरिक्त ऋण दे सकती है।
ii) अन्य बढ़ी हुई निधि लागत निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है। अन्य सभी बढ़ी हुई निधि लागतों के मामले में यह सीमा लागू होगी निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) जिसमें अन्य करेंसी की तुलना में भारतीय रूपए के मूल्य में हुए उतार-चढ़ाव के कारण लागत निधि में वृद्धि शामिल है, जो स्थिति वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के की तारीख बढ़ाने के कारण उत्पन्न हुई हो।
iii) प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था के समय सहमत ऋण इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित ऋण सर्विस कवरेज़ अनुपात ऋणदाता को स्वीकार्य होनी चाहिए।
iv) निधि लागत वृद्धि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा निधि लागत वृद्धि के लिए उनके शेयर लागत बढ़ाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;
v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

(v) (सी) ए) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3(3.3)(v) में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3 (3.3)(iv) में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार ऊपर पैरा 3(3.3)(v)(c)(a) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3(3.3)(iii) और 3(3.3)(iv) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3(3.3)(iv) में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3(3.3)(iii) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है।

(सी) उपर्युक्त उप पैराग्राफ ए) और बी) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i) एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों / प्रबंधन की अपर्याप्तता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है/ठप हुआ है और स्वामित्व के परिवर्तन से विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना द्वारा वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है;

ii) विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले एक नए प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले नए प्रमोटर समूह का हिस्सा है;

iii) नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

iv) एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

v) अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा। एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना होगा कि अधिग्रहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

(vi) कार्यान्वयन के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामलों में, जहां वांछित शर्तों को रियायत अधिकारों द्वारा पूरा न कर सकने के कारण नियत तारीख रियायत करार में यथा परिभाषित) को शिफ्ट किया गया, वहां ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक परिचालन को प्रारंभ करने की तारीख डीसीसीओ) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन "पुनर्रचना" के रूप में नहीं माना जाएगा :

(ए) परियोजना सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सरकारी निजी सहभागिता के अधीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना हो;
(बी) ऋण का संवितरण किया जाना शेष हो;
(सी) उधारकर्ता तथा उधारदाता के बीच वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की संशोधित तारीख को अनुपूरक करार द्वारा प्रलेखित किया गया हो, तथा;
(डी) परियोजना व्यवहार्यता का पुन: मूल्यांकन किया गया हो तथा अनुपूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त की गई हो।

3.4. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को छोड़कर)

(i) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली के रिकार्ड के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(ii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो जब तक कि उसे निम्नलिखित पैरा (iii) से (iv) के अनुसार पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

(iii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोयजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक होता है तो एनबीएफसी वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और खातों की पुनर्रचना करके 'मानक' वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्षों की अवधि से अधिक न हो। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्रचित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता अभी भी 'मानक' हो तब प्राप्त हुआ है। नीचे दी गयी अन्य शर्तें भी लागू होंगी

लागू होने वाली अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:

(ए) जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें एनबीएफसी को ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

(बी) एनबीएफसी को ऐसे खातों के लिए उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान के अतिरिक्त जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है,निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण आवश्यकताएं
यदि संशोधित डीसीसीओ वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से एक वर्षों के भीतर हो तो	• 0.25 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ को एक वर्ष से अधिक तथा वित्तीय पूर्णता के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से दो वर्षों तक बढ़ाया जाना है	24 जनवरी 2014 से प्रभावी परियोजना ऋण पुनर्रचना: • 5.00 प्रतिशत - पुनर्रचना की तारीख से दो वर्षों के लिए 23 जनवरी 2014 को परियोजना ऋण के स्टॉक को पुनर्रचना के रूप में वर्गीकरण: * 2.75 प्रतिशत -31 मार्च 2014 से प्रभावी * 3.50 प्रतिशत -31 मार्च 2015 से प्रभावी 2014 -15 के चार तिमाहियों में बांटा गया)

	* 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से प्रभावी 2015 -16 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी 2016 -17 के चार तिमाहियों में बांटा गया) * उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से 2 वर्षों के लिए लागू होगा। .

(iii) यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के अंदर होता है तो इन निदेशों के प्रयोजन के लिए डीसीसीओ के विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां डीसीसीओ विस्तार अवधि की तुलना में समान अथवा कम अवधि का हो, संशोधित पुनर्भुगतान के प्रारंभ तारीख तथा समाप्ति तारीख को शामिल करते हुए) पुनर्भुगतान अवधि में अनुवर्ती शिफ्ट, उसे भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ऋण के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हो। चूंकि, ऐसे परियोजना ऋण को सभी संदर्भों के लिए मानक आस्ति माना जाएगा, उनके लिए मानक आस्ति के 0.25 प्रतिशत का प्रावधान आवश्यक होगा।

(iv) (ए) डीसीसीओ में एकाधिक संशोधनों तथा एकसमान या कम अवधि के पुन: भुगतान कार्यक्रम में अनुवर्ती परिवर्तन जिसमें भुगतान कार्यक्रम की प्रारंभ तारीख और अंतिम तारीख में संशोधन शामिल हो) को पुनर्रचना का एकल घटना माना जाएगा बशर्ते कि उक्त बिन्दुओं के अनुरूप संबंधित समय सीमा के अंदर संशोधित डीसीसीओ निर्धारित किया गया हो तथा ऋण के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय हों।

यदि उचित हो तो, एनबीएफसी डीसीसीओ को उक्त iii)(ए)से(बी) तक में विनिर्दिष्ट संबंधित समय सीमा से अधिक विस्तारित कर सकती है; तथापि उस स्थिति में एनबीएफसी ऐसे ऋण के आस्ति वर्गीकरण में इसे 'मानक' के रूप में नहीं बनाये रख पायेंगी।

(iv) (बी) ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी ने प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में निधि लागत के बढ़ने के मामले में विशेष रूप से "एवजी सुविधा" मंजूर की हो, उस स्थिति में सहमत नियम और शर्तों के अधीन बढ़ी हुई निधि लागत के लिए निधि उपलब्ध की जा सकती है।

ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था में ऐसे निधि लागत में वृद्धि को कल्पित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को निधि लागत वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध कराने की अनुमति है। उक्त iii)(ए)से(बी) में उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत डीसीसीओ विस्तार के कारण आवश्यक हो गया हो। ऐसे ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के साथ पुनर्रचित आस्ति नहीं माना जाएगा:

i) एनबीएफसी अतिरिक्त 'निर्माण के दौरान ब्याज'के लिए निधि उपलब्ध कर सकती है जो परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण आवश्यक हो;
ii) अन्य लागत को मूल परियोजना लागत का अधिकतम 10% तक बढाया जा सकता है निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर)। वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से उत्पन्न यह उच्चतम सीमा वित्त की अन्य सभी लागत बढाने पर लागू होगी) निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर)अन्य देशों की तुलना में भारतीय रूपये में उत्तर चढाव द्वारा लागत में बढोत्तरी सहित।

iii) प्रारंभीक वित्तीय व्यवस्था के समय मंजूर कर्ज इक्विटी अनुपात निधि लागत बढोत्तरी के अनुवर्ती अपरिवर्तीत रहेगी अथवा ऋणदाता के पक्ष में सुधारात्मक होगी तथा संशोधित कर्ज सेवा कवरेज़ अनुपात ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए।

iv) बढाई गई निधि का संवितरण केवल प्रायोजक/प्रवर्तक द्वारा उनके शेयर लागत बढाये जाने के बाद ही किया जाएगा तथा;

v) ऋण के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगे अथवा ऋण दाता के पक्ष में सुधारात्मक होंगे।

(iv)(सी) ए) मुख्य रूप मौजूदा प्रमोटरों की अपर्याप्तता के कारण ठप परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3(3.4)(iv) में उद्धृत अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहले स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो एनबीएफसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण में किसी भी बदलाव के बिना निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अधीन उपरोक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3 (3.4)(iv) में, जैसा भी मामला हो, उद्धृत अवधि के अलावा दो साल तक इन परियोजनाओं के डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति दे सकता है । यदि आवश्यक हुआ तो एनबीएफसी तदनुसार चुकौती अनुसूची को भी एक बराबर या कम अवधि से विस्थापित कर/ बढ़ा सकता है।

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार ऊपर पैरा 3(3.4)(iv)(c) (a) में दिए रूप में) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और परियोजना विस्तारित डीसीसीओ मे वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो परियोजना उक्त पैराग्राफ 3(3.4)(iii) और 3(3.4)(iv) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में डीसीसीओ के विस्तार के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार उपरोक्त पैरा 3(3.4)(iv) में उद्धृत अवधि के दौरान होता है, तो खाता को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना डीसीसीओ के विस्तार से ऊपर पैरा 3(3.4)(iii) में उद्धृत दिशा निर्देशों के संदर्भ में पुनर्रचना किया जा सकता है।

(सी) उपर्युक्त उप पैराग्राफ ए) और बी) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i. एनबीएफसी को यह स्थापित करना होगा कि मौजूदा प्रमोटरों / प्रबंधन की अपर्याप्तता के कारण परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है/ठप हुआ है और स्वामित्व के परिवर्तन से विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना द्वारा वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की एक बहुत अधिक संभावना है;

ii. विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह द्वारा अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन माध्यम घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है तो एनबीएफसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता संस्था, संचालन के क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक नए प्रमोटर समूह, का हिस्सा है;

iii. नए प्रमोटरों की अधिग्रहण परियोजना में हिस्सेदारी चुकता इक्विटी पूंजी की कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि नया प्रमोटर एक अनिवासी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा 51 प्रतिशत से कम है तो नए प्रमोटर को लागू विदेशी निवेश की सीमा तक या कम से कम 26 प्रतिशत चुकता इक्विटी पूंजी, जो भी अधिक हो, को धारण करना चाहिए बशर्ते कि एनबीएफसी संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ, नए अनिवासी प्रमोटर परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण रखते है;

iv. एनबीएफसी की संतुष्टि पर परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित किया जाना चाहिए;

v. अंतर-समूह कारोबार पुनर्रचना / विलय / अधिग्रहण और / या अन्य संस्थाओं / सहायक कंपनियों/ एसोसिएट्स आदि विदेशी के साथ-साथ घरेलू) द्वारा परियोजना का अधिग्रहण जो कि मौजूदा प्रवर्तक / प्रवर्तक समूह से संबंधित है इस सुविधा का पात्र नहीं होगा । एनबीएफसी को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि अधिग्राहणकर्ता मौजूदा प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है;

vi. "संदर्भ तिथि" को खाते की आस्ति वर्गीकरण विस्तारित अवधि के दौरान जारी रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, 'संदर्भ तिथि' लेन-देन के लिए पार्टियों के बीच प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख होगी, बशर्ते कि इस तरह के अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व का अधिग्रहण के प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया हो। मध्यवर्ती समय के दौरान, सामान्य परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करना जारी रहेगा। यदि स्वामित्व में परिवर्तन प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते से 90 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो 'संदर्भ तिथि' ऐसे अधिग्रहण के कानून / नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की प्रभावी तिथि होगी;

vii. नए मालिकों / प्रमोटरों से अपेक्षित है कि विस्तारित समय अवधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पैसा लाकर उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। इसी तरह इस परियोजना के लिए बढ़ी लागत के वित्तपोषण का व्यवहार इन निदेशों में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। 16 जनवरी 2015 का परिपत्र में निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ी लागत का वित्तपोषण पुनर्रचना की एक घटना माना जाएगा यद्यपि वह डीसीसीओ का विस्तार के ऊपर निर्धारित सीमा के भीतर हो।

viii. उपरोक्त लाभ के लिए डीसीसीओ के विस्तार पर विचार करते समय 2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए) एनबीएफसी सुनिश्चित करेगा कि चुकौती अनुसूची परियोजना के आर्थिक जीवन / रियायत अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक विस्तारित नहीं हो; और

ix. यह सुविधा परियोजना के लिए केवल एक बार ही उपलब्ध होगी और बाद में स्वामित्व में बदलाव, यदि कोई हो, की स्थिति के दौरान उपलब्ध नहीं होगी।

(डी) इस दिशानिर्देश के तहत शामिल ऋण, मौजूदा प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार प्रावधानीकरण को आकर्षित करेगा जो उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति पर निर्भर होगी।

3.5. अन्य मुद्दे

(i) परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियाजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि:

(ए) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।

(बी) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में निधि लागत में वृद्धि को छोड़कर, लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।

(सी) एनबीएफसी परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित करने तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करती है।

(डी) पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए परियोजना ऋण

सीआरई परियोजनाओं के लिए डीसीसीओ विस्तार को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, यदि संशोधित डीसीसीओ, मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की समय अवधि के भीतर है तथा पुनर्भुगतान समय में डीसीसीओ में किये गए विस्तार की तुलना में समान अथवा कम अवधि के संभाव्य शिफ्ट और ऋण सर्विसिंग को छोड़कर, अन्य नियम और शर्तों में परिवर्तन न हो। ऐसे सीआरई परियोजना ऋणों को, मानक आस्ति पुनर्रचना हेतु लागू उच्च प्रावधानीकरण को आकृष्ट किए बिना, इस उद्देशय के लिए सभी मामलों में मानक आस्ति माना जाएगा। तथापि यदि वे पुनर्रचित हैं तो सीआरई परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) पुनर्रचना के उक्त सभी मामलों में जहां विनियामक समयावधि को विस्तार दिया गया है वहां एनबीएफसी के बोर्ड को परियोजना की व्यवहार्यता तथा पुनर्रचना योजना के प्रति स्वंय संतुष्ट करना होगा।

3.6. आय निर्धारण

(i) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही, 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर करें।

(ii) एनबीएफसी को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत, परियोजनाओं के संबंध में आय की गणना उपचय आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में आय की गणना करें।

अतः जिन एनबीएफसी ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और 'इक्विटी, डिबेंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन' के बारे में एनबीएफसी को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें ।

(ए) निधिक ब्याजः अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे वे ऋण करार की शर्तों के अनुसार पुनर्रचना/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या न हो, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर, किया जाना चाहिए, न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि उपलब्ध कराने पर। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही

साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

(बी) इक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन : अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यतः मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार इक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में ह्रास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली इक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को इक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की इक्विटी को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में मूल और /या ब्याज को डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू था तथा मानदंडों के अनुसार उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जिससे जारीकर्ता की देयता आस्थगित होती हो। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर, ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे।

4. पुनर्रचित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू होंगे।

4.1 अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

4.1.1 एनबीएफसी 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

4.1.2 एनबीएफसी पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह मामला पर्यवेक्षीय विषय का होगा।

4.1.3 सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में एनबीएफसी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकती है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

4.1.4 एनबीएफसी तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगी जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो। उधारकर्ता के नकद प्रवाह तथा एनबीएफसी द्वारा वित्तेपोषित परियोजना/ गतिविधि की व्यवहारिकता का आंकलन किए बिना की गई किसी पुनर्रचना को हमेशा कमजोर रहने वाला ऋण माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षी चिंता/कार्रवाई को आकर्षित करेगा। एनबीएफसी को ऐसे खातों से वसूली के लिए उपायों में गति लानी चाहिए। एनबीएफसी द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। चूंकि भिन्न आर्थिक क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन के भिन्न सूचक होते हैं, यह उचित होगा कि एनबीएफसी द्वारा इन व्यापक बेंचमार्कों को समुचित संशोधन के साथ अपनाया जाए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एनबीएफसी द्वारा स्वीकार्य व्यवहारिकता मापदंड तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक मापदंड पर आधारित व्यवहारिकता को निर्धारित किया जाए। सीडीआर पद्धति द्वारा व्यवहारिकता मापदंड के लिए अपनाए जाने वाले बेंचमार्क अनुबंध -1 में दिए गए हैं। गैर-सीडीआर मामलों में विशिष्ट सेक्टर के खातों का पुनर्रचना करने हेतु एनबीएफसी उचित समायोजन के साथ, यदि कोई हो तो, समुचित रूप से इसे अपनाए।

4.1.5 जिन उधारकर्ताओं ने कपट या कदाचार किया है वे पुनर्रचना के पात्र नहीं होंगे.

4.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रुप, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में संबंधित एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

4.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी:

(ए) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

4.2.1 पुनर्रचना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

4.2.2 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्रचना के पहले था तथा पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा।

4.2.3 एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाता यदि एनबीएफसी द्वारा पुनर्रचना के समय उस श्रेणी में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल तब अपग्रेड किया जाए जब "विशिष्ट अवधि" (अनुबंध- 2) के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधा का कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो जैसे उस अवधि के दौरान नियम और शर्तों के अनुरूप खाते में मूलधन तथा ब्याज की सभी सुविधाओं की सर्विस की जा रही हो।

4.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

4.2.5 विशिष्ट अवधि अनुबंध -2) के दौरान किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है।

4.2.6 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अवधि अनुबंध -2) के बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है ।

4.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 4.2.5, 5.2 और 6.2 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

4.4 प्रावधानीकरण मानदंड

4.4.1 पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान

(i) एनबीएफसी विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

(ii) मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के लिए पुनर्रचना की तारीख से प्रथम दो वर्षों के लिए उच्च प्रावधान समय समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान के अधिस्थगन के मामले में, ऐसे अग्रिमों की अधिस्थगन अवधि तथा उसके बाद दो वर्षों की अवधि तक कवर करने के लिए निर्धारित उच्च प्रावधान करना आवश्यक होगा।

(iii) अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है तब अपग्रेडेशन की तारीख से एक वर्ष के लिए उच्च प्रावधान समय-समय पर निर्धारित) करना आवश्यक होगा।

(i) 24 जनवरी 2014 से पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर उक्त उच्च प्रावधान नए पुनर्रचित मानक खातों फ्लो) के संबंध में 5 प्रतिशत होगा तथा 23 जनवरी 2014 को पुनर्रचित मानक खातों के स्टॉक के मामले में निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध ढंग से वृद्धि होगी।

* 2.75 प्रतिशत- 31 मार्च 2014 से प्रभावी
* 3.50 प्रतिशत- 31 मार्च 2015 से प्रभावी 2014-15 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
* 4.25 प्रतिशत-- 31 मार्च 2016 से प्रभावी 2015-16 की चार तिमाहियों में बांटा गया)
* 5 प्रतिशत - 31 मार्च 2017 से प्रभावी 2016-17 के चार तिमाहियों में बांटा गया)

4.4.2 पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्रचना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी एनबीएफसी के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका एनबीएफसी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि एनबीएफसी अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी का मूल्यांकन करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 4.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्रचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए । पुनर्रचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्रचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को एनबीएफसी का स्पष्ट ऋण दर जैसे उधारकर्ता पर लागू ऋण करार के अनुसार प्रभारित ब्याज दर जिसके अनुसार अविलम्ब प्रदान किया गया था, जैसा कि संबंधित उधारकर्ता पर लागू है, योग के रूप में की जाएगी। पुनर्रचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्रचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता पर लागू होता एनबीएफसी के स्पष्ट ऋण दर के समतुल्य दर पर बट्टाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्रचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।

उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा उसका भविष्य में नियमित रूप से एनबीएफसी को अनुपालन करना होगा। साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता एनबीएफसी की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्रचना किए जाने पर ऋण की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है जो वित्तीय

रियायतों के स्वरूप की हैं । ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ह्रास के कारण हुई क्षति को प्रतिबिम्बित करते हैं । इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का एवजी नहीं हैं।

ii. पुनर्रचना पर मूल्यांकन राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन हेतु, 'वर्तमान निवेश' के तहत धारण करने की आवशयकता है तथा इसका मूल्यांकन, सामान्य मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा। अत: उचित मूल्य में क्षरण के उद्देश्य तक पहुंचने के प्रयोजन से ऋण/इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और एनपीवी के भाग के लिए मूलधन की गणना अलग से की जाएगी। तथापि एनबीएफसी में शामिल कुल हानि, ऋण/इक्विटी के परिवर्तन पर मूल्यांकन हानि सहित एनपीवी के उक्त भाग के लिए होगा।

अत: एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना सटीक रूप में करें क्योंकि यह न केवल उनके द्वारा बनाया गया आवश्यक प्रावधानीकरण को नहीं प्रभावित करता है बल्कि प्रोमोटर्स से विशिष्ट आवश्यक राशि को भी प्रभावित करता है संदर्भ पैरा 7.2.2.iv) । इसके अतिरिक्त एनबीएफसी की तरफ से किसी वित्तीय इंजीनियरी को कृत्रिम रूप से निवल वर्तमान मूल्य के नकद प्रवाह को कम नहीं किया जाना चाहिए। एनबीएफसी को यह भी सूचित किया जाता है कि पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्याप्त जांच और तुलन स्थापित किया जाए।

iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए । इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि उधारकर्ताओं पर प्रभारित स्पष्ट ब्याज दर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, एनबीएफसी प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

v) यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना एनबीएफसी के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में एनबीएफसी उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां एनबीएफसी का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं ।

4.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि का 100% है।

5. मूल ऋण राशि को ऋण/इक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

5.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्रचना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या इक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है । इस प्रकार निर्मित ऋण/इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम है । इसके अतिरिक्त इन लिखतों में आस्ति वर्गीकरण का परिचालन अनुवर्ती पुनर्रचित अग्रिमों के निर्धारण के आधार पर भी होगा।

5.2 आय निर्धारण मानदंड

5.2.1 मानक खाते

'मानक' रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

5.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

5.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से परिकलित उसके विश्लेषित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां इक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यह्रास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

6. अदत्त ब्याज का 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआईटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

6.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआईटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2 आय-निर्धारण मानदंड

6.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय, यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

6.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआईटीएल/ऋण अथवा इक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता लेखा ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले लेख में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

6.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई इक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक इक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

6.2.4 एफआईटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ इक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि लेखे में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं लेखे ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

6.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 12.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यह्रास को, यदि कोई हो, फुटकर देयता ब्याज का पूंजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

7. विविध

निम्नलिखित सामान्य शर्तें पुनर्रचना के सभी मामलों पर लागू होंगे-

7.1 एनबीएफसी को परिवर्तनीयता इक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्रचना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार एनबीएफसी को सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुनर्रचित खाते के कुछ हिस्से को इक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

7.2 कर्ज का अधिमानी शेयर में परिवर्तन केवल अंतिम विकल्प में किया जाना चाहिए तथा ऐसे कर्ज का इक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन, किसी भी मामले में, को अधिकतम सीमा तक सीमित किया जाए जैसा कि पुनर्रचित कर्ज का 10 प्रतिशत)। इसके अतिरिक्त, कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनी के मामले में किया किया जाना चाहिए।

7.3 एनबीएफसी, चुकौती और समय-पूर्व भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों के लेनदार के अधिकारों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। इसके अतिरिक्त सभी पुनर्रचना पैकेज में आवश्यक रूप से "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल की जानी चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाए।

7.4 जैसा कि निर्धारित व्यक्तिगत गारंटी प्रोमोटर्स के "स्कीन इन द गेम" अथवा पुनर्रचना पैकेज के प्रति वचनबद्धता को सुनिश्चित करेगा अत: सभी पुनर्रचना के मामलों में प्रोमोटर्स की व्यक्तिगत गारंटी की जाए तथा कारपोरेट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के प्रतिपूरक के रूप में नहीं माना जाए। तथापि कारपोरेट गारंटी को उन मामलों के लिए स्वीकार किया जाए जहां कंपनी का प्रोमोटर्स व्यक्ति न हो किंतु अन्य कारपोरेट निकाय हो अथवा जहां व्यक्तिगत प्रोमोटर्स को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं किया जा सके।

7.5 सभी पुनर्गठन पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक होगा। सीडीआर / जेएलएफ़ / कंसोर्टियम / एमबीए व्यवस्था के तहत सभी पुनर्गठन पैकेज मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए।

अन्य पुनर्गठन पैकेज एनबीएफसी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर लागू किये जाने चाहिए।

7.6 प्रमोटरों को पुनर्गठन के सभी मामलों में अतिरिक्त धन लाना होगा। अतिरिक्त प्रमोटरों द्वारा लाई गई निधियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के योगदान का न्यूनतम 20 फीसदी या पुनर्गठित ऋण का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो , होनी चाहिए। ऋण लेने वालों को पुनर्गठन लाभ देते समय प्रवर्तकों के योगदान सदा ही अग्रिम में लाया जाना चाहिए। प्रमोटर का योगदान नकद में ही लाया जाना जरूरी नहीं है और प्रवर्तकों से अप्रतिभूत ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के रूप में लाया जा सकता है;

7.7 एनबीएफसी को नकदी प्रवाह और टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता TEV) के एक अध्ययन पर आधारित एक उचित समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए जिसमें अकाउंट व्यवहार्य हो जाने की संभावना है;

7.8 एनबीएफसी को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि पुनर्गठन पश्चात चुकाने की अवधि अपने स्वयं के बोर्ड से मंजूर नीति के अनुसार उचित और अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुरूप और खाते में आवश्यक डीएससीआर के अनुसार होना चाहिए।

7.9 प्रत्येक एनबीएफसी को टीईवी का आकलन करने में स्पष्ट रूप से उचित सावधानी और पुनर्गठन भुगतान शर्तों में अंतर्निहित मान्यताओं की व्यवहार्यता का दस्तावेजी अभिलेख बनाना चाहिए।

8. प्रकटीकरण

मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एनबीएफसी को " खातों पर टिप्पणियां' के तहत अपने वार्षिक तुलन पत्र को प्रकाशित करना होगा, पुनर्रचित ऋण खातों की संख्या तथा राशि से संबंधित सूचना और पुनर्रचित आग्रिम के उचित मूल्य में राशि की कमी को अनुबंध 4 में दिए गए फार्मेट में देना होगा। सीडीआर पद्धति, एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति तथा अन्य श्रेणियों के तहत पुनर्रचित अग्रिम के लिए अलग अलग सूचना की आवश्यकता होगी। एनबीएफसी को सभी उधारकर्ताओं के खातों/सुविधाओं की कुल बकाया राशि को आवश्यक रूप से प्रकट करना होगा जिसका खाता पुनर्रचित भाग अथवा सुविधा के साथ पुनर्रचित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी उधारकर्ता के एक खाता/सुविधा को यदि पुनर्रचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को उस उधारकर्ता के सभी सुविधा/खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि को भी प्रकट करना होगा। प्रकटीकरण फार्मेट अनुबंध-4 में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

i. संचयी आधार पर पुनर्रचित खातों का ब्योरा, मानक खातों को छोड़कर, जिससे उच्च प्रावधान तथा जोखिम भार यदि लागू हो तो) प्रभावित होते है;

ii. विभिन्न श्रेणियों के तहत पुनर्रचित खातों पर किया गया प्रावधान, तथा

iii. पुनर्रचित खातों के परिचालन का ब्योरा

इसका अर्थ यह है कि एक बार पुनर्रचित अग्रिम मानक के रूप में वर्गीकृत अथवा अनर्जक आस्ति श्रेणी से नये सिरे से अपग्रेडेशन) उच्च प्रावधान से निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजक कार्यनिष्पादन के सामान्य स्तर पर परिवर्तित होने पर, ऐसे अग्रिमों को एनबीएफसी द्वारा उनके वार्षिक तुलन पत्र में "खातों पर टिप्पणियां" में पुनर्रचना के तहत और प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।तथापि, ऐसे पुनर्रचित खातों पर पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान को एनबीएफसी द्वारा मौजूदा निदेशों के अनुसार बनाए रखना चाहिए।

9. सीडीआर पद्धति गैर औद्योगिक गतिविधि करने वाले कार्पोरेट्स के लिए भी उपलब्ध होगा, यदि वे इस उद्देश्य के लिए पुनर्रचना हेतु निर्धारित मापदंड के तहत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को सहायता संघ एकाधित ऋण खातों के मामले में, जो सीडीआर पद्धति के तहत शामिल नहीं हैं, स्वयं/ क्रेडिटर्स के साथ समन्वय कर मजबूत बनने की प्रेरणा दी जाती है।

यह दोहराया जाता है कि पुनर्रचना का मूल उद्देश्य समस्याप्रद खातों को हमेशा ठीक बनाये रखना नहीं है बल्कि इकाइकों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए है। एनबीएफसी और उधारकर्ताओं द्वारा यह तब हासिल किया जा सकता है जब व्यावहार्यता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है, खातों की त्वरित पहचान की जाती है और पुनर्रचना पैकेजों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता हो।

व्यवहार्यता मानदंड के लिए व्यापक बेंचमार्क

i. नियोजित पूंजी पर रिटर्न कम से कम 5 वर्षों के सरकारी प्रतिभूति ईल्ड और 2 ईल्ड और 2 प्रतिशत प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

ii. कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात औसत 5 वर्ष की अवधि में से 1.25 से अधिक होनी चाहिए जिसमें ईकाइ व्यवहार्य बनी तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुपात 1 से ऊपर होना चाहिए। 10 वर्ष के भुगतान अवधि के लिए सामान्य कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।

iii. आंतरिक प्रतिलाभ दर तथा पूंजी की लागत के बीच का बेंचमार्क अंतर कम से कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।

iv. परिचालन तथा नकद लाभ-अलाभ बिन्दु पर कार्य किया जाना चाहिए तथा इसे औद्योगिक मानक के तुलनीय होना चाहिए।

v. ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कंपनी का चलन तथा भावी अनुमान औद्योगिक प्रवृत्ति के साथ तुलनीय हो। पिछले व मार्क ईबीआईडीटीए गतिविधि का अध्ययन किया जाए और उसकी तुलना औद्योगिक औसत के साथ की जाए।

vi. निम्न वर्णित ऋण लाइफ अनुपात एलएलआर) 1.4 होना चाहिए, जिसमें चुकाई जाने वाली ऋण राशि में 40% का कुशन होगा।

ऋण लाइफ अवधि के दौरान ब्याज और मूलधन सहित)

कुल उपलब्ध नकद प्रवाह एसीएफ) का वर्तमान मूल्य

एलएलआर ----------

अधिकतम ऋण राशि

मुख्य बातें

(i) अग्रिम

'अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आद्दतीय प्राप्य राशियां आदि तथा इक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) पूरी तरह प्रतिभूत

जब एनबीएफसी को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में एनबीएफसी के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह प्रतिभूत समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) पुनर्रचित खाते

पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां एनबीएफसी उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर एनबीएफसी अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ब्याज की दर स्पर्धा संबंधी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। तथापि, फ्लोटिंग ऋण दर के भुगतान की अवधि को ब्याज दर पुनर्निर्धारण पर विस्तारित किया गया, ताकि ईएमआई अपरिवर्तित रहे, बशर्ते कि यह खाता की श्रेणी पर एकरूपता से लागू हो और खातों को 'पुनर्रचना खाता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में संपूर्ण श्रेणी के संबंध में व्यक्तिगत उधारकर्ता के प्रति ईएमआई विस्तार अथवा स्थगन किए जाने से है वे खाते 'पुनर्रचना खाते' की श्रेणी में वर्गीकृत हो जाएंगे।

अल्प अवधि ऋण के रोल ओवर के मामले में, जहां व्यवस्थित पूर्व मूल्यांकन मंजूरी किया गया था तथा उधारकर्ता के वास्तिवक आवश्यकता के आधार पर रोल ओवर को मंजूरी दी गई थी तथा उधारकर्ता के क्रेडिट कमजोरी के कारण कोई रियायत नहीं दी गई थी, ऐसी स्थिति में खातों को पुनर्रचना खाते के रूप में विचार नहीं किया जाए। तथापि ऐसे खाते यदि दो से अधिक बार रोल ओवर किया गया है तब तीसरे और उससे अगले रोल ओवर के लिए खाता को पुनर्रचित माना जाएगा। इसके साथ साथ, एनबीएफसी को ऐसी सुविधा मंजूर करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उधारकर्ता अन्य बैंक/सहायता

संघ के क्रेडिटर से अथवा बहु-बैंकिंग के तहत इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के उद्देश्य से अल्प अवधि ऋण को नियमित कार्यशील पूंजी ऋण जैसे परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण के रूप में शामिल कर मूल्यांकित नहीं किया जाएगा।

(iv) पुनरावृत्त पुनर्रचित खाते

जब कोई एनबीएफसी किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करती है तो उस खाते को पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) एसएमई

लघु तथा मध्यम उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) निर्दिष्ट अवधि

निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज के नियम के तहत ऋण सुविधा के लिए लम्बी अवधि अधिस्थगन पर पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) संतोषजनक कार्यनिष्पादन

निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते

कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामलें में ,कोई भुगतान उस समय अवधि के दिनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं होना चाहिए ,जिसके लिए उसे एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

* नोट :

(i) ईएमआई को बनाये रखते हुए गृह ऋण के संबंध में भुगतान अवधि को विस्तारित करते समय, एनबीएफसी को विस्तारित समयवधि सहित पूरे भुगतान की अवधि के दौरान उधारकर्ता के भुगतान /राजस्व अर्जन क्षमता के प्रति स्वंय को संतुष्ट करना होगा।

(ii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता के भुगतान अवधि को विस्तारित नहीं करेगी जहां विस्तारित अवधि के बाद भी भुगतान के संबंध में चिंताएं व्याप्त हो, यद्दिप ईएमआई अपरिवर्तन को बनाये रखते हुए उधारकर्ता अवधि में विस्तार की इच्छा रखता हो।

(iii) एनबीएफसी ऐसे उधारकर्ता को उच्च ईएमआई का विकल्प प्रदान करें जो मूल भुगतान अवधि के अनुसार गृह ऋण का भुगतान करना चाहते है।

सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक संरचना

ए. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना फ्रेमवर्क का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से संरचना का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक संरचना है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है । यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी

ए) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बी) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है ।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली का संरचना तीन स्तरीय होगाः

- कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच

2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली

में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकार प्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।

2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्रचना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करेगा।

2.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

2.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्रचना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारु रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्रचना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्रचना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उन पर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।

2.5 कंपनी ऋण पुनर्रचना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा । इस मुख्य समूह में आईडीबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंकलि ., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऋण की पुनर्रचना के लिए कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट(PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार/अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन)नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों/अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आईडीबीआई लि., आईसीआईसीआई बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है । जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारु रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं /बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में अनिवार्यतः भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्रचना की आवश्यक वचनबद्धताओं का पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्रचना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्रचना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद कि प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्रचना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्था के सहयोग से विस्तृत पुनर्रचना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्रचना कार्यक्रम तैयार करेगा।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्रचना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा

अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्रचना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बेंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

* लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल आरओसीई)
* ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात डीएससीआर)
* प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
* परित्याग सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं सहित पुनर्रचना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्रचना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्रचना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्रचना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्रचना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष सीआरडी कक्ष)

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्रचना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्रचना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्रचना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्रचना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के

अनुसार पुनर्रचना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्रचना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्रचना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आईडीबीआई लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 5 लाख रुपये की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में मूल्य के अनुसार) 'मानक'/ 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्रचना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्रचना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जान बूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्रचना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थक्षम खातों के आर्थिक मूल्य को बचाये रखने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि धोखाधड़ी/ अपराध के मामले में, जहाँ वर्तमान प्रवर्तकों को नये प्रवर्तकों द्वारा प्रस्थापित किया गया है और जहाँ उधारकर्ता कंपनी पूर्व के प्रवर्तकों/ प्रबंधन से पूरी तरह संपर्क विच्छेद हो गया है, तो एनबीएफसी और जेएलएफ पूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन के विरूद्ध जारी आपराधिक कार्रवाई से पूर्वाग्रह के बिना अपनी अर्थक्षमता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्रचना पर विचार करे। इसके अतिरिक्त ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के पश्चात पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्र होगें; बशर्ते कि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन "उधारकर्ता संस्थाओं कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना से बाहर) के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड" विषय पर 24 सितंबर 2015 को जारी परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.41/21.04.048/2015-16 में दिये गए निर्देश के अनुसार हो। ऐसी आस्तियों के पुनर्रचना के संबंध में प्रत्येक एनबीएफसी अपने लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति और अपेक्षाएं तय करेगी।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्रचना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आई. एफ. आर. से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त i) में दिये गये अनुसार हिस्सेदारी हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्रचना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि

मामला कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर -ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्रचना तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआईसी, एलआईसी, यूटीआई आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आईसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सी डी आर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्रचना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के

आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्रचना आवश्यकता पड़ने पर सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु स्टैंड स्टिल खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं फॉरवर्ड कंट्रेक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि स्टैंड स्टिल की अवधि के दौरान परिसीमन लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.4 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.4.1 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा।

5.4.2 अतिरिक्त एक्सपोज़र के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्रचना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

5.5 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.5.1 जैसा कि पैराग्राफ 5.5.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्पउपलब्ध होगा। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (ए) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (बी) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.5.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकार्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करें।

5.5.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि का अधिग्रहण किया है।

5.5.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान' की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए । ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.6 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.6.1 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्रचना के लिए सहमत है:

(i) ऋण पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा । दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।

(ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि स्टैंड स्टिल खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.6.2 कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.6.3 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.7 'प्रतिदान का अधिकार' खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। सभी पुनर्रचना पैकेजों में आवश्यक रूप से "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज को शामिल किया जाए तथा यह उधारकर्ता के निश्चित कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में, न्यूनतम 75 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ऋणदाता से वसूल किया जाना चाहिए तथा कुछ मामले जहां ऋण दर को केवल पुनर्रचना सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है वहां 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि वसूल किया जाए।

बी. लघु और मध्यम उद्यमों एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना प्रणाली

लघु और मध्यम उद्यमों एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रणाली के अलावा एक और काफी सरल प्रणाली विद्यमान है । सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं । यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है । इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं

i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्रचना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते हैं ।

ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।

iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह ऐसे बैंक के साथ मिलकर पुनर्रचना पैकेज बना सकता है जिसका बकाया राशि में दूसरा सर्वाधिक हिस्सा है ।

iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्रचना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।

v) एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्यकलाप से जुड़ेसभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होगी।

vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्रचना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत कराएंगें।

पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्रसं	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर पद्धति के तहत					एसएमई कर्ज पुनर्रचना पद्धति के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल	मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानी	कुल
	ब्योरा																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान की गई नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान मानक श्रेणी पुनर्रचना कर अद्यतन किया गया	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
4	पुनर्रचना मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार को प्रभावित करने से रोकता हो और उसे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्रचना मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		किया गया प्रावधान																				
5	वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न ग्रेड किया गया पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन किया गया प्रावधान																				

6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचनागत खाते	उधारकर्ताओं की संख्या																					
		बकाया राशि																					
		किया गया प्रावधान																					
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्रचित खाते समाप्ति आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या																					
		बकाया राशि																					
		उन किया गया प्रावधान																					
* मानक पुनर्रचना खातो को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण अथवा जोखिम भार को प्रभावित नहीं करती है यदि लागू होतो)																							

अनुबंध VI

बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना

1. बुनियादी संरचना/महत्वपूर्ण उद्योगों को दीर्घ परिपक्वता, जैसे 25 वर्ष वाले ऋणों को निम्नानुसार संरचित किया जा सकता है::

i. परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात ईबीआईडीटीए/ब्याज का बड़ा भुगतान payout) जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो;

ii. ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन परिशोधन कार्यक्रम) के साथ शेष ऋण का आवधिक पुनर्वित्तीयन ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण), जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है, की अनुमति दी जाएगी;

iii. इसका अर्थ यह होगा कि परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मापदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए ऋणदाताओं द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा के पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

iv. इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

2. एनबीएफसी द्वारा बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के नई वित्तीयन पर, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में सुझाया गया है, आपत्ति नहीं होगी, बशर्तेः

i. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की बुनियादी संरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषित बुनियादी संरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों आधारः 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत - इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे

उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण ट्रंसमिशन) आदि बुनियादी संरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;

ii. ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मापदंड सुदृढ़ रहते हैं, एनबीएफसी एक परिशोधन कार्यक्रम मूल परिशोधन कार्यक्रम) निर्धारित कर सकते हैं।

iii. सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन अनुसूची की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपी बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/शुल्क निर्धारित करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

v. प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में 23 जनवरी 2014 का परिपत्र गैबैंपवि.केंका.नीप्र.सं.367/03.10.01/2013-14 तथा 16 जनवरी 2015 का परिपत्र गैबैंविवि.केंका.नीप्र.सं.011/03.10.01/2014-15 के परिपत्र में निहित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार यदि संशोधित डीसीसीओ की अवधि बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर हो, तो केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाने के बराबर या उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा,

बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85% (कृपया निम्नलिखित 1 देखें) के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 2iii) में निर्धारित किया गया है;

vi. परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:

ए) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।

बी) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है; तथा

सी) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85% कृपया निम्नलिखित 1 देखें)के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 2iii) में बताया गया है।

vii. यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो एनबीएफसी ऋण धारण करती है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनिर्वत्त के लिए पात्र होगा;

viii. एनबीएफसी प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

ix. एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

x. एनबीएफसी को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;

xi. जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से एनबीएफसी को यह मानना चाहिए कि अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य एनबीएफसी/उधारदाताओं द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले एनबीएफसी/उधारदाताओं को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा

xii. एनबीएफसी के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और महत्वपूर्ण उद्योगों के विद्यमान परियोजना ऋणों पर आवधिक पुनर्वित्तीयन के विकल्प के साथ लचीली संरचना की भी अनुमति है:

i) केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों आधार: 2004-05) की सूची में शामिल)के सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक है,ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे;

ii) एनबीएफसी को परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर <u>विद्यमान परियोजना ऋणों</u> के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख डीसीसीओ) <u>के बाद</u> परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रम नियत कर सकते हैं। इसको पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:

ए. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;

बी. ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन के पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान है;

सी. सरकारी -निजी भागीदारी पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पितप्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में

परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा

डी. अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए दिनांक 21 मार्च 2014 की संरचना के अंतर्गत परियोजना की व्यवहार्यता का एनबीएफसी द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

iii) यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा 3 ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को 'पुनर्रचित मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को पुनर्रचना के दोहराव की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का पुनर्रचित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्रचना पर विद्यनमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा;

iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्रचना मानदंडों के अधीन होंगे;

v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद एनबीएफसी परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती चुकौतियां) मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा 3 ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;

vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता एनबीएफसी से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

vii) एनबीएफसी ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं ,तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार होना चाहिए;

viii) एनबीएफसी को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;

ix) एनबीएफसी को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी ; तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर एनबीएफसी से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं;

x) एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य उधारदाताओं द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा ,तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ;तथा

xi) ऐसे वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त संरचना के अनुसार एनबीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाता में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी भुगतान की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल उपस्थिति में दी जाएगी, जब खाता उपर्युक्त पैरा 3 vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

5. यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि नीप्र)सं.272/सीजीएम एनएसवी)-2014 के अनुबंध 2 के पैरा 7.2.2 iii) की एक शर्त के अनुसार, यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं हो") इस परिपत्र की परिधि के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के लिए किसी भी ऋण पर पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग के लाभ लेने के लिए लागू नहीं होंगे।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इन अनुदेशों की समीक्षा की जाएगी।

नोटः पैराग्राफ 2(iii) में उल्लिखित परियोजना ऋण के परिशोधन की 80% उच्चतम सीमा में प्राप्ति में देरी की स्थिति में डीसीसीओ को केवल 5% की उपयोगिता काल की छूट दी जा सकती है। एनबीएफसी उपर्युक्त फुट नोट 1 में दर्शाये अनुसूची 2 के अनुसार इसका फैक्टर कर सकती है।

अनुबंध VII

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 - नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई) ने 23 फरवरी, 2018 से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 योजना) शुरू किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट http://www.rbi.org.in. पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहकों से शिकायतों की प्राप्ति और ऐसी शिकायतों की त्वरित और उचित तरीके से समाधान पर विशेष बल देते हुए समुचित व्यवस्था की गई है।

2. इस संबंध में इस योजना के पैरा 15.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि -

(i) इस योजना से जुड़ी सभी एनबीएफसी अपने प्रधान/पंजीकृत/क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय में नोडल अधिकारियों (एनओ) की नियुक्ति करेंगे और इसकी सूचना सभी लोकपाल कार्यालयों को देंगे।

(ii) इस प्रकार नियुक्त एनओ कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और एनबीएफसी के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में लोकपाल को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iii) जहां कहीं भी एक लोकपाल के क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी के एक से अधिक ज़ोन/क्षेत्र आते हैं, वहां ऐसे ज़ोन अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को नामित किया जाएगा।

3. पीएनओ/एनओ अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अंतर्गत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संबंधित एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनबीएफसी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), आरबीआई, केंद्रीय कार्यालय के साथ सहयोग और समन्वय बनाने के लिए उत्तरदायी है। योजना से जुड़े एनबीएफसी उनके लिए लागू शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) को पीएनओ अथवा एनओ के रूप में नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि संबंधित अधिकारी संस्था में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ है। जहाँ किसी ज़ोन के

लिए एक से अधिक नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पीएनओ एनबीएफसी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के संबंध में लोकपाल के समक्ष कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने और इसके प्रभाव को बेहतर करने के लिए एनबीएफसी ऊपर बताए अनुसार कदम उठायेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रधान कार्यालय में नियुक्त पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण मुख्य महाप्रबंधक, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, अमर भवन, सर पीएम रोड, मुंबई 400 001 (ईमेलः cgmcepd@rbi.org.in) को अग्रेषित किया जाए। ज़ोन के पीएनओ/एनओ का नाम व विवरण संबंधित ज़ोन के आरबीआई लोकपाल को अग्रेषित किया जाए।

सूचना का प्रदर्शन

5. योजना से जुड़े एनबीएफसी को उनके कारोबारी लेन-देन से जुड़े शाखाओं/स्थानों पर ग्राहकों के हित में पीएनओ/एनओ/जीआरओ के नाम तथा संपर्क विवरण (फोन/मोबाइल नंबर तथा ई-मेल का पता) तथा ग्राहकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किये जाने हेतु लोकपाल का नाम तथा संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

6. योजना से जुड़े एनबीएफसी को इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को (अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में) अपनी सभी कार्यालयों तथा शाखाओं में इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए कि कार्यालय अथवा शाखा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह सूचना आसानी से दिखाई दे। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित किये जाने से संबंधित एक टेम्पलेट संदर्भ के लिए संलग्न (अनुबंध ए) है।

7. उक्त सभी विवरण तथा इस योजना की प्रति संबंधित एनबीएफसी के वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।

संलग्नक ए

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 प्रमुख विशेषताएं

इस योजना में निम्नलिखित के ग्राहक शामिल हैं

- जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी
- 100 करोड़ अथवा इससे अधिक आस्ति आकार तथा ग्राहक इंटरफेस वाली एनबीएफसी (इन्हें छोड़कर: इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी, मूल निवेश कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और परिसमापनाधीन एनबीएफसी)

ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने का आधार:

- ब्याज/जमा अदा नहीं किया गया अथवा देरी से अदा किया।
- चेक प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा देरी से प्रस्तुत किया गया।
- पारित ऋण की राशि, नियम व शर्तें तथा वार्षिक ब्याज दर इत्यादि नहीं बताया गया।
- करार, शुल्क में परिवर्तन की सूचना नहीं दी गई।
- करार/ऋण करार में पारदर्शिता बनाये रखने में विफल।
- जमानत/दस्तावेज लौटाने में विफलता/देरी
- करार/ऋण करार में विधिक रूप से लागू स्वतः पुनर्कब्जा प्रदान करने में विफल
- एनबीएफसी द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।
- उचित व्यवहार संहिता पर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया।

कोई ग्राहक कैसे शिकायत कर सकता है ?

संबंधित एनबीएफसी को लिखित प्रतिवेदन → **एक माह की समाप्ति पर** → यदि एनबीएफसी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा ग्राहक उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है। → **यदि ग्राहक ने किसी फोरम में संपर्क नहीं किया।** → एनबीएफसी लोकपाल को शिकायत भेजें (एनबीएफसी से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष से पहले।

लोकपाल कैसे निर्णय लेता है?

- लोकपाल के समक्ष कार्रवाई त्वरित प्रकृति की होती है।
- समझौता द्वारा निपटान को बढ़ावा दिया जाता है → यदि समझौता नहीं होता तो निर्णय/आदेश जारी किया जाता है।

यदि ग्राहक लोकपाल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो क्या वह अपील कर सकता है?

हाँ, यदि लोकपाल का निर्णय अपील किये जाने योग्य है तो → अपीलीय प्राधिकारी: उप गवर्नर, आरबीआई

नोट:

- यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है।
- ग्राहक किसी भी स्टेज पर निपटान हेतु किसी अन्य कोर्ट/फोरम/प्राधिकारी को संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

इस योजना से संबंधित विवरण के लिए *www.rbi.org.in पर जाएं।*

अनुबंध VIII

एपी पोर्टफोलियो पर प्रावधान करने के बाद सीआरएआर की गणना

प्रावधान किया और एपी पोर्टफोलियो में जोड़ा और धीरे-धीरे कम किया								
वर्ष	**प्रावधानों के कारण घाटा**	**पूंजी**	**प्रावधान वापस जोड़ा**	**शुद्ध पूंजी (3 + 4)**	**आवश्यक पूंजी (@ 15%)**	**पूंजी निवेश की आवश्यकता**	**गैर-एपी**	**एपी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
प्रारम्भिक स्थिति	0				30		100	100
2012-13	-100	-70	100	30	30	0	100	100
2013-14		-70	80	10	27	17	100	80
2014-15		-53	60	7	24	17	100	60
2015-16		-36	40	4	21	17	100	40
2016-17		-19	20	1	18	17	100	20
2017-18		-2	0	-2	15	17	100	0
2018-19		15	0	15	15	0	100	0
					कुल	85		

आसानी के लिए, उपरोक्त गणना कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो नीचे दी गई हैं:

ए) एपी पोर्टफोलियो एनबीएफसी-एमएफआई के कुल पोर्टफोलियो का 50% हैं।

बी) पूरे एपी पोर्टफोलियो को नुकसान परिसंपत्ति के रूप में लिया गया है।

सी) पोर्टफोलियो अगले पांच वर्षों में स्थिर बनी हुई है।

अनुबंध IX

एनबीएफसी-एमएफआई के लिए स्व - नियामक संगठन (एसआरओ) - मान्यता के लिए मानदंड

i. मान्यता के समय एसआरओ में कम से कम 1/3 एनबीएफसी-एमएफआई सदस्य के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. इसके पास सदस्यों के अंशदान पर निर्भर हुए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

iii. स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को अपने ज्ञापन / उपविधियों में मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में, सदस्यों के प्रवेश और कार्यों के निर्वहन के लिए मापदंड निर्दिष्ट करना चाहिए;

iv. एसआरओ के ज्ञापन / उपनियमों में, किस तरीके से गवर्निंग बॉडी / एसआरओ के निदेशक मंडल कार्य करेंगे, इस हेतु प्रावधान होना चाहिए।

v. बोर्ड में बड़े और छोटे एनबीएफसी-एमएफआई दोनों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

vi. निदेशक मंडल का एक तिहाई स्वतंत्र और सदस्य संस्थाओं के साथ न जुड़ा हुआ होना चाहिए।

vii. निदेशक और व्यक्ति सहित प्रबंधन को रिज़र्व बैंक द्वारा सक्षम और उचित माना जाना चाहिए ।

viii. इसमे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए।

ix. एसआरओ को सभी हितधारकों के हित में कार्य करना चाहिए और केवल एक उद्योग संगठन के रूप में नहीं देखा जान चाहिए।

x. एसआरओ को अपने सदस्यों के द्वारा अनुपालन हेतु आचार संहिता तैयार करनी चाहिए।

xi. इसमें विशेष रूप से नियुक्त शिकायत निवारण नोडल अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र और एक विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए।

xii. इसे एक प्रवर्तन समिति के माध्यम से अपने सदस्यों पर आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक की नियामक निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने की स्थिति में होना चाहिए

xiii. इसके पास अपने सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विकासात्मक कार्य होना चाहिए और एमएफआई क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान और विकास का संचालन करना चाहिए

रिज़र्व बैंक के प्रति एसआरओ के दायित्व

i. एक बार मान्यता प्राप्त होने पर एसआरओ को एक अनुपालन अधिकारी मनोनीत करना आवश्यकता होगा,जो सीधे रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे और जो रिज़र्व बैंक को नियमित रूप से क्षेत्र में होने वाले नए घटनाओं से सूचित करते रहेंगे ।

ii. एसआरओ को रिज़र्व बैंक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

iii. इसे रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए चिंता के क्षेत्रों में जांच का संचालन करना होगा।

iv. एसआरओ उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश, परिपत्रों या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रिज़र्व बैंक को सूचित करेगा।

v. यह समय समय पर या रिज़र्व बैंक द्वारा लिए अनुरोध किए जाने पर डेटा सहित जानकारी प्रदान करेगा।

vi. रिज़र्व बैंक, अगर जरूरत पड़ी तो, एसआरओ की बहियों का निरीक्षण करेगा या एक लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

अनुबंध X (1)

कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के साथ प्रमाणित किया जाना है)	
5	व्यावसायिक पता	
6	घर का पता	
7	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
8	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा नंबर / पासपोर्ट संख्या *	
11	शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	
12	नौकरी के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धि	
13	व्यापार या व्यवसाय की लाइन	
14	कंपनी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी	
15	अन्य कंपनियों के नाम, जिनमें व्यक्ति अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया है	
16	संस्थाओं के नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक) का उल्लेख जिनमें व्यक्तियों ने निदेशक का पद धारण किया है	
17	एनबीएफसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित का / के नाम, जिसके साथ व्यक्ति, एक निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, प्रवर्तक के रूप में जुड़ा हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है/	

	मुकदमा चलाया गया है, यदि कोई हो?	
18	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्ति के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
19	व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदारों या व्यक्ति के साथ जुडी कंपनियों द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
20	यदि व्यक्ति किसी व्यावसायिक संघ / संस्था का सदस्य है तो उसके खिलाफ अतीत में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण या शुरू या लंबित है या जिसके परिणामस्वरूप अपराध सिद्ध होता हो, या क्या कभी भी उसके किसी व्यवसाय के प्रवेश पर से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यदि कोई हो	
21	क्या व्यक्ति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित अयोग्यता में से किसी को आकर्षित करता है	
22	क्या व्यक्ति या कंपनियों जिनके साथ वह जुड़े है, को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
23	क्या किसी भी समय में व्यक्ति को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, विवरण दें	
24	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
25	कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी	
i	शेयरों की संख्या	.....
ii	अंकित मूल्य	रुपए .....
iii	कंपनी की इक्विटी शेयर भुगतान पूंजी का कुल प्रतिशत	.....
26	कंपनियों, फर्मों और मालिकाना संबंधो का नाम जिसमे व्यक्ति पर्याप्त हित रखते है	
27	ऊपरोक्त 26 के प्रिंसिपल बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों का नाम *	

29	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकता की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

*** विदेशी प्रवर्तकों / निदेशकों / शेयरधारकों के लिए**

ध्यान दें:

(i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तक / निदेशक / शेयरधारक के संबंध में अलग-अलग फार्म प्रस्तुत की जानी चाहिए

अनुबंध X (2)

कॉर्पोरेट प्रमोटर के बारे में जानकारी

क्रमांक.	आवश्यक विवरण	प्रतिक्रिया
1	नाम	
2	व्यावसायिक पता	
3	ई-मेल पता / टेलीफोन नंबर	
4	आयकर अधिनियम के तहत पैन संख्या	
5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
6	व्यापार की लाइन	
7	उनके प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) का विवरण और गतिविधि की लाइन , अगर कॉरपोरेट्स हो तो	
8	प्रिंसिपल बैंकरों / विदेशी बैंकरों का नाम *	
9	नियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य विदेशी नियामक)	
10	समूह में शामिल कंपनी/कंपनीयो का नाम जैसा कि उचित मानदंड निर्देश में परिभाषित है	
11	समूह में शामिल कंपनी/कंपनियों के नाम जो एनबीएफसी हैं	
12	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुकदमा चलाया गया है या जमा स्वीकार करने से मना कर दिया गया है, ऐसी समूह की कंपनियों के नाम निर्दिष्ट करें?	
13	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए कॉरपोरेट के खिलाफ या ऐसी संस्थाओं में से किसी के खिलाफ जिसके साथ अतीत में व्यक्ति जुड़ा हुआ है लंबित या शुरू अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
14	कारपोरेट द्वारा किसी भी संस्था या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में डिफ़ॉल्ट के मामले, यदि कोई हो	
15	क्या कॉर्पोरेट को सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी भी जांच के अधीन कर दिया गया है	
16	क्या किसी भी समय में कारपोरेट को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों	

	द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है , विवरण दें	
17	क्या प्रमोटर कॉर्पोरेट / कॉर्पोरेट का बहुमत शेयरधारक, यदि कारपोरेट हो तो ने भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जो कभी अस्वीकार कर दिया गया है	
		हस्ताक्षर:
	तारीख:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

* **विदेशी कारपोरेट के लिए**

अनुबंध XI

बीमा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक के अनुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आईआरडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर और बीमा कंपनियों के साथ 'समग्र कॉर्पोरेट एजेंट' के रूप में कार्य करने के लिए आईआरडीए के नियमों का पालन करना चाहिए।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपने ग्राहकों को एनबीएफसी द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों से संबंधित किसी विशिष्ट बीमा कंपनी को चुनने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी प्रतिबंधात्मक गतिविधि को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) चूंकि बीमा उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के वित्तीय सेवाओं और बीमा उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम से न होकर बीमा कंपनी को सीधे बीमा धारक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम शामिल है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसा कारोबार विभागीय तौर पर करने की अनुमति नहीं होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सहायक या उसी ग्रुप की कंपनी या किसी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में लगी है या बैंकिंग कारोबार में लगी है को समान्यत: जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत, पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जोखिम सहित बीमा कारोबार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती हैं बशर्ते सुरक्षा उपायों के तहत ऐसा किया जाए। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सामान्यत: बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 50% तक ज्वाइंट

वेंचर कंपनी की इक्विटी को धारण (होल्ड) सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक, चयनित आधार पर, प्रारंभ में किसी प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, इक्विटी में अंशदान विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा होने तक की अवधि के लिए, उच्च अंशदान की अनुमति दे सकता है। निम्नलिखित नोट 1 देखें)

यदि एक ही समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक से अधिक कंपनी वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी स्टेक) लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी अंत:प्रवाह के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले दर मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट 50% की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है, यह इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी विनियमाक शर्तों का एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगा तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपालन भी करना होगा। ऐसी छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करे जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व वाली निधि ₹500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए,

(ii) ऋण और निवेश गतिविधियों में संलग्न सार्वजनिक जमा धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर 15% से कम नहीं होना चाहिए,

(iii) शुद्ध अनर्जक आस्तियों का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और एक साथ लिया अग्रिमों के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए,

(iv) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ अर्जित किया गया होना चाहिए,

(v) संबंधित एनबीएफसी की सहायक कंपनियों, यदि कोई हो, के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, संतोषजनक होना चाहिए,

(vi) विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक जमा सर्विसिंग, अगर हो, की गई हो।

इस तरह के निवेश के लिए एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

4. ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुमोदन / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से इक्विटी का 26 प्रतिशत अंशदान करता है तो एक से अधिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती। ऐसे प्रतिभागियों को भी बीमा जोखिम ग्रहण करना होगा। केवल वह एनबीएफसी जो ऊपर पैरा 3 में दिए मानदंडों को पूरा करती है, पात्र होगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो उपरोक्त प्रकार के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बीमा कंपनी में स्वामित्व वाली निधि का 10% या ₹50 करोड़, जो भी कम हो तक निवेश कर सकते हैं।इस तरह की भागीदारी एक निवेश के रूप में माना जाएगा और एनबीएफसी के लिए किसी भी आकस्मिक देयता के बिना होना चाहिए। इन एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

(I) एनबीएफसी का सीआरएआर 15 फीसदी कम नहीं होना चाहिए

(Ii) शुद्ध एनपीए का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(Iii) एनबीएफसी का पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए।

<u>टिप्पणियाँ :</u>

(1) एक प्रमोटर एनबीएफसी द्वारा बीमा कारोबार में इक्विटी की होल्डिंग या किसी भी रूप में एक बीमा कंपनी में भागीदारी किसी भी नियम और आईआरडीए / केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाएगा। इसमे निर्धारित अवधि के भीतर 26 चुकता पूंजी के प्रतिशत से अधिक इक्विटी के विनिवेश के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6एए के साथ अनुपालन शामिल होंगे।

(2) पात्रता मानदंड पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के संदर्भ में गिनी जाएगी।

अनुबंध XII

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर दिशा-निर्देश

एनबीएफसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापार के उनके क्षेत्र के विविधीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत चुनिंदा एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ जोखिम बांटने के बिना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए, दो साल की एक प्रारंभिक अवधि और उसके बाद एक समीक्षा के अधीन अनुमति देने का फैसला किया गया है। निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर एनबीएफसी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) ₹100 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि;

(ii) कंपनी ने पिछले दो वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शुद्ध लाभ अर्जित किया हो;

(iii) एनबीएफसी के शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 3% से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iv) जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी) न्यूनतम लीवरेज अनुपात 7 बनाए रखेगी; जबकि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआईएस और जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) 15% सीआरएआर बनाए रखेगी।

2. इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनियों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा :

(i) **संचालन पहलु**

(क) गठबंधन व्यवस्था के तहत एनबीएफसी की भूमिका केवल सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के विपणन और वितरण तक सीमित होना चाहिए। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने संबन्धित विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों / दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

(ख) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक गठबंधन व्यवस्था के तहत जारी किए गए सभी को-ब्रांडेड कार्ड के संबंध में केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ग) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कारोबार में शामिल जोखिम है, यदि कोई हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए;

(घ) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के खाते को-ब्रांडेड कार्ड धारकों द्वारा बैंक में बनाए रखा जाना चाहिए और ग्राहक द्वारा सभी भुगतान बैंक के नाम पर होना चाहिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ उपयोगकर्ता के किसी भी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से उत्पन्न देयताओं के निपटान के लिए डेबिट नहीं किया जाना चाहिए;

(ङ) टाई-अप में प्रवेश करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ग्राहक के खातों की गोपनीयता सुनिश्चित करना चाहिए । को-ब्रांडिंग एनबीएफसी को खाता खोलने के समय प्राप्त की गई ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए और सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों खाते और गोपनीयता के दायित्वों का उल्लंघन हो जाएँ ऐसे खातों के ग्राहकों के किसी भी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(च) कार्ड जारी करने वाले बैंक को ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।क्रेडिट कार्ड सेवा में कमी से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों की शिकायते बैंक का दायित्व होगा।

(छ) अदालत ने मामले से उत्पन्न कानूनी जोखिम, यदि कोई हो, नुकसान आदि, जारी करने वाले बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) **अन्य पहलु**

(क) इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता लागू होनी चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए;

(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संबंधित एनबीएफसी को लागू अन्य निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के साथ पालन किया जाना चाहिए;

(घ) एनबीएफसी को समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य नियम व शर्तों का पालन करना चाहिए।

3. इसके अलावा, कोई भी अवांछनीय / अस्वस्थ संचालन बैंक के ध्यान में आने पर अनुमति को 3 महीने की नोटिस देकर वापस लिया जा सकता है।

अनुबंध XIII

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें म्यूचुअल फंडों को वितरित करने की इच्छा है, को निम्न शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी:

(I) संचालन पहलु

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों / नियमों और आचरण संहिता का पालन करना चाहिए;

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहकों को इसके द्वारा प्रायोजित एक विशेष म्यूचुअल फंड उत्पाद लेने के लिए मजबूर कर किसी भी प्रतिबंधात्मक अभ्यास को नहीं अपनाना चाहिए।अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ग) म्यूचुअल फंड उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) एनबीएफसी को केवल अपने ग्राहकों के लिए, म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद / बिक्री के भुगतान उपकरणों के साथ उनके आवेदन पत्र अग्रेषण, म्यूचुअल फंड / रजिस्ट्रार / स्थानांतरण एजेंटों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए । इकाइयों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर और एनबीएफसी द्वारा किसी भी निश्चित रिटर्न की गारंटी के बिना होना चाहिए;

(ई) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के न तो अपने ग्राहकों को बिक्री के लिए द्वितीयक बाजार से म्यूचुअल फंडों की इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहिए, और न ही इसे वापस अपने ग्राहकों से म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने चाहिए;

(च) यदि एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिटों की अभिरक्षा कर रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्वयं के निवेश और अपने ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है।

(li) अन्य पहलु

(क) एनबीएफसी को म्यूचुअल फंडों के वितरण के संबंध में बोर्ड से मंजूर नीति तैयार करनी चाहिए। अपने ग्राहकों के लिए संबंधित सेवाओं के लिए इस नीति के अनुसार पेशकश की जानी चाहिए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा औचित्य और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सेबी द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित निर्धारित आचार संहिता, का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

2. एनबीएफसी को बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए।

ऋण चूक अदला-बदली के लिए दिशानिदेश - उपयोगकर्ता के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

परिभाषा

इन दिशानिदेशों में निम्न परिभाषायें उपयोग में लायी गई है:

(i) **ऋण भुगतान घटना** - ऋण सुरक्षा बिक्रेता द्वारा ऋण सुरक्षा खरीददार को क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा के तहत शर्तों पर अनुगामि घटने वाली ऋण घटना पर देय राशि भुगतान का रूप केवल भौतिक निबटान का होगा। प्रदेय दायित्व की भौतिक सुपुर्दगी के लिये लेनदेन में बराबर का भुगतान)

(ii) **आधारभूत परिसंपत्ति / दायित्व** - परिसंपत्ति[5] जिसके लिए सुरक्षित खरीदकर्ता सुरक्षा की अपेक्षा करता है।

(iii) **प्रदेय परिसंपत्ति/ दायित्व -** यदि ऋण भुगतान की घटना हो तो, संदर्भित संस्था का कोई भी दायित्व[6], जिसे संविदा के शर्तों के तह सुपुर्द किया जा सकता है। उल्लिखित (iii) के तहत परिसंपत्ति, आधारभूत दायित्व के समान या उसे कनिष्ठ होगी)।

(iv) **संदर्भ दायित्व -** ऋण डेरिवेटिव संविदा के शर्तों के तहत जब ऋण घटना घटती है, देय राशि की गणना के लिए दायित्व[7] का उपयोग होता है. [बराबर कम वसूली के आधार पर) नकद से निबटान किये जाने वाले दायित्वों में ही संदर्भ दायित्व प्रासंगिक होता हैं]

2. सीडीएस के लिए परिचालनात्मक आवश्यकताएं

ए) सीडीएस संविदा द्वारा सुरक्षा बिक्रेता के प्रत्यक्ष दावों का और स्पष्ट रूप से संदर्भित विनिर्दिष्ट एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करना चाहिये, ताकि कवर की सीमा स्पष्ट और निर्विवाद हो जाये।

बी) ऋण सुरक्षा संविदा के संबंध में सुरक्षा खरीददार द्वारा किस्त के अलावा अन्य भुगतान नहीं करने की स्थिति में, वह अविकल्पी होना चाहिये।

सी) संविदा में ऐसी कोई धारा नहीं होनी चाहिये कि जो सुरक्षा बिक्रेता को ऋण कवर एकतरफ़ा रद्द करने का अधिकार देता हैं या वह एक्सपोजर बचाव में ऋण दर्जे की बिगड़ती स्थिति में कवर की असरदार लागत बढाता है।

डी) सीडीएस संविदा शर्त रहित होनी चाहिये; सुरक्षा संविदा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नियंत्रण के बाहर की कोई भी धारा नहीं होनी चाहिये जो सुरक्षा बिक्रेता को मूल प्रतिपक्ष द्वारा भुगतान[नों] में चूक करने की स्थिति में समय पर स्मयक रूप से भुगतान का अनुग्रह करने से रोकती है.

ई) संविदा करने वाले पार्टियों द्वारा विनिर्दिष्ट ऋण घटना में न्यूनतम कवर पर होनी चाहिये:

(i) अंतर्निहित दायित्व के शर्तों तहत देय राशि के भुगतान में की गई चूक जो ऐसी चूक के समय प्रभावी हो रियायत अवधि, अंतर्निहित दायित्व के रियायत अवधि के जैसा ही होगा)

(ii) अपने कर्ज का भुगतान करने हेतु बाध्यताधारी का दिवालियापन, दिवाला या असमर्थताया इसका विफल होना अथवा अपनी असमर्थता को लिखित रूप में स्वीकारना; समान्यत: अपने कर्ज के भुगतान के संबंध में अनुरूप घटना तथा देय के होते है; तथा

---

[5] कृपया 23 मई 2011 के परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के पैराग्राफ 2.4 का संदर्भ लें।

[6] 23 मई 2011 के परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के अनुसार वर्तमान में केवल प्रदेय दायित्व की अनुमति है.

[7] कृपया 23 मई 2011 का परिपत्र सं:आईडीएमडी.पीसीडी.सं:5053/14.03.04/2010-11 के पैराग्राफ 2.4 का संदर्भ लें.

(iii) अंतरनिहित दायित्व का पुनर्गठन 23 मई 2011 परिपत्र सं. आऋप्रवि. पीसीडी. सं.5053 / 14.03.04/ 2011-12 द्वारा सीडीएस के दिशनिदेशों में जैसा स्पष्ट किया गया है) जिसमें क्षमा या मूलराशि, ब्याज या शुल्क का विलंबन [पोस्टपोनमेंट]शामिल हो, जिसके फलस्वरूप ऋण घाटे की घटना घटित होती है।

(iv) जब अंतर्निहित दायित्व की पुन: संरचना सीडीएस द्वारा कवर नहीं होता है, किंतु पैरा 2 की अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैं, तब सीडीएस को आंशिक मान्यता दी जा सकती है। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व के बराबर या उससे कम हो तो, बचाव [हेज] की राशि के 60% भाग को कवर के रूप पहचान किया जायेगा. यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व से बड़ा है तो बचाव के लिए पात्र राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि का 60% तक होगा।

एफ) यदि सीडीएस प्रदेय दायित्वों को विनिर्दिष्ट करता है जो कि अंतर्निहित दायित्व से अलग होने के फलस्वरूप असंतुलित परिसंपत्ति पैराग्राफ जे) के तहत विनियमित गवर्न) होंगी।

जी) भुगतान[8] में चूक के परिणामस्वरूप उतपन्न अंतर्निहित दायित्व पर चूक के लिए आवश्यक अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पहले सीडीएस समाप्त नहीं होता हैं।

एच) यदि सुरक्षा खरीददार का अंतर्निहित दायित्व सुरक्षा बिक्रेता को अंतरित करने का अधिकार/क्षमता निबटान के लिए आवश्यक है तो अंतर्निहित दायित्व की शर्तों में यह प्रावधान होना चाहिये कि ऐसे अंतरण के लिए आवश्यक अनुमति अनुचित रूप से नहीं रोकि जायेगी।

आई) क्या ऋण की घटना घटित हुई है ? इसके निर्धारण हेतु जिम्मेदार पार्टियों की पहचान स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए. इसका निर्धारण करना सुरक्षा बिक्रेता की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होगी. सुरक्षा खरीददार को सुरक्षा बिक्रेता को ऋण घटना घटने के संबंध में सूचित करने का अधिकार/क्षमता होनी चाहिये।

जे) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व में असंतुलन की अनुमति होगी यदि 1) संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व समरूप श्रेणी पारीपासू) के हो है या अंतर्निहित दायित्व कनिष्ठ हो, और 2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व या प्रदेय दायित्व एक ही बाध्यताधारी में बांट लिया गया हो. अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

के) अंतर्निहित दायित्व और क्या ऋण की घटना घटित हुई है इसका निर्धारण करने के बीच असंतुलन की अनुमति है यदि 1) परवर्ति प्रतिबद्धता उसके साथ समरूप हो या अंतर्निहित दायित्व से कनिष्ठ हो, और 2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भित दायित्व एकही बाध्यताधारी को शेयर करते हो अर्थात् एकही कानूनी आस्तित्व) और क्रास चूक या क्रास-गतिवृद्धि की धारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय स्थान में हो।

3. महत्वपूर्ण अवसीमाओं के नीचे के एक्सपोजरों को हिसाब में लेना .

नीचे दिये गये अवसीमाओं पर भुगतान जिसमें सीडीएस संविदा के अनुसार घाटे के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है प्रथम हानी स्थिति के रूप में रखा जाएगा तथा खरीददार की सुरक्षा के उद्देश्य से पूंजी पर्याप्ता के लिए जोखिम भार 667% गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 15% सीआरएआर हेतु न्यूनतम 1/0.15*100 के रूप आवश्यक है) नियत किया जाना चाहिए।

4. ऋण घटना के पश्चात विवेकपूर्ण उपचार

[8] परिपक्वता की परिभाषा: - अंतर्निहित एक्सपोजर की परिपक्वता तथा बचाव की परिपक्वता की परिभाषा संतुलित रूप में दी जानी चाहिए. अंतर्निहित की प्रभावी परिपक्वता को प्रतिपक्ष के उसके नियत दायित्व को पूर्व करने के पूर्व ,किसी भी मामले में किसी अनुग्रही अवधि के लिए लागू, सबसे लम्बे समय तक शेष संभव के रूप में मापन चाहिए।

ऋण घटना भुगतान सीडीएस निविदा में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सीडीएस के ऋण सुरक्षा को नज़र अंदाज़ कर सकती है तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति और पूंजी स्तर का उचित रखरखाव और एक्सपोजर के लिए अभिष्ठ के रूप मे प्रावधानों को ऋण एक्सपोजर के रूप में गणना करेंगी। ऋण भुगतान की घटना के प्राप्ति पर ए) अंतर्निहित परिसंपत्ति को बहियों से हटाया यदि इसे सुरक्षा बिक्रेता को सुपुर्द किया गया हो तो, या बी) अंतर्निहित परिसंपत्ति का बही मूल्य प्राप्त ऋण घटना भुगतान की सीमा तक घटाया जाये यदि ऋण घटना भुगतान में अंतर्निहित परिसंपत्ति और उचित प्रावधानों को पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है तो घटे हुए मूल्य के लिए उचित प्रावधान किये जायेंगे।

5. पूंजी पर्याप्तता

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानद्ण्ड, 2007 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारण किये गये कंपनी बांडों के लिए ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार 100% है. सीडीएस निविदा सुरक्षा बिक्रेता पर ऋण घटना भुगतान के कारण प्रतिपक्ष जोखिम निर्माण करती है। बशर्ते नकदी स्थिति का सीडीएस द्वारा बचाव, जोखिम की गणना सुरक्षा बिक्रेता पर नीचे पैरा 6 में उल्लेख किए गए शर्तों पर होगा. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम भार का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लाये गये सभी सीडीएस स्थितियों की, करंट बाजार मूल्य को बही पर अंकित मूल्य, अगर सकारात्मक और शून्य हो, यदि एमटीएम नकारात्मक हो) और संभावित भविष्य की जोखिम की राशि के रूप में गणना करेगी।

6. सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर का उपचार

6.1 अंतर्निहित परिसंपत्ति की एक्सपोजर के संबंध में एक्सपोजर बचाव को, सुरक्षा बिक्रेता के एक्सपोजर की एवजी माना जायेगा, अगर निम्न शर्तों की संतुष्टि की गई है तो:

ए. पैरा 2 में उल्लेख की गई परिचालनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि की गई है।

बी. अंतर्निहित परिसंपत्ति और प्रदेय दायित्व के बीच परिपक्वता असंतुलन नहीं हो। यदि यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है तो ऋण सुरक्षा की राशि की पहचान की गणना नीचे पैरा 6.2 में उल्लेख किये अनुसार होगी।

अन्य सभी मामलों में अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर समझी जायेगी।

6.2 अंतर्निहित परिसंपत्ति पर जिस तरह जोखिम भार लागू होता है उसी तरह एक्सपोजर का गैर आरक्षित भाग के लिए होगा। परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी। इनका निपटना निम्नलिखित पैराग्राफ में दिये गये विवरण के अनुसार किया जायेगा।

6.3 असंतुलन

परिसंपत्ति या परिपक्वता के संबंध में अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व और प्रदेय परिसंपत्ति / दायित्व के बीच असंतुलन होने पर ऋण सुरक्षा की राशि समायोजित की जायेगी।

(i) परिसंपत्ति असंतुलन

यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति प्रदेय दायित्व से भिन्न है तो परिसंपत्ति असंतुलन का निर्माण होगा। यदि उल्लिखित पैरा 2 जे) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओ को असंतुलित परिसंपत्ति पूरा करती है तो केवल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपलब्ध सुरक्षा के अनुसार गणना की जायेगी।

(ii) परिपक्वता असंतुलन

यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता, अंतर्निहित परिसंपत्ति की परिपक्वता के समान होती है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सुरक्षा राशि की गणना के लिए पात्र होंगी। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित परिसंपत्ति से कम होती है तब यह माना जायेगा कि परिपक्वता असंतुलित हैं। परिपक्वता असंतुलित होने की दशा में सुरक्षा राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेग:

ए. यदि ऋण डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** से कम होती है तो कोई सुरक्षा की मान्यता नहीं दी जायेगी.

बी. यदि ऋण डेरिवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन माह** या जिस अवधि के लिए अधिक आनुपातिक सुरक्षा उपलब्ध होती है तो उसे मान्यता दी जायेगी. जहाँ परिपक्वता असंतुलन है वहां निम्न समायोजन लागू किया जायेगा.

पीए/Pa = पी/P x (टी/t- .25) ÷ (टी/T- .25)

जहाँ:

पीए/Pa= परिपक्वता असंतुलन के लिए ऋण सुरक्षा समायोजन मूल्य

पी/P= ऋण सुरक्षा

टी/t=न्यूनतम टी/T, ऋण सुरक्षा संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त

टी/T= न्यूनतम5, अंतर्निहित एक्सपोजर की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में व्यक्त

उदाहरण: *मान लीजिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कारपोरेट बांड है जिनका अंकित मूल्य ₹ 100 है जहाँ अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष की है और सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है।ऋण सुरक्षा की राशि की गणना निम्ना नुसार है।*

*100 * {(4-.25) ÷ (5-.25)} = 100*(3.75÷ 4.75) = 78.95*

सी. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता एक बार **तीन माह** तक पहुँचती है, सुरक्षा की मान्यता समाप्त हो जाती है.

6.4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उपयोगकर्ता के रूप में एक्सपोजर को सुरक्षा बिक्रेता के उल्लिखित पैरा 7.1 में दी गई शर्तों के अनुसार जारी रहने के आधार पर पूर्णत: अंतरित करने के लिए सभी आवश्यक मापदण्डो के अनुसरण की आवश्यकता है, तब अंतर्निहित परिसंपत्ति जोखिम से राहत के लिए पात्र होगी। यदि इनमें से किसी मापदण्ड को बाद में पूरा नहीं किया जाता है,तब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतर्निहित परिसंपत्ति पर एक्सपोजर की गणना करेगी। अत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल /समुह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन नहीं करने के साथ बाध्यताधारी को कुल एक्सपोजर से प्रतिबंधित करना होगा, जो सीडीएस के माध्यम से आंतरिक एक्सपोजर सीमा सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोर्ड द्वारा उचित माना गया हो. यदि एकल /समुह उधार कर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, सीमा के उपर संपूर्ण एक्सपोजर 667% तक भारित होगी। ऐसे उपचार की स्थिति में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को भंग नही करती है इसे सुनिश्चित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यह मानती है कि वह सामान्य एक्सपोजर सीमा से ज्यादा एक्सपोजर ले रही है तो उसे पूंजी में पर्याप्त कुशन रखना होगा।

6.5 एक्सपोजर मानदण्डों के अनुपालन के उद्देश्य से एक ही प्रतिपक्ष के साथ संविदा के बाजर मूल्य को बही पर अंकित मूल्य का सकारात्मक और नकारात्मक के नेटिंग की अनुमति नहीं होगी।

7. सामान्य प्रावधान आवश्कताएं

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीडीएस की स्थिति के लिए, सीडीएस संविदा मार्क टू मार्केट मूल्य के सकारात्मक सकल के लिए उन्होंने सामान्य प्रावधान धारण करना चाहिए।

8. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

तिमाही आधार पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उनके द्वारा सीडीएस का ऋण सुरक्षा धारण करने या किसी अन्य ऋण जोखिम अन्तरण लिखत के अंतरण की अनुमति के कारण, सभी मामलों में जहां वे सामान्य एकल /समूह एक्सपोजर सीमा से अधिक एक्सपोजर मानते है,"कुल एक्सपोजर" की रिपोर्टिंग क्षेत्रीय कार्यालय के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को करें जहां वे पंजीकृत है।

9. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां संलग्नक में दिये गये तुलन पत्र संबंधी विवरण भी अपने नोट में प्रकट करेंगी ।

संलग्नक

<u>वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रकट किये जाने का फार्मेट</u>

₹ करोड में)

1. वर्ष के दौरान लिनेदेनो की संख्या :
2. वर्ष के दौरान दी गयी सुरक्षा की राशि :
3. वर्ष के दौरान ऋण घटना में भुगतानों के लेनदेनों की संख्या :

    ए) चालू वर्ष के लेनदेनों के संबंध में
    बी) पिछले वर्ष के लेनदेनों के संबंध में

4. 31 मार्च को बकाया लेनेदेन

    ए) लेनदेनों की संख्या
    बी) सुरक्षा की राशि

5. वर्ष के दौरान सीडीएस लेनदेनों के संबंध में शुद्ध आय/लाभ व्यय / घाटा) - तारीख को

    ए) भुगतान किये गये किस्त
    बी) ऋण घटना में प्राप्त भुगतान वितरण योग्य दायित्व का शुद्ध मूल्य)

अनुबंध XV

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के लिए दिशानिर्देश

भाग ए

1. ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी) द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 प्रतिभूतीकरण के लिए पात्र आस्तियां

किसी एकल प्रतिभूतीकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों को बाध्यताधारियों के किसी समरूप समूह की ऋण बाध्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस शर्त के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर तुलन पत्र में शामिल सभी मानक आस्तियां प्रतिभूतीकरण की पात्र होंगी :

(i) चक्रीय ऋण सुविधा (उदाहरण के लिए नकदी ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
(ii) अन्य संस्थाओं से खरीदी गयी आस्तियां
(iii) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर (उदाहरण के लिए बंधक समर्थित/आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां)
(iv) मूलधन और ब्याज दोनो की बुलेट चुकौती वाले ऋण

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

1.2.1 ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण तभी कर सकते हैं जब उनकी बहियों में वे न्यूनतम अवधि तक हों । आस्तियों की न्यूनतम धारण अवधि को निर्धारित करने वाले मानदंड, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि -

- परियोजना कार्यान्वयन जोखिम निवेशकों को अंतरित नहीं किया जाता है और ;
- प्रतिभूतीकरण के पहले न्यूनतम सुधार कार्य निष्पादन दर्शाया जाता है ।

1.2.2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋणों का प्रतिभूतीकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद ही कर सकती हैं, जिसकी गिनती किसी गतिविधि/प्रयोजन के लिए दिये गये ऋण के पूर्ण संवितरण की तारीख, उधारकर्ता द्वारा आस्ति (अर्थात् कार, आवासीय भवन आदि) के अभिग्रहण अथवा परियोजना पूर्ण होने की तारीख, जो भी लागू हो, से की जाएगी । न्यूनतम धारण अवधि एमएचपी) की परिभाषा प्रतिभूतीकरण के पूर्व चुकाये गये किस्तों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी । अवधि और चुकौती की बारंबारता के आधार पर विभिन्न ऋणों पर लागू न्यूनतम धारण अवधि एमएचपी)नीचे सारणी में दी जा रही है

न्यूनतम धारण अवधि

	प्रतिभूतीकरण के पहले अदा किये गये किस्तों की न्यूनतम संख्या			
	चुकौती की बारंबारता - साप्ताहिक	चुकौती की बारंबारता - पाक्षिक	चुकौती की बारंबारता - मासिक	चुकौती की बारंबारता - तिमाही
2 वर्षों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	बारह	छह	तीन	दो
2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	अठारह	नौ	छह	तीन
5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	-	-	बारह	चार

1.2.3 प्रतिभूतीकृत ऋणों के समूह में अलग-अलग ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि एमएचपी)लागू होगी। पैरा 1.1 के फुटनोट 8 में उल्लिखित ऋणों पर न्यूनतम धारण अवधि नहीं लागू होगी।

1.3 <u>न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर)</u>

1.3.1 एमआरआर की परिकल्पना इसलिए की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में निरंतर रुचि बनी रहे ताकि वे प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण के संबंध में समुचित सावधानी बरतें। दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एमआरआर में इक्विटीअधीनस्थ अंश के अलावा प्रतिकृत पेपर का / वर्टिकल अंश भी होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूतीकृत आस्तियों के कार्य निष्पादन में ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रुचि /हित हो। ओरिजिनेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण का प्रतिभूतीकरण करते समय नीचे दी गयी सारणी में वर्णित एमआरआर का पालन करना चाहिए। ऋणों का प्रतिभूतीकरण करते समय ओरिनिजेटिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्न सारणी में दिए गए ब्योरेवार एमआरआर का पालन करना चाहिए:

प्रतिभूतीकरण के समय न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकताएं

ऋण का प्रकार	एमआरआर	एमआरआर का ब्योरा		
24 माह या कम अवधि की मूल परिपक्वता के लिए ऋण	प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 5%	i)	जहाँ प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतीकरण में न ऋण ट्रेंचिंग शामिल है और न ही प्रथम हानि साख संवर्धन।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 5% के बराबर विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा जारी।
		ii)	जहां प्रतिभूतीकरण में कोई ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु ओरिजिनेटर ने प्रथम हानि साख संवर्धन उपलब्ध कराया है	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक उपलब्ध करेगा। यदि प्रथम ऋण साख संवर्धन 5% से कम आवश्यक है तो शेष एसपीवी द्वारा जारी

			जैसे तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	प्रतिभूतियों में होगा।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन नहीं हैं।	शेयर श्रृंखला में 5% यदि शेयर श्रृंखला में 5% से कम है तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर होगी।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्रेतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल है ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तो शेष शेयर श्रृंखला में । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन और शेयर श्रंजखला में 5% से कम हो, तो शेष अन्य श्रृंखला में सममात्रा पर ।
24 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋण	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न कोई प्रथम हानि साख संवर्धन ।	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य के 10% के बराबर एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश
		ii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल है उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.	आवश्यक साख संवर्धन प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । यदि वह 10% से कम हो तो, शेष एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल	5% शेयर श्रृंखला में या कम यदि शेयर

			है किंतु प्रवर्तक से प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल नहीं हैं।	श्रृंखला 5% से कम हो। शेष (10% में से शेयर श्रृंखला में निवेश घटाकर) एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखला के सममात्रा में ।	
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल है और साथ साथ प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि.) शामिल है ।	i)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से अधिक हो किंतु 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी शेयर श्रृंखला सहित प्रतिभूतियों में सममात्रा पर ।
				ii)	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 5% से कम हो तब शेयर श्रृंखला में ताकि प्रथम हानि और शेयर श्रृंखला 5% के बराबर होगी। एसपीवी द्वारा जारी अन्य श्रृंखलाओं में शेष प्रतिधारण सममात्रा में होगा (शेयर श्रृंखला छोडकर) ताकि कुल प्रतिधारण 10% हो।
पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 3 में उल्लेख किए गए एक बारगी	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10%.	i)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में न ऋण श्रृंखला शामिल न प्रवर्तक द्वारा कोई प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल	प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋणों के बही मूल्य का 10% के बराबर. एसपीवी	

चुकौती ऋण/ प्राप्य			हो ।	द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ।
		ii)	प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल नहीं है, किंतु प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध होने वाला प्रथम हानि साख संवर्धन उदा. तुलनपत्र से इतर समर्थन, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि शामिल हैं ।	प्रवर्तक द्वारा आवश्यक साख संवर्धन उपलब्ध कराई जाए । यदि प्रथम हानि साख संवर्धन की आवश्यकता 10% से कम हो तब शेष, एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में होगा ।
		iii)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला शामिल हो किंतु प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन शामिल न हो ।	10% शेयर श्रृंखला में । यदि शेयर श्रृंखला 10% से कम हो, तब शेष बची हुई श्रृंखला में सममात्रा में होगा ।
		iv)	जहाँ प्रतिभूतीकरण में ऋण श्रृंखला और प्रवर्तक द्वारा प्रथम हानि साख संवर्धन (तुलनपत्र से इतर आधार, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण आदि) शामिल हैं ।	यदि प्रथम हानि साख संवर्धन 10% से कम है, तब शेष शेयर श्रृंखला में। यदि शेष शेयर श्रृंखला से बडा है, तब अन्य श्रृंखलाओं में बचा हुआ सममात्रा पर होगा ।

1.3.2 ऋण का प्रतिभूतीकरण करने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा। दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5 vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा नहीं रखा जा सकता।

1.3.3 एमआरआर को प्रमुख नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अतः अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/फ्युचर भावी आय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का निवेश, वह अधीनस्थ हो या नहीं, एमआरआर के लिए गिना नहीं जाएगा।

1.3.4 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात् , एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

1.3.5 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 कुल प्रतिधारित एक्सपोजर की सीमा

1.4.1 वर्तमान में, हामीदारी के माध्यम से या अन्य प्रवर्तक द्वारा एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश माध्यमों से कुल निवेश की सीमा कुल प्रतिभूतीकृत जारी लिखतों का 20% हैं । यह निर्णय लिया गया है कि निम्न प्रकार के प्रतिभूतीकृत ऋणों में बाक का कुल एक्सपोजर कुल प्रतिभूतिकृत लिखतों से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- एसपीवी द्वारा जारी शेयर /प्रतिभूतियों की अधीनस्थ /वरिष्ठ श्रृंखला में हामीदारी प्रतिबद्धता के माध्यम सहित निवेश।

- नकदी और अन्य प्रकार की संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण सहित, साख संवर्धन, किंतु साख संवर्धन करने वाले इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को छोड़कर।

- चलनिधि समर्थन।

1.4.2 यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उल्लिखित सीमा का उल्लंघन करती है, तो अतिरिक्त राशि पर 667% जोखिम भारित होगा।

1.4.3 यदि जारी किए गए प्रतिभूतीकरण लिखतों के ऋण परिशोधन के कारण सीमा का उल्लंघन होता है तो एक्सपोज़र पर 20% की सीमा का उल्लंधन नहीं माना जाएगा।

1.5 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.5.1 01 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.04.048/2005-06 के पैरा 20.1 के अनुसार, एसपीवी द्वारा जारी की गई या की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ऋणों के प्रतिभूतीकरण के कारण कोई लाभ /प्रीमियम का उदय होता है तो उसे एसपीवी द्वारा जारी की जानेवाली या जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल पर परिशोधित किया जाना चाहिए। यह दिशानेर्देश, अन्य बातों के साथ, 'ओरिजनेट टू डिस्ट्रीब्यूट' मोडेल को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। अब कुछ हद तक इन चिंताओं का निवारण इन दिशानिदेशों में प्रस्तावित एमआरआर, एमएचपी और अन्य उपायों द्वारा किये जाने की अपेक्षा है । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि मूल धन के परिशोधन

और घटित हानि के साथ साथ प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरर्स पर आवश्यक विशिष्ट प्रावधान के आधार पर वर्ष के दौरान उच्चतर नकदी लाभ की अनुमति दी जाय।
नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है ।प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः
परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [एक्स* वाई/जेड))], [एक्स/एन)]}
एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि
वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि
ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन
एल = हानि (मार्क टू मार्केट मूल्य में अंकित करके निवेश खाते पर हुई हानि + विशिष्ट प्रतिभूतीकरण लेन देन के एक्सपोजर के लिए किया गया, विशिष्ट प्रावधान, यदि कोई हो + सीधे बट्टे खाते डाले गए) साख संवर्धक 'इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप' पर हुई हानि को छोडकर।

एन = प्रतिभूतीकरण लेन देन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.5.2 उपर्युक्त लाभ की परिशोधन पद्धति बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है। तथापि, इस परिपत्र को जारी करने की तारीख को केवल अपरिशोधित बकाया मूल धन और बकाया परिशोधन योग्य लाभ के संबंध में ही यह पद्धति लागू की जा सकती है।

1.5.3 कभी-कभी, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अंतरित आस्तियों पर प्राप्य ब्याज की कुछ राशि प्राप्त करने के लिए संविदागत अधिकार रख लेती हैं । यह प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्य ब्याज एसपीवी की देनदारी हैं और उसके वर्तमान मूल्य का पूंजीकरण प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (आई/ओ स्ट्रिप) के रूप में किया जाता है, जो तुलन पत्र की आस्ति हैं। सामान्यतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अप्राप्त लाभ को अपने लाभ हानि खाते में भविष्य में प्राप्य ब्याज के पूंजीकरण के रूप में आई/ओ स्ट्रिप के माध्यम से निर्धारित करती हैं। तथापि, उपर्युक्त 01 फरवरी 2006 के परिपत्र में निहित निदेशों के संदर्भ में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाभ हानि खाते में अप्राप्य लाभों को स्थान नहीं देना चाहिए, उसके बदले उन्हें अप्राप्य लाभ को ऋण अंतरण लेनदेनों के अप्राप्य लाभ" लेखा शीर्ष के तहत धारण करना चाहिए। इस खाते के शेष को प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए साख संवर्धन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण आई/ओ स्ट्रिप पर होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान के रूप में माना जाएगा। जब इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को नकद में पुनःप्राप्त किया जाएगा तब ही लाभ को लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आई/ओ स्ट्रिप के रूप में होने वाली बिक्री पर लाभ को सुरक्षित बुक) नहीं करेंगी, उससे टीयर -। पूंजी से घटाने की भी आवश्यकता नहीं है । इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप लेखा पद्धति प्रतिभूतीकरण के बकाया लेनदेनों पर भी लागू की जा सकती है ।

1.6 प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्रकटीकरण

1.6.1 संगठन/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट द्वारा किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर के संबंध में प्रकटीकरण करना चाहिए। प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि संभावित निवेशकों को ऋण श्रेणी और निजी अंतर्निहित जोखिम, नकदी प्रवाह और प्रतिभूतिकरण जोखिम का संपाश्विक आधार के साथ साथ ऐसी जानकारी जो व्यापक और नकदी प्रवाह पर दबाव परख की पूरी जानकारी और संपाश्विक मूल्य जो अंतर्निहित जोखिम को आधार देती हैं। प्रवर्तक द्वारा एमएचपी और एमआरआर के प्रति पूर्ण संतुष्टि के संबंध में प्रकटीकरण जनता को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए और उचित रूप से दस्तावेज बनाना चाहिए; जैसे विवरण-पत्र में प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिधारण प्रतिबद्धताओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को उचित समझा जाएगा। प्रकटीकरण व्यवहार के शुरुआत में होना चाहिए, और उसकी कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर पुष्टि होनी चाहिए सितंबर और मार्च - समाप्ति पर), और किसी भी समय जहाँ आवश्यकता का भंग किया गया हैं। उल्लिखित आवधिक प्रकटीकरण हर प्रतिभूतिकरण व्यवहार के लिए अलग से करना होगा, उसकी सक्रियता के दौरान, संस्था के रिपोर्ट में, निवेशक रिपोर्ट, न्यास रिपोर्ट या अन्य तत्सम प्रकाशित कागज़ात में। उल्लिखित प्रकटीकरण परिशिष्ट 1 में दिए गए फार्मेट में भी कर सकते हैं।

1.6.2 वार्षिक लेखा में किया जाने वाला प्रकटीकरण

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वार्षिक लेखा की टिपण्णी में एसपीवी बहीयों के आधार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि का और एमआरआर के अनुपालन के लिए तुलनपत्र की तारीख को एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह आंकडें एसपीवी से प्रवर्तक एनबीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए हो और एसपीवी के लेखा परीक्षको द्वारा उचित रूप से प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। यह प्रकटीकरण परिशिष्ट 2 में दिए गए फार्मेट में किया जाना चाहिए।

1.7 ऋण उत्पत्ति मानक

प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रतिभूतिकृत किये जाने वाले एक्स्पोजर की ऋण हामीदारी पर उसी प्रकार की ठोस और स्पष्ट परिभाषित मानदण्डों को लागू करना चाहिए जैसा कि वे अपनी बहियों में धारण किये जाने वाली एक्सपोज़रों पर करते हैं । इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तकों द्वारा ऋणों के अनुमोदन की तथा जहां लागू हो वहां संशोधन, समीक्षा और निगरानी की वही प्रक्रिया लागू की जानी जाहिए।

1.8 ऊपर निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली प्रतिभूतीकृत आस्तियों के संबंध में ट्रीटमेंट

जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो इस पैरा में निहित सभी दिशानिर्देश केवल नए लेन देन पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.7 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में चूक करती हैं, तो प्रतिभूतिकृत आस्तियों को प्रतिभूतिकृत किया ही नहीं था यह मानकर उनके लिए पूंजी बनाई रखनी होगी। यह पूंजी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति वर्तमान एक्सपोज़र के लिए आवश्यक पूंजी के अतिरिक्त होगी ।

2. प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र वाली प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.1.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां केवल उस स्थिति में किसी प्रतिभूतीकरण स्थिति में निवेश कर सकती है या एक्सपोजर ले सकती है जब प्रवर्तक (अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /एफआए/एनबीएफसी) ने स्पष्टतया ऋण देने वाली

संस्थाओं को प्रकटीकरण किया हो कि उसने इन दिशानिर्देशों में निहित एमआरआर और एमएचपी का पालन और अविरत आधार पर एमआरआर दिशानिदेशों का पालन करते रहेगा ।

2.1.2 निवेश करने के पूर्व और उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रत्येक प्रतिभूतीकरण स्थिति के लिए यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि प्रतिभूतीकृत स्थितियों में उनके प्रस्तावित/मौजूदा निवेशों की उन्हें पूरी समझ है । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सिद्ध करना होगा कि इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करने के लिए आधिकारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है :

ए) प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतीकरण के एमआरआर के संबंध में प्रकट की गयी सूचना, कम-से-कम अर्धवार्षिक आधार पर ।

बी) निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की प्रतिभूतीकरण स्थिति के कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली, अलग-अलग प्रतिभूतीकरण स्थिति की जोखिम संबंधी विशेषताएं जिनमें प्रतिभूतीकरण की समस्त संरचनात्मक विशेषताएं शामिल हैं (अर्थात् श्रृंखला की वरिष्ठता, अधीनस्थ श्रृंखलाओं का परिमाण, समय पूर्व भुगतान जोखिम और साख संवर्धन पुनर्निर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता, चुकौती 'वाटर-फाल' की संरचना, 'वाटर-फाल' संबंधी प्रेरक तत्व, श्रृंखलाओं की समयबद्ध चुकौती में श्रृंखला की स्थिति (समय-श्रृंखला), चलनिधि संवर्धन, चलनिधि सुविधाओं के मामले में साख संवर्धन की उपलब्धता, चूक की डी-स्पेसिफिक परिभाषा, आदि) ।

सी) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अंतर्निहित एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

डी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के प्रतिभूतीकरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा प्रतिभूतीकरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

ई) प्रतिभूतीकरण पोजीशन में अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में प्रवर्तकों का पूर्व प्रतिभूतीकरण में हानि का अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई ;

एफ) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर तथा जहां लागू हो प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

जी) प्रतिभूतीकृत एक्सपोजर का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.1.3 जब बाद में प्रतिभूतीकृत लिखत द्वितीयक बाजार में किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खरीद ली जाती हैं तो उस समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसी स्थिति रखेंगी जिससे एमआरआर की पूर्ति होगी।

2.2 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने प्रतिभूतीकरण पोजीशन के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आम स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समयपूर्व भुगतान, साख संवर्धकों की रेटिंग में गिरावट के कारण प्रतिभूतियों (आस्ति समर्थित/बंधक समर्थित प्रतिभूति) के बाजार मूल्य में गिरावट तथा प्रतिभूतियों की तरलता के अभाव के कारण उच्चतर विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन ।

2.3 ऋण निगरानी

यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी प्रतिभूतीकरण स्थिति में अंतर्निहित एक्सपोजर के कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में प्रतिभूतीकरण लेनदेन के अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिरवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए, जो पैरा 2.1.2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतीकृत पोजीशन में उनके एक्सपोजर की जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो । जहां प्रासंगिक हो, वहां इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध I में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकती हैं ।

2.4 ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले एक्सपोजर का ट्रीटमेंट

ऊपर पैरा 2.1 से 2.3 तक दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करने वाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को निवेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार देंगे । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पैरा 2.1 से2.3 तक निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए गहन प्रयास करना चाहिए । 667% का उच्चतर जोखिम् भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू होगा । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 30 सितंबर 2012 से पहले पैरा 2.1 से 2.3 की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए ।

भाग - बी

सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

1. प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

1.1 अंतरण के लिए पात्र आस्तियां

1.1.1 इन दिशानिर्देशों के तहत, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एकल मानक आस्तियों का या ऐसी आस्तियों के भाग का या ऐसी आस्तियों के पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थाओं को, निम्न अपवादों के साथ समुदेशन (असाइनमेंट) विलेख के माध्यम से, अंतरण कर सकती है ।

i) परिक्रामी उधार सुविधाएं (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियां आदि)
ii) अन्य सस्थाओं से खरीदी गई आस्तियां
iii) मूलधन और ब्याज की एकबारगी चुकौती वाली आस्तियां

1.1.2 तथापि, यह दिशानिर्देश इन पर लागू नहीं होंगे :

i) उधारकर्ता के ऋण खातों को उधारकर्ता के अनुरोध/पहल पर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा अन्य बैंक/एफआई/ एनबीएफसी के बीच अंतरण
ii) बांड में लेनदेन
iii) पोर्टफालियो की बिक्री व्यवसाय से पूरी तरह बाहर निकालने के निर्णय के फलस्वरूप ऐसे निर्णय को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति होनी चाहिए ।
iv) सहायता संघ और समूहन व्यवस्थाएं
v) अन्य कोई व्यवस्था/लेनदेन, विशेषकर जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की हो ।

1.2 न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी)

खंड ए के पैरा 1.2 की तरह

1.3 न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर)

1.3.1 भाग ए के पैरा 1.2 के अनुसार 1.3.1 प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अन्य वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों का अंतरण करते समय निम्न सारणी में दिए गए एमआरआर का पालन करना चाहिए:

आस्ति का प्रकार		एमआरआर
24 माह से या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां		सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 5% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
i)	24 माह से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली आस्तियां; और	सममात्रा आधार पर अंतरित आस्तियों से नकदी प्रवाह से 10% प्राप्त करने के अधिकार का प्रतिधारण ।
ii)	भाग ख के पैरा 1.1 की पाद टिपण्णी 11 में उल्लिखित ऋण ।	

1.3.2 आस्तियों की आंशिक बिक्री के मामले में, यदि उपर्युक्त पैरा 1.3.1 के अनुसार अपेक्षित एमआरआर से अधिक हिस्सा बिक्रेता ने प्रतिधारित किया हो, तब बिक्रेता द्वारा धारित हिस्से से, बेचे गए हिस्से के 5% समान हिस्सा या बेचे गए हिस्से के 10% हिस्सा, जो भी मामला हो, एमआरआर माना जाएगा । तथापि, बिक्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एमआरआर सहित धारित सभी एक्सपोजर बेची गई आस्तियों के हिस्से के समानस्थ होना चाहिए।

1.3.3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण अंतरण के मामले में किसी भी प्रकार का साख संवर्धन का प्रस्ताव नहीं देनी चाहिए और नकद प्रवाह के सीधे समनुदेशन द्वारा चलनिधि सुविधाएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि, ऐसे मामलों में निवेशक सामान्यतः संस्थागत निवेशक होते है जो आवश्यक पर्याप्त सावधानी के बाद एक्सपोजर को समझने और उसे धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता रखते है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आई/ओस्टिप में निवेश के माध्यम से भी कोई एक्सपोजर नहीं रखनी चाहिए जो ऋण स्थानांतरण से एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड/फ्युचर मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करती है । तथापि, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऊपर उल्लिखित पैरा 1.3.1 में निहित एमआरआर आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा । पैरा 1.3.1 में उल्लेख किए गए एमआरआर के अनुपालन के लिए अंतरित ऋण में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आंशिक ब्याज के प्रतिधारण को विधिक रूप से वैध कागजातों का समर्थन होना चाहिए। कम से कम, प्रवर्तक द्वारा निम्न के संबंध में कानूनी मत अभिलेख में रखनी होगीः

ए) प्रवर्तक द्वारा धारित ब्याज राशि की विधिक वैधता

बी) ऐसी व्यवस्था जो समनुदेशित के अधिकारों और प्रतिफल में उस सीमा तक हस्तक्षेप नहीं करती हैं जिस सीमा तक उसे अंतरित किया गया है;

सी) समनुदेशिती को अंतरित ऋणों की सीमा तक ऋण से संबद्ध पुरस्कार या कोई जोखिम न रखने वाला प्रवर्तक

1.3.4 ऋण बेचने वाली संस्था को एमआरआर बनाए रखना होगा । दूसरे शब्दों में, मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर निहित दिशानिर्देशों वाले 01 फरवरी 2006 के परिपत्र के पैरा 5(vi) के अनुसार अन्य संस्थाएं जिन्हें 'प्रवर्तक' माना गया है उनके द्वारा एमआर्र नहीं रखा जा सकता।

1.3.5 प्रवर्तक द्वारा प्रतिबद्धता का स्तर अर्थात्, एमआरआर ऋण जोखिम की बचाव व्यवस्था या प्रतिधारित ब्याज की बिक्री के कारण घटना नहीं चाहिए। हानि आत्मसात् करने के माध्यम से या अनुपाती चुकौती के कारण प्रतिधारित एक्सपोज़र घटने के मामलों को छोडकर अपरिशोधित मूल धन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर अविरत आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। प्रतिभूतीकरण की सक्रियता के दौरान एमआरआर के रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
1.3.6 इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर के अनुपालन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार समुचित कागज़ात तैयार किये गये हैं।

1.4 प्रारंभिक लाभ बुक करना

1.4.1 नकद में प्राप्त लाभ की राशि "लंबित पहचान के ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" के लेखा खातों में धारण की जा सकती है । प्रतिभूतीकरण सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी लाभ का परिशोधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा और निम्नानुसार उसकी गणना होगीः

परिशोधन किया जाने वाला लाभ = मैक्स {एल, [एक्स* वाई/जेड))], [एक्स/एन)]}

एक्स= वर्ष के प्रारंभ में "लंबित पहचान वाले ऋण अंतरण सौदो में नकदी लाभ" खाते में शेष अपरिशोधित नकदी लाभ की राशि

वाई = वर्ष के दौरान परिशोधित मूल धन की राशि

ज़ेड = वर्ष के प्रारंभ में अपरिशोधित मूल धन

एल = पोर्टफोलियो पर हुई हानि (ऋण हानि के लिए प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए विशिष्ट प्रावधान + सीधे बट्टे खाते डाले गए+ यदि कोई और हानि हो, तो) ।

एन = प्रतिभूतीकरण लेनदेन की अवशिष्ट परिपक्वता

1.4.2 लेखाकंन, आस्तियों का वर्गीकरण और एमआरआर के लिए प्रावधान हेतु नियम

एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगेः

ए) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी जाएगी। ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की बकायाता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकती है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की बकाया स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की बकाया स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अंतरित ऋण के लिए समनुदेशीत बैंक /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित ऋणों के बकाया स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (ए) और (बी) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा ।

1.5 ऋण प्रवर्तक मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.6 के समान

1.6 ऋण ओरिजिनेशन मानक

भाग ए में दिये गए पैरा 1.7 के समान

1.7 ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली बेची गई आस्तियों का ट्रीटमेंट

इस पैरा में निहित सभी अनुदेश, पैरा 1.4.2 को छोड़कर , इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद प्रारंभ किए गए लेन देन पर लागू होंगे। पैरा 1.4.2 में निहित अनुदेश वर्तमान और नई लेन देन दोनों पर लागू होंगे। यदि प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपर उल्लिखित पैरा 1.1 से 1.6 में निहित अपेक्षाओं के पालन में चूक करती है, तो उसे बेची गई आस्तियों के लिए इस प्रकार पूंजी बनाए रखनी होगी माने वे अभी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की बहियों में हैं।

2. खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं

2.1 ऋण की खरीद पर प्रतिबंध

यदि विक्रेता ने खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पैरा 1.3 में विनिर्दिष्ट एमआरआर का निरंतर आधार पर अनुपालन करने का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया है, तो ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बैंक/एफआई/एनबीएफसी से भारत में ऋण खरीद सकते हैं । इसके अतिरिक्त, घरेलू लेनदेनों के लिए, खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक संस्था ने उनके द्वारा खरीदे गए ऋणों के संबंध में एमएचपी मानदण्डों के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया है ।

2.2 पर्याप्त सावधानी के लिए मानक

2.2.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास ऋण/ऋण के पोर्टफोलियो की खरीद के पहले उनके लिए पर्याप्त सावधानी हेतु कुशल कर्मचारियों के रूप में आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता और प्रणाली होनी चाहिए। इस संबंध में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निम्न दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

ए) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, समुचित सावधानी की क्रियाविधि के संबंध में नीतियां तैयार करनी चाहिए और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने अधिकारियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संबंध में अपेक्षाओं और अंतर्निहित आस्तियों के ऋण गुणवत्ता के संबंध में लागू करना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीतियों को अंतर्निहित ऋण गुणवत्ता के मूल्यांकन की पद्धति भी निर्धारित करनी चाहिए।

बी) खरीदे गए ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोत से नहीं की जा सकती और उसे अपने अधिकारियों द्वारा उसी कड़ाई से पूरी की जानी चाहिए जैसा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा नये ऋण मंजूर करते समय की जाती है ।

सी) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यदि अपने कुछ गतिविधियों जैसे जानकारी और कागज़ात जुटाना आदि, बाह्य स्रोत से करना चाहता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे जाने वाले ऋण के चयन और अपने ग्राहक को जानिए की आवश्यकताओं के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना जारी रखना होगा।

2.2.2 अलग-अलग ऋण या ऋण पोर्टफोलियो खरीदने के पूर्व , और उसके पश्चात जैसा उचित हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सिद्ध करने में सक्षम होनी चाहिए कि खरीदे गए ऋण के जोखिम के प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक और संपूर्ण समझ है और उससे संबंधित औपचारिक नीतियां और पूर्ण पद्धतियां भी लागू की है। उसे निम्नलिखित का विश्लेषण और अभिलेखबद्ध करना चाहिए :

ए) एमआरआर के संबंध में प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रकटीकरण, निरंतर आधार पर;

बी) खरीदे गये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर की जोखिम विशेषताएं (अर्थात् ऋण की गुणवत्ता, ऋण समूह में विविधीकरण और एकरूपता का स्तर, अलग-अलग उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की उनकी आय के स्रोत के अलावा अन्य घटकों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्य की अस्थिरता, अंतर्निहित उधारकर्ता जिन आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनकी चक्रीयता आदि ।)

सी) ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी मानक, पूर्व के पोर्टफोलियो अन्तरण में एमआरआर और एमएचपी मानकों का अनुपालन तथा अन्तरण के लिए एक्सपोज़र के चुनाव में औचित्य के संबंध में प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा ।

डी) संबंधित अन्तर्निहित एक्सपोजर श्रेणी में ऋणों/पोर्टफोलियो के पूर्व अन्तरण में प्रवर्तकों का हानि संबंधी अनुभव, अन्तर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गयी धोखाधड़ी घटना, प्रवर्तकों के कथन और वारंटी की सच्चाई;

ई) अन्तरित एक्सपोजर तथा जहां लागू हो अन्तरित ऋणों का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के संबंध में बरती गयी समुचित सावधानी के संबंध में प्रवर्तक अथवा उनके एजेंट या परामर्शदाताओं के वक्तव्य और प्रकटीकरण;

एफ) अन्तरित ऋणों के मूल्यांकन में प्रयुक्त क्रियाविधि और अवधारणाएं तथा मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तक द्वारा अपनायी गयी नीति;

2.3 दबाव परीक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने खरीदे गये ऋण पोर्टफोलियो के अनुकूल नियमित रूप से दबाव परीक्षण करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न घटकों पर विचार किया जा सकता है, जैसे आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो की चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में गिरावट के कारण अवधि पूर्व चुकौती की दरों में वृद्धि अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण एक्सपोजर का समय पूर्व भुगतान ।

2.4 ऋण निगरानी

2.4.1 यह आवश्यक है कि क्रेता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां खरीदे गये ऋण की कार्य निष्पादन संबंधी सूचना पर निरंतर आधार पर नजर रखें और यदि जरूरी हो तो समुचित कार्रवाई करें । इस कार्रवाई में अंतर्निहित आस्ति श्रेणी के किसी प्रकार के प्रति एक्सपोजर सीमा में परिवर्तन, प्रवर्तकों पर लागू सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है । इस प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को खरीदे गये ऋण की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप आधिकारिक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए । यह प्रक्रिया उतनी ही कड़ी होनी चाहिए जितनी उन ऋणों के पोर्टफोलियो के संबंध में होती है जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने सीधे ओरिजिनेट किया हो। विशेष रूप से ऐसी प्रक्रियाओं से अलग-अलग खातों में समय पर कमजोरी के लक्षण पकड़ने तथा देय होने के बाद 180 दिन बीतते ही भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक उधारकर्ताओं की पहचान करने में आसानी होनी चाहिए। एकत्रित सूचना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए - एक्सपोजर का प्रकार, 30, 60 और 90 दिवस से अधिक विगत देय होने वाले ऋणों का प्रतिशत,चूक दरें, अवधिपूर्व भुगतान दरें, फोरक्लोजर में ऋण, ऋण स्कोर का बारंबारता वितरण, संपार्श्विक प्रकार और कब्जा तथा अंतर्निहित एक्सपोजरों की ऋण पात्रता के अन्य माप, औद्योगिक और भौगोलिक विविधता, मूल्य अनुपात के अनुरूप ऋण का बारंबारता वितरण जिसमें इतना बैंडविड्थ हो कि पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण हो सके। यदि इस प्रकार की सूचना सीधे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से नहीं ली जाती है और सर्विस एजेंट से ली जाती है, तो वह सर्विसिंग एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ **परिशिष्ट I** में प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रकटीकरण का प्रयोग एक्सपोजर की निगरानी के लिए कर सकते हैं ।

2.4.2 ऋण निगरानी पद्धतियां जिसमें बैंक/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल होगा, जो पोर्टफोलियो के आकार पर निर्भर होगा। खरीद करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापनों का सर्विसिंग करार में प्रावधान होना चाहिए। सभी

संबंधित जानकारी और लेखा रिपोर्ट खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारिबैं के अधिकारियों को सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

2.5 सञ्ची बिक्री मानदण्ड

2.5.1 बिक्री (इस शब्द में इसके आगे आस्ति की सीधी बिक्री, समनुदेशन और अंतरण का अन्य कोई प्रकार शामिल होगा, किंतु ऋण खातों का उधारकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य वित्तीय संस्थाओं को एकमुश्त अंतरण और बांडों की बिक्री जो अग्रिम के स्वरूप के नहीं हैं शामिल नहीं होंगे।) के फलस्वरूप 'बिक्री करने वाला बैंक' (इसके आगे इस शब्द में सीधी बिक्री करने वाला बैंक, समनुदेशन करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अन्य प्रणाली के माध्यम से अंतरण करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल होगा) का बेची गई आस्तियों से तत्काल कानूनी अलगाव होना चाहिए। खरीदार को अंतरित करने के बाद बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियां पूर्ण रूप से अलग होनी चाहिए अर्थात्, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ साथ उसके ऋणदाता की पहुंच से बाहरहोनी चाहिए, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले/ समनुदेशित करनेवाले/ अंतरित करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी ।

2.5.2 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को असरदार तरिके से आस्तियों से संबंधित सभी जोखिम/प्रतिफल और अधिकार/दायित्वों का अंतरण करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के तहत जिन्हें विशेष अनुमति दी गई है, उन्हें छोडकर, बिक्री के बाद आस्तियों में किसी प्रकार के लाभप्रद हितों को धारण नहीं करना चाहिए। खरीदार को गिरवी रखने, बिक्री, अंतरण या अदला बदली या अवरुद्ध करने वाली शर्तों से मुक्त अन्य माध्यमों से आस्तियों का निपटारा करने का निरंकुश अधिकार होना चाहिए। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बिक्री के बाद आस्तियों में कोई आर्थिक हित नहीं रखना चाहिए और खरीदार को, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमति प्रदत्त कारणों को छोडकर, बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से व्यय या हानि की पूर्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2.5.3 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर किसी भी समय आस्तियों या उसके किसी अंश या खरीदार द्वारा धारण की हुई स्थानापन्न आस्तियों की पुनः खरीद या निधीयन या अतिरिक्त आस्तियां उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं होगी, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जो आश्वासनों के भंग होने के कारण या बिक्री के समय किए गए अभिवेदनों के कारण उत्पन्न हुई हों। बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए कि खरीदार को इस आशय की नोटिस दी गई थी और खरीदार ने ऐसे दायित्वों की अनुपस्थिति की प्राप्ति सूचना दी थी।

2.5.4 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने खरीदार को हुई हानि की भरपाई करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं ली और न ही वह बाध्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी तर्कसंगत सावधानियां ली थीं, उसे यह सिद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

2.5.5 केवल नकदी के आधार पर ही बिक्री होगी और प्रतिफल आस्तियों के अंतरण के समय तक प्राप्त होना चाहिए। बिक्री प्रतिफल बाजार-आधारित होना चाहिए और मूल्यांकन समुचित दूरी के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

2.5.6 ऋण बिक्रेता यदि ऋण की सर्विसिंग करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, तो इससे लेनदेन की 'सच्ची बिक्री' का स्वरूप समाप्त नहीं होता , बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण बिक्री की गई आस्तियों पर अवशिष्ट ऋण जोखिम या ऐसी सेवाओं के संबंध में संविदात्मक कार्य-निष्पादन जिम्मेदारियों के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं आती ।

2.5.7 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कानूनी परामर्शदाता से राय लेकर अभिलेख में रखना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि (i) आस्तियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ खरीदार को अंतरित किए गए हैं। (ii) बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदार के प्रति ऊपर उल्लिखित पैरा 2.5.6 में दिए गए अनुसार इन आस्तियों के संबंध में सर्विसिंग जिम्मेदारियों के अलावा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है (iii) बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऋणदाताओं को इन आस्तियों के संबंध में, यहाँ तक कि बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में भी, कोई अधिकार नहीं होगा ।

2.5.8 खरीदार को आस्तियाँ अंतरण करने के बाद अंतर्निहित संविदा/संविदाओं की शर्तों पर कोई पुनर्निर्धारण, पुनर्रचना या पुन; समझौता हुआ हो तो वह खरीदार पर बाध्यकारी होगा और एमआरआर की सीमा को छोडकर , बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा ।

2.5.9 बिक्री करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आस्तियों के अंतरण के कारण अंतर्निहित संविदा का संचालन करने वाले किसी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी आवश्यक अनुमतियां बाध्यताधारी से (तृतीय पक्ष सहित, जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त करनी चाहिए।

2.5.10 यदि बिक्री करने वाला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिक्री के बाद अलग सेवा संविदा के तहत शुल्क लेकर सेवाएं उपल्ब्ध कराता है, और उधारकर्ता के भुगतान/ चुकौतियां उसके माध्यम से कराए गए हैं, तो उधारकर्ता से जबतक ये भुगतान प्राप्त न हों तब तक खरीदार को निधि के प्रेषण के लिए बिक्री करने वाला जिम्मेदार नहीं है।

2.6 वारंटी और अभिवेदन

अन्य वित्तीय संस्थाओं को, आस्तियां बिक्री करने वाले प्रवर्तक उन आस्तियों के संबंध में अभिवेदन और वारंटी दे सकता है । जहाँ निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो वहां विक्रेता को ऐसे अभिवेदन और आश्वासनों के लिए पूंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है ।

ए) कोई भी अभिवेदन या वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार के तहत दिया जाता है ।

बी)विक्रेता कोई भी अभिवेदन या वारंटी देने के या लेने के पहले पर्याप्त उचित सावधानी बरतता है ।

सी) अभिवेदन या वारंटी का संबंध वर्तमान परिस्थिति से है, जिसका आस्तियों की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

डी) अभिवेदन या वारंटी निरंतर स्वरूप की नहीं हो सकती और, खासकर, ऋण/अंतर्निहित उधारकर्ता के भावी साख से संबद्ध नहीं है।

ई) अभिवेदन और वारंटी का प्रयोग, जिसमें प्रवर्तक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री की गई आस्तियों के बदले में (या उसके किसी भाग के लिए) अभिवेदन और आश्वासन में दिए गए आधार पर दूसरी आस्ति रखे, निम्नानुसार किया जाना चाहिए :

* आस्तियों के अंतरण से 120 दिनों के भीतर : और
* मूल बिक्री के नियमों और शर्तों पर ही संचालित ।

एफ) जिस विक्रेता को अभिवेदन और वारंटी के भंग के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है वह ऐसा तभी करेगा जब क्षतिपूर्ति देने की संविदा निम्न शर्तों को पूरा करती है :

*अभिवेदन और वारंटी का भंग होना सिद्ध करने की जिम्मेदारी हर समय आरोप लगाने वाले पक्ष पर है
*विक्रेता पर भंग का आरोप करनेवाले पक्ष ने लिखित नोटिस जारी किया हो, जिसमें दावे के आधारों को स्पष्ट किया गया हो; और
*भंग के फलस्वरूप हुई सीधी हानि तक ही क्षतिपूर्ति सीमित होती है।

जी) विक्रेता को किसी अन्य वित्तीय संस्था को बेची गई आस्तियों के बदले में आस्ति देने की या अभिवेदन और वारंटी के भंग के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घटनाओं के संबंध में भारिबैं (गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को सूचित करना चाहिए।

2.7 आस्तियों की पुनःखरीद

सीधे समनुदेशन लेनदेन में बिक्रेता द्वारा अंतरित आस्तियों पर प्रभावी नियंत्रण को सीमित करने के उद्देश्य से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अंतरित आस्तियों पर "क्लिन अप-कॉल" के माध्यम सहित कोई पुनःखरीद की संविदा नहीं होनी चाहिए।

2.8 पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेक पूर्ण मानदण्ड की प्रयोज्यता

2.8.1 कार्पोरेट ऋणों की सीधी खरीद के लिए पूंजी पर्याप्तता ट्रीटमेंट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा सीधे प्रवर्तित किए गए ऋणों पर जिस तरह से लागू होता है उसी तरह लागू होगा । प्रतिभूतिकरण के के श्रृंख्ला में निवेश के पूंजी पर्यापता तथा प्रतिभूतिकरण लेनेदेन के लिए अन्य विवेकपूर्ण मानदण्ड को प्रभावित करेगी। बैंक, यदि चाहे तो, खरीदने के पहले ऋणों के समूह की रेटिंग करा सकता है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी समुचित सावधानी के अलावा ऋण समूह की

गुणवत्ता के संबंध में तृतीय पक्ष के दृष्टीकोण को समझ सके। तथापि, इस प्रकार की रेटिंग समुचित सावधानी का विकल्प नहीं बन सकती जिसे खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इस खंड के पैरा 2.2 की शर्तों के तहत पालन करना आवश्यक है ।

2.8.2 खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगें और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है । ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजंटो द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पार्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निरीक्षण अधिकारियों को खरीदार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

2.8.3 खरीदे गए ऋण अधिग्रहण लागत पर माने जाएंगे बशर्ते वे अंकित मूल्य से अधिक नहीं हों। अंकित मूल्य से अधिक होने पर भुगतान किया गया प्रीमियम सीधी रेखा पद्धति से या प्रभावी ब्याज दर पद्धति से, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, परिशोधित होना चाहिए । बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से घटाने की आवश्यता नहीं है। खरीदे गए ऋणों पर छूट /प्रीमियम को पोर्टफोलियो के आधार पर हिसाब में लेना चाहिए या अनुपातिक दर पर वैयक्तिक एक्सपोजरों में विभाजित करना चाहिए।

2.9 उक्त निर्धारित अपेक्षाओं का पालन न करने वाले एक्सपोजरों का ट्रीटमेंट

ऊपर उल्लिखित पैरा 2.1 से 2.8 में निहित अपेक्षाओं को जहाँ पूरा नहीं किया गया है वहां निवेशकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 667% का जोखिम भार असाइनमेंट एक्सपोजर पर लगायेगा । यद्यपि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गंभीरता से पैरा 2.1 से 2.4 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, इन पैराग्राफों के अनुपालन न करने की स्थिति में 667% का उच्च जोखिम भार 1 अक्तूबर 2012 से लागू हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 31 अक्तूबर 2012 के पहले पैरा 2.1 से 2.4 में निहित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और पद्धतियां लागू करनी चाहिए।

भाग सी
प्रतिभूतीकरण गतिविधियां/ एक्सपोजर जिनकी अनुमति नहीं दी गयी है

1. वर्तमान में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित प्रतिभूतीकरण गतिविधियां या प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर्स करने की अनुमति नहीं है ।

1.1 आस्तियों का पुनर्प्रतिभूतिकरण

पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र एक ऐसा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है जिसमें अंतर्निहित एक्सपोजर समूह से संबद्ध जोखिम श्रृंखलाबद्ध है और कम से कम एक अंतर्निहित एक्सपोजर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । इसके अलावा, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है । पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों की यह परिभाषा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के संपार्श्विकृत ऋण दायित्वों (सीडीओ) पर लागू होगी, उदाहरण के लिए आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित सीडीओ (आरएमबीएस) ।

1.2 संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण

संश्लिष्ट प्रतिभूतीकरण ऐसी संरचना है जिसके साथ जोखिम के कम से कम दो भिन्न स्तरीय पोजीशन होते हैं या ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जो ऋण जोखिम की भिन्न दशाएं प्रतिबिंबित करती हैं, जहाँ अंतर्निहित एक्सपोजर का समूह पूर्ण या अंशतः, (अर्थात् क्रेडिट-लिंक्ड नोटस्) या अनिधिक (अर्थात् ऋण चूक स्वैप) क्रेडिट डेरिवेटिव या गारंटियों के माध्यम से अंतरित की जाती हैं जो पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के बचाव का कार्य करती है । तदनुसार, निवेशकों की संभावित हानि अंतर्निहित समूह के कार्यनिष्पादन पर निर्भर है।

1.3 परिक्रामी संरचना के साथ प्रतिभूतीकरण (प्रारंभिक परिशोधन विशेषताओं सहित या उसके अतिरिक्त)

इनमें ऐसे एक्सपोजर आते हैं जहाँ उधारकर्ता किसी ऋण व्यवस्था (अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि और नकदी ऋण सुविधाएं) के अंतर्गत तयशुदा समय सीमा के भीतर आहरित राशि और चुकौती राशि में घट-बढ़ कर सकते हैं । विशिष्ट रूप से रिवाल्विंग संरचना में परिशोधित आस्तियां होंगी जैसे क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि, व्यापार में प्राप्य राशि, बिक्रेता फ्लोअरप्लान ऋण और कुछ पट्टे जो अपरिशोधन संरचना को समर्थन देती हैं, बशर्ते उनको समयपूर्व परिशोधन विशेषताओं के साथ न बनाया गया हो । समयपूर्व परिशोधन का अर्थ प्रतिभूतियों की उनकी सामान्य संविदात्मक परिपक्वता के पहले चुकौती है। समयपूर्व परिशोधन के समय तीन संभावित परिशोधन प्रक्रियाएं हैं ; (i) सीमित परिशोधन (ii) तीव्र या अनियंत्रित परिशोधन (iii) नियंत्रित परिशोधन के बाद अनियंत्रित परिशोधन (नियंत्रित अवधि समाप्त होने के पश्चात)

2. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों में प्रतिबंधित लेनदेनों की उपयुक्तता और औचित्य की यथा समय पुनः समीक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट-1

प्रकटीकरण के फार्मेट प्रस्ताव दस्तावेजों की आवश्यकता, सेवा रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट आदि.

प्रतिभूतिकरण लेन देन का नाम /पहचान सं.

	प्रकटी करण का स्वरूप	**विवरण**			**राशि/प्रतिशत/वर्ष**
1.	अंतर्निहित आस्तियों की परिपक्वता विशेषताएं प्रकटीकरण की तारीख को)/	i)	अंतर्निहित आस्तियों के भारित औसत परिपक्वता अवधि वर्षों में)		
		ii)	अंतर्निहित आस्तियों का परिपक्वता-वार वितरण/		
			ए)	एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			बी)	एक से तीन वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			सी)	तीन से पांच वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
			डी)	पांच वर्षों के बाद परिपक्व होने वाली आस्तियों का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतिकृत आस्तियों का न्यूनतम धारिता अवधि एमएचपी)	i)	आरबीआई दिशानिदेशों के तहत आवश्यक एमएचपी वर्ष / महिने)		
		ii)	ए)	प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतिकृत आस्तियों की भारित औसतन धारिता अवधि वर्ष / महिने)	
			बी)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम धारिता अवधि	
3	प्रकटीकरण की तारीख को न्यूनतम धारिता आवश्यकता एमआरआर)	i)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का आरबीआई दिशानिदेशों के तहत एमआरआर का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया।		
		ii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का वास्तविक प्रतिधारण और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया		
		iii)	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य में एमआरआर का गठन करने वाली धारित जोखिमों के प्रकार प्रतिभूतिकृत आस्तियों के बही मूल्य का प्रतिशत और प्रकटीकरण की तारीख को बकाया)		
			ए)	ऋण वृद्धि अर्थात क्या शेयरों में	

				निवेश/गौण श्रृंखला, प्रथम/दूसरी हानी गारंटी, नकदी संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विकीकरण में निवेश हैं।)	
			बी)	वरिष्ठ श्रृंखला में निवेश	
			सी)	चलनिधि आधार	
			डी)	अन्य कोई कृपय उल्लेख करें	
		iv)	भंग, कोई हो तो, और उसके कारण		
4	अंतर्निहित ऋणों की ऋण गुणवत्ता	i)	बकाया ऋणों का वितरण		
			ए)	30 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	31 से 60 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	61 से 90 दिनों तक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			डी)	90 और 120 दिनों के बीच बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			ई)	120 और 180 दिनों के बीच बकाया ऋणों का प्रतिशत	
			ऊ)	180 दिनों से अधिक बकाया ऋणों का प्रतिशत	
		ii)	अंतर्निहित ऋणॉ के निवेश खाते के लिए उपलब्ध मूर्त जमानत का विवरण वाहन, बंधक आदि.)		
			ए)	प्रतिभूति 1 नाम देने का) % रक्षित ऋण)	
			बी)	प्रतिभूति 2	
			सी)	प्रतिभूति 'एन'	
		iii)	अंतर्निहित ऋणो के लिए उपलब्ध सुरक्षा कवच की व्याप्ति		
			ए)	समूह में शामिल पूरीतरह से जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			बी)	समूह में शामिल अंशत: जमानती ऋणों का प्रतिशत	
			सी)	समूह में शामिल पूरीतरह से गैरजमानती ऋणों का प्रतिशत	
		iv)	रेटिंग वार अंतर्निहित ऋणॉ का वितरण		

			यदि यह ऋण रेटेड हैं)		
			ए)	एनबीएफसी की आंतरिक श्रेणी/ बाह्य श्रेणी आंतरिक ग्रेड का सर्वोच्च श्रेणी का 1 के रूप में उल्लेख कर सकते हैं)	
				1/एएए या समकक्ष	
				2	
				3	
				4.....	
				एन	
			बी)	समूह की भारित औसतन रेटिंग/	
		v)	अतीत में देखा गया समान निवेश खातों में चूक का दर		
			ए)	पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
			बी)	पिछले वर्ष के दौरान औसतन वार्षिक चूक का दर	
		vi)	समरूप पोर्ट फोलियों वालों का अपग्रेडेशन /वसूली/ हानी दर		
			ए)	उन्नत एनपीए का प्रतिशत पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			बी)	वर्ष के प्रारंभ में एनपीए की बट्टेखाते डाली गई राशि का प्रतिशत पिछले पांच वर्षों का औसत)	
			सी)	वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए की वसूली गई राशि पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		vii)	एलटीवी अनुपात के वितरण की आवृति, आवसीय ऋण के मामले में और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण)		
			ए)	एलटीवी अनुपात से 60% से कम ऋण का प्रतिशत	
			बी)	एलटीवी अनुपात से 60 से 70% के बीच ऋण का प्रतिशत	
			सी)	एलटीवी अनुपात से 75% से	

				अधिक ऋण का प्रतिशत	
			डी)	अंतर्निहित ऋणों के एलटीवी अनुपात का भारित औसत%)	
5	ऋण समूह की अन्य विशेषताएं	i)	मिश्र समुहों के मामलों में ऋणों का उद्योगवार अलग अलग विवरण%)		
			उद्योग 1		
			उद्योग 2		
			उद्योग 3....		
			उद्योग एन		
		ii)	ऋण समुहों का भौगोलिक वितरण राज्यवार) %)		
			राज्य 1		
			राज्य 2		
			राज्य 3		
			राज्य 4		

परिशिष्ट-2

एनबीएफसी लेखा नोट टिप्पणियों में की जाने वाली घोषणा

क्रम सं.	विवरण	सं. /राशि करोड रूपयों में
1.	प्रतिभूतिकरण व्यवहारों के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या[19]	
2.	एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित, एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के साथ अनुपालन के लिए एनबीएफसी द्वारा एक्सपोजर की प्रतिधारित कुल राशि	
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर्स	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
4	एमआरआर के इतर प्रतिभूतिकरण व्यवहारों में एक्सपोजर की राशि	
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोजर्स	
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों की एक्सपोजर्स।	
	* प्रथम घाटा	
	* प्रथम घाटा	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य / Others	
	बी) तुलनपत्र पर एक्सपोजर	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	
	ii) तृतीय पक्ष पतिभूतिकरण की एक्सपोजर	
	* प्रथम घाटा	
	* अन्य	

अनुबंध XVI

एनबीएफसी द्वारा एनसीडी 1 वर्ष से अधिक समय पर परिपक्वता) का प्राइवेट प्लेसमेंट पर दिशानिदेश:

1. एनबीएफसी को स्रोत योजना के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, योजना का दायरा तथा प्राइवेट प्लेसमेंट की आवधिकता कवर हो।

2. यह मामला निम्नलिखित निदेशों द्वारा विनियमित होगा:

(i) प्रत्येक निवेशक द्वारा न्यूनतम रू. 20,000 बीस हजार रूपए) का अभिदान होगा;

(ii) एनसीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट का निर्गम दो श्रेणियों में होगा जैसे प्रत्येक निवेश द्वारा रू 1 करोड़ से कम अधिकतम अभिदान वाली तथा रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक अभिदान वाली;

(iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम रू 1 करोड़ से कम एनसीडी जारी करने के लिए अभिदान की सीमा 200 होगी तथा इस प्रकार का अभिदान पूर्णत: प्रतिभूत होंगे;

(iv) रू 1 करोड़ तथा उससे अधिक एनसीडी जारी करने के संबंध में न्यूनतम अभिदान की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी तथा अभिदानकर्ता के पक्ष में प्रतिभूति बनाने का विकल्प जारीकर्ता के पास होगा। इन निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रतिभूत रहित डिबेंचर को सार्वजनिक जमाराशि नहीं माना जाएगा।

(v) एनबीएफसी अपने तुलन पत्र में निधियों के विनियोजन हेतु डिबेंचर जारी कर सकती है तथा इसका प्रयोग ग्रूप कंपनी/पार्टनर कंपनी/ सहयोगी कंपनी के निधि स्रोत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(vi) एनबीएफसी अपनी डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा सार्वजनिक निर्गम दोनों प्रकार के) को प्रतिभूत रख कर ऋण नहीं दे सकती है।

3. एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली कर छूट वाली बॉंड को इस परिपत्र की प्रयोजनियता से छूट प्राप्त है।

4. एक वर्ष की परिपक्वता वाली एनसीडी के लिए, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचर का निर्गमन रिज़र्व बैंक) निदेश-2010 पर जारी 23 जून 2010 का दिशानिदेश लागू होगा।

अनुबंध XVII

वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूली: अर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनरुद्धारित करने के लिए रूपरेखा

बढते एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्य योजना

1.1 दबाव की जल्द पहचान करना तथा इसकी रिपोर्टिंग बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी सीआरआईएलसी) को करना।

1.1.1 ऋण खाता का एनपीए बनने से पूर्व, एनबीएफसी को निम्नलिखित सारणी के अनुसार तीन उप - श्रेणी के साथ उप -परिसंपत्ति श्रेणी यथा 'विशेष वर्णित खाता' एसएमए) बनाकर खाता के प्रारंभिक दबाव का पता लगाना होगा:

एसएमए उप -श्रेणी	वर्गीकरण का आधार
एसएमए-0	मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया ना हो परंतु खाते में आरंभिक दबाव के चिह्न दिखाई देते हो जैसा कि 30 जनवरी 2014 की संरचना के (अनुबंध में वर्णित है।
एसएमए -1	31-60 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान
एसएमए -2	61-180 दिनों के बीच बकाया मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान

1.1.2 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी 13 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र में बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण सीआरआईएलसी), स्टोर तथा ऋणदाता के ऋण डाटा का आदान-प्रदान के लिए सेंट्रल रिपोजीटरी की स्थापना की गई। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संक्षेप में अधिसूचित एनबीएफसी) को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग पद्धति की स्थापना होने पर अनिवार्य रूप से तिमाही आधार पर संबंधित ऋण सूचना की रिपोर्टिंग अनुबंध ॥ में दिए गए फार्मेट में सीआरआईएलसी को करें। तब तक वे सूचना हार्ड कॉपी में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को अग्रेषित करें। डाटा में सभी उधारकर्ताओं के रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर और उधारकर्ता की एसएमए स्थिति शामिल होना चाहिए। अधिसूचित एनबीएफसी को रू5 करोड़ तथा उससे अधिक का निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित एक्सपोजर वाले अपने उधारकर्ताओं का सही पैन ब्योरा, आयकर अभिलेख से विधिवत प्रमाणित किया गया, के साथ तैयार रखना चाहिए।

1.1.3 वैयक्तिक अधिसूचित एनबीएफसी को एसएमए-1 और एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों का ध्यानपूर्वक निगरानी करना चाहिए, क्योंकि यह खातों के कमजोरी का प्रारंभिक सावधानी प्रतीक होते है। कमियों को शीघ्र दूर करने हेतु उधारकर्ताओं के साथ मामले को उठाएं। तथापि, एक अथवा एक से अधिक उधारदाता बैंकों/अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा

खातों को यथा शीघ्र एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट करना, यह अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाताओं के फोरम जेएलएफ) और संरचना के पैरा 2.3 में विनिर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई योजना सीएपी) (अनुबंध) के निरुपण को गति प्रदान करेगा। अधिसूचित एनबीएफसी को समुचित प्रबंधन सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को आवश्यक रूप से एक स्थान पर रखना चाहिए ताकि किसी भी खाते में 60दिनों से अधिक बकाया मूलधन अथवा ब्याज को 61वें दिन एसएमए-2 के रूप में रिपोर्टिंग अनुबंध III में दिए गए फार्मेट में, हार्ड प्रति में, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई-400 005 को करें। एनबीएफसी को एक्सबीआरएल संरचना में शीघ्र रिपोर्टिंग का प्रयास करना चाहिए।

1.2 त्वरित प्रावधानीकरण

1.2.1 ऐसे मामलों में जहां एनबीएफसी, सीआरआईएलसी को खाते का एसएमए स्थिति रिपोर्ट करने में विफल होती है अथवा खाते की वास्तविक स्थिति को जानबूझकर गुप्त रखती है अथवा खाते को हमेशा सतत दिखाती है, ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को इन खातो के प्रति त्वरित प्रावधानीकरण करना चाहिए और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गैर निष्पादित खातो के संबंध में वर्तमान प्रावधानीकरण मापदंड तथा संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण निम्न प्रकार से है:

परिसंपत्ति वर्गीकरण	एनपीए की अवधि	एनबीएफसी के लिए एनपीए की अवधि	एनबीएफसी वर्तमान प्रावधानीकरण* %)	बैंकों और प्रस्तावित एनबीएफसी के लिए संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण %)
उप -मानक प्रतिभूत)	6 माह तक			कोई परिवर्तन हीं
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत के लिए 10	25
उप-मानक गैर प्रतिभूत नए सिरे से)	6 माह तक	--		25
		--		
	6 माह से 1 वर्ष तक	6 माह से डेढ वर्ष तक	10	40
		6 माह से डेढ वर्ष तक	10	
संदिग्ध I	द्वितीय वर्ष	एक वर्ष तक (प्रतिभूत भाग)	20	40 (प्रतिभूत भाग)
		एक वर्ष तक (गैर प्रतिभूत भाग)	100	100 (गैर प्रतिभूत भाग)
		1-3 वर्ष	प्रतिभूत भाग के लिए 30 तथा गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100	एनबीएफसी उक्त को अंगीकृत कर सकती है अर्थात 40 और 100

संदिग्ध II	तृतीय और चतुर्थ वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	गैर प्रतिभूत भाग के लिए 100 तथा प्रतिभूत भाग के लिए 50	प्रतिभूत तथा गैर प्रतिभूत दोनो के लिए 100
संदिग्ध III	पांच वर्ष तथा उससे आगे के लिए			100

1.2.2 इसके अतिरिक्त, कोई उधारदाता जो जेएलएफ द्वारा सीएपी के तहत पुनर्रचना के निर्णय के लिए सहमत है तथा अंतर क्रेडिटर करार आईसीए) और डेबटर क्रेडिटर करार डीसीए) का हस्ताक्षरकर्ता है, किंतु बाद में अपने रूख में परिवर्तन करता है अथवा पैकेज के कार्यान्वयन में विलम्ब/मना करता है वह भी इस उधारकर्ता के लिए अपने एक्सपोजर पर उक्त विनिर्दिष्ट त्वरित प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अधीन होंगे; अर्थात - यदि यह एनपीए के रूप में वर्गीकृत है। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% होगी। इसके अतिरिक्त, उधारदाता द्वारा ऐसी कोई भी बैकट्रैकिंग से पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति के दौरान नकरात्मक पर्यवेक्षी दृष्टिकोण बनेगा।

1.2.3 वर्तमान में, परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार अलग- अलग एनबीएफसी की वसूली अभिलेख पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक एनबीएफसी के स्तर पर परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के आधार पर प्रावधानीकरण किया जाता है। तथापि, यदि उधारदाता जेएलएफ का संयोजन करने में विफल होता है अथवा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सामान्य सीएपी के सहमति पर विफल होता है तब उक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार खाता त्वरित प्रावधानीकरण के अधीन होगा, यदि खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत है तो। यदि खाता उन उधारदताओं के बही में मानक है तब प्रावधानीकरण आवश्यकता 5% की होगी।

1.3 "असहयोगी उधारकर्ता"

1.3.1 सभी अधिसूचित एनबीएफसी को "असहयोगी उधारकर्ताओं" की पहचान करना चाहिए। एक "असहयोगी उधारकर्ता" को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि 2 अनुस्मारक के बाद भी उधारदाता से अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा मंजूरी के शर्तों के अनुसार प्रतिभूतियों की उपलब्धता आदि से मना करने वाला, अथवा निर्धारित समयावधि के अंदर ऋण करार के अन्य नियम का पालन नहीं करने वाला अथवा एनबीएफसी के साथ चुकौती के मामलें में विचारविमर्श में प्रतिकूल/उदासीन अथवा मना करने का रूख रखने वाला अथवा कुछ समाधान का झुठा वादा करके समय से खेलने वाला या ऐसे ऋण ऋणदाता के हित में समय के संकल्प को विफल करने के लिए मुकदमेबाजी के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति बनाने वाला। उधारकर्ताओं को उनका नाम असहयोगी उधारकर्ता के रूप में रिपोर्ट करने से पूर्व उन्हें अपना मत स्पष्ट करने के लिए 30 दिनों की समयावधि दी जाए।

1.3.2 उधारदाताओं के वास्तविक समाधान/वसूली के प्रयास में उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं का असहयोगी तथा अनुचित बनने को हतोत्साहित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ताओं को उचित सूचना देना चाहिए तथा यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तब ऐसे उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाए। अधिसूचित एनबीएफसी द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की रिपोर्टिंग सीआरआईएलसी को किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ताओं के नए ऋण/एक्सपोजर सहित ऐसे प्रोमोटर्स/निदेशक द्वारा प्रायोजित अन्य कंपनी के नए ऋण/एक्सपोजर के लिए भी अथवा ऐसी

कंपनी जिसके बोर्ड में इस असहयोगी उधारकर्ता का निदेशक कोई प्रोमोटर्स/निदेशक हो, के संबंध में उच्च/त्वरित प्रावधानीकरण करना होगा। यह प्रावधानीकरण ऐसे मामलों पर लागू होगा जहां दर 5% का है तथा मानक खाता और त्वरित प्रावधानीकरण किया गया हो यदि यह एनपीए है। चूंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ता के एक्सपोजर पर अपेक्षित हानि उच्च होने की संभावना है अत: इस प्रकार का विवेकपूर्ण उपाय किया जाए।

2. बोर्ड निगरानी

2.1 एनबीएफसी के निदेशक मंडल को उनके बही में परिसंपत्ति की गुणवत्ता ह्रास को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा। उधारदाता की सक्रियता से परिसंपत्ति गुणवत्ता में समस्या की जल्द पहचान की जा सकती है जो संरचना में आवश्यक निहित समाधान है तथा सीआरआईएलसी का उपयोग कर इसे जल्द से जल्द परिचालनगत बनाया जाए।

2.2 बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि ऋण सूचना का समय पर प्रावधान और सीआरआईएलसी से ऋण सूचना प्राप्त करना, शीघ्र जेएलएफ का निर्माण, जेएलएफ प्रक्रिया की निगरानी के लिए नीति बनाया जाए तथा उक्त नीति की आवधिक समीक्षा की जाए।

3. ऋण जोखिम प्रबंधन

3.1 अधिसूचित एनबीएफसी को ऋण के सभी मामलों में अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण और ऋण मूल्यांकन घटक अपनाना चाहिए तथा वाह्य सलाहकार, विशेषकर उधारकर्ता संस्था के इन-हाउस सलाहकार द्वारा तैयार ऋण मूल्यांकन रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सूक्ष्म रूप से जांच/ परिप्रेक्ष्य विवेचना करना चाहिए, विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में जहां विलम्ब के साथ साथ परियोजना की लागत में बढोत्तरी होती है। सुधारात्मक कार्य योजना सीएपी) तय करते समय परियोजना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना सहायक होगा। एनबीएफसी को प्रोमोटर्स/शेयरधारकों द्वारा उपलब्ध की गई इक्विटी पूंजी की स्रोत तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। बहु लीवरेजिंग एक चिंता का विषय है विशेषकर बुनियादी परियोजनाओं में क्योंकि यह वित्तीय अनुपात जैसे कर्ज/इक्विटी अनुपात, उधारकर्ता के चयन में प्रतिकूल भूमिका को छद्मवार प्रभावित करता है। अत: एनबीएफसी को ऋण मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी के कर्ज को सहायक/एसपीवी के इक्विटी पूंजी में समावेशित नहीं किया जाए।

3.2 ऋण मूल्यांकन के समय अधिसूचित एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का कोई निदेशक का नाम डीआईएन/पीएएन आदि के संदर्भ में चूककर्ता की सूची में प्रदर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त, समरूप नाम के मामले में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो एनबीएफसी को उधारकर्ता कंपनी से घोषणा पत्र लेने के बजाए अपने स्वतंत्र माध्यम से पहचान की पुष्टि करनी चाहिए।

3.3 उक्त के अलावा, अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि निधि का उचित उपयोग और उधारकर्ता द्वारा निधि का अपयोजन/साइफन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएफसी को उधारकर्ता के लेखा परीक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर भरोसा किए बिना स्वयं अपने लेखा परीक्षकों को ऐसे प्रमाणीकरण कार्य में शामिल करना चाहिए। तथापि, यह एनबीएफसी के लिए मामले में स्वयं का न्यूनतम तत्परता का विकल्प नहीं है।

4. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी के गैर निष्पादित आस्तियों एनपीए) की खरीद/बिक्री

4.1 बैंपविवि का गैर निष्पादित आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश एनबीएफसी पर भी लागू) पर परिपत्र को बैंपविवि के मास्टर परिपत्र "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड" में समेकित और अद्यतन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया गया है:

बैंक के बही की गैर निष्पादित आस्ति केवल अन्य बैंकों को बिक्री के लिए पात्र होंगी यदि यह बिक्रीकर्ता बैंक के बही में कम से कम पिछले दो वर्षों से गैर निष्पादित आस्ति के रूप में बनी रही हो तो।

गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक द्वारा इसे अन्य बैंक को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 15 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा।

4.2 उक्त में थोड़ा संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि एनबीएफसी अपने एनपीए को बिना किसी प्रारंभिक धारण अवधि के अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एनबीएफसी एससी/आरसी को छोड़कर) को बेच सकती है। तथापि, *गैर निष्पादित आस्ति को खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा इसे अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी एससी/आरसी को छोड़कर) को बिक्री करने के पूर्व कम से कम 12 माह की अवधि के लिए अपने बही में रखना होगा। ऐसी आस्तियों का खरीदकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी के बही में आस्ति वर्गीकरण पर मौजूदा दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन नहीं है।*

SMA-0 दबाव के लक्षण

एक खाता को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दबाव के लक्षण की व्याख्यात्मक सूची:

1 ए) स्टॉक विवरण / अन्य निर्धारित परिचालन नियंत्रण विवरण या (बी) ऋण निगरानी या वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने अथवा (सी) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर सुविधाओं के अनवीकरणीय में 90 दिन या उससे अधिक की देरी।

2 ऋण स्वीकृति के लिए स्वीकार किए गए अनुमानों से वास्तविक बिक्री / परिचालन लाभ में 40% या उससे अधिक की कमी; या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्टॉक आडिट के करने से असहयोग या अननुमोदित उद्देश्य के लिए धन के अपयोजन का साक्ष्य ।

3 खाते में शेष / डी पी की अनुपलब्धता के आधार पर उधारकर्ताओं द्वारा जारी 3 या उससे अधिक चेक (या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट निर्देश) की 30 दिनों में वापसी अथवा 3 या उससे अधिक बिल / चेक डिस्काउंट किए अथवा उधारकर्ता द्वारा संग्रह के तहत भेजे गए।

4 आस्थगित भुगतान गारंटी (डीपीजी) किस्तों अथवा बैंक गारंटी (BGs) का लागू होना और 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान न होना

5 मूल मंजूरी के संदर्भ में निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूतियों के निर्माण या पूर्णता के समय विस्तार के लिए अथवा किसी अन्य नियम और मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के लिए तीसरा अनुरोध ।

6 उधारकर्ता द्वारा व्यापार और वित्तीय में दबाव रिपोर्टिंग।

7 प्रमोटर द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी में वित्तीय दबाव के कारण अपने शेयर बेचना/गिरवी रखना।

संलग्नक- (बी)

संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन

अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि उधारदाताओं ने सीआरआईएलसी को एक खाता के एसएमए-2 के रूप में होने की सूचना दी है तो यदि खाते में कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये और ऊपर है [निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक साथ] तो जल्द ही अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) कहलाने वाली समिति का गठन करना चाहिए। उधारदाताओं के पास एक जेएलएफ़ बनाने का विकल्प तब भी होता है जब एक खाते में एई 1000 लाख रुपये से कम और / या खाता एसएमए -0 या एसएमए-1 के रूप में रूप में होने की सूचना दी है।

1.2 कंसोर्टियम खातों के लिए मौजूदा कंसोर्टियम व्यवस्था जेएलएफ़ के रूप में काम करेगी जिसमे कंसोर्टियम नेता संयोजक के रूप में काम करेगा, विविध बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के खातों के लिए उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जल्द से जल्द जेएलएफ़ बुलाएगा और खाते पर क्रेडिट सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा। होगी । एक उधारकर्ता के लिए उधारदाताओं के कई संघ होने पर(कार्यशील पूंजी और अवधि के ऋणों के लिए अलग कंसोर्टियम) ऐसे मामले में उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जेएलएफ़ आयोजित करेगा।

1.3 उधारकर्ता आसन्न तनाव के कारण प्रमाण आधार के साथ जेएलएफ़ के गठन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।जब इस तरह का अनुरोध एक ऋणदाता द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे खाते को सीआरआईएलसी को एसएमए-0 के रूप में सूचित किया जाना चाहिए, और ऋण दाता को कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये के ऊपर है होने पर जल्द ही संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि एसएमए -0 रिपोर्टिंग के अन्य मामलों में वर्तमान में जेएलएफ़ का गठन वैकल्पिक है ।

1.4 सभी उधारदाताओं को जेएलएफ़ के कामकाज के लिए व्यापक नियम शामिल कर एक समझौता तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एक मास्टर जेएलएफ़ समझौते और जेएलएफ़ के लिए परिचालन दिशा निर्देश को तैयार करेंगे जिसे सभी उधारदाताओं द्वारा अपनाया जा सकता है । जेएलएफ़ को खाते में अनियमितताओं / कमजोरियों को ऋण लेने वाले द्वारा ठीक करने की संभावना का पता लगाना चाहिए। जेएलएफ़ वित्तपोषित परियोजना के कार्यान्वयन में एक भूमिका है रखने वाले केंद्र / राज्य सरकार / परियोजना अधिकारियों / स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते है।

1.5 जेएलएफ़ गठन और बाद की सुधारात्मक कार्रवाई 1000 करोड़ एयर अधिक के एई होने वाले खातों में अनिवार्य हो जाएगा जबकि अन्य मामलों में भी उधारदाताओं को बारीकी से संपत्ति की गुणवत्ता पर नजर रखने और प्रभावी समाधान के लिए उचित समझी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

2 जेएलएफ़ द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (कैप)

2.1 जेएलएफ़ खाते में तनाव को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकता है। इरादा एक विशेष संकल्प विकल्प जैसे भुगतान अनुसूची पुन: बनाना या वसूली को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि आर्थिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य के साथ ही उधारदाताओं के ऋण संरक्षित करने के लिए जल्दी और संभव समाधान पर पहुंचना है। जेएलएफ़ द्वारा कैप के तहत विकल्प मे आम तौर पर शामिल होगा:

(ए) सुधार - खाते को नियमित करने के लिए ऋण लेने वाले से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाते एसएमए स्थिति से बाहर आए या एनपीए की श्रेणी में नहीं जाए। प्रतिबद्धता को आवश्यक समय अवधि के भीतर और मौजूदा उधारदाताओं की ओर से किसी भी नुकसान या बलिदान को शामिल किए बिना पहचान योग्य नकदी प्रवाह के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रमोटर अतिरिक्त पैसे लाने या खाते को नियमित करने की स्थिति में नहीं हैं तो जेएलएफ़ को उधारकर्ता के परामर्श से कंपनी के लिए कुछ अन्य इक्विटी/ रणनीतिक निवेशकों को मिलने की संभावना की तलाश करनी चाहिए । इन उपायों का उद्देश्य संस्था / कंपनी के ऋण के नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना सुधार करना है । जेएलएफ़ अगर आवश्यक हो तो सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऋण लेने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है। हालांकि यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्तपोषण खाता कभी एवर ग्रीनिंग के उद्देश्य से प्रदान नहीं की है ।

(बी) भुगतान अनुसूची पुन: बनाना - यदि प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है तो खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर विचार होना चाहिए और इसके लिए धन का डाइवर्जन, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर उनके व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए प्रमोटरों से प्रतिबद्धता जो उनकी निवल मूल्य के स्टेटमेंट के साथ संपत्ति को कानूनी हक की प्रतियां द्वारा समर्थित और इस घोषणा के साथ प्राप्त किया जा सकता है कि वे जेएलएफ़ की अनुमति के बिना संपत्ति का निपटान करने वाला किसी भी प्रकार का लेन - देन का नहीं करेंगे । ऋण की सुरक्षा / वसूली को प्रभावित करने वाला उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है। इस कार्रवाई के स्थायी होने के लिए, जेएलएफ़ में उधारदाताओं को एक इंटर ऋणदाता करार (आईसीए) पर उधारकर्ता को देनदार ऋणदाता करार (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे किसी भी भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलेगा । आईसीए और डीसीए द्वारा निगमित ऋण रिस्ट्रक्चर(सीडीआर) तंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप को उपयुक्त बदलाव के साथ यदि आवश्यक हो अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, एक स्टैंड स्टील'[9] प्रावधान भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की सहज प्रक्रिया को सक्षम करने के

[9] इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2.3 और 2 .4 में बताए गए समय सीमा के अनुसार "स्टैंड स्टीलसमझौता डीसीए " पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी की तारीख तक की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, देनदार और लेनदार दोनों एक कानूनी रूप से बाध्यकारी 'स्टैंड स्टील' के लिए सहमत होगा जहा दोनों पार्टिया 'स्टैंड स्टील' के दौरान किसी भी अन्य पर कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध है । यह न्यायिक या अन्यथा किसी भी बाहर के हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण रिस्ट्रक्चर गतिविधि करने के लिए आवश्यक होगा। हालांकि 'स्टैंड स्टील' अन्य पार्टी के खिलाफ ऋणदाता द्वारा या ऋण लेने वाले को केवल किसी भी सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा और किसी भी आपराधिक कार्रवाई को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा 'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान, बकाया विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, व्युत्पन्न उत्पादों आदि को क्रिस्टलाइज़ किया जा सकता है यदि उधारकर्ता ऐसे क्रिस्टलीकरण के लिए सहमत है । इसके अलावा उधारकर्ता घोषणा करेगा कि

लिए डीसीए में निर्धारित किया जा सकता है। 'स्टैंड स्टील' प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता को उधारदाताओं को भुगतान करने से रोका गया है। आईसीए निर्धारित कर सकते हैं कि अंतिम समाधान से दोनों सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार सहमत हो।

(सी) वसूली - पहले ऊपर के दो विकल्प (ए) और (बी) संभव नहीं है, तो वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। जेएलएफ़ उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों मे से प्रयासों और परिणामों के अनुकूलन के अनुसार सबसे अच्छा वसूली की प्रक्रिया तय कर सकते हैं।

2.2 जेएलएफ़ में न्यूनतम मूल्य से 75% लेनदारों और संख्या से 60%लेनदारों के सहमति से निर्णय से खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा और आईसीए की शर्तों के तहत सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा। हालांकि यदि जेएलएफ़ वसूली के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेता है तो बाध्यकारी निर्णय के लिए किसी भी प्रासंगिक कानूनों / अधिनियमों के तहत न्यूनतम मापदंड लागू होगा।

2.3 जेएलएफ़ को (i) एक या एक से अधिक ऋणदाता के द्वारा खाते को एसएमए-2 के रूप में सूचित किया जा रहा है या ii) उधारकर्ता द्वारा उपयुक्त आधार के साथ, यदि उसे आसन्न तनाव का पता चलता है, जेएलएफ़ बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हो से 30 दिनों के भीतर कैप के लिए अपनाया जाने वाले विकल्प पर एक समझौते पर पहुंचना आवश्यक होगा। जेएलएफ़ को ऐसे समझौते पर पहुंचने की तिथि से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम कैप से बाहर निकलना चाहिए।

2.4 यदि जेएलएफ़ 2.1 (ए) और (बी)विकल्प पर फैसला लेता है, लेकिन खाता विकल्प 2.1 (ए) और (बी) के तहत सहमत शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो जेएलएफ़ को विकल्प 2.1 (सी) के तहत वसूली आरंभ करना चाहिए ।

(3) भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया

3.1 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रूडेंशियल दिशा निर्देश व्यक्तिगत और / कंसोर्तीयम व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली और मानक निर्धारित करते है। निगमित ऋण रिस्ट्रक्चरतंत्र (सीडीआर) बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा व्यक्तिगत और / कंसोर्तीयम अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा है जिसमें लेनदार लेन - देन आधारित समझौतों पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकते हैं ।

3.2. जेएलएफ़ कैप के रूप में खाते की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का निर्णय लेता है तो, इसे उपरोक्त पैरा 2.1 के तहत भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का निर्णय लेने के बाद इसे सीडीआर सेल या सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र प्रणाली अपनाने का विकल्प होगा।

3.3 जेएलएफ़ द्वारा भुगतान अनुसूची पुन: बनाना

'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान दस्तावेज लिमिटेशन की अवधि के लिए बढ़ा दिए जाएंगे और किसी अन्य प्राधिकारी को किसी भी राहत के लिए संपर्क नहीं करेंगे। ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक 'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे ।

3.3.1 यदि जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र किसी खाते का भुगतान अनुसूची पुन: बनाने करने का फैसला करता है तो जेएलएफ़ को विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए, और व्यवहार्य पाया गया, तो अंतिम कैप से साइन ऑफ करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए।

3.3.2 5000 करोड़ से कम की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को जेएलएफ़ की मंजूरी होनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए सूचना अगले 15 दिनों के भीतर उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओ को दी जानी चाहिए।

3.3.3 5000 करोड़ और उससे अधिक की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी)[10] द्वारा मूल्यांकन के अधीन होना होगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन की अवधि के भीतर इन मामलों में अपनी सिफारिश देने के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरके साथ आगे जाने का फैसला करती है तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज उधारदाताओं और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर सहमति से सभी नियमों और शर्तों सहित, सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होगा और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को सूचित करना होगा।

3.3.4 मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ सीडीआर तंत्र के तहत रिस्ट्रक्चर किया गया खातो पर लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए जेएलएफ़ के गठन की तारीख को खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण ध्यान में लिया जाएगा।

3.3.5 उपर्युक्त समय सीमा अधिकतम अनुमत समय अवधि हैं और जेएलएफ़ को सरल रिस्ट्रक्चरिंग के मामलों में जल्द से जल्द एक रिस्ट्रक्चर पैकेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

3.3.6 जेएलएफ़ द्वारा एक या एक से अधिक उधारदाताओं द्वारा केवल मानक, एसएमए या उप मानक के रूप में सूचित रिस्ट्रक्चर संपत्ति के मामलों किया जाएगा। आम तौर पर संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत कोई खाता रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जेएलएफ़ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, मामलों में जहां ऋण का एक छोटा सा हिस्सा संदिग्ध है यदि कम से कम 90% लेनदारों (मूल्य से) की बहियो में खाते मानक / उप मानक है तो खाता रिस्ट्रक्चर करने के लिए जेएलएफ़ के तहत विचार किया जा सकता है।

3.3.7 खाते की व्यवहार्यता जेएलएफ़ द्वारा अपने निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानक पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, पैरामीटर मे डेट इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी / वर्तमान अनुपात और रिस्ट्रक्चर किए गए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र द्वारा अपनाई व्यवहार्यता मापदंडों को मानक मान सकते हैं ('एनबीएफसी द्वारा

[10] आईईसी का गठन और स्वतंत्र विशेषज्ञों के लिए फीस के भुगतान पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा फैसला किया जाएगा।

ऋणों की रिस्ट्रक्चरिंग पर प्रूडेंशियल दिशानिर्देश की समीक्षा' पर 23 जनवरी 2014 को जारी परिपत्र No.DNBS.CO.PD.No.367/03.10.01/2013-14 के परिशिष्ट में वर्णित किए अनुसार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग प्रदर्शन संकेतक को ध्यान मे लेकर उपयुक्त समायोजन कर अपना सकते है।

3.4 सीडीआर सेल को जेएलएफ़ द्वारा भेजा गया रिस्ट्रक्चरिंग

3.4.1 पैरा 2.1 के तहत रिस्ट्रक्चर करने का निर्णय लिए जाने के बाद यदि जेएलएफ़ खाते को सीडीआर सेल के पास भेजने का फैसला करता है तो निम्न प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

3.4.2 चूंकि खाते की प्रारंभिक व्यवहार्यता पर पहले से ही जेएलएफ़ द्वारा निर्णय लिया गया है, सीडीआर सेल को सीधे जेएलएफ़ के परामर्श से और जेएलएफ़ के संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग योजना तैयार करना चाहिए ।

3.4.3 ₹ 5000 मिलियन और उससे कम की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी के लिए सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा निर्देशों के तहत, सीडीआर ईजी अनुमोदन या संशोधनों के सुझाव दे सकता है कि लेकिन सुनिश्चित करे कि अंतिम निर्णय सीडीआर सेल के संदर्भ की तारीख से 90 दिनों की कुल अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिसे 180 दिनों की अधिकतम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जेएलएफ़ द्वारा सीडीआर सेल में भेजे मामलों को अंत में अगले 30 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी द्वारा तय करना होगा। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

3.4.4 5000 मिलियन और उससे अधिक की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी) द्वारा मूल्यांकन के अधीन होना होगा। पैराग्राफ 3.3.3 में दिये अनुयासर आईईसी का गठन और अन्य विवरण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अलग से बैंकों को सूचित किया जाएगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष हैं। आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन की अवधि के भीतर इन मामलों में अपनी सिफारिश देने की अपेक्षा होगी । इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरिंग के साथ आगे जाने का फैसला करती है तो इसे सीडीआर सेल को अग्रेषित किया जाएगा और सीडीआर सेल द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को आईईसी से मत प्राप्ति के कुल 7 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी को सूचित किया जाएगा । उसके पश्चात सीडीआर ईजी अगले 30 दिनों के भीतर अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृति के लिए निर्णय लेगा । यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

4. जेएलएफ/सीडीआर सेल द्वारा पुनर्रचना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें।

4.1 जेएलएफ और सीडीआर दोनो पद्धति के तहत, पुनर्रचना पैकेज भी टाइमलाइन में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके दौरान व्यवहार्य माइलस्टोन जैसे समय अवधि यथा 6 माह अथवा 1 वर्ष और उसके बाद भी निश्चित वित्तीय अनुपात में सुधार)

को प्राप्त किया जा सके। जेएलएफ खाते का माइलस्टोन प्राप्त करना/नहीं प्राप्त करने के संबंध में अनिवार्य आवधिक समीक्षा किया जाए तथा वसूली के उपाय जैसा उचित समझा जाए को शामिल करते हुए समुचित उपाय प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

4.2 जेएलएफ अथवा सीडीआर के तहत विनिर्दिष्ट समय अवधि में पुनर्रचना को पूरा किया जाना है। जेएलएफ तथा सीडीआर सेल का विनिर्दिष्ट टाइमलाइन में बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि समग्र समय सीमा भंग ना हो। पुनर्रचना के किसी भी प्रणाली में यदि जेएलएफ/सीडीआर को गतिविधि के लिए निर्धारित सीमा से कम समय लगता है तो अन्य गतिविधि के लिए शेष समय का उपयोग पर निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते समग्र समय सीमा भंग ना हो।

4.3 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि शेयर धारक, डेट धारक के बजाए पहला हानि वहन करें। इस सिद्धांत के आलोक में तथा प्रोमोटर्स का "स्कीन इन द गेम/ इसमें बने रहना" को सुनिश्चित करने के लिए, जेएलएफ/सीडीआर को ऋण पुनर्रचना करते समय निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना चाहिए:

- प्रोमोटर्स द्वारा उधारदाता के उठाए गए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के इक्विटी का हस्तांतरण की संभावना;
- प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में और इक्विटी डालना चाहिए;
- प्रोमोटर्स का धारित प्रतिभूति न्यासी का अंतरण अथवा कंपनी के कायापलट तक निलंबन की व्यवस्था। इससे प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा जो उधारदाता के हित में होगा।

4.4 ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता ने गतिविधि का विविधीकरण अथवा विस्तार किया हो जिसके परिणाम स्वरूप ग्रूप के मूल कारोबार पर दबाव बनता हो और ऐसी स्थिति में गैर-मूल आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों की बिक्री के लिए पुनर्रचना खातो हेतु एक क्लॉज निर्धारित किया जाए कि खाता टीईवी अध्यय के तहत गैर-मूल गतिविधि तथा अन्य आस्तियों की व्यवहार्यता की बन्द होने की संभावना है।

4.5 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया का पुनर्रचना हेतु उधारदाता प्रारंभ से अपनी हानि/त्याग की क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी की अग्रिम इक्विटी जारी कर भरपाई कर सकती है बशर्ते मौजूदा विनियम और सांविधिक आवश्कताओं को पूरा किया जाए। ऐसे माम्लों में, पुनर्रचना करार में क्षतिपूर्ति का अधिकार के किसी क्लॉज को शामिल करने नहीं किया जाए। तथापि, यदि उधारदाता के त्याग की पूर्ण भरपाई इक्विटी जारी कर नहीं होता है तो कम समय के विस्तार में क्षतिपूर्ति का अधिकार को शामिल किया जा सकता है। गैर सूचिबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी जारी करना अथवा उचित "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज के लिए जेएलएफ विकल्प होगा।

4.6 प्रतिभूत उधारदाताओं, अंशत: प्रतिभूत उधारदाता और गैर प्रतिभूत उधारदाता के लिए उपलब्ध प्रतिभूति हित में अंतर स्थापित करने के लिए जेएलएफ/सीडीआर निम्न भिन्न विकल्पों के अनुसार विचार कर सकते है:

- पुनर्भुगतान संबंधि उधारदाताओं की उक्त श्रेणी के बीच आईसीए का अग्रिम करार; मंजूर वाटरफाल पद्धति के अनुसार;
- प्रतिभूत क्रेडिटर का अग्रिम निर्धारण करते हुए संरचित करार;
- निश्चित पूर्व सहमति व्यक्त अनुपात में प्रतिभूत, अंशत: प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत उधारदाताओं के बीच पुनर्भुगतान प्रक्रिया का विनियोजन।

उक्त सूची केवल उदाहरण के लिए है तथा परस्पर स्वीकृति विकल्प के आधार पर जेएलएफ निर्णय ले सकते है। यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक उधारदाता के पास बेहत प्रतिभूत विकल्प हो सकता है जब वह एक उधारकर्ता के पास अथवा इसके विपरित मामले में अन्य उधारकर्ता के पास जाता है। अत: यह लाभार्थी होगा यदि उधारदाता साथी उधारदाताओं की चिंताओं को समझता है और आर्थिक मूल्य के संरक्षण के आलोक में पारस्परिक रूप से सहमत विकल्प तह पहुंचते है। एक विकल्प पर सहमति होने के बाद उधारदाता के पास बडा एक्सपोजर होगा जो एक बार पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन पर सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण को सुनिश्चित करने में लीड प्रमुख) करेगा।

4.7 विवेकपूर्ण मानदंड और परिचालनगत ब्योरों के संबंध में, सीडीआर पद्धति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिदेश का विस्तार उन तक लागू होगा जो इन दिशानिदेशों के साथ असंगत नहीं है।

5. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड

5.1 जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार करते समय, साम्न्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होगा। आस्ति पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जाए कि जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

5.2 तथापि, पुनर्रचना पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए, इन दिशानिदेशों के तहत खातो का पुनर्रचना करने के लिए मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार खातो का पुनर्रचना पर विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा, बशर्ते उक्त पैता 3.3 तथा 3.4 में वर्णित पुनर्रचना पैकेज का समग्र समय सीमा क्ली मंजूरी का पालन किया जाए और मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के अंदर मंजूर पैकेज का कार्यान्वयन किया जाए। जेएलएफ के गठन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण अंतिम पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक तारीख होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का 23 जनवरी 2014 के परिपत्र द्वारा एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि थापि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों के संबंध में सभी पुनर्रचना के लिए विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख डीसीसीओ) में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के अपवाद सहित प्रभावी 1 अप्रैल 2015 से वापस ले लिया जाएगा।

5.3 इन दिशानिदेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट के संबंध में गैर अनुशासन को हतोत्साहित करने के लिए, दिशानिदेशों के प्रावधानों इन दिशानिदेश में वर्णित) को लागू किया जाए।

अनुबंध- XVIII

आस्ति के लिए दिशानिर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली

सामान्य रूप में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया परिसंपत्ति देनदारी परिवर्तन को देखते हुए ऋण और बाजार जोखिम में होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वित्तीय बाजारों में उदारीकरण और बाहरी बाजारों के साथ घरेलू बाजार के बढ़ते एकीकरण और न केवल कॉरपोरेट्स लेकिन खुदरा क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के साथ, एनबीएफसी परिचालन से जुड़े जोखिम जटिल और बड़े हो गए हैं जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। एनबीएफसी अब एक काफी अविनियमित माहौल में काम कर रहे हैं और उन्हे गतिशील आधार पर अग्रिम और जमा पर बैंक द्वारा ब्याज की अधिकतम दर की अधिकतम सीमा के अधीन स्वयं ब्याज दरों को निर्धारित कर सकते हैं । सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेश पर ब्याज दर भी अब बाजार आधारित हैं। संपत्ति और देनदारियों से जुड़े व्यापार दोनों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा ने लाभप्रदता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन पर दबाव आया है। अविवेकी तरलता प्रबंधन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आय और प्रतिष्ठा को गहरे खतरे में डाल सकते हैं। ये दबाव से संरचित और व्यापक उपायों के लिए मांग करते है और न सिर्फ ***तदर्थ*** कार्रवाई की।गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन को कॉर्पोरेट रणनीति से प्रेरित एक गतिशील और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया पर अपने व्यवसाय फैसले करने होंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने व्यापार के क्रम में कई प्रमुख जोखिम जैसे ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, इक्विटी / वस्तुओं के मूल्य जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम - से जुड़े होते हैं।इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाए ताकि ब्याज दर और तरलता जोखिमों से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकें।

2. एनबीएफसी को अपने जोखिम प्रबंधन के उन्नयन हेतु अब तक अपनाए गए और अधिक व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रथाओं को अपनाने के द्वारा एक संरचित तरीके से इन खतरों को संबोधित करने की जरूरत है। एएलएम, अन्य कार्यों के बीच, जोखिम प्रबंधन के साथ भी संबंधित है और वित्तीय प्रणाली के प्रमुख ऑपरेटरों की ब्याज दर इक्विटी बारीकी और कमोडिटी मूल्य जोखिम को मापने , निगरानी करने के लिए एक व्यापक और गतिशील रूपरेखा प्रदान करता है जिसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की व्यापार रणनीतिके साथ एकीकृत करने की जरूरत है । यह जोखिम के मूल्यांकन हेतु एक गतिशील रूप से विभिन्न प्रकार के जोखिम का प्रबंधन करने और परिसंपत्ति देनदारी पोर्टफोलियो में फेरबदल को शामिल करता है।

3. यह नोट एनबीएफसी में ब्याज दर और तरलता जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश देता है , जो परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) कार्य का हिस्सा है। एएलएम कार्य के प्रारंभिक लक्ष्य जोखिम प्रबंधन अनुशासन को लागू करना है जिसमे शामिल जोखिम का आकलन करने के बाद व्यापार प्रबंधन किया जाएगा। अच्छा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए कि यह प्रणालिया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन के लिए एक सामरिक उपकरण में विकसित हो।

4. एएलएम प्रक्रिया तीन स्तंभों पर आधारित है:

2. एएलएम सूचना प्रणाली
    a. प्रबंधन सूचना प्रणाली
    b. सूचना की उपलब्धता, सटीकता, पर्याप्तता और अवसरवादिता
3. एएलएम संगठन
    a. संरचना और जिम्मेदारियां
    b. शीर्ष प्रबंधन भागीदारी के स्तर
4. एएलएम प्रक्रिया
    a. जोखिम मानदंड
    b. जोखिम की पहचान
    c. जोखिम माप
    d. जोखिम प्रबंधन
    e. जोखिम नीतियां और सहनशीलता का स्तर।

5. **<u>एएलएम सूचना प्रणाली</u>**

5.1 एएलएम एक प्रबंधन दर्शन द्वारा समर्थित होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से जोखिम नीतियों और सहनशीलता की सीमा को निर्दिष्ट करता है। इस ढांचे को बेक अप के रूप में आवश्यक सूचना प्रणाली के साथ अच्छी कार्यप्रणाली पर निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सूचना एएलएम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह मान्यता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न व्यापार प्रोफाइल के कारण सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों **के** लिए एक **समान एएलएम प्रणाली** को अपनाना संभव नहीं हैं। दुनिया में जोखिम को मापने के लिए

विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। इसमे सरल गैप वक्तव्य से अत्यंत परिष्कृत और डेटा गहन जोखिम समायोजित लाभप्रदता माप तरीके शामिल है। हालांकि पूरे एएलएम गतिविधि के लिए केंद्रीय तत्व पर्याप्त और सही जानकारी की उपलब्धता है; और मौजूदा प्रणालिया, यदि कोई हो,कुछ प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आवश्यक तरीके से एएलएम के लिए आवश्यक जानकारी में पैदा नहीं करते हैं। समय पर सही ढंग से सटीक डाटा एकत्रित करना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष रूप उनमे जहां पूर्ण पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण की कमी है।हालांकि, जोखिम माप और निगरानी के लिए आधार सूचना प्रणाली की शुरूआत के तुरंत संबोधित किया जाना है।

5.2 एनबीएफसी में विषम संगठनात्मक संरचना, पूंजी आधार, परिसंपत्ति आकार, प्रबंधन प्रोफाइल, व्यावसायिक गतिविधिया और भौगोलिक फैलाव है। उनमें से कुछ शाखाओं और एजेंट / दलालों की बड़ी संख्या है, जबकि कुछ के एकात्मक कार्यालय है । शाखाओं के बड़े नेटवर्क और एएलएम के लिए आवश्यक (एक पर्याप्त) जानकारी इकट्ठा करने के लिए समर्थन प्रणाली की कमी है जो अवशिष्ट परिपक्वता और देनदारियों और परिसंपत्तियों के रीप्राइजिंग पैटर्न के आधार पर जानकारी का विश्लेषण करती है, को देखते हुए, वर्तमान स्थिति में एनबीएफसी को अपेक्षित जानकारी मिलने में समय लगेगा ।निवेश पोर्टफोलियो और धन प्रबंधन के संबंध में, कार्यों की केंद्रीकृत प्रकृति को देखते हुए, विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान होगा। एएलएम ढांचे के भीतर काम करने के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रबंधन के अनुभव के आधार पर डेटा और मान्यताओं को समय के साथ परिष्कृत किया जा सकता है । कम्प्यूटरीकरण के प्रसार से भी डेटा तक पहुँचने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मदद मिलेगी।

6. <u>एएलएम संगठन</u>

6.1 क) बुनियादी संचालन और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन के साथ निर्णय लेने की एकीकृत करने के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन से एनबीएफसी में वरिष्ठ प्रबंधन की ओर से मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । बोर्ड की जोखिम के प्रबंधन के लिए समग्र जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति तय करना है और तरलता, ब्याज दर और इक्विटी मूल्य जोखिम के लिए सीमा तय करनी चाहिए।

ख) एसेट - देनदारी समिति (एल्को) जिसमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन है, को बोर्ड द्वारा तय सीमा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार रणनीति आस्तियों और देनदारियों के लिए) तय करने के लिए एनबीएफसी के बजट और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

ग) ऑपरेटिंग स्टाफ से मिलकर एएलएम सहायता समूह एल्को को जोखिम प्रोफाइल की रिपोर्टिंग ,विश्लेषण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। स्टाफ को बैलेंस शीट से संबंधित बाजार की स्थितियों में विभिन्न संभव परिवर्तनों का प्रभाव दिखाने वाला पूर्वानुमान (सिमुलेशन) तैयार करना चाहिए और एनबीएफसी की आंतरिक सीमा में संभव कार्रवाई की सलाह देना चाहिए।

6.2 एल्को फैसला लेने वाली इकाई है जो ब्याज दर और तरलता जोखिमों के सामरिक प्रबंधन सहित जोखिम-रिटर्न के नजरिए से बैलेंस शीट योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक एनबीएफसी अपने एल्को की भूमिका और जिम्मेदारी और लिए गए निर्णयों के उत्तरदायित्व पर फैसला करना होगा। एनबीएफसी के व्यापार और जोखिम प्रबंधन रणनीति यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा / मानकों को भीतर चल रही है। एल्को अन्य बातों के साथ व्यापार के मुद्दों सहित दोनों जमा और अग्रिम के लिए उत्पाद के मूल्य निर्धारण, वांछित परिपक्वता प्रोफाइल और वृद्धिशील संपत्ति और देनदारियों का मिश्रण, इसी तरह की सेवाओं / उत्पाद के लिए अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा की पेशकश की प्रचलित दरों, आदि पर विचार करेंगे । एनबीएफसी के जोखिम के स्तर की निगरानी के अलावा, एल्को पिछली बैठकों में किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में प्रगति के परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए। एल्को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की मौजूदा ब्याज दर भी निर्धारित करेगी और यह भविष्य के व्यापार रणनीति के लिए इसके फैसले का आधार होगा। वित्त पोषण नीति के संबंध में, उदाहरण के लिए, अपनी देनदारियों या परिसंपत्तियों की बिक्री के स्रोत और मिश्रण के बारे में फैसला करना होगा। इस दिशा में इसे ब्याज दर मूवमेंट की भविष्य की दिशा और स्थायी बनाम फ्लोटिंग रेट फंड, थोक बनाम खुदरा जमा , मुद्रा बाजार बनाम पूंजी बाजार, घरेलू बनाम विदेशी मुद्रा के वित्त पोषण के मध्य फंड मिश्रण आदि पर एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा । व्यक्तिगत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने एल्को बैठकों के आयोजन की आवृत्ति में फैसला करना होगा।

6.3 एल्को का संरचना

एल्को का आकार (सदस्यों की संख्या) प्रत्येक संस्था, व्यापार मिश्रण और संगठनात्मक जटिलता के आकार पर निर्भर करेगा। शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता और बाजार की गतिशीलता को समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के सीईओ / सीएमडी / अध्यक्ष या निदेशक को समिति का नेतृत्व करना चाहिए। निवेश, क्रेडिट, संसाधन प्रबंधन या योजना, धन प्रबंधन / कोषागार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख समिति के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख को भी एमआईएस और संबंधित कम्प्यूटरीकरण के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। बड़े एनबीएफसी में उप समितिया और सहायता समूह भी हो सकता है।

6.4 **निदेशक समिति**

बोर्ड की प्रबंधन समिति या बोर्ड द्वारा गठित किसी भी अन्य विशिष्ट समिति प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी और समय समय पर उसके कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए।

6.5 **एएलएम प्रक्रिया:**

एएलएम कार्य के दायरे को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है:

1. चलनिधि जोखिम प्रबंधन
2. बाजार जोखिम के प्रबंधन
3. अनुदान और पूंजी की योजना
4. लाभ योजना और विकास प्रक्षेपण
5. 'क्या होगा यदि' परिदृश्य की भविष्यवाणी और विश्लेषण करना और आकस्मिक योजना की तैयारी

इस नोट में दिए गए दिशा-निर्देशों का मुख्य रूप से तरलता और ब्याज दर जोखिम के संबंध में है।

7. चलनिधि जोखिम प्रबंधन

7.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रभावी संचालन के लिए तरलता जरूरतों को मापना और प्रबंध महत्वपूर्ण हैं। एनबीएफसी के अपने दायित्व को पूरा करने की क्षमता को सुनिश्चित करके, तरलता प्रबंधन की एक प्रतिकूल स्थिति की संभावना को कम कर सकते हैं। तरलता का महत्व एक ही संस्था में सीमित नहीं है और तरलता की कमी अलग-अलग संस्थानों की पूरी व्यवस्था पर असर डाल सकता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन के लिए एक निरंतर आधार पर न केवल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरलता का उपाय करना चाहिए, लेकिन यह भी जांच करनी चाहिए कि तरलता की आवश्यकताओं की क्या संभावना है। अनुभव बताता है कि सामान्यतः, तरल परिसंपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य मुद्रा बाजार के विलेख भी गैर-तरल बन सकते है जब बाजार और खिलाड़ियों दिशाहीन होते हैं। इसलिए, तरलता को परिपक्वता या नकदी प्रवाह बेमेल के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए । शुद्ध वित्त पोषण आवश्यकताओं के मापने और प्रबंध के लिए, एक परिपक्वता सीढ़ी और संचयी अधिशेष या चयनित परिपक्वता तारीखों में धन की घाटे को गणना का उपयोग एक मानक उपकरण के रूप में अपनाया गया है।

7.2 परिशिष्ट I में दी गई परिपक्वता प्रोफाइल विभिन्न टाइम बकेट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भविष्य के नकदी प्रवाह को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।टाइम बकेट, निम्नानुसार वितरित किया जा सकता है:

a. 1 दिन 30/31 दिन (एक माह)

b. एक महीने से अधिक और 2 महीने तक

c. दो महीने से अधिक और 3 महीने तक

d. 3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक

e. 6 महीने से अधिक और 1 साल तक

f. 1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक

g. 3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक

h. 5 वर्षों से अधिक

7.3 सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी की तरल संपत्ति आवश्यकता के संदर्भ में अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनके सार्वजनिक जमा राशि का एक निर्धारित प्रतिशत (तिथि के आधार पर 15%) तक का निवेश करना आवश्यक हैं। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) को अपनी जमा राशि का पूर्वोक्त अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देश में निर्धारित तरीके से 80% तक का निवेश करना आवश्यक हैं। वह एनबीएफसी जो सार्वजनिक जमा धारक नहीं हैं , के लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आरएनबीसी सहित विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया को अपने निवेश पोर्टफोलियो में प्रतिभूतिया धारण करती है जो मोटे तौर पर 'अनिवार्य प्रतिभूतियों' और अन्य 'गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों' (कानून के दायित्व के अधीन) में वर्गीकरण किया जा सकता है। सार्वजनिक जमा धारण न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में, अधिशेष प्रतिभूतियों (आवश्यकता से अधिक) 'गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों' श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को उनके लिए उपयुक्त किसी भी टाइम बकेट में अनिवार्य प्रतिभूतियों रखने ने की आजादी दी जा सकती है। सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों, को "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह) के लिए , एक महीने से अधिक और 2 महीने, और दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक ' बकेट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित उत्सादन अवधि के आधार पर रखा जा सकता है। गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों (जैसे, इक्विटी शेयर, परिपक्वता आदि की एक निश्चित अवधि के बिना प्रतिभूतियों), को "5 वर्षों में 'बकेट में रखा जा सकता है, जबकि परिपक्वता की एक निश्चित अवधि वाली गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार प्रासंगिक टाइम बकेट में रखा जा सकता है। अनिवार्य प्रतिभूति और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों एएलएम प्रणाली के प्रयोजन के लिए बाजार के लिए चिह्नित किया जा सकता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों को विवेकपूर्ण मानदंड दिशा-निर्देश के अनुसार गणना कर सकते है।

7.4 वैकल्पिक रूप से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया व्यापार किताब की अवधारणा का पालन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

e. रचना और मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हैं;

f. अधिकतम परिपक्वता / पोर्टफोलियो की अवधि प्रतिबंधित है;

g. होल्डिंग अवधि 90 दिन से अधिक नहीं;

h. कट-लॉस की सीमा निर्धारित;

i. उत्सादन अवधि (उत्पाद के लिहाज से) यानी समय द्वितीयक बाजार में तरलता की स्थिति के आधार पर तरलता समाप्त करना निर्धारित हैं;

एनबीएफसी जो इस तरह के 'ट्रेडिंग पुस्तकें' अनुरक्षित करती है और उपरोक्त मानकों के पालन करती है, व्यापारिक प्रतिभूतियों को,उत्सादन अवधि के अनुसार "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह), एक महीने से अधिक और 2 महीने तक" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक बकेट मे दिखा सकते हैं ।गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एल्को/ बोर्ड को 'व्यापार किताब' के मात्रा, रचना, धारण/उत्सादन अवधि, कट लॉस को मंजूरी देना चाहिए। विवेकपूर्ण मानदंड के तहत आवश्यक शेष निवेश भी कम अवधि और लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

7.5 एएलएम के प्रयोजन के लिए निवेश पोर्टफोलियो के उपचार पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दर्ज की गई और उनके बोर्ड / एल्को द्वारा अनुमोदित नीति टिप्पणी को भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

7.6 हर बार बकेट के भीतर, नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर बेमेल हो सकता है। जहा एक वर्ष तक बेमेल प्रासंगिक होगा, मुख्य ध्यान अल्पकालिक बेमेल पर होना चाहिए अर्थात, 1-30 / 31 दिनों के लिए, यह आसन्न तरलता समस्याओं के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को प्रदान करते हैं। हालांकि,गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, को बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ आंतरिक प्रूडेंशियल सीमा की स्थापना कर उनके संचयी बेमेल (कुल चल रहे) के सभी टाइम बकेट की निगरानी करना चाहिए । बेमेल **(नकारात्मक** जीएपी) सामान्य स्थिति में 1-30 / 31 दिनों बकेट में नकदी निकासी के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यदि एनबीएफसी को अपने मौजूदा परिसंपत्ति -देयता प्रोफ़ाइल और परिणामी संरचनात्मक असंतुलन को देखते हुए, अधिक सहनशीलता स्तर की जरूरत है, तो यह अपने बोर्ड / प्रबंधन

समिति से इस तरह के उच्च सीमा की आवश्यकता पर विशेष कारणों देकर मंजूर उच्च सीमा के साथ काम कर सकता है। एक उच्च सहिष्णुता स्तर अनुमति देने के लिए विवेक एक अस्थायी अवधि यानी **31 मार्च, 2002** तक के लिए **है।**

7.7 स्ट्रक्चरल तरलता का एक विवरण नकदी प्रवाह की उम्मीद समय के अनुसार परिपक्वता सीढ़ी में सभी नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह रखकर तैयार किया जा सकता है। एक परिपक्व दायित्व एक नकदी बहिर्वाह होगा, जबकि एक परिपक्व परिसंपत्ति एक नकदी अंतर्वाह होगा। संभावित नकदी प्रवाह / निकासी का निर्धारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी संपत्ति -दायित्व प्रोफाइल की संभावनाओं के अनुसार करते हैं। सहिष्णुता के स्तर को निर्धारित करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी परिसंपत्ति- देनदारी आधार, व्यापार की प्रकृति, भविष्य की रणनीति, आदि को आधार बनाना है । भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि सहनशीलता का स्तर दृश्य में सभी आवश्यक कारक रखते हुए निर्धारित किया हैं और आगे तरलता प्रबंधन में प्राप्त अनुभव के साथ परिष्कृत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है।

7.8 1 दिन से 6 महीने से फैले एक समय क्षितिज पर एक गतिशील आधार पर अपने अल्पकालिक तरलता की निगरानी के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सक्षम करने हेतु, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया अपने अल्पकालिक तरलता प्रोफाइल का अनुमान कारोबार अनुमानों और योजना बनाने के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर कर सकते है।

8. <u>मुद्रा जोखिम</u>

अस्थायी विनिमय दर व्यवस्था ने विदेशी संपत्ति या दायित्व होने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैलेंस शीट के जोखिम प्रोफाइल को उतार-चढ़ाव प्रदान करने वाला एक नया आयाम जोड़ दिया है। डिरेग्युलेशन से मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह लेनदेन की मात्रा में वृद्धि ने लेनदेन की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है। बड़े सीमा पार प्रवाह ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैलेंस शीट को विनिमय दर उतार-चढ़ाव संवेदनशील बनाया है।

9. <u>ब्याज दर जोखिम (आईआरआर)</u>

9.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आस्तियों और देनदारियों के मूल्य निर्धारण में दिया परिचालन लचीलापन वित्तीय प्रणाली में ब्याज दर जोखिम को हेज करने के लिए जरूरी समझा जाए। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन पर एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तन एक बड़े रूप में एनबीएफसी को प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों में बदलाव का तत्काल प्रभाव शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़कर एनबीएफसी की कमाई (यानी सूचित मुनाफा) पर होता है ।बदलते ब्याज दरों के एक

दीर्घकालिक प्रभाव गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नेट वर्थ यानि संपत्ति, देनदारियों का आर्थिक मूल्य पर पड़ता है और तुलनपत्र से इतर मदे बाजार में ब्याज दरों में बदलाव की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। जब इन दोनों के दृष्टिकोण से ब्याज दर जोखिम देखा जाता है तो क्रमशः 'कमाई परिप्रेक्ष्य' और 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' में जाना जाता है। कमाई के परिपेक्ष्य से जोखिम को शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कई माप और विश्लेषणात्मक तकनीक हैं। शुरू करने के लिए, परंपरागत अंतर विश्लेषण ब्याज दर जोखिम को मापने के एक उपयुक्त विधि है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह इरादा है कि ब्याज दर माप की आधुनिक तकनीकों अवधि गैप विश्लेषण, सिमुलेशन और समय के साथ जोखिम पर मूल्य की और बढ़ा जाएँ जब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एमआईएस अधिग्रहण और हैंडलिंग में पर्याप्त विशेषज्ञता और परिष्कार हासिल कर लें।

9.2 नियत तिथि पर गैप या बेमेल जोखिम अलग समय अंतराल पर अंतराल की गणना के द्वारा मापा जा सकता है। गैप विश्लेषण दर संवेदनशील देनदारियों और दर संवेदनशील परिसंपत्तियों (तुलनपत्र से इतर पदों सहित) के बीच बेमेल को नापता है। एक परिसंपत्ति या देनदारी सामान्य रूप से दर संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

i. विचाराधीन समय अंतराल के भीतर, वहाँ एक नकदी प्रवाह है;

ii. अंतराल के दौरान अनुबंधात्मक ब्याज दर रिसेट / रीप्राइज;

iii. रिज़र्व बैंक के ब्याज दरों / बैंक दर में परिवर्तन पर निर्भर ;

iv. कथित परिपक्वताओं से पहले अनुबंधात्मक पूर्व देय या निकासी।

9.3 गैप रिपोर्ट अवशिष्ट परिपक्वता या अगले रीप्राइजिंग अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार टाइम बकेट में दर संवेदनशील देनदारियों, संपत्ति और तुलनपत्र से इतर मदों के समूहिकारण के द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए।गैप विश्लेषण में मुश्किल काम दर संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाता है। सभी निवेश, अग्रीम, जमा, उधार खरीदा फंड, आदि जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिपक्व /रीप्राइज है , ब्याज दर के प्रति संवेदनशील हैं।इसी तरह, ऋण के किसी भी प्रिंसिपल चुकौती भी दर संवेदनशील है यदि एनबीएफसी समय क्षितिज के भीतर इसे प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। इसमे अंतिम मूलधन के भुगतान और अंतरिम किश्ते भी शामिल है। कुछ संपत्ति और देनदारियां / वेतन दर जो संदर्भ दर के साथ बदलती है। ये परिसंपत्ति और देनदारियां पूर्व निर्धारित अंतराल पर रीप्राइज की जाती

है और दर रीप्राइजिंग के समय संवेदनशील हैं। जहां कि सावधि जमा पर ब्याज दर अपनी अवधि के दौरान स्थायी रहती हैं, अग्रीम के फ्लोटिंग है।प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज दरों को पीएलआर के बदलावों के अनुसार कितनी भी बार रीप्राइज किया जा सकता है।

अंतराल को निम्नांकित टाइम बकेट में पहचाना जा सकता है:

i. 1-30 / 31 दिन (एक माह)

ii. एक महीने से अधिक से 2 महीने

iii. दो महीने से अधिक से 3 महीने

iv. 3 महीने से अधिक से 6 महीने

v. 6 महीने से अधिक से 1 वर्ष

vi. 1 वर्ष से 3 वर्ष

vii. 3 साल से अधिक से 5 साल

viii. 5 वर्षों में

ix. गैर संवेदनशील

दर संवेदनशील संपत्ति और देनदारियों और तुलनपत्र से इतर वस्तुओं के विभिन्न मदों को परिशिष्ट - II के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है ।

9.4 गैप हर टाइम बकेट के लिए दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) और दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) के बीच का अंतर है। सकारात्मक गैप इंगित करता है यह आरएसएल की तुलना में आरएसए अधिक है जबकि नकारात्मक गैप इंगित करता है, जबकि यह आरएलए की तुलना में आरएसए अधिक है। गैप रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्या संस्था सकारात्मक गैप (आरएसए**>** आरएसएल) होने से बढ़ती ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है या क्या यह एक नकारात्मक अंतर (आरएसएल**>** आरएसए) गैप से गिरावट आ रही ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकते है। इसलिए गेप को ब्याज दर संवेदनशीलता को नापने के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

9.5 प्रत्येक एनबीएफसी को बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ अलग-अलग अंतराल पर विवेकपूर्ण सीमा तय करनी चाहिए। प्रूडेंशियल सीमा को कुल संपत्ति, कमाऊ संपत्ति या इक्विटी के साथ एक रिश्ता होना चाहिए । एनबीएफसी कमाई पर जोखिम (ईएआर) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) ब्याज दर उनके विचारों के आधार पर निर्धारित कर सकते है और बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ एक विवेकपूर्ण स्तर निर्धारित कर सकते है। ईएआर या एनआईएम पता लगाने के लिए कोई भी वर्तमान मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है।

9.6 आरबीआई आने वाली समय में बाजार जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता को प्रारम्भ करने का इरादा रखता है।

10. **<u>सामान्य</u>**

10.1 गैप रिपोर्ट (तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता) की तैयारी के लिए अलग-अलग टाइम बकेट में संपत्ति और देनदारियों के विभिन्न घटकों के वर्गीकरण जो परिशिष्ट I और II में दिए है, बेंचमार्क है। एनबीएफसी जो पिछले आंकड़ों / अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर संपत्ति और देनदारियों के विभिन्न घटकों के व्यवहार पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने हेतु लैस है, एल्को / बोर्ड से अनुमोदन के अधीन उन्हें उचित टाइम बकेट में वर्गीकृत सकता है ।नोट एल्को / बोर्ड की मंजूरी की एक प्रति गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक , का क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को भेजा जा सकता है। इन नोटों 'क्या होगा अगर' विभिन्न संभावित शर्तों के तहत विश्लेषण हो सकती है और विभिन्न प्रतिकूल घटनाक्रमों का सामना करने के लिए आकस्मिकता योजना हो सकती है।

10.2 वर्तमान ढांचा एनबीएफसी की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल पर जमा राशि का समय से पहले बंद होना और ऋण और अग्रिम के पूर्व भुगतान के प्रभाव को शामील नहीं करता है । बाजार में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के समय पर जमा की समयपूर्व निकासी की भयावहता काफी महत्वपूर्ण है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसलिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए जो अनुभवजन्य अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण के द्वारा भविष्य के बाजार चर में संपत्ति, देनदारियों और तुलन पत्र के बाहर की मदों में परिवर्तन और विकल्प की संभावनाओं का अनुमान लगा सके।

10.3 एक वैज्ञानिक रूप से विकसित आंतरिक ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल, जो वर्तमान बाजार दर के आधार पर उपलब्ध कराई गई निधियों और धनराशि का मूल्यांकन कर सकें, एएलएम प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है । हस्तांतरण मूल्य प्रणाली मार्जिन प्रबंधन यानी उधार या क्रेडिट प्रसार, धन या दायित्व प्रसार और बेमेल प्रसार के प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। यह ब्याज दर जोखिम को केन्द्रित करने में मदद करता है, जिससे ब्याज दर

जोखिम के प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण में सुविधा होती है। अच्छी तरह से परिभाषित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली संपत्ति और देनदारियों का मूल्य निर्धारण के लिए भी एक तर्कसंगत रूपरेखा प्रदान करती है।

परिशिष्ट - I

परिपक्वता प्रोफाइल - चलनिधि

लेखा शीर्ष	**टाइम बकेट श्रेणी**
ए प्रवाह	
1. पूंजी कोष	
क) इक्विटी पूंजी, गैर प्रतिदेय या सदा वरीयता पूंजी, भंडार, धन और अधिशेष	5 वर्षों से अधिक टाइम बकेट में।
बी) वरियता पूंजी - प्रतिदेय / गैर-मियादी	शेयरों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
2 उपहार, अनुदान, दान और उपकार	'5 वर्षों से अधिक टाइम-बकेट। हालांकि, इस तरह के तोहफे, अनुदान, आदि विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए है, तो इन्हे उद्देश्य / विशिष्ट अंतिम उपयोग के अनुसार निर्दिष्ट टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
3. नोट्स, बांड और डिबेंचर	
ए) प्लेन वनीला बांड / डिबेंचर	विलेखों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) बांड / निहित काल/पुट विकल्प के साथ डिबेंचर (शून्य कूपन / गहरी डिस्काउंट बांड सहित)	निहित विकल्प के लिए जल्द से जल्द उपयोग की जाने वाली तारीख के लिए अवशिष्ट अवधि के अनुसार।
सी) निश्चित दर नोट	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
4. जमा:	

ए) जनता से सावधि जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
बी) इंटर कॉर्पोरेट जमा	संस्थागत / थोक जमा होने से उनके अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना चाहिए
सी) जमा प्रमाणपत्र	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
5. उधार	
ए) सावधि मनी उधारी	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और अन्य से	-वही-
सी) डबल्यूसीडीएल सीसी आदि की प्रकृति में बैंक उधारी	छह महीने से अधिक और एक साल तक
6) मौजूदा देनदारिया और प्रावधान:	
ए) फुटकर लेनदार	नियत तारीख या नकद निकासी की संभावित समय के अनुसार। निकासी की प्रवृत्ति और मात्रा का व्यवहार विश्लेषण का हिसाब भी आकलन करने के लिए रखा जा सकता है।
बी) देय व्यय (ब्याज के अलावा अन्य)	नकदी बहिर्वाह की संभावना के अनुसार।
सी) प्राप्त अग्रिम आय, उधारकर्ताओं की प्राप्तियाँ समायोजन हेतु लंबित	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में, इसमे कोई भी नकद बहिर्वाह शामिल नहीं है।
डी) बांड / जमा पर देय ब्याज	भुगतान की नियत तारीख के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
ई) एनपीए के लिए प्रावधान	प्रावधान की राशि एनपीए पोर्टफोलियो की सकल राशि से बाहर निकालकर और एनपीए की शुद्ध राशि को निर्धारित टाइम-बकेट में पूंजी प्रवाह के तहत एक मद के

	रूप में दिखाया जा सकता है।
एफ़) निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान	राशि को निवेश पोर्टफोलियो का सकल मूल्य से घटाया जा सकता है और शुद्ध निवेश को निर्धारित समय स्लॉट में प्रवाह के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि प्रावधानों को प्रतिभूतिवार नहीं धारित किया गया है तो प्रावधान को "5 साल के ऊपर " टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
जी) अन्य प्रावधान	अंतर्निहित लेनदेन के उद्देश्य / प्रकृति के अनुसार बकेट किया जाना है।
बी अंतर्वाह	
1. रोकड़	1 से 30/31-दिन की टाइम बकेट में।
2. पारगमन में विप्रेषण	---वही---
3. बैंकों के पास बकाया (भारत में केवल)	
ए) चालू खाता	निर्धारित न्यूनतम शेष लिए 6 महीने से 1 साल के बकेट में दिखाया जाना है। न्यूनतम शेष राशि से अधिक शेष 1 से 30 दिन की टाइम बकेट में दिखाया जाना है।
बी) जमा खाते / लघु अवधि की जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
4. निवेश (शुद्ध प्रावधान)	
ए) अनिवार्य निवेश	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपयुक्त
बी) गैर अनिवार्य सूचीबद्ध	"1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह)" "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" बकेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा

	प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर
सी) गैर अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, आदि)	" 5 साल के अधिक"
डी) निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतिया	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
ई) वेंचर कैपिटल इकाई	'5 वर्ष से अधिक' टाइम बकेट में।
5. ट्रेडिंग पुस्तक का पालन करने पर	
इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, गैर प्रतिदेय / सदा तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर और ओपन एंडेड म्युचुअल फंड और अन्य निवेश ।	(I) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार पुस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाले "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर एक महीने से अधिक का "1 दिन से 30 दिन (एक माह)" " एक माह से अधिक और 2 महीने तक" और दो महीने से अधिक और 3 महीने" की टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
	(ii) "दीर्घ अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को "5 साल के समय" बकेट में रखा जा सकता है। हालांकि, शुरुआती वित्तीय पैकेज के प्राप्त सहायता के हिस्से के रूप में वर्गीकृत सहायक इकाइयों / कंपनियों के शेयरों को परियोजना के कार्यान्वयन / समय अधिवहित और ऐसे शेयरों के डाइवर्जन से विनिवेश के लिए परिणामी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंध टाइम बकेट में रखा जा सकता है ।
6. अग्रिम (उत्पादक)	
ए) बिल ऑफ एक्सचेंज और रियायती और पुनभुनाई वचन	अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार।

नोट	
बी) सावधि कर्ज (केवल रुपया ऋण)	मूल / संशोधित चुकौती अनुसूची में निर्धारित नकदी प्रवाह के समय के अनुसार निर्धारित ब्याज और ऋण की मूल के खाते पर संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
सी) कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
7. ग़ैर - निष्पादक ऋण (प्रावधानों को नेट कर दिखाया जा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस धारित)	
ए) उप-मानक	
i) अगले तीन वर्षों के दौरान सभी बकाया और मूलधन की किस्त	3 से 5 साल की टाइम-बकेट में।
ii) अगले तीन वर्षों में देय पूरी मूल राशि	5 साल के समय में बकेट
<u>बी) संदिग्ध और हानि</u>	
i) अगले पांच वर्षों के दौरान देय मूलधन की सभी किश्त और सभी बकाया	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
ii) अगले पांच साल से परे देय पूरी मूल राशि	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
8. लीज़ पर संपत्ति	पट्टा लेनदेन से नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
9. अचल संपत्ति (पट्टे की संपत्ति को छोड़कर)	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
10. अन्य संपत्तियां	

(ए) अमूर्त आस्तियों और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
(बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित परिपक्वता बकेट में।
सी . आकस्मिक देयताएं	
(ए) क्रेडिट / गारंटी के पत्र (अवक्रमण के माध्यम से बहिर्वाह)	अवक्रमण तुलना पिछले प्रवृत्ति विश्लेषण पर गारंटी की बकाया राशि (आयोजित मार्जिन को घटाकर) पर आधारित है, संभावना अवक्रमण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इस राशि को अनुमान आधार पर विभिन्न टाइम बकेट में वितरित किया जा सकता है।अवक्रमण से बाहर बनाई परिसंपत्तियों को संभावित वसूली तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता बकेट में दिखाया जा सकता है।
(बी) लंबित संवितरण (बहिर्वाह)ऋण प्रतिबद्धताए	मंजूर संवितरण के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
(सी) अन्य संस्थानों (बहिर्वाह / अंतरवाह) को/से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन	क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त बिल के मुद्दत के अनुसार

ध्यान दें:

ए. कोई भी घटना विशेष नकदी प्रवाह (जैसे वेतन समझौता बकाया, पूंजी व्यय, आयकर रिफंड आदि के कारण बहिर्वाह) इस तरह के नकदी प्रवाह के समय के लिए टाइम बकेट में दिखाया जाना चाहिए।

बी. सभी बकाया देनदारियों को 1 से 30/31 दिन के टाइम बकेट में दिखाया जाना।

सी. ब्याज और मानक ऋणों की किस्तों / किराए खरीद की संपत्ति / पट्टे किराया के खाते पर बकाया प्राप्तियों को निम्नानुसार रखा जाना चाहिए:

(i)	कम से कम एक महीने के लिए बकाया।	3 से 6 महीने बकेट में।
(ii)	ब्याज कम से कम एक महीने से ज्यादा बकाया है, लेकिन सात महीनों से कम के लिए बकाया (यानी संबन्धित राशि छह महीने से पुरानी हो जाता है)	एक महीने की रियायती अवधि गणना किए बिना 6 से 12 महीने बकेट में।
(iii)	मूलधन और किश्त 7 महीनों से बकाया लेकिन कम से कम एक वर्ष के लिए बकाया	1 से 3 साल बकेट में।

डी. अंतराल का वित्तपोषण:

1 से 30/31 दिन के टाइम-बकेट में नकारात्मक अंतर (यानी जहां निकासी आवक से अधिक हो) हर टाइम बकेट में 15% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और एक वर्ष की अवधि तक संचयी अंतर संचयी नकद निकासी का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि अवधि इन सीमाओं को पार करती हैं, सीमा के भीतर अंतराल लाने के लिए प्रस्तावित उपायों को विवरण के फुटनोट से दिखाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट II

ब्याज दर संवेदनशीलता

खाता शीर्ष	टाइम बकेट की दर संवेदनशीलता
दायित्व	
1. पूंजी, भंडार और अधिशेष	गैर संवेदनशील
2. उपहार, अनुदान व उपकार	-वही-
3. नोट्स, बांड और डिबेंचर:	
ए) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोल ओवर / रीप्राइज करने की तारीख को रीप्राइज तिथियों के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
बी) फिक्स्ड दर (वनीला) शून्य कूपन सहित	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज । अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाएगा।
सी) एम्बेडेड विकल्पों के साथ संलेख	संवेदनशील; बढ़ते ब्याज के परिदृश्य में रीप्राइज करने की विकल्प की तिथियों के अनुसार रीप्राइज किया जा सकता है । अगली विकल्प तिथि के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
4. जमा	
ए) जमा / उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, परिपक्वता पर या समय से पहले वापसी के मामले में रीप्राइज़ कर सकता है । अवशिष्ट परिपक्वता या अवशिष्ट लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो , के अनुसार के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है। बिना लॉक-इन अवधि या अतीत के

	लॉक-इन अवधि वाले समय से पहले निकले जमा को शीघ्रतम/लघु टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
बी) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
5. उधार:	
ए) अवधि-धन उधार	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
बी) दूसरों से उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
6. मौजूदा देनदारिया और प्रावधान	
i.विविध लेनदार ii.देय व्यय iii.स्वैप समायोजन खाता iv.लंबित ऋण लेने वालों से अग्रिम आय समायोजन प्राप्तिया /प्राप्त v.बांड / जमा पर देय ब्याज vi.प्रावधान	गैर संवेदनशील
7. रेपो / पुनभुनाई बिल / विदेशी मुद्रा स्वैप (बिक्री /	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।

खरीद)	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
<u>संपत्ति:</u>	
1. रोकड़	गैर संवेदनशील।
2. पारगमन में विप्रेषण	गैर संवेदनशील।
3. भारत में बैंकों के पास बकाया	
ए) चालू खाते में।	गैर संवेदनशील।
बी) जमा खातों, कॉल और अल्प सूचना पर धन और अन्य प्लेसमेंट	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
4. <u>निवेश</u>	
ए) स्थायी आय प्रतिभूतियों (जैसे सरकार, प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बांड, बांड, डिबेंचर, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय तरजीही शेयर, आदि)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है। हालांकि, ब्याज की गैर सर्विसिंग के कारण एनपीए मानदंडों को लागू कर मूल्यांकित बांड / डिबेंचर प्रावधान घटकर दिखाया जाना चाहिए। ii.3-5 वर्ष बकेट - अगर अवमानक। मानदंड लागू। iii.5 वर्ष से अधिक बकेट - अगर संदिग्ध । मानदंड लागू ।
बी) फ्लोटिंग दर की प्रतिभूतिया	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट बिलों के मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
सी) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर, उद्यम पूंजी इकाइया	गैर संवेदनशील।

5. अग्रिम (निष्पादक)	
ए) विनिमय बिल, रियायती और पुनभुनाई वचनपत्र	परिपक्वता पर संवेदनशील। अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
बी) सावधि ऋण / कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण (केवल रुपया ऋण)	
i) स्थायी दर	नकदी प्रवाह / परिपक्वता पर संवेदनशील।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील केवल जब पीएलआर या जोखिम प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बदल दी गई है। बाजार ब्याज दर के अनुरूपों अपने पीएलआर को बदलने के लिए एनबीएफ़सी द्वारा लिए गए समय सावधि ऋण की राशि को टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
6. ग़ैर - निष्पादक ऋण: (प्रावधान, इंटरेस्ट सस्पेंस और ईसीजीसी से प्राप्त दावे)	
xiv.उप-मानक xv.संदिग्ध और हानि	परिशिष्ट I के मद बी 7 के अनुसार रखा जाए
7. लीज़ पर संपत्ति	पट्टे की संपत्ति पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। किराए पर संपत्ति नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह के समय के अनुसार टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
8. अचल संपत्ति (लीज पर परिसंपत्तियों को छोड़कर)	गैर संवेदनशील।
9. अन्य संपत्तियां	
ए) अमूर्त संपत्ति और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	गैर संवेदनशील।
बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ	गैर संवेदनशील।

ऋण, आदि)	
10. रिवर्स रेपो / स्वैप (खरीद / बिक्री) और पुनर्भुनाई बिल डीयूपीएन)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है।
11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद	
ए) ब्याज दर स्वैप	संवेदनशील; संबंधित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जा सकता है।
बी) अन्य डेरिवेटिव	जब भी प्रारम्भ हो उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएँ।

अनुबंध- XIX

एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश

1. परिचय

1.1 आउटसोर्सिंग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है एनबीएफसी -द्वारा निरन्तरता के आधार पर किसी तीसरे पक्ष (जो किसी कार्पोरेट समूह के भीतर एक सम्बद्ध संस्था हो या उस कार्पोरेट समूह से बाहर की संस्था होके माध्यम से उन गतिविधियों को, वर्तमान या भविष्य में कराना जिन्हें सामान्यतः एनबीएफसी स्वयं करते हैं। निरंतरता के आधारके अंतर्गत ' सीमित अवधि के करार भी शामिल होंगे।

1.2 एनबीएफसी विभिन्न गतिविधियों की व्यापक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और इस प्रकार पैरा 5.3 में गए विवरण के अनुसार अनेक जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग गतिविधियों को नियामक सीमा के अन्तर्गत लाया जाना है ताकि

a. ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। तथा
b. सेवा प्रदाता की सभी बहियों, अभिलेखों और उपलब्ध सूचना तक संबंधित एनबीएफसी और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सामान्य रूप से जिन वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाती है उनमें अन्य के साथ-स◌ाथ आवेदनों की प्रोसेसिंग (ऋण का आरम्भ, क्रेडिट कार्ड , प्रलेखों दस्तावेजों की प्रोसेसिंग/, विपणन और शोध, ऋण का पर्यवेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग और आंतरिक परिचालन धियाँ शामिलसे संबंधित गतिवि बैक ऑफिस) हैं।

1.3 आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण जोखिम हैं कार्य नीतिगत - जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधिक जोखिम, निर्गमन नीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदागत जोखिम, प्रवेश जोखिम, संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम। यदि सेवा प्रदाता विनिर्दिष्ट सेवा देने में चूक करे, सुरक्षा गोपनीयता का उल्लंघन करे अथवा/ सेवा प्रदाता द्वारा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन न हो तो एनबीएफसी को वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है तथा इससे सर्वांगी जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

1.4 अतः एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी गतिविधियों का आउटसोर्सिंग करते समय वे यह सूनिश्चित करें कि उक्त गतिविधियों की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिम के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण और सावधानी बरतने तथा जोखिम प्रबंध करने के लिए उत्कृष्ट और सम्यक जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ अपनाई जाए। ये निदेश भारत या अन्यत्र स्थित सेवा प्रदाता के साथ पैरा 3 में की गई व्याख्या के अनुसार एनबीएफसी द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर लागू होंगे। एनबीएफसी जिस समूह संगुट का सदस्य हो /, सेवा प्रदाता उसका सदस्य हो सकता है अथवा समूह से असम्बद्ध पक्ष हो सकता है।

1.5 इन निदेशों का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण ग्राहकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति दयित्व पूर्ति की उसकी क्षमता में कमी नहीं होगी और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा पहुँचेगी। अतः एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना होगा कि सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने में उतने ही उच्च स्तर की सावधानी बरतता है, जितनी तब एनबीएफसी बरतता, यदि आउटसोर्स की गई गतिविधियाँ एनबीएफसी के भीतर ही रहती और उनकी आउटसोर्सिंग नहीं होती। अतः एनबीएफसी को ऐसी आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए जिनसे उनका आंतरिक नियंत्रण, कारोबारी आचरण या प्रतिष्ठा प्रभावित हो या क्षीण हो।

1.6 (i) ये निदेश वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम प्रबंधन से जुड़ा हुआ है और न कि तकनीकी संबंधित विषयों अथवा जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं है जैसे कि कूरियर सेवा, स्टाफ के लिए खानपान, हाउसकीपिंग तथा साफ-सफाई सेवाएं, परिसरों की सुरक्षा, रिकॉर्डों को लाना-ले जाना और रख-रखाव इत्यादि। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के इच्छुक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि ऐसी व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑन साइट/ऑफ साइट अनुवीक्षण और निरीक्षण / जांच के अधीन होगी।

(ii) क्रेडिट कार्डों से जुड़ी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 नवंबर 2005 के परिपत्र डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.49/24.01.011/2005-06 में निहत क्रेडिट कार्ड गतिविधियों संबंधी विस्तृत निर्देश लागू होंगे ।

2. ऐसी गतिविधियाँ जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जानी है

जो एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कार्यनीतिक तथा अनुपालन कार्य और निर्णय लेने से संबंधी कार्य, उदाहरण के लिए जमा खाता खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ऋण (खुदरा ऋण सहित) की मंजूरी देना और निवेश संविभाग का प्रबंध जैसे मुख्य प्रबंध संबंधी कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तथापि, समूह/संगुट में शामिल एनबीएफसी के लिए इन गतिविधियों का आउटसोर्सिंग अपने समूह में की जा सकती है, बशर्ते कि पैरा 6 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जहां स्वयं में प्रबंधन प्रक्रिया है, वहां आंतरिक लेखा परीक्षक ठेके पर रखे जा सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग

इन निदेशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ वे हैं जिनके बाधित होने पर कारोबारी परिचालन, प्रतिष्ठा, लाभप्रदता अथवा ग्राहक सेवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है । आउटसोर्सिंग की महत्ता निम्नलिखित पर आधरित होगी -

- आउटसोर्स की जा रही गतिविधि की एनबीएफसी के लिए महता का स्तर तथा इससे जुड़े जोखिम की महता ।
- आउटसोर्सिंग का एनबीएफसी के विभिन्न परिमापों यथा एनबीएफसी की आय, ऋण शोधन क्षमता, निधीयन पूंजी और जोखिम के स्वरूप पर प्रभाव ।
- यदि सेवा प्रदाता सेवा न दे सके तो एनबीएफसी की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य तथा कारोबारी उद्देश्य, रणनीति और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एनबीएफसी की योग्यता पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव ।
- एनबीएफसी की कुल परिचालन लागत के अनुपात के रूप में आउटसोर्सिंग की लागत ।
- यदि एनबीएफसी एक ही सेवा प्रदाता को विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग करता है और उसका ग्राहक सेवा पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाग पड़ता है तो आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र तथा
- ग्राहक सेवा और सुरक्षा के संबंध में आउटसोर्स की गई गतिविधियों का महत्त्व।

4. एनबीएफसी की भूमिका तथा विनियामक और पर्यवेक्षीय अपेक्षाएँ

4.1 एनबीएफसी द्वारा अपनी किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग करने से एनबीएफसी का, उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का दयित्व कम नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्स की गयी गतिविधि का अन्तिम दायित्व उन्हीं पर है । अतः, एनबीएफसी प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट प्रत्यक्ष विपणन एजेन्ट और/ वसूली एजेन्टों सहित अपने सेवा प्रदाता के कार्यों तथा सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों से संबंधित

उपलब्ध सूचना की गोपनीयता के संबंध में उत्तरदायी होगा । एनबीएफसी के पास आउटसोर्स की गयी गतिविधि के संबंध में अंतिम नियंत्रण रहना चाहिए।

4.2 एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि आउटसोर्सिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतते /समुचित छानबीन करते समय सभी संबंधित कानून, विनियमावली, मार्ग निर्देश, अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण की शर्तों पर विचार करें ।

4.3 आउटसोर्सिंग व्यवस्था से एनबीएफसी के विरुद्ध ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा संबंधित कानून के अंतर्गत समाधान प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए । चूंकि ग्राहकों को एनबीएफसी से कारोबार करने के क्रम में सेवा प्रदाता से कारोबार करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में एनबीएफसी को अपने उत्पाद साहित्य/पर्चे में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि एनबीएफसी अपने उत्पादों की बिक्री /विपणन आदि के लिए एजेंटों की सेवा लेगा । एजेन्टों की भूमिका मोटे तौर पर बतायी जानी चाहिए ।

4.4 सेवा प्रदाता आउटसोर्स की गयी गतिविधियों का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण और प्रबंध करने की एनबीएफसी की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा न तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होनी चाहिए ।

4.5 एनबीएफसी के पास शिकायत निवारण की सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए,जिसमें आउटसोर्सिंग के कारण कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए ।

4.6 यदि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की कोई समूह की कंपनी न हो तो वह एनबीएफसी के किसी निदेशक या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिए गए अर्थ के अनुसार उनके संबंधियों द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित नहीं होना चाहिए।

5. आउटसोर्स की गयी वित्तीय सेवाओं के संबंध में जोखिम प्रबंध पद्धतियाँ

5.1 आउटसोर्सिंग नीति

यदि कोई एनबीएफसी अपनी किसी वित्तीय गतिविधि की आउटसोर्सिंग करना चाहती है तो उसे एक समग्र आउटसोर्सिंग नीति बनानी चाहिए, जिसका अनुमोदन एनबीएफसी के बोर्ड ने किया हो तथा जिसमें अन्य बातों के साथसाथ-, ऐसी गतिविधियों और सेवा प्रदाता के चयन की कसौटी, जोखिम और महत्ता के आधार पर प्राधिकार का प्रत्यायोजन तथा इन गतिविधियों के परिचालन की समीक्षा और निगरानी की प्रणाली शामिल होनी चाहिए ।

5.2 बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

5.2.1 बोर्ड की भूमिका

i. एनबीएफसी का बोर्ड या बोर्ड की ऐसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-
ii. वर्तमान और भावी सभी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता के मूल्यांकन तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर लागू नीतियों के मूल्यांकन की एक प्रणाली का अनुमोदन करना;
iii. जोखिमों और महत्ता के आधार पर आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त अनुमोदन करनेवाले प्राधिकरियों का निर्धारण करना;

iv. इन निदेशों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का एक उपयुक्त प्राशसनिक ढांचा गठित करना;

v. आउटसोर्सिंग जारी रखने की प्रासंगिकता तथा उनकी सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए आउटसोर्सिंग कार्य नीतियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करना;

vi. आउटसोर्स की जानेवाली महत्वपूर्ण स्वरूप की कारोबारी गतिविधि के संबंध में निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्थाओं का अनुमोदन करना।

5.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

i. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रणाली के आधार पर सभी वर्तमान और भावी आउटसोर्सिंग के जोखिमों और महत्ता का मूल्यांकन करना;
ii. आउटसोर्सिंग गतिविधियों के स्वरूप, संभावना और जटिलता के अनुरूप सुदृढ़ और विवेकपूर्ण आउटसोर्सिंग नीतियां और क्रियविधियां विकसित करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
iii. नीतियों और क्रियविधियों की कारगरता की आवधिक रूप से समीक्षा करना;
iv. महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों से संबंधित जानकारी बोर्ड को समय पर देना;
v. यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक और संभवित विघटनकारी स्थितियो पर आधरित आकस्मिकता योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका परीक्षण किया जाता है;
vi. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाती है और
vii. आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा करना ताकि उत्पन्न होने वाले नये महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग जोखिमों का पता लगाया जा सके।

5.3 जोखिमों का मूल्यांकन

एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग के निम्नलिखित मुख्य जोखिमों का मूल्यांकन और उससे निपटने की ज़रूरत है -

(क) कार्य नीतिगत जोखिम - सेवा प्रदाता अपनी ओर से कोई ऐसा कारोबार कर रहा है, जो एनबीएफसी के समग्र कार्य नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है।

(ख) प्रतिष्ठा जोखिम - सेवा प्रदाता की खराब सेवा, ग्राहकों के साथ उसका परस्पर संपर्क एनबीएफसी के समग्र मानकों/स्तर के अनुरूप न हो।

(ग) अनुपालन जोखिम – गोपनीयता, उपभोक्ता और विवेकपूर्ण कानूनों का पर्याप्त रूप से अनुपालन न किया जाना।

(घ) परिचालन जोखिम - टेक्नोलॉजी फेल होने, धोखाधड़ी, गलती, दयित्वों को पूरा करने तथा/या उनके उपायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय क्षमता से होनेवाले जोखिम।

(ड) विधिक जोखिम - इसमें सेवा प्रदाता की गलती के कारण पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा निजी निपटानों के फलस्वरूप लगनेवाले जुर्माने, दंड या दंडात्मक हानि शामिल है।

(च) निर्गमन कार्य नीति जोखिम - यह जोखिम एक ही फर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा एनबीएफसी में संबंधित कौशल की हानि से हो सकती है, जिससे उस गतिविधि को वापस आंतरिक रूप से एनबीएफसी में नहीं लाया जा सकता। यह जोखिम तब भी उत्पन्न होती है जब ऐसी संविदाएं की गयी हों जिनसे जल्दी बाहर निकलना अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो।

(छ) प्रतिपक्षी जोखिम – अनुपयुक्त हामीदारी या साख मूल्यांकन के कारण होनेवाला जोखिम।

(ज) संविदागत जोखिम - यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संविदा लागू करने की एनबीएफसी की क्षमता है या नहीं ।

(झ) संकेंद्रण और सर्वांगी जोखिम – जहां किसी सेवा प्रदाता पर समग्र उद्योग जगत अत्यधिक रूप से निर्भर हो और इस प्रकार एनबीएफसी इस सेवा प्रदाता पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। ।

(ञ) देश संबंधी जोखिम - राजनैतिक, सामाजिक या कानूनी वातावरण के कारण निर्मित होनेवाली अतिरिक्त जोखिम ।

5.4 सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करना

5.4.1 आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार करते समय या समीक्षा करते समय आउटसोर्सिंग व्यवस्था में निहित दायित्वों की सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए । उचित सतर्कता के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक, वित्तीय, परिचालन तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । एनबीएफसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सेवा प्रदाताओं की प्रणाली उनकी अपनी प्रणाली के अनुरूप है तथा ग्राहक सेवा क्षेत्र सहित क्या उनके कार्य निष्पादन का स्तर उन्हें स्वीकार्य है । सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एनबीएफसी को एक ही सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अनुचित संकेंद्रण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए । जहां कहीं संभव हो, वहां एनबीएफसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में सेवा प्रदाता के संबंध में स्वतंत्र समीक्षाएं और बाज़ार का फीडबैक प्राप्त करना चाहिए ।

5.4.2 उचित सतर्कता के अंतर्गत सेवा प्रदाता के बारे में उपलब्ध सभी सूचना का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए । उसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है -

i. संविदागत अवधि में प्रस्तावित गतिविधि के कार्यान्वयन और समर्थन हेतु पिछला अनुभव और क्षमता;
ii. विपरीत परिस्थितियों में भी वायदों को पूरा करने की वित्तीय सुदृढ़ता और क्षमता;
iii. कारोबारी प्रतिष्ठा और संस्कृति, अनुपालन, शिकायतें और वर्तमान या संभावित मुकदमा;
iv. सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा व्याप्ति, सूचना और निगरानी प्रणाली, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और
v. अपने कर्मचारियों के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा उचित सतर्कता सुनिश्चित करना।

5.5 आउटसोर्सिंग करार

एनबीएफसी और सेवा प्रदाता के बीच संविदा को नियंत्रित करनेवाली शर्तें लिखित करार में सावधानीपूर्वक परिभाषित की जानी चाहिए तथा एनबीएफसी के विधि परामर्शदाता द्वारा उनके कानूनी प्रभाव एवं प्रवर्तनीयता की जांच की जानी चाहिए । ऐसे प्रत्येक करार में जोखिमों और उन्हें कम करने की कार्य नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । करार पर्याप्त रूप से लचीला हो जिससे एनबीएफसी आउटसोर्सिंग पर उचित नियंत्रण बनाये रख सके तथा कानूनी और विनियामक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपायों के साथ दखल देने का उसे अधिकार हो । करार में पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध का स्वरूप भी बताया जाना चाहिए - अर्थात् यह संबंध एजेंट, प्रधान या अन्य प्रकार का है । संविदा के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नप्रकार होंगे -

i. संविदा में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि कौन सी गतिविधियां आउटसोर्स की जानेवाली हैं तथा उनकी उपयुक्त सेवा और कार्य निष्पादन मानक क्या होंगे;

ii. एनबीएफसी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्स की जानेवाली गतिविधि के लिए प्रासंगिक सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध सभी बहियों, रिकॉर्डों और सूचना प्राप्त करने की उसकी क्षमता है;

iii. संविदा में एनबीएफसी द्वारा सेवा प्रदाता की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक सुधारात्मक उपाय तत्काल किया जा सके;

iv. समापन शर्त और समापन प्रावधान निष्पदित करने की न्यूनतम अवधियां, यदि आवश्यक समझा जाए तो, शामिल की जानी चाहिए;

v. ऐसे नियंत्रण जिनसे ग्राहक संबंधी आँकड़ों की गोपनीयता तथा सुरक्षा भंग करने और ग्राहक से संबंधित गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में सेवा प्रदाताओं की देयता सुनिश्चित हो;

vi. कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं;

vii. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली सभी गतिविधि या उसके किसी भाग के लिए उप कांट्रक्टर का उपयोग करने के लिए संविदा में एनबीएफसी द्वारा पूर्व अनुमोदनसहमति का प्रावधान होना चाहिए/;

viii. एनबीएफसी द्वारा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंटों द्वारा लेखा परीक्षा करने के तथा एनबीएफसी के लिए दी गयी सेवा के साथ सेवा प्रदाता के संबंध में की गयी लेखा परीक्षा या समीक्षा रिपोर्टों तथा निष्कर्षों की प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान हो;

ix. आउटसोर्सिंग करार में ऐसे खंड शामिल होने चाहिए जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को सेवा प्रदाता को दी गयी या उसके पास रखी गयी अथवा उसके द्वारा प्रोसेस किये गये एनबीएफसी के दस्तावेज, लेनदेनों के रिकार्ड तथा अन्य आवश्यक सूचना उचित समय के भीतर प्राप्त की जा सके;

x. आउटसोर्सिंग करार में ऐसा खंड भी शामिल होना चाहिए जिसमें रिज़र्व बैंक के किसी एक या अधिक अधिकरियों या कर्मचरियां या अन्य व्यक्तियों द्वारा एनबीएफसी के सेवा प्रदाता और उसकी बहियों तथा खाते का निरीक्षण करने के अधिकार को स्वीकार किया गया हो;

xi. आउटसोर्सिंग करार में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि संविदा समाप्त होने या समाप्त किये जाने के बाद भी ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी; और

xii. आउटसोर्सिंग करार में सेवा काल की समाप्ति के पश्चात भी सेवा प्रदाता द्वारा एनबीएफसी के हित में दस्तावेज और डाटा परिरक्षण के लिए विधिक दायित्व के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 गोपनीयता तथा सुरक्षा

5.6.1 एनबीएफसी पर आम जनता का भरोसा तथा ग्राहक का विश्वास एनबीएफसी की स्थिरता तथा प्रतिष्ठा की पूर्वापेक्षा है। अतः एनबीएफसी को चाहिए कि वह अपनी अभिरक्षा में अथवा सेवा प्रदाता के पास जो भी ग्राहक संबंधी जानकारी है उसकी सुरक्षा तथा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

5.6.2 सेवा प्रदाता के स्टाफ की ग्राहक संबंधी जानकारी तक पहुंच आधार पर होनी चाहिए अर्थात् 'जानना आवश्यक' पहुंच उन क्षेत्रों तक सीमित रहनी चाहिए जहां आउटसोर्स किए गए कार्य के निष्पादन के लिए वह जानकारी आवश्यक है।

5.6.3 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी के ग्राहक से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख तथा परिसंपत्ति को सेवा प्रदाता अलग तथा स्पष्टरूप से पहचान सकता है ताकि जानकारी की गोपनीयता सुरक्षित रह सकती है। उस स्थिति में जहां सेवा प्रदाता अनेक एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग एजेंट का कार्य करता है, वहां प्रभावशाली सुरक्षा उपाय बनाने की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जानकारी दस्तावेज /, अभिलेख तथा परिसंपत्तियों का आपस में मिश्रण नहीं होगा।

5.6.4 एनबीएफसी को सेवा प्रदाता की सुरक्षा पद्धतियों तथा नियंत्रण प्रक्रियाओं की नियमित आधार पर समीक्षा तथा निगरानी करनी चाहिए तथा सेवा प्रदाता से सुरक्षा के उल्लंघनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

5.6.5 ग्राहक से संबंधित गोपनीय जानकारी के प्रकट होने तथा सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं में एनबीएफसी किसी भी क्षति के लिए अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होगा।

5.7 प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट/ वसूली एजेंट की जिम्मेदरियां

5.7.1 एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट /प्रत्यक्ष विपणन एजेंट /वसूली एजेंट को उनकी जिम्मेदरियों को, विशेषतः नये ग्राहक बनाना, फोन करने का समय, ग्राहक संबंधी जानकारी की गोपनीयता तथा प्रस्तावित उत्पादों की सही शर्तें बताने आदि से संबंधित पहलुओं को सावधानी तथा संवेदनशीलता से पूरा करने के लिए समूचित रीति से प्रशिक्षित किया गया है।

5.7.2 एनबीएफसी डीएसए/डीएमए/वसूली एजेंट के लिए अपने बोर्ड से अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता लागू करेंगे और उनसे इस संहिता का अनुपालन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वसूली एजेंटों को एनबीएफसी संबंधी उचित व्यवहार संहिता में शामिल अनुदेश तथा बकाये की वसूली तथा प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण के संबंध में उनकी अपनी संहिता का भी पालन करना होगा। यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे एनबीएफसी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और इसके साथ ही उन्हें ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

5.7.3 एनबीएफसी तथा उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शाब्दिक डाँट-डपट अथवा शारीरिक उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए। इनमें ऋणकर्ता के परिवार के सदस्यों, मध्यस्थ (रेफरी) तथा उनके दोस्तों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा उनकी निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप करना, धमकी देने वाले तथा बेनामी फोन करना अथवा झूठे तथा भ्रामक दुष्प्रचार करना भी शामिल हैं।

5.8 कारोबार की निरंतरता तथा आपात्कालीन बहाली (डिज़ास्टर रिकवरी) योजना का प्रबंधन

5.8.1 एनबीएफसी को अपने सेवा प्रदाताओं से कारोबार की निरंतरता तथा बहाली क्रियाविधियों के प्रलेखन, उन्हें बनाए रखने तथा जांच के लिए एक संतुलित ढांचा विकसित तथा स्थापित करने की अपेक्षा करनी चाहिए। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सेवा प्रदाता कारोबार निरंतरता तथा बहाली योजना की आवधिक रूप से जांच करता है तथा एनबीएफसी अपने सेवा प्रदाता के साथ सामयिक संयुक्त जांच तथा बहाली अभ्यास करने पर भी विचार करे।

5.8.2 आउटसोर्सिंग करार की अप्रत्याशित समाप्ति अथवा सेवा प्रदाता के परिसमापन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण रखें तथा ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यय किए बिना तथा एनबीएफसी के परिचालनों तथा उसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना अपने कारोबार परिचालनों को जारी रखने के लिए उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार रखें।

5.8.3 एक सक्षम आकस्मिकता योजना स्थापित करने के लिए, एनबीएफसी को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता अथवा आपात स्थिति में आउटसोर्स किए गए काम को फिर से एनबीएफसी में करने के लिए वापस लाने की संभावना तथा ऐसा करने में जो लागत, समय व संसाधन खर्च होंगे उस पर विचार करना चाहिए।

5.8.4 आउटसोर्सिंग से अक्सर सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता एनबीएफसी की जानकारी, दस्तावेज तथा अभिलेख तथा अन्य परिसंपत्तियों को अलग करने की क्षमता रखते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में सेवा प्रदाता को दिए गए सभी दस्तावेज, लेनदेन के अभिलेख तथा जानकारी तथा एनबीएफसी की परिसंपत्तियों को एनबीएफसी के कारोबार के परिचालनों को जारी रखने के लिए सेवा प्रदाता के पास से निकाला जा सकता है अथवा मिटाया, नष्ट अथवा अप्रयोज्य बनाया जा सकता है।

5.9 आउटसोर्स किए गए कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण

5.9.1 एनबीएफसी के पास अपने आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन संरचना तैयार होनी चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा प्रदाता के साथ आउटसोर्सिंग करारों में आउटसोर्स किए गए कार्यों की उनके द्वारा निगरानी तथा नियंत्रण के प्रावधान होने चाहिए।

5.9.2 सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग का एक केंद्रीय अभिलेख रहना चाहिए जो एनबीएफसी के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की समीक्षा के लिए तत्काल उपलब्ध हो। इन अभिलेखों को तत्काल अद्यतन किया जाना चाहिए तथा बोर्ड अथवा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष अर्धवार्षिक समीक्षाएं रखी जानी चाहिए।

5.9.3 एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के निरीक्षण तथा प्रबंधन में अपनाई गयी जोखिम प्रबंध पद्धतियों की पर्याप्तता, अपने जोखिम प्रबंध ढांचे तथा इन निदेशों की अपेक्षाओं का एनबीएफसी द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जाए।

5.9.4 एनबीएफसी को कम-से-कम वार्षिक आधार पर सेवा प्रदाता की वित्तीय तथा परिचालन स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उसकी अपने आउटसोर्सिंग दयित्वों को पूरा करते रहने की क्षमता का मूल्यांकन होगा। ऐसी उचित सावधानी समीक्षाओं में जो सेवा प्रदाता से संबंधित समस्त उपलब्ध जानकारी पर आधरित होंगी, कार्यनिष्पादन मानकों, गोपनीयता तथा सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता को बनाए रखने की तत्परता में किसी प्रकार की गिरावट अथवा उल्लंघन को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए।

5.9.5 किसी भी कारण से ऑउटसोर्सिंग करार की समप्ति हो, जिसमें सेवा प्रदाता ग्राहकों से कोई कारोबार करता है, तो इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर, वेबसाइट पर अपलोड कर और ग्राहकों को सूचित करके प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक सेवा प्रदाता से सेवा लेना जारी नहीं रखें।

5.9.6 कुछ मामलों में जैसे नकद प्रबंधन के आउटसोर्सिंग में एनबीएफसी, सेवा प्रदाता और उसके उप ठेकेदारों के बीच हुए लेनदेन का मिलान करना शामिल है। ऐसे मामलों में एनबीएफसी यह सूनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और सेवा प्रदाता (और/अथवा उप ठेकेदार) के बीच लेन-देन का समय पर मिलान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स किये गए वेंडर के साथ लंबित प्रविष्टियों का बाद में विश्लेषण कर लेखा परीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और एनबीएफसी पूराने शेष बचे मामलों को अतिशीघ्र कम करने के लिए प्रयास करेगी।

5.9.7 आउटसोर्स की गई सभी गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली होगी और इसकी निगरानी एनबीएफसी के एसीबी द्वारा किया जाएगा।

5.10 आउटसोर्स की गयी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण

i. एनबीएफसी को शिकायत निवारण प्रक्रिया पर आरबीआई के दिनांक 18 फरवरी 2003, के परिपत्र संख्या DNBS.CC.PD.No.320/03.10.01/2012-13 दिनांक 18 फरवरी, 2013 में दिये अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी । प्रचालन के स्तर पर सभी एनबीएफसी को अपने पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम तथा संपर्क (फोन नंबर/ मोबाईल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी को शाखाओं अथवा जिस स्थान पर कारोबार है उसे प्रकाशित करना चाहिए) का व्यापक प्रचार करना चाहिए । पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का अविलंब तथा तत्परता से निवारण होता है। यह स्पष्टतः दर्शाया जाए कि एनबीएफसी का शिकायत निवारण तंत्र आउटसोर्स की गयी एजंसी द्वारा दी गयी सेवाओं से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करेगा ।

ii. सामान्यतः, ग्राहकों को शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाए । एनबीएफसी की शिकायत निवारण क्रियाविधि तथा शिकायतों का उत्तर देने के लिए निर्धारित की गयी समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर रखी जाए ।

5.11 वित्तीय आसूचना इकाई अथवा अन्य सक्षम प्रधिकरियों को लेनदेन की रिपोर्ट करना

एनबीएफसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए एनबीएफसी के ग्राहकों से संबंधित कार्यों के संबंध में वित्तीय आसूचना इकाई अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी ।

6. समूह/संगुट के अंदर आउटसोर्सिंग

6.1 सामूहिक संरचना में, एनबीएफसी का बैक ऑफिस और समूह की संस्था के साथ सेवा व्यवस्था/करार हो सकता है, जैसे - परिसर को साझा करना, विधिक और अन्य व्यावसायिक सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, केंद्रीयकृत बैक-ऑफिस गतिविधियां, कुछ वित्तीय सेवाओं को समूह के अन्य संस्था को आउटसोर्स करना आदि। समूह की संस्था के साथ इसप्रकार की व्यवस्था करने से पहले, एनबीएफसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और समूह के अन्य संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी करार/व्यवस्था भी हो, जिसमें संपदाओं यथा परिसर, कार्मिक इत्यादि को साझा करने के लिए निश्चित सीमा तय हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी अनेक सामूहिक कंपनियां शामिल हैं अथवा क्रोस सेलिंग होती है, तो ऐसे में ग्राहकों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाए कि वास्तविक रूप से कौन सी कंपनी सेवा/उत्पाद दे रही है।

6.2 ऐसी व्यवस्था आरंभ करने से पहले एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये-

a. करारों का विवरण जैसे कि सेवा का विस्तार, सेवा का शुल्क और ग्राहकों के आंकड़े की गोपनीयता को बरकारर रखने सहित को उपयुक्त रूप से दस्तावेज में लिखा गया है;
b. एनबीएफसी और उनके समूह की अन्य कंपनियों की गतिविधियों के बीच स्थानों का भौतिक विभेद करके वे ग्राहकों के बीच यह भ्रम न रहने दें कि वे किनके उत्पादसेवाएं प्राप्त कर रहे/ हैं;
c. स्वतंत्र रूप से एनबीएफसी की जोखिमों की पहचान करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता को पहचानने में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए;
d. भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी अथवा पूरे समूह से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए;
e. लिखित करार में एक खंड डाला जाए कि किसी भी सेवा प्रदाता के लिए एनबीएफसी गतिविधियों से संबंधित आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

6.3 एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि समूह की कंपनी द्वारा प्रदत्त परिसर अथवा अन्य सेवाओं (जैसे कि आईटी प्रणाली, सहायक स्टाफ) की उपलब्धता बाधित होने पर सुचारू ढंग से उनके कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.4 यदि एनबीएफसी का परिसर समूह की कंपनियों द्वारा क्रोस सेलिंग के लिए साझा किया जाता है तो एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के लिए कंपनी की पहचान स्पष्ट रूप से पता चले और कोई भ्रम न हो। एनबीएफसी के परिसर में समूह की कंपनी द्वारा प्रयुक्त विपणन ब्रोशर और इसके कार्मिकों/एजेंटों द्वारा मौखिक संवाद में एनबीएफसी के साथ उस कंपनी की व्यवस्थाओं की प्रकृति बतानी होगी ताकि ग्राहकों को उत्पाद के बिक्रेता के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।

6.5 एनबीएफसी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं देगा अथवा कोई करार करेगा जिसमें यह कहा गया हो अथवा सुझाव दिया गया हो अथवा बिना कहे इस बात का प्रभाव डाला जाए कि वह अपने समूह की कंपनियों के दायित्वों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है।

6.6 किसी संबंधित पार्टी (अर्थात समूह /संगुट के भीतर की पार्टी) को आउटसोर्स करते समय एनबीएफसी द्वारा अपनाये जाने वाले जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि इस निर्देश के पैरा 5 में दिया गया है।

7. वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग

7.1 विदेश में सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करने से एनबीएफसी को देश संबंधी जोखिम हो सकती है, जिसके अंतर्गत विदेश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां तथा घटनाओं का एनबीएफसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ऐसी स्थितियाँ तथा घटनाएं सेवा प्रदाता को एनबीएफसी के साथ किए गए करार की शर्तों को पूरा करने से रोक सकती हैं । ऐसे आउटसोर्सिंग कार्यों में होने वाले देश संबंधी जोखिम के प्रबंधन के लिए एनबीएफसी को चाहिए कि वह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तथा निरंतर आधार पर भी जिन देशों में सेवा प्रदाता स्थित है उन देशों की सरकारी नीतियों तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक स्थितियों को ध्यान में ले तथा कड़ी निगरानी रखें और देश संबंधी जोखिम की समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ क्रियाविधियां स्थापित करें । इसमें संकटकालीन तथा बहिर्गमन संबंधी उचित नीतियां शामिल हैं । सिद्धान्ततः, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उन पक्षकारों के साथ होनी चाहिए जो ऐसे क्षेत्राधिकार में कार्य करती हों जहाँ सामान्यतः गोपनीयता संबंधी शर्तों तथा करारों का पालन किया जाता है । व्यवस्था को लागू करने वाले कानून का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

7.2 भारत के बाहर आउटसोर्स किए गए कार्यो का संचालन इस तरह से किया जाए कि एनबीएफसी के भारत में किए जाने वाले कार्यों के समय पर पर्यवेक्षण करने अथवा पुनर्निर्माण करने के प्रयासों में रुकावट न आए ।

7.3 भारतीय प्रचालन से संबंधित वित्तीय सेवाओं के विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में एनबीएफसी को उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि

a. जहां विदेशी सेवा प्रदाता एक निगमित कंपनी है, तो संबंधित विदेशी नियामक कभी भी व्यवस्था में रूकावट उत्पन्न नहीं करेगा और न ही आरबीआई निरीक्षण दौरा/एनबीएफसी के आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षक को रोकेगा।
b. प्रबंधन और आरबीआई के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता तब तक रहेगी जब तक विदेशी संरक्षक अथवा भारत में एनबीएफसी दिवालिया नहीं हो जाते हैं।
c. विदेश स्थित विनियामक प्राधिकारी के पास, मात्र इस आधार पर कि प्रोसेसिंग वहां की जा रही है, (यदि ऑफसोर प्रोसेसिंग एनबीएफसी के देश में हो तो यह लागू नहीं है) एनबीएफसी के भारतीय गतिविधियों से संबंधित आंकड़े तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।

d. विदेश स्थित स्थान जहां आंकड़े रखे जा रहे हों से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इस आधार पर कि आंकड़े की प्रोसेसिंग वहां होती है, भले ही वास्तविक अंतरण भारत में हो, भारत में एनबीएफसी की गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे और

e. सभी मूल रिकार्ड भारत में ही रखे जाएंगे।